Monday, 27 February, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Examined 14-10-92

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 27, फरवरी 1978/8 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 6, Monday, February 27, 1978/Phalguna 8, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:	
तारांकित प्रश्न संख्या 81, 83, 86, 87, 89, 91, 92 और 97	Starred Questions Nos. 81, 83, 86, 87, 89, 91, 92 and 97 . . .	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:	
तारांकित प्रश्न संख्या 82, 84, 85, 88, 90, 93 से 96 और 98 से 100	Starred Questions Nos. 82,84,85,88, 90, 93 to 96 and 98 to 100 . .	16—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 751 से 754, 756 से 762, 764 से 781, 783 से 786, 788 से 797, 799 से 859, 861 से 870, 872 से 934 और 936 से 950	Unstarred Questions Nos. 751 to 754 756 to 762, 764 to 781, 783 to 786, 788 to 797, 799 to 859, 861 to 870, 872 to 934 and 936 to 950. .	24—145
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	145—147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE . .	148—153
होर्न आफ अफ्रीका में विस्फोटक स्थिति के कारण हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना की मौजूदगी का समाचार	Reported presence of U.S. Naval Force in Indian Ocean as a consequence of the explosive situation in the of Horn Africa.	
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash . . .	148
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	148
श्री सोगत राय	Shri Saugata Roy . . .	152
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . . .	152

किसी नाम पर अंकित यह † बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री लखन लाल कपूर	Shri L.L. Kapoor . .	153
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi . .	153
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में व्यवस्था के प्रश्न संबंधी विनिर्णय— सभा पटल पर रखा गया।	Ruling on point of Order *re*. The President's Address—Laid on the Table.	154
विदेश मन्त्री को पाकिस्तान की यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement re. External Affairs Ministers Visit to Pakistan . . .	154—156
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	154
चीनी संबंधी नीति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Sugar Policy .	156
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala . .	
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त की मंजूरी के बारे में वक्तव्य	Statement re. Sanction of an Additional Instalment of Dearness Allowance to Central Government Employees	157—158
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . .	157
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under rule 377 . . .	158
काली सूची में दर्ज दो फर्मों को शोधन के लिए रेप-सीड तेल की कथित सप्लाई	Reported supply of rape-seed oil for refining to two black-listed firms.	158
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	158—163
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar. .	158
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O.V. Alagesan .	162
श्री बी० पी० मंडल	Shri B.P. Mandal . .	160
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen. .	166
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair .	168
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati . . .	170
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . .	171
पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव	Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Bill—Motion toconsider .	173—177
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishanan .	173
श्री हुकम देव नारायण	Shri Hukamadeo Narain Yadav	174
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O.V. Alagesan . . .	175
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwari	176
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan . .	176
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . .	176

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 27 फरवरी 1978/फाल्गुन 1899 (शक)

Monday, February 27, 1978, Phalguna 8, 1899 (Laka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Subsidy Scheme on Minor Irrigation Programme

*81 **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to extend the present subsidy scheme with a view to encourage minor irrigation programme; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) & (b) : A proposal to make subsidy available under Centrally sponsored Scheme to small and marginal farmers for private minor irrigation works outside the areas covered under Central Sector Projects, such a Small Farmers Development Agencies, Drought Prone Area Programme, Integrated Tribal Development Programme and Command Area Development Programme is under consideration.

Shri Hargovind Verma: Mr. Speaker, the Engine dealers and the Bank employees exploited the small farmers during last year while advancing them loans. They have been betrayed and now their land is being auctioned. I want to know whether the Government would give them some facilities in the matter of repayment of those loans.

Shri Surjit Singh Barnala: This question related to subsidy which I have replied to. Nothing has come to our notice regarding the exploitation of small farmers by some engin dealers or Bank employees...

Shri Hargovind Verma: It is fact that there is a scheme to provide subsidy from the Ministry and this subsidy will continue in future. But when the farmers go to banks for loan and for the subsidy, the bank employees cheat them and supply them inferior engins which do not work properly. You just go through to days's news paper. The time of Procurement has come and the land of hundreds of small farmers is being auctioned. They did not get loan of big amounts. Their small lands are being sold out. I want to know what setps are you taking in this regard.

Shri Surjit Singh Barnala: In fact it is the duty of State Governments to see as to how the money is being distributed, how they are granted loan. They have to see that small and marginal farmers are not exploited by bank employees. The hon. member has stated that the bank employees take bribes from the farmers. Such things should be brought to the notice of State Government so that appropriate action is taken against them. I am also of the same opinion that such persons should be punished.

Shri Hukam Chand Kachwai: I want to know how much amount is likely to be given to the State Governments in the form of assistance under small irrigation schemes by the Central Government. I want to know whether it is a fact that that you are facing difficulty to grant the amounts asked for by the State Governments? Are there some such State Governments which are likely to spend 70 to 80 per cent amount on irrigation projects. In such cases will you give them financial assistance from the Central exchequer?

Shri Surjit Singh Barnala: It is not related to the main question. The question is as:

Whether it is a fact that Government have decided to extend the present subsidy scheme with a view to encourage minor irrigation, programmes.

Shri Hukam Chand Kachwai: I want to know how much amount is likely to be given to the state Governments in the form of assistance and what is the amount asked for by those States? What is the objection to you to reply this question?

अध्यक्ष महोदय : वह बिना सूचना दिए उत्तर नहीं दे सकते । उनके पास इस समय जानकारी नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: This question is related to the main question.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह श्री कच्छवाय से अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार कर लें ।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए ।

Shri Surjit Singh Barnala: You give me notice in this regard. I will apprise you of the factual position.

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे कई राज्य तथा क्षेत्र हैं जहां गंभीर विषमता है और वहां सिंचित भूमि राष्ट्रीय स्तर से कहीं कम है । इस सन्दर्भ में क्या कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है और क्या ऐसे क्षेत्रों तथा राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रश्न छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजना का नहीं है, बल्कि यह प्रश्न राजसहायता प्राप्त योजनाओं का है । यदि माननीय सदस्य सिंचाई के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो उन्हें उसी प्रकार का प्रश्न पूछने दिया जाय । मैं उन्हें इस बारे में जानकारी दूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. speaker, is it a fact that the Government have decided to encourage the present subsidy scheme to promote minor irrigation programmes.

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब हम विभिन्न राज्यों को छोटी सिंचाई के लिए राज सहायता देने का काम आरम्भ कर रहे हैं । इस सन्दर्भ में मैं उन क्षेत्रों के बारे में पूछना चाहता हूं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जो कि सिंचाई के मामले में राष्ट्रीय स्तर से नीचे हैं और क्या राज सहायता देने के मामले में कोई विशेष विचार किया जाता है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : राज सहायता केवल केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए दी जाती है जैसे छोटे किसान विकास अभिकरणों, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए, समेकित विकास कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए दिया जाता है । ये चार कार्यक्रम हैं, जिनके अन्तर्गत राज सहायता दी जाती है । यह काम 5026 ब्लाकों में से केवल 3000 ब्लाकों में किया गया है ताकि वे क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत आयें और उन क्षेत्रों में राज सहायता दी जा सके । यह राज्यों के लिए प्रावधान नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पिछड़े इलाकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र शब्द का प्रयोग करता हूं।

Shri Lalji Bhai : What is the amount given to the small farmers in various States during three years. Mr. Kachwai tried to know this thing but the hon. Minister is trying to evade the answer. I want to know the amounts given to the small farmers statewise for the last three years by the Central Government. Secondly I want to know whether the Central Government and the State Governments are proposing to not to charge interest on loan given to the small farmers, if not, why?

Shri Surjit Singh Barnala: This first question is that how much amount has been granted during the last three years. I place before the hon. members the figures available with me. In 1974-75 Rs. 7 crores and 22 lakhs were spent under D.P.A.P., in 1975-76 Rs. 8 crores 70 lakhs, during 1976-77 Rs. 14 crores and 10 lakhs and it is exprected that about same amount will be spent this year. Similarly, during the year 1976-77 Rs. 9 crores 55 lakhs and during the year 1977-78 Rs. 12 crores 44 lakhs were spent under I.T.D.P. under C.A.D.P. Rs. 1 crore 12 lakhs during the year 1975-76, Rs. 2 crores 53 lakhs during the year 1976-77 and it is expected that Rs. 3 crores 84 lakhs will be spent during the year 1977-78.

Shri Lalji Bhai : Will you grant loans without charging interist thereon or whether the Central Government as well as State Governments are considering to give loan without charging any interest?

Mr. Speaker. No No. It cannot be possible.

Shri Lalji Bhai: Is the Government thinking to reduce the rate of interest?

Mr. Speaker : No No.

Shri Ram Murti: The hon. Minister must know that the practice in the matter of subsidy is that the people send their applications at the Block level. Some Engine are earmarked for the Block and the applicants are forced to purchase those engines. Some of them work property while some are defective. In this way those farmers are compelled to pay price of those engines. I want to know whether there is any such scheme under your consideration or are you going to issue such instructions that a list should be prepared of the engines which are popular and defective ones so that the farmers may purchase the engines of their choice and they are not compelled to purchase defective engines.

Shri Surjit Barnala: The lists of some special engines are prepared state-wise. Some Engines are manufactured by big industrial houses like Kirloskar etc. Hon. members are objecting to lists prepared at Block level. It has also been said that some of the engines are defective. When the stock of any thing comes in the market. Some of then are always defective. The lists are prepared with the intention to supply good engines to the farmers. Every farmers does not know as which is the better make. The hon. members are suggesting that a list should be prepared by the Central Government. That also can be objected because some of them may also prove defective. There was agitation in Punjab about defective tractors. There is no such scheme under Governments consideration.

Shri Phirangi Prasad: There are various categories of farmers who live at the bank of river and have small holdings. They are deprived of such financial assistance. I want to know whether the Government would conduct enquiry on survey of small farmers so that they may also get financial assistance.

Mr. Speaker: This question does not arise.

Shri Phirangi Prasad: The Government have covered some blocks. I want to know whether Government would conduct fresh survey so that the neglected areas could be added in the list?

Shri Surjit Singh Barnala: For the time being there is no such proposal under consideration.

श्री अण्णा साहिब पी० सिंदे : राज सहायता देने में एक प्रशासनिक समस्या है। कभी-कभी प्रशासनिक कदाचार होने लगते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि हाल ही में कृषि सिंचाई के विकास में शिथिलता आई है और इस बात की संभावना है कि कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मेरी राय में जब तक मंत्रालय इस समस्या का समुचित मूल्यांकन नहीं करेगा तब तक राज सहायता देने से यह समस्या हल नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री अण्णा साहिब पी० सिंदे : मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : छोटी सिंचाई सुविधाओं के विकास गति में कमी नहीं आई है। बल्कि इसमें काफी सुधार हो गया है। हम केवल राज सहायता पर ही निर्भर नहीं हैं। यह तो केवल सीमांत किसानों, छोटे किसानों तथा समुदाय कार्यों के लिये दी जाती है। अन्य स्थानों पर छोटी सिंचाई के कार्य में तेजी की जा रही है। वास्तव में पहले जितना किया जाता था अब उससे दुगना हो रहा है।

साहित्य अकादमी का अध्यक्ष

*83. **श्री सौगत राय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी में लम्बे अर्से से कोई अध्यक्ष नहीं हैं;

(ख) क्या इससे अकादमी के कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 29-5-1977 को डा० सुनीति कुमार चटर्जी के निधन के बाद जब तक अकादमी के संविधान की व्यवस्था के अनुसार 4-2-78 को प्रो० उमाशंकर जोशी को अध्यक्ष नहीं चुन लिया गया तब तक के लिए साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष डा० के० आर० श्रीनिवासन आय्यंगर को कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सौगत राय : मंत्री जी ने इस बात का ठीक उल्लेख किया है कि 29-5-77 को भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का निधन हुआ और नए अध्यक्ष की नियुक्ति 4-2-78 को ही हुई है। मैंने अपना प्रश्न 31-1-78 को पूछा था और मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। मंत्री जी स्वयं शिक्षाविद् हैं मैं जानना चाहता हूं कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति करने में 9 महीने का विलम्ब क्यों किया गया है जिससे वहां के कार्यकरण में गड़बड़ी हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में डा० सुब्रमण्यम् स्वामी से परामर्श भी किया है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : उनसे कोई परामर्श नहीं किया गया। परामर्श सामान्य परिषद् के 82 सदस्यों के साथ किया जाना है। उन्हें अध्यक्ष के चयन के लिए निर्धारित फार्म में एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करने के लिए बुलाना होगा। फिलहाल कार्य चलाने के लिए डा० सुनीति कुमार चटर्जी के निधन के 3 महीने पश्चात् कार्य चलाने के लिए कार्यकारी व्यवस्था की गई।

श्री सौगत राय : क्या शिक्षा मंत्रालय में ऐसी अन्य संस्थाएं हैं जिनमें अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हो और यदि हां, तो सरकार उन पदों को भरने के लिए क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ा मंत्रालय है, और उन्हें उत्तर देने के लिए शायद आपको सूचना देनी होगी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरे मंत्रालय के अधीन 43 स्वतंत्र संस्थाएं हैं। मेरे लिए यह कहना कठिन है।

श्री सौगत राय : क्या मैं जान सकता हूं क्या मंत्री जी ने समाचार पत्र में प्रकाशित उस समाचार को पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि बहुत लम्बे समय तक अध्यक्ष की नियुक्ति न करने और किसी अस्थायी नियुक्ति के कारण अकादमी के कार्यकरण में गम्भीर रूप से गड़बड़ी हो गई।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने यह खबर नहीं पढ़ी किन्तु जहां तक मेरी जानकारी है किसी सोसाइटी की बैठक तथा सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नित्य प्रति का काम अन्य अधिकारी करते हैं जो कि वहां काम चला रहे हैं।

Shrri Vijay Kumar Malhotra: Mr. Speaker in Sahitya Academy persons having communist ideology are being appointed for the last 5 or 6 years instead of literature, literary persons. I would like to know whether the hon. Minister would give assurance that such persons having political ideology will be removed from there and literary persons will be appointed there.

Shri Jyotirmoy Basu: The Janata party M.L.As. in Madhya Pradesh are saying that Rs. 9 crores have been taken from outside for R.S.S.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान, साहित्य अकादमी के अपने नियम विनियम हैं और सभी नियुक्तियां उन्हीं नियमों तथा विनियमों के अनुसार होती हैं। यदि कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोग उसमें आ जायें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री रागावलू मोहनरंगम : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या साहित्य अकादमी का पुस्तकों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार राजनीतिक उद्देश्यों के अनुसार दिया जाता है। यदि नहीं, तो तमिल में लिखी गई पुस्तक "कुरीधी पुनुल" को पुरस्कार देने के क्या कारण हैं, जिसका कोई भी महत्व नहीं है जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हिंसा को ही पुरस्कार मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं? उन्हें इस बारे में पता भी नहीं होगा। पुरस्कार किसी और ने दिया है।

श्री ए० बाला पगनौर : पुरस्कार देने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि इसके लिए क्या मापदण्ड है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह इस प्रश्न का उत्तर दन की स्थिति में नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मंत्री जी को ज्ञात है कि अतीत में साहित्य अकादमी के मुखिया पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा० राधाकृष्णन्, डा० जाकिर हुसैन और फिर स्वर्गीय डा० सुनीति कुमार चटर्जी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि यह

प्रथम अवसर है जबकि साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद् ने मतैक्य से राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य प्रो० उमा शंकर जोशी को निर्वाचित किया है जो कि अब नियमित रूप से इस अकादमी के कार्य को समुचित ढंग से चला रहे हैं।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन ले सकता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश भर में जो लोगों के दिमाग में इस धारणा को दूर करने का प्रयास करेगी कि इन अकादमियों विशेषकर साहित्य अकादमी को पूरी तरह सरकारी प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त विभागों के रूप में चलाया जा रहा है और उन्हें स्वतंत्र वातावरण नहीं मिल रहा है जिसमें कि रचनात्मक कलाकार अपने अतुल साहित्य की प्रतिभा का प्रयोग कर सकें क्या वह हमें आश्वासन देंगे कि जनता सरकार के अधीन साहित्य अकादमी सरकारी हस्तक्षेप से दूर रहेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्रीमान जी माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है कि साहित्य अकादमी के मुखिया प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वे किस तरह इस संस्था को सरकारी विभाग बनाने में कैसे हावी हो सकती हैं। यह बात सही नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलकर : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस बारे में पता नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैंने कहा है कि देश में एक ऐसी धारणा पैदा हो गई है तथा सरकार को यह धारणा दूर करनी चाहिए।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द : यदि ऐसी धारणा है तो यह गलत है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

किसानों के लिए नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के बारे में नये दिशानिर्देश

*86. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जनवरी, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह लिखा है कि नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के बारे में सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के बारे में किसान अन्धकार में हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इन दिशानिर्देशों के द्वारा किसानों के लिए भूमि पर लगे कई प्रतिबन्धों में ऐसी छूट दी है जिससे वे फालतू खाली भूमि के उपयोग हेतु अपनी भूमि पर सुधार कार्य कर सकें और भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें ;

(ग) यदि हां, तो किसानों को इन दिशानिर्देशों से अवगत कराने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar): (a) : Yes, Sir. The report, however, is not factually correct.

(b) Yes, Sir, for continuing cultivation; but the exempted land should not be utilised for any other purpose including building activity.

(c) Immediately after the issue of the guidelines, a press note was issued which was published in the newspapers. The Regional Committees for Urban Land Ceiling have been set up by the Ministry for the implementation of these guidelines by the States concerned.

Shri Durga Chand: May I know the gist of facilities provided to agriculturists by way of amendments to the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 or the guidelines issued in this regard ?—

Shri Ram Kinkar: The following four suggestions have been given by us:

(1) This land should be utilised purely for agricultural purpose.

(2) Prior intimation should be given to Government or concerned competent State authority before making use of this land for some other purpose.

(3) this land should not be transferred /sold on lease without Government's permission and this land should not be divided into plots and sold. But there is no objections to mortgage it without taking loan from banks or any other financial institution; and

(4) if any State Government is satisfied that any of the conditions from (i) to (ii) is ignored or the State Government wants this excess land for their own purpose, the State Government can withdraw this facility.

Shri Durga Chand: May I know whether the guidelines issued to State Governments and the amendments made in the rules have been implemented properly and whether arrangements have been made for their publicity ?

Shri Ram Kinkar: Recently, these guidelines have been issued to every State and Union Territory and they are being implemented. A committee and four regional committees have been set up for this purpose. The members of this committee and our officers go to States and make study of the financial, administrative and legal implications in this regard. The committee goes into them and gives suggestions. Efforts are made to ensure proper implementation of these guidelines.

Shri Nirmal Chandra Jain: May I know whether Government have received a number of representations regarding more relaxation in the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act; and if so, the action being taken thereon and by what time a decission will be taken?

Shri Ram Kinkar: I have no information at present about receipt of certain representations but further relaxations are not proposed to be made. Every effort is being made to ensure proper implementation of guidelines.

खंडसारी चीनी की उत्पादन लागत

*87. **श्री बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार खण्डसारी चीनी की उत्पादन लागत के कौन से आंकड़े लेती है;

(ख) सलफर प्रक्रिया से तैयार खण्डसारी चीनी तथा अन्य प्रकार की खण्डसारी चीनी की उत्पादन लागत के आंकड़ों का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान खण्डसारी चीनी पर स्थानीय करों और उत्पादन शुल्कों में वर्ष 1973 में विद्यमान दरों से 600 प्रतिशत की वृद्धि की गई है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि खण्डसारी उत्पादन उद्योग ग्राम आधारित, श्रम-प्रधान तथा एक कृषि उद्योग होने के बावजूद भारी घाटा उठा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : क्योंकि खंडसारी उद्योग के लिए राज्य सरकारें लाइसेंस देती हैं, उसका विनियमन तथा नियंत्रण करती है इसलिए राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी। खण्डसारी के आकार, टैक्नोलाजी, संयंत्र की आयु, वसूली आदि में भारी अन्तर होता है और इसलिए

लागत में भी होता है। उनके लागत मूल्य ढांचे की भारत सरकार की किसी विशेषज्ञ एजेन्सी द्वारा जांच नहीं की गई है। अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, सलफर खंडसारी की उत्पादन की लागत 265 रुपये के आस पास बताई गई है जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल है। लेकिन उद्योग ने 320 रुपये प्रति क्विंटल होने का दावा किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार को खंडसारी उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि वे वित्तीय नुकसान उठा रहे हैं।

डा० बसंत कुमार पंडित : खंडसारी चीनी का प्रश्न गत 6 महीनों से उठाया जा रहा है। हम में से कई मंत्री महोदय से मिल चुके हैं और उन्हें समूचे खंडसारी उद्योग, अर्थात विभिन्न प्रकार के खंडसारी उत्पादन के लागत ढांचे से अवगत करा चुके हैं। समझ में नहीं आता कि अब यह कैसे कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है। समझ में नहीं आता कि अभी तक केन्द्रीय सरकार ने खंडसारी चीनी के विभिन्न तरीकों के लागत ढांचे की जांच करने हेतु कोई जांच विशेषज्ञ समिति क्यों नहीं नियुक्त की, और यदि नहीं नियुक्त की, तो क्या सरकार खंडसारी उत्पादन के समूचे प्रश्न पर विचार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी या नियुक्त करने का विचार करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक बहुत छोटे यूनिट से लेकर लगभग एक लघु फैक्टरी तक के विभिन्न प्रकार के खंडसारी यूनिट हैं। उनकी तकनीकी भिन्न-भिन्न हैं। उनके परिचालन का मापदण्ड भिन्न है। उनकी वसूली भी अलग-अलग है। अतः विभिन्न आकार के यूनिटों में एक ही उत्पादन लागत नहीं हो सकती। उत्पाद-शुल्क भी अलग-अलग है। इस वर्ष प्रयोग करने के लिए मैंने अधिकारियों का एक ग्रुप नियुक्त किया है जो यह देखेगा कि लागत क्या होगी और उसके कुछ महीनों बाद हम कुछ बताने की स्थिति में हो सकेंगे।

डा० बसन्त कुमार पंडित : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री जी ने नकारात्मक उत्तर दिया है। राज्य करों, स्थानीय करों और बिक्री कर के अलावा क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गत पांच वर्षों में उत्पाद-शुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : तथ्य यह है कि इसमें 600 प्रतिशत के स्थान पर 400 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

डा० बसन्त कुमार पंडित : किस आधार पर इसमें 400 प्रतिशत की वृद्धि की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह सर्वविदित है कि चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य काफी अधिक बढ़ गया। भारत सरकार इससे लाभ उठाना चाहती थी। अतः उन्होंने मिल चीनी पर भारी उत्पाद शुल्क लगा दिया ताकि खपत कम की जा सके। इसके फलस्वरूप भारत में चीनी का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया। अतः खंडसारी में भारी लाभ की गुंजाइश हो गई। इसी कारण भारी उत्पाद शुल्क लगाया गया ताकि उनका लाभ कुछ कम किया जा सके।

श्री के० लकप्पा : खंडसारी यूनिट किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं दे रहे हैं। वे उनका शोषण कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप न केवल उत्तर प्रदेश में ही अपितु कर्नाटक में भी किसानों को नुकसान हो रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार इन कदाचारों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने केवल उत्पादन मूल्य का उल्लेख किया है।

श्री के० लकप्पा : हमें केवल उत्पादन लागत की ही जांच नहीं करनी चाहिए अपितु वसूली के बारे में भी जांच करनी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय क्षति है। खंडसारी यूनिट गन्ना उत्पादकों के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब इन लोगों के, जो किसानों को ठग रहे हैं और उन्हें लाभ प्रद मूल्य नहीं दे रहे हैं, कदाचारों को जांच करने हेतु सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी ? प्राइवेट सेक्टर के खंडसारी यूनिटों पर वे किस प्रकार नियंत्रण रखेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह ठीक है कि खंडसारी यूनिट किसानों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मैंने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया है और कई मामलों में उन्होंने मुकदमे दायर किये हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न यह है कि सरकार कब एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : खंडसारी यूनिट राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं। यदि कोई कदाचार हैं तो उन्हें उनकी जांच करनी चाहिए और उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

Shri Bharat Bhushan: Today there is heavy recession in khandsari and sugar mills and these people are closing their units instead of purchasing sugarcane from farmers. Keeping in view these circumstances may I know whether Government will review their policy and insure proper crushing of sugarcane produced this year in order to provide some relief to farmers ? Lakhs of tonnes of sugarcane is lying in the fields and there is nobody to crush it. Khandsari unit are lying closed and gur is not been produced as export of gur has been banned and reasonable price is not being paid. Sugar mills are giving notices to their employees. What action Govt. propose to take to keep these mills functioning and cane is crushed.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री आज एक वक्तव्य देंगे। वह इनमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जब खंडसारी के मूल्य ऊंचे थे तो कर में 400 प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब कीमतें काफी गिर गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री उत्पाद शुल्क को समाप्त करने पर विचार करेंगे और गन्ना उपकर तथा अन्य बातों को छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देंगे ताकि खंडसारी यूनिट गन्ना उत्पादकों को अच्छा मूल्य दे सकें और किसान बर्बाद न हो ? मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह : सल्फीटेशन प्लांट की सहायता से चल रहे खंडसारी यूनिटों पर उत्पाद शुल्क 50 प्रतिशत कम किया जा चुका है। पहले यह 11,400 रुपये थी, अब यह केवल 5,700 रुपये है। सल्फीटेशन प्लांट को सहायता के बिना चल रहे यूनिटों पर यह कटौती 75 प्रतिशत है। पहले यह 6,080 रुपये थी और अब इसे कम कर के 1,520 रुपये किया गया है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : समूचे कर को समाप्त करने के बारे में क्या हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह : खंडसारी मालिक स्वयं कर की पूर्ण समाप्ति नहीं चाहते। यदि उत्पाद शुल्क पूर्णतया समाप्त किया जाता है, तो खंडसारी पर बिक्री कर लगेगा। वे उत्पाद शुल्क की तुलना में इससे अधिक करते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : राज्य सरकारों को सलाह देने के बारे में क्या हुआ ।

श्री भानु प्रताप सिंह : सलाह दी गई है और यू० पी० में उन्होंने क्रय कर में 50 प्रतिशत की कटौती की है ।

Dr. Ramji Singh: May I know whether levy of 400 per cent excise duty on Khandsari sugar is in accordance with the Government's policy to promote rural industries? If not, can we hope that some relief will be given in the budget particularly when Government have given Rs. 80 crores to encourage sugar mills?

Shri Bhanu Pratap Singh: I have already stated the circumstances under which it was increased. When the price of sugar in the international market was £700, it was raised because there was heavy difference between the cost of production and the prevailing market price. To encourage cottage industries does not mean to provide opportunity to earn profit more than it is justified.

मौसम-युद्ध संबंधी कथित परीक्षण के कारण आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान

89. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उत्तरदायी वैज्ञानिक कर्मचारियों तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों ने यह कहा है कि आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हाल में समुद्री तूफान से हुई तबाही का एक कारण यह है कि एक विदेशी देश ने मौसम युद्ध संबंधी परीक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मेरे मंत्रालय को इस प्रकार के आरोप के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हाल में समुद्री तूफान से हुई तबाही का एक कारण मौसम-युद्ध संबंधी परीक्षण (यदि कोई हो) था।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत सत्र के अन्तिम दिन मैंने नियम 377 के अधीन यह मामला सभा में उठाया था। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने मुझे एक पत्र में लिखा था कि इस वर्ष बड़े राष्ट्रों के बीच जेनेवा में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें आने वाले वर्षों में मौसम को लड़ाई के अस्त्र के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

1976 में यह सन्देह हुआ कि देश में कृत्रिम सूखे की स्थिति पैदा की जा रही है जिसके फलस्वरूप मानसून पर निगरानी रखने हेतु हिन्द महासागर में एक संयुक्त भारत-सोवियत समुद्री अभियान शुरू किया गया था । इस अभियान का वास्तविक प्रयोजन पूर्णतया गुप्त रखा गया है।

कई वर्ष पूर्व इथियोपिया में कृत्रिम सूखे की स्थिति पैदा हुई थी और इससे उस देश में भारी अकाल पड़ा। सम्भवतः प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई उस चर्चा पर कुछ प्रकाश डालें जो उन्होंने सोवियत यूनियन के अपने दौरे में वहां की और निसन्देह गुप्त न हो।

इस सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने इस बात का गहराई से अध्ययन किया है कि इस देश में मौसम को युद्ध शास्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे मित्र ने अभी बताया कि किसी वैज्ञानिक ने उन्हें पत्र लिखा है। वह बादल बनने आदि के बारे में है। वैज्ञानिक तरीकों से किसी प्रकार के समुद्री तूफान का कोई उल्लेख नहीं है। मेरे विचार में इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार तूफान नहीं लाये जा सकते। समूचे विश्व में इस प्रकार की कहीं भी रिपोर्ट नहीं हैं यद्यपि बादल बनाये जाने के बारे में तो रिपोर्ट है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूर्णतया आश्वस्त हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्रालय में गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। मैं इस क्षेत्र में अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्ति के लेख से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह लेख उन्हें भेज दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री जी को इसका पता है ? मैं इस लेख पर मंत्री महोदय की टिप्पणी जानना चाहता हूं। मेरे विचार में मंत्रालय को इस बारे में कुछ पता नहीं है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है, वह बादलों के बनाने के बारे में है परन्तु समुद्री तूफान आदि के बारे में इस लेख में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में वर्ष 1968 में चार, 1972 में पांच, 1976 में पांच और 1977 में तीन समुद्री तूफान आये। परन्तु यह तूफान वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे इस प्रकार के प्रयोगों के परिणामस्वरूप नहीं आये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन्होंने मेरी बात अलग ढंग से प्रस्तुत की है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने आपकी बात को गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लेख में लिखा हुआ है, कि प्रस्तावित तकनीक के दो पहलू हैं एक तो इससे कुछ हद तक वर्षा करवाई जा सकती है तथा दूसरे इससे समुद्री तूफान आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस लेख को सभा पटल पर रख दीजिए। वह उसे देख लेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य महोदय ने जिसका उल्लेख किया है इसमें तो केवल यही कहा गया है कि क्या इस प्रकार की बात हो सकती है। जहां तक मुझे जानकारी है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जब मैं सोवियत संघ गया हुआ था तो उस समय वहां के लोगों के साथ मेरी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने इस प्रकार की कल्पना किस प्रकार कर ली है ? मैं कुछ भी गोपनीय रूप से नहीं करता। यह तो अन्य लोगों पर निर्भर करता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सम्भव है कि समुद्री तूफान न लाया जा सके परन्तु अब उपग्रहों के सहायता से यह तूफान के आने के बारे में काफी समय पहले पता लगा लेना निश्चय ही संभव हो गया है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या समुद्री तूफान के बारे में जानकारी का पहले से ही पता लगाने या उसका आदान प्रदान करने को सरकार के पास कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था है तथा क्या इस विशिष्ट मामले में सरकार को पहले से ही कोई जानकारी प्राप्त हो गई थी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह चर्चा का विषय नहीं है। यह तो जानकारी देने की बात है;

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वास्तव में इसका सम्बद्ध मौसम विभाग से है जोकि मेरे पास नहीं है।

वर्ष 1976-77 में महाराष्ट्र से प्राप्त लेवी चीनी

*91. **श्री आर० के० महालगी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77 में महाराष्ट्र राज्य के चीनी निर्माताओं से बहुत कम मात्रा में लेवी चीनी प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां तो इस अवधि में महाराष्ट्र से वास्तव में कितनी लेवी चीनी प्राप्त हुई थी; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) चीनी वर्ष 1976-77 (अक्तूबर, 1976 से सितम्बर, 1977) के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों को महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों से आबंटित लगभग 7,70,700 मीटरी टन लेवी चीनी में से लगभग 7,70,100 मीटरी टन चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उक्त अवधि में दी गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री आर० के० महालगी : वर्ष 1976-77 के लिए महाराष्ट्र राज्य से लेवी चीनी की कुल कितनी मात्रा प्राप्त हुई?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह पहले ही उत्तर में बताया जा चुका है। कुल 7,70,700 मीटरी टन चीनी का आबंटन किया गया तथा इसके अनुसार लगभग 7,70,000 मीटरी टन चीनी की।

श्री आर० के० महालगी : क्या यह सच है कि महाराष्ट्र से प्राप्त होने वाली लेवी चीनी अपेक्षित चीनी से कम थी?

श्री भानु प्रताप सिंह : 7 लाख टन की अपेक्षित मात्रा में से यह मात्र केवल 600 टन ही कम है।

Development of Educationally Backward Areas

*92. **Shri Rajendra Kumar Sharma**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government have under their consideration any special scheme for the development of educationally backward areas; and

(b) if so the steps to be taken to remove illiteracy from backward areas?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander) : (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENTS

(a) and (b) In the Education Plan highest priority has been given to the needs of the sections of the society including those in educationally backward areas who in the past have not been provided with adequate educational facilities. The two salient aspects of the new strategy of educational development are universalisation of elementary education and spread of adult education. During the next 5 years or so, 32 million additional children in the age-group 6-14 are proposed to be covered under the formal and non-formal elementary education programmes and approximately 100 million in 15-35 age-group by programmes of adult education. The Home Ministry's programme of integrated tribal development includes special educational development programmes in 116 projects.

Shri Rajendra Kumar Sharma: When practical shape would be given to the proposal put forward by him and by what time amount will be allotted to the state Governments under this?

Dr. Pratap Chandra Chunder: This proposal has two aspects. One is regarding adult education and the other is about propagation of primary education. A draft has been prepared in regard to adult education. Under this there is a scheme that in five year 10 crore illiterate persons between the age of 15 years and 35 years would be imparted education. The second aspect is that we are endeavouring that 3 crore and 20 lakhs children of school going age, i.e. 6-14 year age and who cannot go to school be covered. We are having talks with state Governments in this regard. When the next plan is finalised we would be able to say as to how the money is to be allocated.

Shri Rajendra Kumar Sharma: Several states are short of funds. They have such areas where arrangements for college education are almost nil. Will you pay attention to this and give special amount to state Government for that? In this connection I want to mention Rampur district of U.P.? There are arrangements for education for only 11 per cent people there. Will you keeping in view this give more money for this

Dr. Pratap Chandra Chander: The hon. Member is right when he says that there are many backward areas. The Ministry of Home Affairs has taken up a major programme—Integral Tribal Development Projects.

जिन क्षेत्रों में जनजातियों के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, उनके लिए ऐसी परियोजनायें बनाई गई हैं। अब तक 116 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कालेजों के बारे में भी बात उठी है। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों के मान्यताप्राप्त कालेजों के विकास पर जोर दिया है। विद्यार्थियों की दाखिला पानें तथा स्टाफ कर्मचारियों की संख्या के बारे में काफी ढील दे दी गई है। यदि ऐसे कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या 200 है तथा स्टाफ की संख्या 10 है तो ऐसे कालिजों को 3 लाख तक का अनुदान दिया जा सकता है जब कि ऐसा साधारण नियमों के अनुसार विद्यार्थियों की 400 संख्या तथा स्टाफ की 20 की संख्या वाले कालेजों के लिए होता है। इससे पता चलेगा कि जो पिछड़े इलाके हैं, उनके लिए कुछ काम हो रहा और वह उससे लाभ उठा सकते हैं।

It will show that work is being done for them in backward areas and they can take benefit from that.

Shri B.P. Mandal: I want to know the Government's criteria for educationally backward areas. What is percentage of literacy below which a particular area is declared backward educationally.

Dr. Pratap Chandra Chunder : That has not been decided, but if it is below the general average then it would be called backward area.

Shri Bhanu Kumar Shastri: Sir, it is the responsibility of the Government of India to end illiteracy in backward areas. It would be done through the State Governments. I want to know whether it is possible for the State Government only and whether Government of India would get the help of some voluntary organisations which may be engaged in or are interested in ending illiteracy by giving them some grants.

Dr. Pratap Chandra Chunder: It is quite correct and we think that the Central Government and the State Governments cannot complete this work Therefore, We had convened a meeting and invited the leaders of political parties in Parliament, and then are trade, industry and employers organisations, voluntary agencies working in the field of education, youth and students organisations, teachers associations and trade unions. I have called a meeting of the representatives of these bodies separately and they have all promised help. We one also to help the voluntary agecnies in this field.

डा० कर्ण सिंह : लद्दाख देश क्या एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां भारत सरकार ने बौध शिक्षा अध्ययन का एक स्कूल खोला था जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र की संस्कृति को विकसित करना था। लेकिन पता लगा है कि यह स्कूल असन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है। क्या मंत्री महोदय को इस स्कूल के कार्यकरण सम्बन्धी कोई जानकारी है और यदि नहीं तो क्या वे इस ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि इस पिछड़े तथा दूरदराज क्षेत्र की संस्था उस उद्देश्य को पूरा करती है जिसके लिए कई वर्ष पहले इसकी स्थापना की गयी थी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यद्यपि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि आज सुबह मैंने लद्दाख के लोगों से बातचीत की थी और दोपहर बाद भी मैंने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। हम उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सीमा के समीपवर्ती क्षेत्र विशेषकर पाकिस्तानी सीमा के निकट वाले क्षेत्र में शिक्षा को बहुत धक्का लगा है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि वे इन क्षेत्रों विशेषकर अमृतसर फिरोजपुर, गुरदासपुर के क्षेत्रों जहां निरन्तर आक्रमणों के कारण शिक्षा को बहुत धक्का लगा है की ओर विशेष ध्यान देंगे।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सभा को इस बात की जानकारी है कि प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। फिर भी हमने इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया है और इस कार्य में राज्य सरकार का हाथ बटाना है। राज्य सरकार भी अपना सहयोग दे रही है और जिन क्षेत्रों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनकी ओर हम अवश्य ध्यान देंगे।

Shri Yuvraj : I want to know the time by which objective of compulsory education will be fulfilled with the present face of elementary and adult education programme of the Government of India.

Dr. Pratap Chandra Chunder: I have already stated that we have not been able to fulfil the objective of compulsory education that we are proceeding with the programme of providing formal and informal education of 3 crores 20 lakh children. We will also manage for the education of remaining 1 crore 32 llaks.

चीनी के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों का हटाया जाना

*97. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री वयालार रवि :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि चीनी के लाने ले जाने पर लगा प्रतिबन्ध समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब गैर-सरकारी व्यापारी देश के किसी भी भाग में चीनी भेज सकते हैं अथवा प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस से चीनी के मूल्य में कहां तक कमी हो जाएगी;

(घ) चीनी के मूल्य कितने कम हो गये हैं; और

(ङ) क्या चीनी के निर्बाध रूप से लाने ले जाने से देश भर में खुले बाजार में चीनी के भाव समान हो जाएंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां

(ग) और (घ) व्यापारिक खाते में खुली बिक्री की चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध इसलिए उठाए गए हैं ताकि चीनी फैक्ट्रियों से सीधे संचलन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मंडियों से उन क्षेत्रों को जहां स्थानीय मांग बहुत ज्यादा नहीं है, चीनी भेजनें में सुविधा हो सके। खुली बिक्री की चीनी के मूल्य इस समय बहुत नीचे हैं और पिछले दो महीनों में 70 रुपये प्रति क्विंटल गिर गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : काफी समय के बाद चीनी के मूल्यों में कमी हुई है। अब चीनी कारखाने सरकार को धमकी दे रहे हैं कि वे गन्ना उत्पादकों को अदायगी नहीं करेंगे और वे लेवी चीनी तथा खुले बाजार की चीनी के मूल्यों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार गन्ना उत्पादकों को उनकी पैदावार का मूल्य दिलाने तथा चीनी के मूल्य में वृद्धि न करने के लिये क्या कदम उठा रही है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं अभी एक वक्तव्य देने जा रहा हूं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर भी होगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अभी वक्तव्य देने जा रहे हैं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर भी होगा।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : वे वक्तव्य कब देंगे ? इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में एक नीति संबंधी वक्तव्य दिया जा रहा है। अतः इस विषय की चर्चा करना उचित नहीं है।

आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री प्रसन्नभाई मेहता: क्या चीनी मिल एसोसिएशन ने एक ऐसा वक्तव्य दिया है कि गन्ना उत्पादकों को अदायगी करना संभव नहीं है, कारखाने बन्द हो रहे हैं और बन्द होने की स्थिति में हैं। इन बन्द कारखानों के खोलने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : पहले भाग का उत्तर यह है कि यह बात ठीक है कि उन्होंने यह शिकायत की है कि वे उत्पादन लागत वसूल नहीं कर सकते। दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिये जाने वाले वक्तव्य में होगा।

Shri Ram Kishan : The Hon. Minister has admitted that wholesale sugar rates have declined. If that is so, whether he is aware that rates of tea, sweets etc. are still the same and have not given any relief to the consumers? What steps are being taken by the Government in this direction.

Shri Bhanu Pratap Singh: It is correct that there is no decline in the rates of tea and sweets but it takes same time for the prices to come down.

श्री विनोद भाई वी० शेठ : पिछली सरकार की विरासत यह है कि समाज का कोई भी वर्ग अर्थात् उत्पाभोक्ता, गन्ना उत्पादक, कारखाना मालिक, सरकार संतुष्ट नहीं है। क्या मंत्री महोदय के वक्तव्य से समाज के सभी वर्ग सन्तुष्ट होंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि चीनी और गन्ने की अधिक पैदावार के कारण हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम इस स्थिति का सामना करने के लिये यथासंभव प्रयास कर रहे हैं।

Shri Hukam Dev Narain Yadav: With a view to fix the price of sugar, I would like to know the cost of production on one Kg. sugar and the present price of one Kg. of sugar—difference between cost of production and market price. What is the policy of the Government to bridge up this gap.

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। You may give a separate notice.

Shri Ram Vilas Paswan: I would like to know the difference between the cost of production of sugarcane and sugar.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

साक्षरता

*82. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शत प्रतिशत साक्षरता लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) वित्तीय तथा संगठनात्मक दोनों उपलब्ध संसाधनों के समनुरूप, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षरता का लक्ष्य 3.2 करोड़ है और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले 5 वर्षों में 15—35 आयु वर्ग को शामिल करके 10 करोड़ है।

भारतीय खाद्य निगम के लखनऊ गोदाम में क्षतिग्रस्त हुआ चावल

*84 **श्री शिव सम्पत्ति राम** :

श्री कचरुलाल हेमराज जैन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 लाख रुपये मूल्य का चावल भारतीय खाद्य निगम ने लखनऊ स्थित गोदाम में क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) क्या यह भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की अकुशलता के कारण हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस हानि के बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और इस हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) इस मामले की जांच की गई हैं और यह मालूम हुआ था कि लखनऊ में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में 1.70 लाख रुपये मूल्य का केवल 50 मीटरी टन क्षतिग्रस्त चावल तथा 74 मीटरी टन क्षतिग्रस्त गेहूं पड़ा था। इसमें से केवल 45 मीटरी टन गेहूं सामान्य कार्यचालन तथा रेल द्वारा डिपो पर लाने के दौरान मार्ग में क्षतिग्रस्त हुआ था। शेष गेहूं (अर्थात् 25 मी० टन) और समस्त 50 मीटरी टन चावल अनाज ले जाने वाली विशेष रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था और यह मात्रा क्षतिग्रस्त हालत में डिपो में प्राप्त हुई थी। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भण्डारण स्थान की कमी होने के कारण लगभग 5,281 मीटरी टन गेहूं का कैंप स्टोरेज के अन्तर्गत खुले स्थान में भण्डारण करना पड़ा था, डिपो में हुई क्षतिग्रस्त मात्रा अपेक्षाकृत कम है। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि यह क्षति किसी भी कर्मचारी की लापरवाही के कारण नहीं हुई थी।

अनुसूचित बैंकों से खड़ी फसल पर ऋण की योजना

*85. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांवों में कृषक वर्ग को ऋण देने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत कृषकों को अनुसूचित बैंकों द्वारा खड़ी फसल पर ऋण दिया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें संक्षेप में क्या हैं और इस योजना के कब तक लागू किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) अनुसूचित बैंक, चाहे सरकारी सोसायटियां हों अथवा वाणिज्यिक बैंक, खड़ी फसल की प्रत्याभूति पर खेती के लिए उत्पादन ऋण देते हैं। वे कृषि उत्पाद की प्रत्याभूति पर विपणन के लिए भी ऋण देते हैं। अतः इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण ऋण हेतु कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

कालपात्र

*88. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :**

श्री देवेन्द्र सत्पथी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों की समिति की उपस्थिति में खोद कर निकाले गए कालपात्र में रखे गए इतिहास का विषय-वस्तु न बताने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होगा कि उसकी बातों को शीघ्रातिशीघ्र सबको बताया जाये ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) कालपात्र पर संसदीय समिति ने 8 फरवरी, 1978 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इसे 10,000 शब्दों के भारतीय इतिहास के वृतान्त की प्रति तथा कालपात्र से मिली घटनाओं की सूचीसहित सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य

*90. **श्री के० ए० राजन :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों को काम करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृहों ने इस बारे में सरकार को पहले ही अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार का क्या निर्णय है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार ने जनवरी, 1977 में अपने क्षेत्रीय जल की बाहरी सीमाओं से 200 मील तक की दूरी तक के क्षेत्र को एकमात्र आर्थिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र के पर्याप्त मात्स्यिकी संसाधनों का उपयोग अन्य राष्ट्र कर रहे थे। इस क्षेत्र के लिये गहरे जल में मछली पकड़ने के यान हमारे पास नहीं हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बड़े उद्योगों सहित निजी क्षेत्र की कम्पनियों को जलयानों का प्रयोग करने की आज्ञा देकर मार्च 1979 तक गहरे जल में मछली पकड़ने के कम से कम 200 जलयान लाने का निर्णय लिया है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में खर्च काफी अधिक होता है और यह एक विशिष्ट क्षेत्र भी है। अतः यह आवश्यक नहीं समझा गया कि बड़े उद्योगों को अलग रखा जाए और इस क्षेत्र में उन्हें प्रतिबन्धित रूप में ही घुसने दिया जाए। यह बात एम०आर०टी०पी० अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति ले लेने तथा इस बात का सुनिश्चिय कर लेने के बाद, कि छोटे मुछवों के हितों को आघात न पहुंचे, की गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) बड़े औद्योगिक संस्थानों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के आयात/भाड़ें पर लेने के लिये प्राप्त हुए प्रस्तावों का विवरण तथा उन पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) **जो कम्पनियां पहले से ही इस क्षेत्र में हैं और जिन्होंने अतिरिक्त जलयानों के आयात के लिये आवेदन किया है।**

(1) **सर्वश्री टाटा आयल मिल्ज लि०, बम्बई**

यह कम्पनी मेक्सिको से आयातित दो ट्रालरों को चला रही है। थाइलैण्ड से 25 जलयानों को भाड़े पर लेने के उनके प्रस्ताव को एक वर्ष की अवधि के लिये स्वीकार कर लिया गया है।

(2) **सर्वश्री कोंकण फिशरीज (प्रा०) लि० गोआ**

(चौगुले ग्रुप)

यह कम्पनी इस समय देश में निर्मित्त चार ट्रालरों को चला रही है। जापान से एक लाक्मटर जलयान आयात करने का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

(3) सर्वश्री न्यू इण्डिया फिशरीज़ लि० (गोआवज काटन—शापर ग्रुप)

यह कम्पनी इस समय जापान से आयातित 7 तथा जापान से भाड़े पर लिये हुए 2 ट्रालरों को चला रही है। भाड़े पर लिये हुए दो ट्रालरों को खरीदने के लिये उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है।

(4) सर्वश्री यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लि०, दिल्ली

यह कम्पनी इस समय दो आयातित तथा छः देश में निर्मित्त ट्रालरों को चला रही है। वे दो भाड़े के ट्रालर भी चला रही है। छः पुराने मछली पकड़ने के जलयानों को आयात करने तथा अन्य छः जलयानों को भाड़े पर लेने के लिये उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है।

(5) सर्वश्री आई० टी० सी० लि०, कलकत्ता

यह कम्पनी इस समय मेक्सिको से आयातित दो ट्रालर चला रही है। हाण्लैंड से दो और ट्रालर आयात करने के लिये दिये गये उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है।

(6) सर्वश्री ब्रिटानिया बिस्कुट कं० लि०, बम्बई

यह कम्पनी इस समय मेक्सिको से आयातित दो ट्रालर चला रही है। उन्होंने पूर्व जर्मनी से भाड़े पर दो ट्रालर लेने के लिये आवेदन किया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

II. जो कम्पनियां इस क्षेत्र में हैं और जिन्होंने आयात/भाड़े पर अतिरिक्त जलयानों के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया है।

(7) सर्वश्री ई० आई० डी० पेरी (इंडिया) लि०, मद्रास

यह कम्पनी इस समय दो आयातित ट्रालर चला रही है।

III. जो कम्पनियां गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में नई हैं और जिन्होंने आयात/भाड़े पर मछली पकड़ने के जलयानों के लिये आवेदन किया है।

(8) सर्वश्री ब्रुक बांड इंडिया लि०, नई दिल्ली

इस कम्पनी ने कोरिया गणराज्य से 2 पुराने जलयानों का आयात करने के लिये आवेदन किया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

(9) सर्वश्री हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई

इस कम्पनी ने 4 ट्रालरों के आयात तथा 2 अन्य फैक्ट्री जलयानों को भाड़े पर लेने के लिये आवेदन किया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

(10) सर्वश्री जे० के० कैमिकल्स लि०, बम्बई

इस कम्पनी ने दो ट्रालरों के आयात के लिये आवेदन किया है। उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है।

वैलफेयर एसोसिएशनों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को नक्शे प्रस्तुत किया जाना

*93. **श्री पी० के० कोडियन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में समाचारपत्रों के एक विज्ञापन के जरिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत बस्तियों की वैलफेयर एसोसियेशनों को कहा था कि वे उन बस्तियों के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस घोषणा की आलोचना की थी;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस पर ध्यान दिया है और अपने निर्णय को बदल दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) नोटिस की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-1616/78]

(ग) तथा (घ) जी, हां।

(ङ) अनधिकृत कालोनियों के ले-आउट लान अब दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने-2 क्षेत्रों के लिये स्वयं बनाये जायेंगे।

Import of Milk and Milk Products

*94. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are importing most of the milk, milk powder and ghee;

(b) whether Government propose to import milk products from the USA;

(c) whether the country is likely to achieve self-sufficiency in milk production through operation flood and whether Government have had discussion with the Planning Commission and

(d) whether arrangements have been made for import of milk products on a larger scale from E.E.C. without obtaining the approval of public sector Corporation?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The Government are not importing milk and ghee. However, the Government are importing milk powder and butter oil under various aid programmes.

(b) At present there is no proposal for import of milk products from USA under commercial/aid programmes.

(c) No Sir. However, it is proposed to initiate an eight year Intergrated Dairy Development Programme called Operation Flood II (1978-86) involving an outlay of Rs. 483.49 crores as a follow-up of Operation Flood I Project, (1970-78) which had an outlay of Rs. 116.4 crores. Both Operation Flood I and Operation Flood II Projects have been drawn up after consultations/discussions with the Planning Commission.

(d) Consultations have been going on with the E.E.C. for gift supplies of skim milk powder and butter oil for Operation Flood II project. No approval of any public sector corporation is required for this purpose.

पश्चिम बंगाल में कालेजों के लिये विकास कार्यक्रम

*95. **श्रीमती विभावती गोस्वामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने कलेजों के विकास कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) उन कालेजों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कालेज के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) यदि स्वीकृति नहीं दी गई है तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पांचवीं योजना के दौरान आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के 39 कालेजों के विकास प्रस्ताव अब तक स्वीकृत किये जा चुके हैं । इन कालेजों के नाम तथा उन कालेजों के नाम, जिनक प्रस्ताव आयोग द्वारा उसी में उल्लिखित कारणों से स्वीकार नहीं किये गये थे, सभा पटल पर रखे गये विवरण में दे दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1617/78]

उच्चतर शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति

*96. **श्री बसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आगामी दस वर्षों में उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में नीति ढांचा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत प्रस्तावों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं;

(ग) उक्त प्रस्तावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकर को नीति प्रलेख प्राप्त हो चुका है और विचाराधीन है।

विवरण

भारत में अगले दस से पन्द्रह वर्षों में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाए गए नीति प्रारूप में निम्नलिखित की कल्पना की गई है :—

(i) माध्यमिक स्तर पर प्रभावी व्यवसायीकरण, नौकरियों का डिग्रियों से सम्बन्ध तोड़ने, उन भर्ती नितियों में परिवर्तन, जिनमें डिग्री एक अच्छ नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता है , जैसे उपाय अपनाना जिनसे विश्वविद्यालय प्रणाली पर दबाव कम हो जाएगा ;

(ii) नई संस्थाओं की स्थापना पर प्रतिबंध । ये तब तक स्थापित नहीं होनी चाहिए (पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर) जब तक शैक्षिक कारणों के आधार पर इनकी आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती;

(iii) नई संस्थाओं के स्थानों को सावधानीपूर्वक योजना बनाना और विद्यमान संस्थाओं का वैज्ञानिक पुनर्गठन करना;

(iv) कमजोर वर्गों के लिये कम से कम आधी सीटों के आरक्षण सहित योग्यता के आधार पर प्रथम डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पूर्णकालिक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में चयनात्मक दाखिला;

(v) प्रतिभावान परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा की पूरी लागत वहन करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था;

(vi) अनौपचारिक माध्यमों से उच्चतर शिक्षा का विस्तार; और

(vii) प्राइवेट छात्रों के लिए माध्यमिक/इण्टरमीडियेट बोर्ड तथा विश्वविद्यालीय परीक्षायें खोलना।

नीति के प्रारूप में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों की पुनःसरंचना. स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान को विश्वविद्यालय विभागों में सीमित करना, विश्वविद्यालय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, स्कूलों तथा ग्राम समाज के लिये विस्तार सेवायें; शैक्षिक उपलब्धियों तथा सामाजिक वचनबद्धता दोनों के अनुसार स्तरों में सुधार; राष्ट्रीय विकास में योगदान; शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करना आदि जैसे मुख्य कार्यक्रमों को भी कल्पना की गई है।

भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

*98. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का खेल बहुत ही असन्तोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को बहुत से आलोचकों से शिकायतें मिली हैं कि भारतीय ख़िलाड़ियों का चयन राजनीतिक सिफारिशों पर किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय खिलाड़ियों के असन्तोषजनक प्रदर्शन के कारणों की जांच करने का है तथा भारत के खेल को ओलिम्पिक खेलों में बेहतर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) (ख), (ग) और (घ): सामन्य रूप से यह कह देना ठीक नहीं होगा कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सभी खेलों में बहुत ही घटिया है। जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है बहुत से खेल निकायों में आन्तरिक राजनीति है। नियमों के अन्तर्गत, भारतीय ओलिम्पिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल संघ/परिषदें स्वायत्त निकाय हैं और सरकार उनके कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

तथापि, भारतीय खेल परिषद् के परामर्श और सलाह से सरकार ने संघों/परिषदों को अपने कार्यकरण में सुधार करने हेतु मार्गदर्शी रूप रेखायें भेजी हैं। सरकार राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने जैसे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संघों को वित्तीय सहायता भी देती है।

विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त नदी व्यवस्था का विरोध

*99. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि स्वयं भारत सरकार के सिंचाई विशेषज्ञ भारत की नदी व्यवस्थाओं का निरन्तर सर्वेक्षण करने का विरोध कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों ने यह सर्वेक्षण कार्य रोकने के क्या कारण बताए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की नदी प्रणालियों के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम जारी है और इसे रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा की सिंचाई क्षमता

*100. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा की सिंचाई क्षमता का अनुमान लगाया है;

(ख) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) राज्य में कितनी प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है; और

(घ) अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) और (घ) बृहत/मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के जरिये त्रिपुरा में अन्ततः सृजित की जा सकने वाली सिंचाई शकयता का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार का अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 1978-79 से आरम्भ होगी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये एक मास्टर योजना तैयार करने का प्रस्ताव है। इस बीच राज्य सरकार ने दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का एक खोवाई तथा दूसरी गुमटी नदी बेसिनों में अन्वेषण किया है और इन्हें 1978-79 वर्ष के दौरान कार्यान्वियन के लिये हाथ में लेने का प्रस्ताव है। 1978-79 के दौरान बृहत/मध्यम सिंचाई के लिये 47 लाख रुपये और लघु सिंचाई कार्यों के लिये 130 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई विकास की गति तेज होने की संभावना है।

(ग) 1975-76 के अन्त में राज्य में फसली क्षेत्र की तुलना में कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशतांश 9.5 था।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के सामान की बिक्री के कारण हुई सप्लाई/जमा राशि संबंधी दावे

751. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के फालतू सामान की खरीद के लिये, जिसकी देश का विभाजन होने के कारण पाकिस्तान से नहीं हटाया जा सका था भारत में कुछ पार्टियों द्वारा सप्लाई किये गये सामान अथवा जमा की गई राशि के बारे में अविभाजित भारत सरकार के विरूद्ध ऐसे कितने दावे किये गये थे जिसको (एक) दिनांक 9 जुलाई, 1956 के वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 11(9)-बी 56 के अनुसार पुनर्वास मंत्रालय के केन्द्रीय दावा संगठन ने स्वीकार कर लिया था और जिनकी अदायगी सरकार द्वारा की गई; और (दो) जो अभी तक बिना अदायगी के पड़े हैं;

(ख) उसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) पाकिस्तान सरकार के साथ सम्पूर्ण "ऋण निपटान" के द्वारा बिना भुगतान किये गये दावों का भुगतान शीघ्र करने के लिये सरकार का अब क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) भारत में प्रभावित पार्टियों को पूरी अथवा आंशिक अपेक्षित राहत देने में कितना समय लगेगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) 68.25 लाख रुपये की राशि के 454 दावे केन्द्रीय दावा संगठन के पास पंजीकृत कराये गये थे। इनमें से (I) 28.96 लाख रुपय के मूल्य के 162 मामले वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11(9)-बी० 56, दिनांक 9-7-1956 में दी गई शर्तों के अनुसार निपटाये जा चुके हैं; तथा (II) पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापन न किये जाने के कारण 292 मामले लम्बित पड़े हैं।

(ख) श्रेणी (II) के अन्तर्गत 39.29 लाख रुपये ।

(ग) और (घ) संचार साधनों तथा राजनैतिक सम्बन्धों के पुनः स्थापित हो जाने के पश्चात् इस प्रकार के मामलों में फिर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया गया है । इन मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा ऋण निपटान करने की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान में दोनों केन्द्रीय दावा संगठनों के संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की व्यवस्था करने के लिय प्रयत्न किये जा रहे हैं; किन्तु यह पाकिस्तान सरकार के उत्तर पर निर्भर करता है।

तिलाया "डाइवर्जन" योजना

752. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गया तथा नवादा के अन्तर्गत आने वाले बहुत बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई के लिये तिलाया 'डाइवर्जन' योजना को स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव कुछ समय पूर्व केन्द्रीय जल विद्युत आयोग को प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या पश्चिम बगाल सरकार भी इसमें अन्तर्ग्रस्त है और इसलिये उन्होंने कुछ तकनीकी विरोध किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अब इस विषय में सहमति हुई तब बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के शासनाध्यक्षों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था; यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) योजना के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन कब भेजा गया अथवा भेजे जाने की संभावना है ताकि बिहार राज्य तिलाया डाइवर्जन योजना पूरी करने के लिये आगे कार्यवाही कर सकें?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को तिलैया व्यपवर्तन स्कीम प्रस्तुत की थी जिसमें जुलाई–अक्तूबर के दौरान सिंचाई के लिये मौजूदा तिलैया जलाशय से धाधर नदी में 0.18 मिलियन एकड़ फुट जल को व्यपवर्तित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) से (घ) इस परियोजना में पश्चिम बंगाल तथा बिहार के बीच अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है।

बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त अन्तर्राज्यीय नदियों के विकास पर 1976 के शुरू में इन दोनों राज्यों के बीच अधिकारियों के स्तर पर एक समझौता हुआ था। चूंकि इसके अन्तर्गत दामोदर के जल का इस्तेमाल किया जाना था जिसका प्रभाव दामोदर घाटी निगम पर पड़ता, इसलिये विद्युत विभाग ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद दामोदर घाटी निगम के हितों को सुरक्षित रखने के लिये एक साइड लैटर तैयार की जो बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच हुए करार का भाग हो सकती थीं। करार और साइड लैटर पर अभी दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।

(ङ) बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों द्वारा करार और साइड लैटर पर हस्ताक्षर किये जाने और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में भेजी गई टिप्पणियों पर बिहार सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर परियोजना को प्रोसेस किया जायेगा।

Number of Families Displaced in Delhi during Emergency and Rehabilitated

753. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of families displaced in Delhi during emergency and those that have been rehabilitated so far;

(b) whether Government propose to formulate any scheme similar to Turkman Gate for rehabilitation of the displaced families; and

(c) if so, the details of such schemes?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) 1,30,222 families were displaced in the demolitions operation undertaken by D.D.A. Out of this 1,28,088 families have been rehabilitated in various resettlement colonies up to October, 1977. The Municipal Corporation of Delhi did not carry out any survey regarding the number of families displaced. It is, however, proposed to resettle families removed from residential areas in their original places.

(b) & (c) : Preparation of projects for Arjun Nagar and Moti Nagar is in hand. The schemes for rehabilitation of displaced families from other colonies will be taken up subsequently.

Sub-Letting of Government Accommodation

754. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of Works **and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether officers and Government employees, who are provided Government accommodation, are allowed to sub-let it in full or in part to others;

(b) if not, whether Government are aware of the number of such persons who have sub-let their accommodation in part to others; and

(c) whether Government are considering to stop this practice?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Full subletting of Government accommodation is not permissible under the allotment rules but sharing is allowed with certain eligible categories of persons.

(b) During the year 1977, 1489 complaints regarding alleged unauthorised subletting were processed and out of these, 1196 were finally disposed of during the year itself and penalties were imposed in 156 cases.

(c) Surprise inspections are made in various government colonies to detect the incidence of unauthorised subletting. Follow up action is taken in such cases where unauthorised subletting is suspected.

वायु में श्राक्सीजन की मात्रा पर पेड़ काटने का प्रभाव

756. **डा० सरदीश राय :** क्या **कृषि श्रौर सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि पेड़ पौधे काटने से, विशेषतया शहरों में तथा नगरों में, हवा में श्राक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, श्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत में देश के किसी भाग में श्राक्सीजन की मात्रा का हिसाब नहीं लगाया जा रहा है । श्रत: वृक्षों की कटाई के कारण इसकी विषमता पर टिप्पणी करना सम्भव नहीं है । ऐसा विशेष रूप से नगरों तथा कस्बों में होता है । संयुक्त राज्य श्रमरीका तथा श्रन्य प्रगतिशील देशों में किए गए श्रध्ययनों से पता चलता है कि वातावरण में श्राक्सीजन की मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता । जीवावशेष ईंधन के जलने के कारण गत 50 वर्षों के दौरान 0.02 प्रतिशत श्राक्सीजन के समाप्त होने का श्रनुमान है । इन श्रध्ययनों से पता चलता है कि वातावरण में श्राक्सीजन की मात्रा इतनी श्रधिक है कि उस पर मनुष्य का प्रभाव बहुत ही कम पड़ सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में श्रभी श्रधिक चिन्ता करने का कारण प्रतीत नहीं होता।

कृषि प्रणाली में सुधार करना

757. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :**

श्री यशवन्त बोरोले :

क्या **कृषि श्रौर सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि श्रनुसंधान परिषद् के पास समस्त कृषि प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई तुरंत योजनाएं हैं श्रौर क्या उन्होंने इस बारे में कुछ प्रमुख कृषि प्रणालियों का पता लगाया है जिनके

विकास के लिए प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर अप्राप्त उपज-भंडार का मूल्यांकन करते हुए सावधानी पूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने उक्त संदर्भ में अपने अनुसंधान संस्थानों तथा देश के कृषि विश्वविद्यालयों को इस चुनौती से निपटने के लिए, गांव पर ध्यान केन्द्रित रखते हुए, साधन खोजने हेतु अनुदेश अथवा मार्गदर्शी सिद्धांत भेज दिए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) खेती की प्रणालियों को तत्काल ही पुनर्गठित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके विकास में काफी समय लगता है। हमारे देश में कई कृषि प्रणालियां परम्परागत ढंग से प्रचलित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय प्रदर्शनों, अखिल भारतीय समन्वित सस्य विज्ञान अनुसंधान प्रायोजना, व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना आदि से इस बात का पता चला है कि देश के विभिन्न भागों में प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर को अपनाने से खेती की उपज बढ़ाना संभव है। उपज में अन्तर का अध्ययन पूरी कृषि प्रणाली को, न कि केवल अकेली फसल को, ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस संबंध में जिन कुछ महत्वपूर्ण कृषि प्रणालियों का पता चला है, वे हैं (i) सिंचित क्षेत्रों में बहु फसली खेती (ii) वर्षा पर आधारित खेती (iii) मिलवां खेती और अन्त: फसल (iv) कृषि वानकी जिसमें वन्य-चरागाह, वन्य-बागवानी और अन्य भूमि के संयुक्त प्रयोग की प्रणालियां शामिल हैं (v) डेरी–उद्योग (vi) मिश्रित खेती जिसमें उत्पादन के ये तरीके शामिल हैं: फसल-पशुधन, फसल-मछली, फसल-पशुधन-मछली और (vii) समुद्री मछली उद्योग आदि। फसल प्रणाली अनुसंधान का उद्देश्य किसी क्षेत्र की कृषि सम्पदा से अधिकतम काम उठाना है बशर्ते कि उससे वहां की मिट्टी और पानी की दीर्घकालीन उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव न पड़े।

(ख) देश में भा० कृ० अ० प० के अनुसंधान संस्थान तथा कृषि विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न प्रणालियों के अन्तर्गत उत्पादन के बीच अन्तरों का अध्ययन करें और गांव तथा छोटे और सीमान्त किसानों को ध्यान में रखकर इस चुनौती का मुकाबला करने के उपाय और साधनों का पता लगाएं। अगली योजनाएं स्थान-विशेष के लिए अनुसंधान करने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालयों को उपलब्ध और अधिक सुविधा जुटाने का प्रस्ताव है।

Groundnut Solvent Extraction shells

758. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether decision has been taken to reserve groundnut solvent extraction shells at the rate of Rs. 1000 per tonne from January, 1978 as cattle and poultry feed if so, the quantity in tonnes of groundnut solvent extraction shells purchased by the owners of cattle and poultry farms from 1st January, 1978, month-wise;

(b) the quantity in tonnes not purchased by the owners of cattle and poultry farms from the reserved 30,000 tonnes groundnut solvent extraction shells stored during these months at the rate of Rs. 2,000.

(c) whether the Government will make recommendation to export the remaining shells in case these owners do not buy groundnut solvent extraction shells kept in reserve at the rate of 15,000 tonnes per month, if so, by what time; and

(d) whether the Government will revoke its decision if the owners of cattle and poultry farms do not buy the reserved 15,000 tonnes groundnut solvent extraction shells purchased at the rate of Rs. 1,000/- per tonne ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) (a), (b), (c) and (d) On 23-11-77, while permitting export of 2.5 lakh tons of groundnut extraction on ad hoc basis to be adjusted against the quota for export of G.N.E. for the calendar year 1978, the Ministry of Commerce had stipulated that the Groundnut Extraction Export Development Association (GEEDA) will be required to supply 15,000 tonnes of extraction per month to domestic consumers at the rate of Rs. 1000 per ton. GEEDA however has not yet made necessary arrangements for the sale of this Commodity and hence the domestic consumers could not take advantage of the distribution arrangements agreed upon by GEEDA. In fact when approached by a poultry producer, GEEDA on 2-1-78 refused to supply GNE on the ground that the mechanics and procedural details of supply are still to be worked out. With regard to export policy of GNE for the year 1978, the matter is under consideration of the Cabinet Committee on Exports. Exports will only be allowed after fully meeting the domestic requirements.

संसद् सदस्यों के लिए सरकारी आवास

759. **श्री डी० जी० गवई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्री संसद् सदस्यों को 'जनरल पूल' के फ्लैट और बंगले स्वविवेक से आबंटित करते हैं;

(ख) मंत्री महोदय के स्वविवेक से आबंटित किये जाने वाले ऐसे फ्लैटों/बंगलों की संख्या और स्थान संबंधी विवरण क्या हैं;

(ग) मंत्री महोदय ने स्वविवेक से जनरल पूल से किस किस संसद् सदस्य को आवास आबंटित किया और इस प्रकार आबंटित किये गये आवासों का विवरण क्या है; और

(घ) क्या ऐसे आवास आबंटित करने के लिए कोई मानदण्ड अपनाया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क), (ख), (ग) तथा (घ) सरकार के निर्णय के अनुसार, संसद् सदस्य पूल में वास की कमी को पूरा करने के लिए सामान्य पूल के 62 मकान लोक सभा के सदस्यों तथा 29 मकान राज्य सभा के सदस्यों को आबंटित किए जाने हैं । इसके मुकाबले में, सामान्य पूल के 63 मकान लोक सभा के सदस्यों को तथा 40 मकान राज्य सभा के सदस्यों को आज की तारीख में आबंटित किए हुए हैं । आबंटित किए गए मकानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । ये मकान इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं । सामान्य पूल से मकान आबंटित करने के संबंध में संसद् सदस्यों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है तथा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निर्णय दिया जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1618/78]

Transport Facilities for Archaeological Sites in Madhya Pradesh

760. **Shri Laxmi Narain Nayak :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh is important from archaeological point of view and the whole State being a circle, no assessment of the importance of archaeological remains has been made and whether no transport facilities can be provided in district of Shahdol, Sidhi, Sarguja, Bastar etc. until the Madhya Pradesh is divided into two divisions; and

(b) if so, when Madhya Pradesh will be divided into two divisions ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b) The State of Madhya Pradesh is considered important from the archaeological point of view. As a result of reorganisation of archaeological Circles the whole of the State has now been put under one archaeological Circle known as the Central Circle. There are no proposals for creating two divisions.

The assessment of archaeological sites and remains is undertaken as a regular function of the Survey. There are already 330 protected monuments and sites of national importance within this State.

While the Central Government is responsible for the conservation of the monuments, provisions of public transport facilities to the Archaeological sites is the responsibility of the State Government.

Area of land under Forests

761. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) area of land in hectares or acres which is under forest in the country and area of land in hectares or acres which should be under forest;

(b) whether deforestation and clearing of the vegetation from mountains cause floods, soil erosion and silting in the rivers;

(c) whether deforestation has reduced rain in Cheerapunji; and

(d) the measures being taken by Government to promote afforestation and to check the growing desert to keep the land of the country fertile ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The area under forests in the country is 74.9 million ha. According to the National Forest Policy 1952 the area under forests should be 33-1/3% of the total geographical area of the country which works out to about 109.6 million ha.

(b) Yes, Sir.

(c) The figures from the Meteorological Department, Government of India reveal that the average annual rainfall in Cheerapunji has increased during the period 1931—60 as compared to the period 1901—1950. The figures of annual actual rainfall for 1973 and 1975 also indicate that the rainfall in these areas is more than the average annual rainfall. So the question does not arise.

(d) Greater stress is being laid on man-made forests under Plan and Non-Plan schemes in the State sector as well as under the Centrally Sponsored Scheme of Social Forestry in the Central Sector.

The social forestry schemes include raising of shelterbelts, wind-breaks, integrated soil and water conservation in the Himalayan region and utilisation of waste-lands, community lands, strips along the roadside, canal banks, railway tracks etc. for afforestation purposes. Besides there are various schemes of soil conservation being implemented by the States either through their own resources or with Central assistance.

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा निर्माण कार्य

762. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में मस्जिद मोठ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिये और धनबाद में कोयला खनिकों के लिये मकानों का निर्माण करने के कार्य में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) (एक) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मकान और (दो) धनबाद में कोयला खनिकों के लिये मकानों में से प्रत्येक मामले में पारस्परिक निर्माण कार्य की तुलना में इस्पात, सीमेंट और अन्य इमारती सामान में कितनी किफायत की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हिन्दुस्तान हाऊसिग फैक्टरी द्वारा विभिन्न प्रकार के मकानों के निर्माण में की गई प्रगति निम्न प्रकार है :–

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए मस्जिद मोठ में

(i) टाईप–III के 328 चार-मंजिले क्वार्टर	82.4 प्र०श०
(ii) टाईप–III के चार मंजिले 32 अतिरिक्त क्वार्टर	72.3 प्र० श०
(iii) टाईप–II के 96 क्वार्टर	22.56 प्र० श०
कोयला खनकों के लिए धनबाद में	
(iv) कोयला खनकों के लिए 800 क्वार्टर	14.21 प्र० श०

प्रगति की ये प्रतिशतताएं हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य की पूर्ण कीमत पर है और इसमें पूर्वरचित संघटकों का निर्माण भी शामिल है ।

(ख) परम्परागत निर्माण की तुलना में इस्पात तथा सीमेंट आदि में किफायत निर्धारित करने के लिए हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है । मस्जिद मोठ में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मकानों का निर्माण, परम्परागत ईंट की चिनाई की दीवारों के स्थान पर पूर्वरचित आर० सी० सी० पैनल की दीवारों पर आधारित है । इससे सीमेंट तथा इस्पात की बचत नहीं होती बल्कि केवल ईंटों की बचत होती है । धनबाद में कोयला खनकों के मकानों के निर्माण में हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी ने छत तथा फर्श डालने के लिए पूर्वरचित चैनल स्लैब इस्तेमाल किए हैं । स्थल पर ही छत तथा फर्श डालने की तुलना में इन चैनल स्लैबों से लगभग 22 प्र०श० सीमेंट तथा 20 प्र०श० इस्पात की बचत होती है ।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के मानदण्डों का पुनर्विलोकन

764. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून में छूट देने के सिद्धांतों का पुनर्विलोकन करने के उपायों को अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां । निर्माण और आवास मंत्रालय के परिपत्र संख्या 2/31/77-यू सी यू (I) दिनांक 19-12-77, संख्या 2/31/77-यू सी यू (II) दिनांक 20-12-77 तथा भारत के असाधारण राजपत्र संख्या जी एस आर 765 (ई) दिनांक 19-12-77 की प्रतियां संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1619/78]

भैंसों और बैलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन

765. **श्री रोबिन सेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, भैंसों तथा बैलों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है :

(ख) क्या हमारा देश दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर है ; और

(ग) यदि नहीं, तो भैंसों का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अपेक्षित सूचना वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय और अन्य संगठनों से एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) यद्यपि योजना अवधियों के दौरान पशु एवं डेरी विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप दूध के कुल उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, तथापि देश अभी दुग्ध उत्पादन में आत्म निर्भर नहीं हुआ है।

(ग) प्रजनन के लिये पशुओं और भैंसों और प्रजनन और भारवहन के लिये प्रयुक्त न होने वाली मादा भैंस (केवल निकृष्ट) और नर भैंसों के सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति अभी 1976-77 से ही दी गई थी। उस वर्ष के दौरान प्रजनन के लिए 1000 पशुओं और 1000 भैंसों और 2 लाख मादा भैंसों (केवल निकृष्ट) और भारवाही-नरों के कोटे की अनुमति दी गई थी। हालांकि 1976-77 के दौरान केवल 83 गाएं और 3110 अन्य गौवंश पशुओं का निर्यात किया गया था। 1976-77 के लिए निर्यात की जो सीमा निर्धारित की गई थी उसमें उपयोग में न लाई गई सीमा के बदले में 1977-78 में पशुओं के निर्यात की अनुमति दी जा रही है।

गणना के अनुसार भारत में भैंसों की कुल संख्या 574 लाख है। पशुओं और भैंसों की उत्पादकता में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। विचार है कि इस सीमित निर्यात से पशुओं के व्यापार को बढ़ाने और पशुपालकों को अपेक्षित प्रोत्साहन देने में देश के समूचे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयासों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिल्ली में रिहायशी इमारतों का वाणिज्यिक उपयोग

766. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रिहायशी इमारतों के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में वर्तमान नियम क्या हैं तथा इस समय किन विशिष्ठ मामलों में पट्टा/फ्री होल्ड वाले क्षेत्रों में रिहायशी इमारतों के कुछ भागों का डाक्टरों, इंजीनियरों, चार्टर्ड एकाउन्टेंटों, वकीलों, सलाहकारों और अन्य व्यापारियों जैसे पेशेवरों के लिय गैर-रिहायशी/वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य मामलों में रिहायशी इमारतों का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति देने के प्रश्न की जांच की है तथा मामले में अब क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में भूमि उपयोग सामान्यतया मास्टर प्लान, क्षेत्रीय विकास योजना, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अधीन होता है। डाक्टरों, इंजीनियरों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों वकीलों आदि जैसे व्यवसाइयों को निम्नलिखित शर्तों पर रिहायशी इमारतों की अपने व्यवसाय के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाती है :—

(1) **दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा** : यदि ऐसा उपयोग मुख्य उपयोग से संबंधित है तथा उपयोग किए गए स्थान का क्षेत्रफल 500 वर्गफुट या निर्मित क्षेत्र के 25% के बराबर है, इनमें से जो भी कम हो।

(2) **दिल्ली नगर निगम द्वारा** : एक कमरे या मकान के छोटे कमरे का उपयोग, यदि व्यवसायी उसी मकान में रह रहा है।

(3) **भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा** : किसी रिहायशी भवन में एक या दो कमरे, यदि उपयोग किए गए कमरों का क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से अधिक नहीं है तथा भवन का दखलकार भवन के मुख्य भाग में रहता हो।

(ख) रिहायशी इमारत का वाणिज्यिक उपयोग करने की अनुमति निम्नलिखित के अनुसार दी जाती है :—

(1) **दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा** : पड़ोस की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'विशेष अपील' के अधीन अस्थायी अनुमति दी जाती है, बशर्ते किराये के 40% की दर से कम्पोजिशन फीस का भुगतान किया जाए जो घटाकर 20% की जा सकती है यदि भूमि/निर्मित स्थान किसी समनुरूप क्षेत्र में निर्धारित किया गया है।

(2) **दिल्ली नगर निगम द्वारा** : इमारत के दुरुपयोग किए जा रहे भाग के लिए एक महीने के किराये की दर पर हर्जाना लेने के बाद वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर अस्थायी तौर पर गैरीज़ों के दुरुपयोग तथा जोखिमी दुरुपयोगों की अनुमति नहीं दी जाती हैं।

(3) **भूमि और विकास कार्यालय द्वारा** : सरकार द्वारा निर्धारित की गई भूमि दरों के आधार पर अतिरिक्त प्रभार वसूल करके।

तथापि, विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं जिनमें इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे मुआफिक उपयोगों की अनुमति दी जाए जिनसे उपद्रव के रूप में पर्यावरण खराब न हो जाए तथा जिनसे संचार और यातायात समस्याएं पैदा न हों।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

767. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में समेकित **ग्रामीण** विकास कार्यक्रम की ठोस उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) योजनाबद्ध कार्यक्रमों में कितनी कमी रही और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यक्रम में गतिशीलता लाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कि एक निश्चित समय में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को पूरा रोजगार दिया जा सके?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 1976-77 के मध्य में शुरू किया गया था तथा संलग्न सूची के अनुसार इस उद्देश्य के लिए 20 जिलों को चुना गया था ? इस कार्यक्रम के दो कारण थे, अर्थात् चुने जिलों के लिए संसाधनों की सूची, अव्यवस्था उपाय विश्लेषण तथा कार्यवाही योजनाएं तैयार करना (2) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन । तथापि कार्यक्रम जैसा परिकल्पित था वास्तविक रूप में प्रारंभ नहीं हो सका । चूंकि संसाधनों की सूची बनाना समय लेने वाली प्रक्रिया थी । यह कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंपा गया था । वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान केवल एक जिले अर्थात् चन्द्रपुर के लिए संसाधन सूची तथा कार्यवाही योजना पूर्ण थी । परिणामस्वरूप, 1976-77 के दौरान 15 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से उपयोग के लिए केवल 50 लाख रुपये की राशि दी जा सकी।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए, समन्वित ग्राम विकास के लिए 8.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है । आशा की जाती है कि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों तथा जिला एजेंसियों के लिए पूरा बजट प्रावधान आबंटित कर दिया जाएगा।

(ग) जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संसाधन सूची तथा कार्यवाही योजनाएं तैयार करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है । इसके अतिरिक्त 1976-77 के दौरान परिकल्पित समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में दिए गए उद्देश्य भी अस्पष्ट थे । अतः कार्यक्रम को 3 स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों को देकर पुनः तैयार करना पड़ा, अर्थात्,

(1) विकास तथा उत्पादन

(2) ग्रामीण समुदाय के अलाभभोगी वर्गों में पहचाने गए लक्षित वर्गों को लाभों के माध्यम से वितरणशील न्याय

(3) एक विशेष समयावधि में पूर्ण रोजगार ।

कार्यक्रम कृषि विकास कार्यक्रमों के अलावा तृतीय क्षेत्र में ग्राम तथा कुटीर उद्योगों और स्वरोजगार कार्यक्रमों पर भी बल देगा । लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम के मुख्य घटक लाभकारी पहुंच के साथ क्षेत्र आयोजना को मिलाने के लिए कार्यक्रम की उपयुक्तता के अनुरूप इन कार्यक्रमों के किसी के द्वारा अपने अन्तर्गत लिए गए क्षेत्र में से प्रत्येक पर प्रभाव डालेंगे । भविष्य में नीति विकेन्द्रीकृत सुक्षम-स्तर खण्ड आयोजना होगी।

यह भी प्रस्ताव है कि मान्यताप्राप्त तथा सुक्षम स्वैच्छिक एजेंसियों को खण्ड स्तरीय आयोजना में शामिल किया जाए ताकि जनता का अधिकाधिक योगदान प्राप्त किया जा सके।

विवरण

1. महबूबनगर	आंध्र प्रदेश
2. कामरूप	असम
3. रोहतास	बिहार
4. कच्छ	गुजरात
5. हिसार	हरियाणा
6. कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
7. अनन्तनाग	जम्मू तथा काश्मीर

8. कन्नानोर	केरल
9. तुमकुर	कर्नाटक
10. बस्तर	मध्य प्रदेश
11. चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
12. वर्धा	महाराष्ट्र
13. गारो हिल्स	मेघालय
14. पुरी	उड़ीसा
15. होशियारपुर	पंजाब
16. बंसवाड़ा	राजस्थान
17. धर्मपुरी	तमिलनाडु
18. मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश
19. टिहरी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
20. बांकुरा	पश्चिम बंगाल

दिल्ली में उजाड़े गये लोगों को फिर बसाया जाना

768. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान दिल्ली में गन्दी बस्तियों से निकालकर पुनर्वास बस्तियों में फेंक दिए गए लोगों को जनता सरकार ने बेहतर सुविधायें तथा उदार सहायता देने का वचन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराये गये मकानों से त्रस्त उन लोगों को वहीं वापस आने तथा बसाने का वचन दिया था जहां वे मकान गिराये जाने से पूर्व रहा करते थे ;

(ग) सरकार ने इन वचनों को किस सीमा तक पूरा किया है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दिल्ली के कुछ भागों में मकान गिराने का कार्य अभी तक चल रहा है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ख) सरकार की नीति यह है कि जिन लोगों को दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों से जबरदस्ती हटाया गया था उन्हें वापस लाया जाएगा और उन्हें पुराने स्थानों पर ही पुन: बसाया जायेगा।

(ग) सरकार ने एक योजना का अनुमोदन किया है जिसमें तुर्कमान गेट में उस इलाके की गन्दी बस्तियों से निकाले गए लोगों के पुनर्वास के लिए 494 रिहायशी एककों के निर्माण की व्यवस्था है । इन रिहायशी एककों के निर्माण के लिए निविदाएं मंगा ली गई हैं । अर्जुन नगर और मोती नगर के कार्य के लिए परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

(घ) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि सरकारी भूमि पर नये अतिक्रमण न होने दिये जायें। ऐसे अतिक्रमणों को हटाने का अर्थ यह नहीं है कि मकान गिराने का कार्यक्रम वैसे ही चल रहा है जैसा आपातकाल के दौरान था।

Diversion of Flood and Rain water of Haryana and Rajasthan into Yamuna

769. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to divert the flood and rain water of Haryana and Rajasthan into the Yamuna River at the border of Uttar Pradesh; and

(b) if so, when this scheme is likely to be completed ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) The existing inter-State Ujjina-Pahari-Kaman-Govardhan drainage system for the disposal of flood waters of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh into Yamuna formulated in 1961-62 for a limited capacity was found to be grossly inadequate during the floods of last couple of years. Accordingly, various proposals are currently under consideration of Central and the concerned State Governments and a plan for effective and efficient drainage of the basin is under formulation. One of the component schemes under consideration, namely Ujjina diversion drain running along the border of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh will drain floods from part of the catchment in Haryana and Rajasthan directly in to Yamuna. Haryana Government is planning to complete a pilot section of 500 cusecs capacity before rains this year.

रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों का सर्वेक्षण

770. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन साहित्य में वर्णित स्थलों की खोज, खुदाई अथवा सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार ने कोई व्यापक योजना बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन स्थलों पर खोज कर ली गई है अथवा करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजनाबद्ध पुरातत्वीय खुदाई कार्य की रोजगार क्षमता पर भी विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) रामायण तथा महाभारत में वर्णित कुछ स्थलों के अन्वेषण, उत्खनन अथवा सर्वेक्षण की एक योजना है।

(ख) रामायण में वर्णित स्थानों में से अयोध्या और नन्दीग्राम (जिला—फैजाबाद,) बिठूर (जिला,—कानपुर) में वाल्मीकि आश्रम, शृंङ्गवेरपुर और इलाहाबाद में भरद्वाज आश्रम (जिला-इलाहाबाद) और चित्रकूट (जिला—बांदा) में अन्वेषण कार्य किये गये हैं। महाभारत में वर्णित स्थानों में से हस्तिनापुर, बागपत और बरनावा (जिला—मेंरठ), अहिच्छत्र (जिला—बरेली), इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली), कम्पिल (जिला फर्रुखाबाद), मथुरा (जिला—मथुरा), कुरुक्षेत्र और पीहोवा (जिला—कुरुक्षेत्र), पानीपत (जिला—करनाल) तिलपत (जिला—गुड़गांव), राजगिर (जिला—नालंदा), बैराट (जिला—जयपुर) और द्वारका (जिला जामनगर) में अन्वेषण किये गये हैं।

(ग) और (घ) रामायण परियोजना के एक भाग के रूप में 1975 से अयोध्या, नन्दीग्राम श्रृङ्गवेरपुर और भरद्वाज आश्रम में योजनाबद्ध पुरातत्वीय उत्खनन-कार्य किये जा रहे हैं। महाभारत में उल्लिखित स्थानों में से हस्तिनापुर और अहिच्छत्र में कुछ वर्ष पूर्व उत्खनन-कार्य किये गये हैं। पिछले चार कार्यकालों में मथुरा में उत्खनन-कार्य किया गया था।

इन उत्खनन-कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये, उन्हें एक बड़ी संख्या में आवश्यकतानुसार उत्खनन, अभिलेखन और सर्वेक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों में नियुक्त किया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कीमत का ब्यौरा

771. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 11 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 और 5 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2511 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 के भाग (क) से (ग) में मांगी गई जानकारी फ्लैटों के आवंटन से पूर्व निर्धारित नहीं की गई है; और

(ग) यदि अब तक जानकारी एकत्र नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) फ्लैटों का विक्रय मूल्य आवंटन से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवंटन के समय की नीति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1620/78]**

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में समुद्री मात्स्यकी

772. क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में समुद्री मात्स्यकी की अधिक संभाव्यता है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में मात्स्यकी के विकास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) एक तकनीकी अध्ययन दल की रिपोर्ट तथा सचिवों की समिति की सिफारिश के अनुसार तूना तथा अन्य मछलियों को उपयोग में लाने के लिए एक मात्स्यकी विकास निगम, नौका निर्माण यार्ड तथा प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण व अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। निगम को स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) वार्षिक योजना, 1978-79 में 40 लाख रुपये के अनन्तिम परिव्यय की व्यवस्था है, जिसमें प्रस्तावित निगम के लिए 5 लाख रु० का मामूली प्रावधान भी शामिल है।

Share of Foodgrains to be given to Iran in Lieu of Assistance for Rajasthan Canal

773. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the negotiations for the construction of Rajasthan Canal are going on with the Iranian Government;

(b) whether it is also a fact that Iran, for its contribution towards the construction of Rajasthan Canal, wants to have a share in the foodgrains to be produced in that area; and

(c) if so, whether the quantity, quality and rate in regard to the foodgrains to be supplied has been settled and if so, the details thereof?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The Shehanshah of Iran has offered to make available additional crude oil supplies annually at OPEC prices on credit terms. The rupee equivalent of these instalments can be used to finance approved projects. Rajasthan Canal Scheme Stage II is one of the projects for which this finance may be used. The form of repayment to Iran is yet to be worked out.

(b) and (c) Do not arise.

लद्दाख में सिंचाई सुविधाएं

774. **श्रीमती पार्वती देवी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख में जहां कहीं भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो वहां छोटी नहरों का निर्माण करने और सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिये सर्वेक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Short Supply of Rice, Wheat and Sugar to Madhya Pradesh in 1976-77

775. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be plased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1707 on the 28th November, 1977 and state :

(a) whether the supply of foodgrains quota i.e. rice, wheat and sugar allocated by Central Government for Madhya Pradesh in 1976-77 has been short by 2 lakh tonnes, if so, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government has protested against the deduction in supply and demanded that the reduction should be duly compensated in the quota to be allocated for the next year; and

(c) if to, whether action will be taken to ensure that no such reduction is made in future to avoid hardships to the people belonging to low income group ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No rice was allotted from Central Pool to Madhya Pradesh Government during 1976-77. The position about allotment of wheat and sugar and the offtake against these allotments was as under:—

('ooo tonnes)

	Allotment	offtake by the State Govt.
Wheat	277.5	78.4
Sugar	166.41	163.54

The shortfall in the offtake was due to non-lifting of the allotted quantities by the State Government and not due to non-availability of stocks for issue against the allotments.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Displaced Persons

776. **Shri Raghavji**: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of displaced persons in India as on 31st December, 1977 and the number of these persons from each place;

(b) what is the scheme of Government to rehabilitate these displaced persons; and

(c) the names of the places selected to rehabilitate these persons ?

The Minister of State for Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : (a) Displaced persons from :

		lakhs
(1)	West Pakistan	47.40
(2)	Former East Pakistan (now *Bangladesh*)	
	(i) Old migrants i.e., those who migrated during 1946 to 31-3-1958	41.17
	(ii) New migrants i.e., those who migrated between 1-1-1964 and 25-3-1971	11.14
(3)	Displaced persons from Chhamb area of Jammu and Kashmir (displaced as a result of Indo-Pak Conflict 1971)	00.17
(4)	Displaced persons from Pakistan (Sind) (displaced as a result of Indo-Pak Conflict 1971)	00.58
(5)	Tibetan refugees	00.56
(6)	*Repatriates from :*	
	Sri Lanka	2.76
	Burma	2.07
	Mozambique/Uganda/Zaire/Vietnam . . .	00.14

(b) The displaced persons/repatriates are rehabilitated under several schemes in agriculture, small trade, business, employment, appropriate to the capabilities and to the extent feasible, choice of the concerned families.

(c) The locations are in the State of Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Bihar, Tripura, Orissa, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andaman & Nicobar Islands etc.

Detailed information on (b) and (c) have been set out in the Annual Reports of the Department of Rehabilitation placed on the Table of the Sabha every year, the latest being for the year 1976-77.

स्लम प्रगृहों (टेनामेंन्ट्स) का किराया-खरीद मूल्य

777. **श्री महीलाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री स्लम प्रगृहों के किराया खरीद मूल्य के बारे में मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4560 और 5 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वालों को किराया-खरीद के आधार पर स्लम प्रगृह आवंटित करने का निर्णय किस तिथि को लिया गया था; और

(ख) निर्मित्त प्रगृहों के पूरा हो जाने के बाद उसका लेखा अंतिम रूप से बन्द करने में कितना समय लगता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 23 अगस्त 1963 को सरकार ने यह निर्णय किया था कि गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अधीन बनाए गए मकानों की बिक्री की अनुमति दे दी जाए।

(ख) सामान्यतया, लेखा बन्द करने में निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि से 6 महीने लग जाते हैं।

Foreign Assistance for Milk Dairy Scheme

778. **Shri Amarsingh V. Rathawa** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the foreign assistance being provided for milk dairy schemes run in big cities is being misused;

(b) if so, the steps taken by Government against it;

(c) whether Government have taken a decision to appoint a committee or commission to enquire into it; and

(d) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) No, Sir. (b) to (d) : Do not arise.

Working of the Estate Office

779. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the changes brought about in the policy of allotment of quarters and charging rent therefor by Janata Government after coming into power;

(b) whether it is a fact that officers of Estate office are still working in arbitrary manner and Government employees are generally not satisfied with their attitude;

(c) whether it is also a fact that irregularities have been committeed on large scale in the allotment of type II quarters and whether the persons sanctioned type II quarters on medical grounds from Timarpur to D.I.Z. Area had been allotted upper storey quarters instead of ground floor quarters;

(d) whether appeal made by these employees was also rejected by the Department without assigning any reasons; and

(e) if so, the reasons therefor and Government's policy in this regard ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) To significantly increase the present level of satisfaction among Government employees of the lower income group, it has been decided by the Government to construct 30,000 houses of types I to III in the General Pool in Delhi and other stations. It has also been decided to include the cost of land and its development while calculating the licence fee chargeable. Further, the house-owning officers who were declared ineligible for accommodation from the General Pool during the year 1975 have now been made eligible with effect from 1st June, 1977. The licence fee payable by the house-owning officers is fixed on a slab basis with reference to the rental income from their own houses.

(b) No, Sir.

(c), (d) and (e) : No, Sir, Allotments are made in accordance with the set rules/instructions of the Government. Relaxations in deserving cases are made by the competent authority.

हरिजनों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्तियों को शिक्षा के मामले में रियायत दिया जाना

780. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर हरिजनों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शिक्षा के मामले में दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन वर्गों के उत्थान के लिए कुछ और रियायतें देने पर विचार हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षा में रियायतों के ब्यौरों की एक सूची संलग्न है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1. (क) प्रारंभिक शिक्षा	(1) शिक्षा के प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री, निशुल्क वर्दियों की सप्लाई उपस्थिति छात्रवृत्तियां इत्यादि । (2) पुस्तक बैंक। (3) मध्याह्न भोजन।
(ख) उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा।	उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा की सभी संस्थाओं में 20 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण । उच्चतर शिक्षा के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता में 5 प्रतिशत की रियायत।
(ग) अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दी जाने वाली सुविधाएं।	(1) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी कालेजों में 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं । (2) कुछ कालेजों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को अर्हक परीक्षा में न्यूनतम प्रवेश पात्रता के रूप में 5 प्रतिशत अंकों की रियायत दी जाती है । (3) कुछ कालेजों में इन अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष तक की छूट दी जाती है : (4) सभी कालेजों से अनुरोध किया गया है कि : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया में संशोधन करें, ताकि निर्धारित अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर प्रवेश दिए जा सकें ।

(ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को, उन्हें अपेक्षित स्तर तक आने में, सहायता देने के लिए विशेष शिक्षण (कोचिंग) देने का प्रबन्ध करें।

(घ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम — अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।

2. राज्य सरकारों द्वारा अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

3. कलकत्ता, अहमदाबाद और बंगलौर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थानों में निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं।

(1) अ०जा०/अ०ज०जा० के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में ढील दी जाती है। उन्हें एस०एस० सी०/एच०एस०सी० परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के मुकाबले में 45 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की आवश्यकता है।

(2) उन अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों के लिए उपचारी कार्यक्रम चलाये जाते हैं जिन्हें अंग्रेजी तथा/अथवा गणित में अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता होती है।

(3) अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों को शिक्षा फीस और कमरा भाड़े के संबंध में रियायतें दी जाती हैं।

(4) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त उन छात्रों के लिए योग्यता व साधन (मेरिट-कम-मीनस) छात्रवृत्तियां भी हैं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 6000 रुपए अथवा इससे कम है।

(5) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों को 10 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण भी दिए जाते हैं।

4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलोजी रांची में शिक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत की और निःशुल्क लेखन सामग्री की रियायत दी जाती है।

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान के कमजोर वर्गों के छात्रों को दी गई सुविधाएं :—

(1) अनुसूचित जातियों के लिए कुल स्थानों के 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।

(2) ऊपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की रियायत है।

(3) पंजीकरण फीस, ट्यूशन फीस तथा छात्रावास के स्थान के किराए के भुगतान से छूट दी जाती है।

(4) उनके निवास स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक का रेल का द्वितीय श्रेणी का आने जाने का किराया दिया जाता है।

(5) निर्धारित मानक शारीरिक योग्यता में उनके मामलों में रियायत दी जाती है।

(6) उनके द्वारा अस्थायी शारीरिक कमियों को दूर करने के लिए किये गये खर्च को उन्हें लौटाने की अनुमति दी जाती है।

(7) छात्रावास के खर्चे उठाने के लिए 150 रुपए प्रतिमास की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(8) अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय की ऊपरी सीमा दूसरों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह के मुकाबले में 750 रुपए प्रतिमाह है।

(9) उन्हें पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए संस्थान के पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें उधार दी जाती हैं।

(10) संबंधित संस्थान के प्राध्यापक वर्ग का एक अलग सेल इन छात्रों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखता है।

(11) अ०जा०/अ०ज०जा० के अभ्यर्थियों के लिए विशेष शिक्षण (कोचिंग) प्रबन्ध किए जाते हैं।

Criteria for Allotment of Government Accommodation

781. **Shri Raj Keshar Singh** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether for the purpose of determining priority for allotment of Government accommodation, date of entry into service is taken into consideration instead of the date of joining a particular Department or office;

(b) whether the same criteria is followed in autonomous bodies including those having separate accommodaton pool; and

(c) if not, the reasons for following different rules in various department, bodies under the same Government and action being taken to bring about uniformity in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) For allotments in Types I to IV, priority date is the date of entry into service. For other types, priority date is the date from which emoluments entitling the Government servant to that type are drawn.

(b) & (c): Autonomous bodies and other organisations having their own pool, have their own set of Allotment Rules. There is no proposal at present to bring about uniformity.

चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने के लिए नीति

783. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी चीनी के मूल्य को निर्धारित करने के लिए औद्योगिक लागत तथा ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए आधार ने तमिलनाडु में चीनी मिलों को प्रभावित किया है क्योंकि ब्यूरो द्वारा अनुमानित औसत की तुलना में उस राज्य में स्थानीय लेवी काफी अधिक हैं; और

(ख) सरकार का विचार तमिलनाडु की चीनी मिलों के लिए समान लेवी मूल्य निर्धारित करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

Assistance to Rajasthan under Flood Relief Programme

784. Shri Ram Kanwar Berwa : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have given assistance to Rajasthan under the Flood Relief Programme for the construction and repair of new roads and culverts; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) An advance Plan assistance of Rs. 7.97 crores was sanctioned by the Central Government for helping the Rajasthan Govt. in meeting the situation arising out of floods during the last monsoon. Of this amount Rs. 2.77 crores was earmarked for restoration and reconstruction of roads and bridges damaged by floods.

Use of Trees as Fuel

785. Shri Manohar Lal : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the survey conducted recently by the Coal India Ltd., and the Council of Applied Economic Research, New Delhi, which has revealed that in our country 10 crore trees are felled and used as fuel every year; and

(b) if so, what steps Government contemplate to prevent felling of trees at a large scale and its use as fuel ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) At the request of Coal India Limited, National Council of Applied Economic Research has conducted a study to estimate the likely consumption of soft coke in the urban areas of northern India comprising U.P.,Haryana, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Delhi and Chandigarh. The data collected is now being processed and the report by National Council of Applied Economic Research to Coal India Limited has not yet been submitted.

The Government is, however, aware of the Fuel Policy Committee Report, to which the Hon'ble Member is probably referring to and which indicates that firewood which equivalent to 116.62 million tonnes of coal replacement is used every year as fuel in domestic sector. This was estimated by the report as equivalent to 10 crores of trees per year.

(b) While Government would take all possible steps to prevent reckless and indiscriminate falling of trees for commercial purposes, it would not be advisable to stop the use of firewood which is a traditional and cheap source of energy.

Trees being a self-replenishing resources, there can be no objection to the use of firewood as fuel provided sufficient number of trees exist to provide the firewood needs on a sustained basis. In order to achieve this, Government have launched an intensive Plantation Programme under social Forestry and Farm Forestry Schemes for raising of short rotation firewood yielding trees.

Loans and Grants for Rajasthan Canal Project

786. Shri Jagdish Prasad Mathur : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state total amount given by the Central Government so far to the State Government in the form of loans and grants for the Rajasthan Canal Project ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : Since the beginning of the 4th Five Year Plan and Central Assistance for State Plan Schemes is being given to the State Governments in the form of block loans and block grants, 70% in shape of loans and 30% in the shape of grants, without relating it to any specific scheme or head of development. However, the following Central Assistance was released/allocated to the Government of Rajasthan for Rajasthan Canal/Command Area Development over and above the normal Central Assistance :—

Rs. in crores

Year	Non-Plan Assistance by the Central loan IV Plan	Advance Plan Assistance by the Centre V Plan	Central Assistance on account of additionality under the IDA assisted Projects for Command Area Development. V Plan
1969-70 . . .	3.20	..	..
1971-72 . . .	3.00	..	..
1972-73 . . .	3.50	..	..
1973-74 . . .	0.79	..	..
1974-75 . . .	..	..	2.00
1975-76 . . .	..	4.00	2.25
1976-77 . . .	..	..	1.00
1977-78 . . .	..	2.00 (allocation)	1.73 (allocation)
TOTAL .	10.49	6.00	6.98

Reduction in Prices of Fertilisers

788. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to further reduce the price of fertilisers with a view to benefit the farmers as well as to increase the production of foodgrains; and

(b) if so, the steps taken in this regard; and if not, the reasons therefor ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) There is no proposal at present to reduce the prices of fertilisers further. Prices of fertilisers have already been reduced six times since 1st July, 1975. The prices are reviewed from time to time and as and when any reduction is called for, it is done.

योजना आयोग के मद्यनिषेध पर विचार

789. **श्री एस०आर० दामाणी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अपने विचार मद्यनिषेध आरंभ करने के विरुद्ध व्यक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने क्या कारण दिए हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नदी जल के उपयोग के बारे में राज्यों में विवाद

790. **श्री रागावलु मोहनरंगम : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी जल के उपयोग के बारे में अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कोई विवाद अधिक से अधिक कितनी अवधि तक हल नहीं हुआ और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार समग्र रूप से देश के विकास के हित में नदी जल के उपयोग का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जो मुख्य विवाद लम्बित (पेंडिंग) हैं, उनका संबंध नर्मदा, गोदावरी और यमुना नदियों के जल के उपयोग और विकास से है।

नर्मदा और गोदावरी नदियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित न्यायाधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच गोदावरी बेसिन के मामले में दिसम्बर, 1975 में सम्बद्ध राज्यों के बीच गोदावरी नदी के जल को नई परियोजनाओं के लिए काफी हद तक आवंटित करने के बारे में सहमति हो गई थी। नर्मदा बेसिन के मामले में भी मार्च, 1975 में राज्यों के बीच गुजरात और मध्य प्रदेश में से प्रत्येक में चार छोटी स्कीमें हाथ में लिए जाने पर सहमति हो गई थी। ये दोनों समझौते न्यायाधिकरणों के फैसले होने तक और न्यायाधिकरणों के समक्ष पक्ष राज्यों के दावों पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना किए गए थे।

यमुना बेसिन के बारे में सम्बद्ध राज्यों के साथ परामर्श करते हुए विस्तृत अध्ययन किए गए हैं और इन राज्यों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह सहमति हुई है कि अंतिम फैसला होने तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें क्रमशः लखवार-व्यासी बहुप्रयोजिनी परियोजना और पंडित जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम के निर्माण का काम शुरू कर सकती हैं।

(ख) अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग और विकास से संबंधित मतभेदों को यथासंभव सीमा तक बातचीत के जरिए हल करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं। लेकिन, यह काम ऐसा है जिसमें काफी समय लग जाता है क्योंकि इसका संबंध कई पेचीदा मामलों से होता है, जैसे जल की उपलब्धता, विभिन्न प्रयोजनों के लिए सुस्थापित उपयोग और बेसिन राज्यों की मौजूदा, निर्माणाधीन और भावी स्कीमों के लिए जल की युक्तियुक्त आवश्यकताओं के अनुमान के बारे में सहमति। बातचीत द्वारा सहमति न होने पर मतभेदों का फैसला करने के लिए अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायाधिकरण स्थापित किए जाते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल के उपयोग और विकास के संबंध में बेसिन राज्यों के बीच विवाद 1960 से शुरू होने वाले दशक के शुरू के वर्षों में हुआ था और इन मतभेदों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना अप्रैल, 1969 में की गई थी। कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मई, 1976 में प्रस्तुत कर दी थी और गोदावरी विवाद के संबंध में न्यायनिर्णयन की कार्रवाई अभी चल रही है।

(ग) अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग और विकास के आयोजन में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन

791. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान दिनांक 1-2-1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'स्टिर ओवर टेंडर्स फॉर शाप्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या यह सच है कि दिनांक 14-11-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में यह बताया गया था कि दुकानों का टेंडर नहीं दिया जाएगा और इनको पंचकुइयां रोड मार्किट, जनपथ, तथा युसुफजई मार्किट के दुकानदारों को दिया जाएगा और यदि हां, तो पंचकुइयां रोड मार्किट के दुकानदारों की इच्छाओं के विरुद्ध, नए टेंडर मांगने के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने अपने निदेशों को पुनः दोहराया है कि नई दिल्ली नगरपालिका इन दुकानों को पुनर्वास योजना के एक अंग के रूप में आबंटित करें।

(ख) जी, हां। इन दुकानों के आबंटन के लिए कोई नए टेण्डर नहीं मंगवाए गए हैं सिवाए एक बड़ी दुकान के जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को आबंटित की जानी है और जिसके बारे में उनसे टेंडर संबंधी पूछताछ की गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरामदेह फर्नीचर की खरीद

792. **श्री एल० एल० कपूर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से आज तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कुल कितने मूल्य का आरामदेह (सोफ्ट) फर्नीचर खरीदा;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे 500 रु० से अधिक राशि की वस्तुएं खरीदी गईं;

(ग) खरीद किस प्रकार की गई; और

(घ) ये खरीद किन उद्देश्यों से की गई और ये वस्तुएं किसे आबंटित की गई?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अप्रैल 1977 के बाद सामान्य कार्यालय फर्नीचर के अलावा खरीदे गए आरामदेह या कम टिकाऊ फर्नीचर की कुल कीमत 10,01,820 रुपये थी।

(ख) विवरण 'क' के अनुसार।

(ग) (1) टेण्डर मंगवाने के बाद ठेके द्वारा।

(2) कोटेशन मंगवाने के बाद सप्लाई आर्डरों द्वारा।

(3) माननीय मंत्री/संबंधित विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रसिद्ध फर्मों से व्यक्तिगत चयन करने के बाद।

(घ) विवरण 'ख' के अनुसार।

विवरण (क)

उन फर्मों के नाम जहां से 500 रुपये से अधिक का सामान खरीदा गया था

1. मैसर्ज गोपाल नारायण एंड सन्स।
2. मैसर्ज मास्टर फर्नीचर।
3. मैसर्ज मायुर फर्नीशिंग कम्पनी।
4. सुप्रेन्टेन्डेन्ट तिहार जेल।
5. अकमे फर्नीशिंग कम्पनी।
6. मैसर्ज गुप्ताजी।
7. मैसर्ज फेव इण्डिया।
8. राम किसन एंड सन्स।
9. मैसर्ज दी वलोक पाटीरीजीज हरियाना इम्पोरियम।
10. मैसर्ज सीकीप्पर।
11. मैसर्ज सैन्ट्रल कोटेज इन्डस्ट्रियल इम्पोरियम।
12. मैसर्ज राधा गोपाल।
13. आरियंटल बिल्डिंग एंड फर्नीशिंग कम्पनी।
14. मैसर्ज केसर फेवीव।
15. मैसर्ज अमरपाली।
16. मैसर्ज गर्ग ब्रदर्स।
17. मैसर्ज राकेश ट्रैडर्स।
18. मैसर्ज जे०पी० अग्रवाल।
19. मैसर्ज इस्ट्रन हैण्डलूम फेबरीक्स।
20. मैसर्ज बी० के० अशोक एंड कम्पनी।
21. मैसर्ज बीकास ट्रैडर्स कारपोरेशन।
22. श्री सुभाष चन्द्र।
23. मैसर्ज राम सन्स।
24. श्री मदन लाल।
25. पावनजन प्रसाद।
26. श्री प्यारे सिंह।
27. श्री बलवन्त सिंह।
28. मैसर्ज राजस्थान वूलन इन्डस्ट्रीज।
29. श्री सुरिन्द्र कुमार।
30. मैसर्ज एसोशिएट सप्लायर।
31. मैसर्ज कपूर फेवरीक्स।
32. श्री सुरिन्द्र भाटिया।
33. श्री विनोद कुमार दत्ता।
34. कोइर बोर्ड।

विवरण (ख)

जिस प्रयोजन के लिए खरीद की गयी थी तथा जिन्हें साज-सामान आबंटित किया गया था

(क) खरीदने का प्रयोजन :

(क) कम टिकाऊ किस्म के टूटे-फूटे फर्नीचर को बदलना तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा संस्थानों के निवास स्थानों की साज-सज्जा जिसमें होस्टल भी शामिल हैं जहां सुसज्जित वास दिया जाता है।

(ख) निम्नलिखित के लिए दिया जाता है :—

(1) माननीय मंत्रियों, प्रधान मंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जजों, योजना आयोग के सदस्यों, सरकार द्वारा नियुक्त किए विभिन्न आयोग के अध्यक्षों, संसद सदस्यों तथा राष्ट्रपति एस्टेट के निवास स्थान।

(2) महत्वपूर्ण भवनों/संसद भवन, विट्ठलभाई पटेल हाऊस, मावलंकर हाल आडिटोरियम, विज्ञान भवन, तथा पालम हवाई अड्डा जैसे स्थान।

(3) कर्जन रोड होस्टल, सेन्ट्रल विस्ट मैस तथा वैस्टर्न कोर्ट होस्टल जैसे होस्टल।

(4) विलिंगडन हस्पताल के प्राधिकारी।

(5) राष्ट्रपति भवन में परिवार खण्ड, अतिथि, खण्ड राज्यों के कमरे तथा प्रेसीडेंट एस्टेट में रिहायशी काम्पलेक्स।

मद्य निषेध कार्यक्रमों का राज्य सरकारों द्वारा विरोध

793. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्य निषेध लागू करने के लिए किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या हैं और इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें मद्यनिषेध कार्यक्रम का विरोध कर रही हैं और यदि हां, तो उनके क्या विचार हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) चार वर्ष की अवधि में मद्यनिषेध को लागू करने का निश्चय किया गया है। राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की 30 जुलाई 1977 को केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक में इस बात पर सहमति थी कि अधिक से अधिक चार वर्ष के अन्दर पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।

नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच बातचीत

794. श्री हितेन्द्र देसाई :

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में हाल ही में गुजरात और मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है; और

(ख) बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि नर्मदा जल संसाधनों के विकास से संबंधित अन्तर्राज्यीय समस्याओं के बारे में 19 अक्तूबर, 1977 को गांधीनगर में मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री और गुजरात के सिंचाई मंत्री तथा मुख्य मंत्री के बीच और 26 अक्तूबर और 28 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था। यह विचार विमर्श प्रारंभिक किस्म के और मामले की छान बीन करने के लिए थे और इनमें कोई निर्णय नहीं लिए गए।

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार के आरोप

795. श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

श्री बलदेव प्रकाश :

श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के बारे में "फाउल प्ले बाई एफ० सी० आई०" शीर्षक से 31 दिसम्बर, 1977 के ब्लिट्ज में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें एक निदेशक ने उसे भ्रष्टाचार और बरबादी, भाई-भतीजावाद और कुप्रबन्ध का एवरेस्ट बताया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार करने और भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर सख्त निगरानी करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निगम के दैनिक कार्य तथा कारोबार की सामान्य देख-रेख, निदेशन तथा प्रबन्ध पर उसके निदेशक बोर्ड का नियंत्रण होता है। व्यापक नीति के दृष्टिकोण से सरकार भी निगम के कार्यकरण पर निरन्तर निगरानी रख रही है। 31 दिसम्बर, 1977 के ब्लिट्ज में प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लिखित आरोप अधिकांशतः गलतफहमी पर आधारित थे जिनके बारे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किए गये प्रत्युत्तर, जोकि ब्लिट्ज में 28 जनवरी, 1978 को प्रकाशित हुआ था, में विधिवत स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल का सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

796. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिये अनुसंधान, सर्वेक्षण और सेवायें उपलब्ध करने के बारे में सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले पर आगे कार्यवाही करने से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह दी गयी है कि वह योजना से संबद्ध राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिशें/टिप्पणियां प्राप्त करके प्रस्तुत करें।

कालपात्र की विषय वस्तु

797. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ महीने पहले लाल किले से खोद कर निकाले गए काल-पात्र में क्या विषय-वस्तु है;

(ख) अन्य पात्रों को खोदने के लिए कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है, जिन्होंने गलत और पक्षपातपूर्ण इतिहास लिखा था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) काल-पात्र को खोदकर बाहर निकालने में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विषय वस्तु की सूची की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(ख) काल-पात्र और नेहरू पात्र को खोदकर निकालने के लिए नियुक्त की गई संसदीय समिति का यह विचार रहा है कि वे, काल-पात्र की पुनः प्राप्ति और उसकी विषय-वस्तु पर इसकी रिपोर्ट के संबंध में दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया का पता चल जाने के बाद नेहरू पात्र की पुनः प्राप्ति के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे। संसदीय समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

क्योंकि गाँधी पात्र में इतिहास का कोई विवरण नहीं लिखा गया है, सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय इतिहास का 10,000 शब्दों का वृतान्त; भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार किया गया था। जब उसे सभा पटल पर रखा जाएगा तो माननीय सदस्यों को यह देखने का अवसर मिलेगा कि क्या इसमें कोई गलत और पक्षपातपूर्ण इतिहास सम्मिलित है। उसके बाद सरकार और आगे कार्यवाही करने के संबंध में, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(ङ) 16,500 रुपये।

कालपात्र की विषयवस्तु की सूची

1. 15-8-1947 से 15-8-1972 तक के भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं का पार्चमेंट पर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में सुलिखित 10,000 शब्दों का वृतान्त।

2. लेखों तथा नक्काशी सहित आठ ताम्र प्लेटों में यथा प्राप्त घटनाओं का कालक्रम।

3. (अभिलेखन की) तीन ताम्र मोहरें।

4. सिक्के-10 रुपये तथा 50 पैसे-तथा 25वीं स्वतंत्रता जयन्ती पर 15-8-1972 एवं 26-1-1973 को जारी की गई 12 टिकटें।

"शहीदों को श्रद्धांजलि" की 13-4-1973 को जारी की गई 4 टिकटें।

5. सभी राष्ट्रीय भाषाओं में, आमुख सहित, भारत के संविधान की माइक्रोफिल्म।

6. भाखड़ा नंगल बांध परियोजना की माइक्रोफिल्म :

7. अर्धटोन ताम्र प्लेटों में अंकित 13 चित्र। (ठीक संसद के केन्द्रीय हाल जैसे)।

8. के लघु नमूने

(i) विजयन्त टैंक

(ii) ईशापुर राईफल

(iii) भारत अर्थमूवर

चीनी उद्योग

799. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग की स्थिति के बारे में लोक लेखा समिति के एक सौ पचानवें प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है और तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) चीनी उद्योग से सम्बन्धित लोक लेखा समिति की 155वीं रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई थी और उसकी जांच की गई थी और उस पर की गई कार्यवाही लोक लेखा समिति को सूचित कर दी गई थी। दिसम्बर, 1977 में किए गए लोक लेखा समिति के और अवलोकनों पर विचार हो रहा है।

कृषि विकास के लिए राज्यों को अनुदान

800. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विकास के लिये वर्ष 1977-78 में राज्यों को कितना अनुदान दिया गया, और

(ख) अनुदान की राशि निश्चित करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

माना तथा अन्य शिविरों में शरणार्थी

801. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माना शिविर तथा अन्य शिविरों के शरणार्थियों के साथ हुये कदाचार के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के विधान सभा सदस्यों द्वारा की गयी शिकायतों के बारे में जांच की है जिन्होंने इन शिविरों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) विभिन्न शिविरों में इस समय कितने-कितने शरणार्थी हैं;

(घ) शरणार्थी इन शिविरों में कितने समय से रह रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार शरणार्थियों की स्थिति को मौके पर जायजा लेने तथा उनकी शिकायतें सुनने और शरणार्थियों की समस्याओं के बारे में सरकार को प्रतिवेदन देने के लिए विभिन्न शरणार्थी शिविरों के लिये संसद सदस्यों का एक दल भेजेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) और (ख) अनुमान है कि संदर्भ पश्चिम बंगाल के विधान सभा सदस्यों की उस समिति के बारे में है जिसने वर्ष 1975 में माना शिविर का दौरा किया था। इस समिति ने माना शिविर के प्रशासन में सुधार/शिविर स्टाफ और प्रवासियों के बीच सम्पर्क की दूरी को कम करने; नकद बेकारी अनुदान के भुगतान संबंधी नियमों में उदारता; शिविर से निकाले गए व्यक्तियों का पुनः प्रवेश; विद्यार्थियों को समय पर किताबें और लेखन सामग्री देने; शिविर में परिवारों को शीघ्र बसाने आदि के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। जहां कहीं आवश्यक था सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की गई; निकाले गए परिवारों को शिविर में वापस ले लिया गया; विद्यार्थियों को समय पर किताबें और लेखन सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया और माना और राज्यों के अन्य शिविरों से परिवारों को पुनर्वास स्थलों पर भेजने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किए गए। इस समय सभी राज्य शिविर बन्द कर दिए गए हैं, माना शिविर में केवल 65 परिवार रह गए हैं। इन परिवारों के पुनर्वास के लिए भी योजनाएं मंजूर कर दी गई हैं और इन परिवारों को भी शीघ्र भेजे जाने की संभावना है।

(ग) शिविरों/कार्य-स्थल शिविरों में पुनर्वास योग्य परिवारों की अलग-अलग संख्या निम्न है :—

माना	65 परिवार
नावा	3232 परिवार
डोनरिया	789 परिवार
	4086 परिवार

(घ) अधिकांश परिवार बंगला देश से लौटे हुए परिवार हैं और इन्हें वर्ष 1972 या उसके बाद शिविर में प्रवेश दिया गया था।

(ङ) और (च) चूंकि बचे हुए परिवार और शिविरों की संख्या काफी कम है और छान-बीन के लिए कोई विशेष समस्याएं भी नहीं हैं, सरकार संसद सदस्यों के एक दल को इन स्थानों पर भेजना आवश्यक नहीं समझती है।

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों का विमान द्वारा सर्वेक्षण

802. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का विमान द्वारा सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण के आधार पर कालोनियों के नक्शे आदि तैयार कर लिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन नक्शों आदि के आधार पर कालोनियों को नियमित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि इन कालोनियों को नियमित किये जाने के कार्य में विलम्ब के कारण नागरिक सुविधाएं अधिक दिये जाने में विलम्ब हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस औपचारिकता को कब तक पूरा किया जाएगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पूर्वी तथा उत्तर-दक्षिणी दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों का हवाई सर्वेक्षण किया गया है।

(ख), (ग) तथा (घ) हवाई सर्वेक्षण के आधार पर अन्तिम रूपरेखा तैयार करना सम्भव नहीं? क्योंकि फोटोग्राफ का स्केल 1 : 10,000 है। अतः कालोनियों का स्थल निरीक्षण आरम्भ किया गया है।

(ङ) तथा (च) कुछ नागरिक सुखसुविधाएं पहले ही दी जा रही हैं। अन्य सुख सुविधाओं के लिए नियमितिकरण प्लान तैयार किए जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस कार्य को दो वर्ष के अन्दर पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Staff Quarters for Employees of National Parks and Sanctuary

803. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the proposals sent by M.P. Government for the construction of staff quarters for the employees of National Parks and Sanctuaries; and

(b) if so, Government's decision in this regard ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) & (b) Under the Central Sector Scheme of Assistance for Development of National Parks and Sanctuaries, financial assistance is granted to States for various items of non-recurring nature, which includes grant of assistance for construction of quarters for field staff as well, either within or at the periphery of the Park/Sanctuary so assisted. Financial assistance which includes an element of construction works and quarters for field staff has been extended to Bandavgarh National Park, Kutru Wild Buffalo Sanctuary and Achanakmar Sanctuary.

The schemes for Madhav National Park, Bori and Gangau Sanctuaries sent by the State Govt. are under consideration.

भूमि सुधार कार्य में प्रगति

804. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**

श्री बसन्त साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि सुधार कानून के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के बारे में सरकार ने कोई नवीनतम समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो फालतू घोषित भूमि के क्षेत्रफल, कब्जे में ली गई भूमि और उस में से बांटी गई भूमि का नवीनतम राज्यवार ब्योरा क्या है और 31 मार्च, 1977 के आंकड़ों से इनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। भारत सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना अधिकांश राज्यों के मामले में 30-11-77 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 1621/78]

नर्मदा जल विवाद के संबंध में पंचाट

805. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के बीच नर्मदा जल विवाद के संबंध में न्यायाधिकरण का पंचाट बहुत शीघ्र दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे;

(ग) इस संबंध में अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) न्यायाधिकरण की सुनवाई और उसके कार्यकरण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने सूचित किया है कि पक्ष राज्यों ने अपनी बहस पूरी कर ली है। न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को इस वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

(ग) यह न्यायाधिकरण अक्तूबर, 1969 में स्थापित किया गया था और इसने फरवरी, 1972 में कुछ प्रारंभिक कानूनी मुद्दों पर अपने निर्णय दिए थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इन निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपीलें दायर की थीं और स्थगन आदेश प्राप्त किए थे। तथापि, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण को कागजातों की जांच और खोज का काम जारी रखने की अनुमति दी थी। जुलाई, 1972 में, पक्ष राज्यों ने आपसी सहमति द्वारा तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री की सहायता से विवादों को हल करने के प्रयास किए थे और जुलाई, 1974 में कुछ विषयों पर सहमति हुई जैसे 75 प्रतिशत वर्षों में नर्मदा में 28 मिलियन एकड़ फुट जल उपलब्ध होता है जिसमें से राजस्थान और महाराष्ट्र को क्रमश. 0.5 मिलियन एकड़ फुट और 0.25 मिलियन एकड़ फुट जल आवंटित किया

जाए। गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच शेष जल के आबंटन तथा नवगाम बांध की ऊंचाई आदि के प्रश्न न्यायाधिकरण को वापस सौंप दिए गए थे। उच्च न्यायालय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों द्वारा दायर की गई अपीलें वापस ले ली गईं और उच्च न्यायालय ने भी 1 अगस्त, 1974 को स्थगन आदेश रद्द कर दिए। न्यायाधिकरण के समक्ष पहले उठाये गए कई मामले हटा लिए गए और अन्य कुछ मामलों में उपयुक्त संशोधन कर दिया गया। न्यायाधिकरण द्वारा नवम्बर, 1974 में इस मामले की दुबारा सुनवाई शुरू की गयी और इस प्रकार इन कारणों से कुछ समय के लिए न्यायनिर्णयन की कार्रवाई में देरी हो गई।

(घ) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा अब तक किया गया कुल व्यय लगभग 52 लाख रुपये है।

जल परिरक्षण के लिए विदेशी सहयोग

806. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल परिरक्षण के मामले में भारत-रूस सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये रूस से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले और क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) क्या अमरीका के साथ भी ऐसा ही समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो समझौते की अन्तिम रूप में क्रियान्विति कब आरम्भ होने की सम्भावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जल संसाधन विकास में आपसी सहयोग के प्रश्न पर भारतीय सिंचाई विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए 16 से 30 जनवरी, 1978 तक रूस के सिंचाई विशेषज्ञों के एक 6 सदस्यीय दल ने भारत का दौरा किया।

(ख) 30 जनवरी, 1978 को रूसी और भारतीय दलों के नेताओं ने विचार-विमर्श के एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए। 1975—80 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच सहयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले मार्च, 1975 में जिन क्षेत्रों के बारे में सहमति हुई थी, उनके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच दीर्घावधिक सहयोग के लिए उच्च बांधों के निर्माण से संबद्ध विशिष्ट समस्याओं का संयुक्त अध्ययन करना निर्धारित किया गया। दोनों के बीच, अन्य देशों में जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यों का संयुक्त रूप से कार्यान्वयन करने की संभावना पर भी सहमति हुई। मार्च, 1975 के समझौते में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :—

(क) जल भंडार के समेकित समुपयोजन की स्थानीय परियोजनाएं (नदियों के जल का अन्तःबेसिन तथा बेसिनों के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर);

(ख) भूतल और भूगत जल साधनों के समुपयोजन के साथ यंत्रीकृत (मैकेनाइज्ड) सिंचाई;

(ग) डायरेक्शनल ब्लास्टिंग तकनीकों को लागू करना; और

(घ) सिंचाई प्रणालियों को पक्का करने और जल-निकास में पूर्वनिर्मित संरचनाओं का प्रयोग।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्ति

807. **श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सात वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विभिन्न आवास योजनाओं के लिए कुल कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन व्यक्तियों से कितनी धनराशि वसूल की है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुल कितने व्यक्तियों को इस बीच फ्लैट आबंटित कर दिये हैं; और

(ग) बाकी बचे वे व्यक्ति जिन्होंने डी० डी० ए० में अपने नाम का पंजीकरण करा रखा है और हजारों रुपये की धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करा दी है, कब तक मकान प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	मध्यम आयवर्ग	निम्न आयवर्ग	जनता	कुल
(i) पहला पंजीकरण (1969-70) .	3501	4747	2603	10851
(ii) दूसरा पंजीकरण (1971-72)	9984	6203	4279	20466
(iii) अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए विशेष पंजीकरण '73'	325	1050	4111	5486
(iv) आर० पी० एस० योजना-72	223 142	243	240	848
(v) नया पंजीकरण योजना-76 .	10099	8881	8288	27268
कुल जोड़ .	24274	21124	19521	64919

इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 'स्वयं वित्त व्यवस्था आवास पंजीकरण योजना' प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत 17-2-78 तक 1516 व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं । 24,31,48,397 रुपये की राशि पंजीकरण राशि के रूप में प्राप्त हुई है ।

(ख) 22,391 व्यक्तियों को आबंटन मिल चुका है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को आशा है कि वे सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की योजना के अंतर्गत 1978-79 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों की मांग पूरी करेंगे। अन्य व्यक्तियों की मांग को अगले चार वर्षों में चरणों में पूरा करने की संभावना है।

Agriculture College in Bastar, M.P.

808. **Shri Aghan Singh Thakur :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the main occupation of people in Bastar district in Madhya Pradesh is agriculture;

(b) if so, whether Government have received any request for setting up an agriculture college there; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation : (Shri Surjit Singh Barnala) (a) Yes, Sir.

(b) Government received a request to establish an agricultural college at Kanker in Bastar district from Shri Aghan Singh Thakur, M.P.

(c) Government is of the opinion that since Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya has a well established campus at Raipur to serve the neighbouring district of Bastar for agricultural training, a second agricultural college in the same agro-climatic region is not justifiable.

चीनी पर से नियंत्रण हटाने के लिए 'नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड' की ओर से अनुरोध

809. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड' ने सरकार से चीनी पर से नियन्त्रण हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान चीनी नीति से न तो उद्योग को लाभ पहुंचा है और न ही उपभोक्ता को;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने तर्क दिया है कि जब से सरकार ने गन्ने का मूल्य ऊंचा निर्धारित किया है तब से ही उत्पादन लागत 217 रुपये प्रति क्विंटल, कारखाने से निकलने के समय होती है जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है;

(ग) क्या उन्होंने यह भी बताया है कि इस वर्ष के चीनी के 55 लाख टन के अनुमानित उत्पादन पर आधारित अन्तर से 120 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो अनकी बातों के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री लिमिटेड संघ ने सरकार से चीनी पर से नियन्त्रण उठा लेने का आग्रह किया है।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री लिमिटेड संघ द्वारा उठाये गए मुद्दों पर विचार हो रहा है ।

वर्ष 1977-78 वर्षा के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गेहूं का खराब होना

810. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 की वर्षा के दौरान गोदामों की कमी के कारण खुले में रखे जाने के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम का कितना गेहूं खराब हुआ; और

(ख) आगे उक्त हानि को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1977-78 के दौरान 31 जनवरी, 1978 तक वर्षा, बाढ़ों और समुद्री तूफानों के कारण कैप (कवर और प्लिथ) स्टोरेज में पड़ा 23031 मीटरी टन गेहूं मानव उपभोग के अयोग्य हो गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) क्षति से बचने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:—

(1) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों में रखा जाता है और वर्षा से सुरक्षा करने के लिए उनको विशेष रूप से बनायी गई पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है ।

(2) तेज़ हवा, आंधी आदि के कारण-चादरों का उड़ने से बचाव करने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां सुलभ की जाती हैं।

(3) मौसम के प्रकोप से और सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैप काम्प्लैक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी सुलभ किए जाते हैं।

(4) खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए पोलीथीन की चादरों को समय-समय पर बदला जाता है।

(5) घनीकरण के कारण क्षति को रोकने के लिए चादरों को उठाकर स्टाक का अति सावधानी से वातन किया जाता है ।

(6) कैप में रखे गए स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है । भारी मात्रा में खाद्यान्नों का स्टाक कैप में लगभग दो वर्षों से पड़ा होने के बाद भी काफी अच्छी हालत में है। वास्तव में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई गई कैप स्टोरेज की तकनीक से लाखों मीटरी टन खाद्यान्नों को बचाया जा सका है और यदि ऐसा न किया जाता तो वह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता क्योंकि स्टाक को रखने के लिए कोई भण्डारण स्थान उपलब्ध नहीं था।

(7) कैप स्टोरेज के स्थान पर अन्य प्रकार की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं। इन में स्टैकों की ऊंचाई को बढ़ाकर, सभी उपलब्ध साधनों से ढके हुए स्थान को किराए पर लेकर, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारी संख्या में गोदामों का निर्माण कर और भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुसार गारंटी योजना के अन्तर्गत निजी पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर वर्तमान भण्डारण क्षमता का अनुकूलतम इस्तेमाल करना शामिल है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यों की जाँच

811. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यों की जाँच करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल

812. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में कितने केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं;

(ख) क्या ये स्कूल उन सभी बच्चों के लिए पर्याप्त हैं जिनके माता पिता की सेवा भारत में अन्यत्र स्थानान्तरणीय है चाहे वे सरकारी कार्यालयों में हों या गैर सरकारी संस्थानों में;

(ग) प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता है; और

(घ) क्या इन बच्चों को प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और नई दिल्ली में ऐसे और स्कूल खोले जाने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) बारह

(ख) जी, नहीं।

(ग) नये दाखिले साधारणतया कक्षा I तक सीमित होते हैं। दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में 1977-78 के दौरान कक्षा I में दाखिले के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 4,058 थी और 940 को दाखिल किया गया ।

(घ) जी, हां।

Districts under Drought-Prone Area

813. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of districts in the country which were declared drought-prone areas before 25th March, 1977;

(b) whether it is a fact that many such districts were not included in the list of drought prone areas prepared by the previous Government as are generally affected by drought and face serious drought or starvation conditions after every two or three years ;

(c) whether the present Central Government have also included some new districts in the list of drought-prone areas which were not included previously, and if so, the names of those districts;

(d) whether Rewa, Satna, Shahdol and Panna districts in Madhya Pradesh have also been included in the list of drought-prone areas; and

(e) the names of special schemes being taken up in 1978-79 to provide irrigation facilities and to increase purchasing power of the people of the districts included in the list of drought-prone areas ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) A list indicating the names of the districts covered under Drought Prone Areas Programme prior to 25th March 1977 is laid on the table of the Sabha (Statement-1)

[Placed in Library. See No. L.T. 1622/78].

(b) All districts identified as drought prone by the Government of India in consultation with the State Governments have been included.

(c) No, Sir.

(d) Only Beohari tehsil of Shahdol district is covered. Rewa, Satna, Panna and the rest of Shahdol district are not covered under D.P.A.P.

(e) the programme components are development of irrigation, afforestation, pastur development, animal husbandry, soil conservation and agriculture and these are included in the project reports approved for the five year period 1974-75 to 1978-79. These schemes are designed to improve the economic condition of the people in the project areas.

स्नातकोत्तर अध्यापकों के वेतनमान सम्बन्धी नीति

814. **डा० बापू कलादाते :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में 10+2+3 पद्धति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय के कारण समूचे देश के विशेषकर दिल्ली के स्नातकोत्तर अध्यापक दुविधा में हैं;

(ख) क्या सरकार ने स्नातकोत्तर अध्यापकों द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को भुगतान/वेतनमान सम्बन्धी नीति के बारे में निर्णय किया है; और

(ग) क्या स्नातकोत्तर अध्यापकों द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं को पढ़ाने वाले प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापकों का वेतनमान दिया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के भारी परिवर्तन के परिणामस्वरूप, स्टाफ पद्धति का अलग-अलग राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा निर्णय किया जाना है । इस भारी परिवर्तन से पूर्व सामान्यतः स्नातकोत्तर अध्यापक 3-वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की XI कक्षा के अध्यापन का कार्य करते थे। 2-वर्षीय उच्च-माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम शुरू करने से विभिन्न राज्य सरकारों से पद निर्धारण की समस्या का हल निकालने की आशा की जाती है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जहां तक इस संघ शासित क्षेत्र का सम्बन्ध है ऐसी कोई भ्रान्ति नहीं है जैसा कि मामले के इस भाग में उल्लिखित है।

(ख) यह मामला अलग-अलग राज्य सरकारों आदि द्वारा तय किया जाना है।

(ग) एक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक से पूर्णतः अस्थायी तथा अन्तरकाल व्यवस्था के रूप में ऐसी कक्षाएं लेने की अपेक्षा की जा सकती है जो सामान्यतः स्नातकोत्तर अध्यापक द्वारा ली जानी चाहिए परन्तु वह, स्नातकोत्तर अध्यापक के लिए निश्चित वेतनमान का हकदार स्नातकोत्तर अध्यापक के पद पर औपचारिक पदोन्नति/नियुक्ति के बाद ही होगा/होगी।

राज्यों में सिंचित और कृषि योग्य भूमि

815. **श्री शिवाजी पटनायक :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि योग्य भूमि का 20 प्रतिशत से भी कम है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1974-75 वर्ष के भूमि-समुपयोजन के आंकड़ों के अनुसार असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा के राज्यों में कृषि-योग्य क्षेत्र की तुलना में निवल (नेट) सिंचित क्षेत्र का अनुपात 20 प्रतिशत से कम है ।

(ख) सिंचाई विकास की गति को तेज करने के लिए बृहत/मध्यम और लघु सिंचाई के लिए राज्यों के योजना-परिव्ययों के अतिरिक्त कुछ राज्यों को अग्रिम योजना सहायता दी गई थी जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

1975-76 से 1977-78 तक बृहत/मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी गयी अग्रिम योजना सहायता

(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	बृहत/मध्यम सिंचाई			लघु सिंचाई
	1975-76	1976-77	1977-78	1977-78
1. गुजरात .	7.30	3.00	11.00	—
2. कर्नाटक	2.15	3.55	11.00	2.00
3. केरल	2.10	2.50	5.00	1.00
4. मध्य प्रदेश . .	—	1.75	11.00	2.00
5. उड़ीसा . .	1.00	2.00	4.00	1.00
6 महाराष्ट्र . .	5.50	3.85	15.00	2.00
7. राजस्थान . .	6.00	3.00	7.30	—

राष्ट्रीय महिला समिति

816. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्रीमती पार्वती देवी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय महिला समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं इसके कृत्य क्या हैं और सदस्यों के चयन का आधार क्या था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें समिति के सदस्यों के नाम और उसे सौंपे गए कार्य दिए गए हैं, सभा के पटल पर रखा जाता है । यह सुनिश्चित करने के लिए समिति उचित रूप से विस्तृत आधार वाली तथा साथ ही साथ सुसम्बद्ध निकाय हो, इसका गठन संसद सदस्यों तथा विधि, समाज कल्याण, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्रों से प्रमुख व्यक्तियों के साथ किया गया है ।

[मंत्रालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1623/78]

अमरीका से आयातित गेहूं का कम पाया जाना

817. **श्री प्रद्युम्न बाल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से आयातित गेहूं के कम पाये जाने के मामलों पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की पूरी जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि इस प्रकार कम माल उतरने का काम, जिससे करोड़ों रुपयों के सार्वजनिक धन की हानि हुई है, भारतीय खाद्य निगम के उच्च अधिकारियों की सांठ गांठ के बिना नहीं हो सकता था; और

(घ) इस हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध और इस प्रकार से भारत को धोखा देने वाली अमरीकी फर्मों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत सहित विदेशी खरीदारों को धोखा देने के लिए अनाज को कम तौलने और गलत ग्रेडिंग करने संबंधी कदाचार करने के लिए संयुक्त राज्य की कुछ अनाज फर्मों पर अभ्यारोपण करने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने संयुक्त राज्य की अनाज का निर्यात करने वाली कुछेक प्रमुख फर्मों के विरुद्ध 1961-75 वर्षों के दौरान तौल में कम और घटियां किस्म के खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये दावे दायर किए थे । यह समस्त मामला न्यायाधीन है। संबंधित फर्मों के साथ न्यायालय के बाहर बातचीत द्वारा समझौता करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस मामले का केन्द्रीय जांच ब्यरो द्वारा जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस मामले से संबंधित तथ्य इस बात की ओर संकेत नहीं करते हैं कि भारतीय बन्दरगाहों पर कम तौल में जो खाद्यान्न उतारे गए थे वह भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की लापरवाही अथवा सांठ-गांठ से हुआ था।

Housing Problem in Metropolitan Cities

818. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the action being taken or the scheme being formulated by Government to solve the housing problem of metropolitan cities;

(b) the number of dwelling units required in Bombay, Delhi and Calcutta at present or the number of such persons in these cities who do not have accommodation; and

(c) the long term and immediate measures being adopted by Government to solve this problem ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) : With a view to solving the housing problem of vulnerable groups in both metropolitan areas as well as other areas, this Ministry has been formulating the following social housing schemes which are now being implemented in the State sector :—

1. Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community.
2. Low Income Group Housing Scheme.
3. Slum Clearance/Improvement Scheme.
4. Middle Income Group Housing Scheme.
5. Rental Housing Scheme for State Government Employees.
6. Land Acquisition and Development Scheme.
7. Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas.

Apart from this, the Life Insurance Corporation of India has been advancing loans to Apex Cooperative Housing Finance Societies and to the State Governments for housing.

The HUDCO, a public sector undertaking of Government of India, has also been financing housing schemes of public housing agencies and rental housing scheme for employees of public and private sector corporate employers.

(b) On the basis of data collected during house listing operation of the population Census 1961 and 1971, the National Buildings Organisation has estimated a shortage of 1.44 lakhs and 1.17 lakhs in Bombay and Delhi respectively. Similar exercise for Calcutta could not be undertaken due to non-availability of detailed statistics of housing stock.

(c) The highlights of the proposed future programme in the field of housing are :—

(i) Adoption of housing programme aimed at clearing the backlog and meeting the additional demands due to population growth and replacement of unusable houses, over a period of 20 years.

(ii) Restricting utilisation of public funds to lower income households so that large number of dwelling units are constructed with resources allocated to this sector.

(iii) Provision of incentives to the private sector for taking up housing on a large scale.

भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व संसद् सदस्यों के पास सरकारी आवास

819. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व संसद् सदस्यों के पास अभी तक अनधिकृतरूप से सरकारी आवास हैं, उनके विरुद्ध सरकारी आवास खाली कराने के लिए की गई कार्यवाही में क्या कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : जिन 96 भूतपूर्व संसद् सदस्यों तथा 4 भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की गई थी उनमें से 6 भूतपूर्व संसद् सदस्यों के अलावा सभी ने अपने दखल के सरकारी वास को खाली कर दिया है। शेष 6 भूतपूर्व संसद् सदस्यों से वास खाली करवाने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

Revenue from Delhi Zoo

820. **Shri Kalyan Jain :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the revenue earned from visitors to the Zoological Park in Delhi during the last year, month-wise, and

(b) the measures being taken to beautify this zoological park and attract the visitors in greater number there ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) The revenue realised from visitors during the calendar year 1977 is given below :—

January, 1977	Rs.72,234.70
February, 1977	Rs.39,523.10
March, 1977	Rs.41,553.70
April, 1977	Rs.35,740.30
May, 1977	Rs.51,228.70
June, 1977	Rs.54,659.10
July, 1977	Rs.51,848.70
August, 1977	Rs.50,355.10
September, 1977	Rs.38,935.70
October, 1977	Rs.42,427.50
November, 1977	Rs.48,729.00
December, 1977	Rs.58,752.60

(b) The Zoological Park has taken the following measures in this regard :—

(i) It has imported exotic animals like the Orang Utans, the Blesboks, the Eland and Water bucks and there are proposals to import other animals and birds also.

(ii) The areas in front of office and around the tombs and other vantage points in the park area are being planted up with more seasonal flowers to make them look attractive. Also large number of flowering shrubs and ornamental flowering trees are being planted to make the park look colourful and eye-catching.

(iii) The post and barbed wire fencings are being gradually replaced by more neat G.I. pipe fencings around the lawns to prevent foot-paths being made across the lawns.

नई दिल्ली में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आवास

821. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रेस पूल पुनः बनाये जाने के बाद नई दिल्ली में श्रमजीवी पत्रकारों को सरकारी आवास आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने नये आबंटन हैं और कितने मामले ऐसे हैं जिनमें ऐसे लोगों को आवास पुनः दिया गया है जिनसे आपातस्थिति में आवास ले लिये गये थे;

(ग) मकानों के आबंटन के लिए कितने पत्रकार प्रतीक्षा सूची में हैं, और

(घ) उनकी मांग कब तक पूरी हो जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) 4 नए आवंटन तथा 6 पुर्नआबंटन,

(ग) 33,

(घ) यह रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अवैध पदोन्नति किए जाने का आरोप

822. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन ने 28 अध्यापकों को उच्च पदों पर अवैध रूप से पदोन्नत कर दिया था;

(ख) क्या इस बारे में अध्यापकों या छात्रों से कोई शिकायतें मिलीं हैं; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय के मामलों में जांच आयोग नियुक्त किए जाने के बारे में कोई सुझाव मिला है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 27 अक्तूबर, 1977 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में विविश्वविद्यालय के हीरक जयन्ती समारोह के उपलक्ष में भतपूर्व व्यक्तिगत प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत 28 अध्यापकों (15 रीडरों और 13 लैक्चरों) को उच्चतर पदों पर पदोन्नत किया गया था।

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा की गई पदोन्नतियों के समर्थन में तथा इनके विरुद्ध विश्वविद्यालयों के कुछ अध्यापकों से अभयावेदन प्राप्त हुए थे तथा उनकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

बर्मा से विस्थापित हुए परिवारों को बंजर भूमि

823. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1978 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बर्मा से विस्थापित हुए तथा बिहार के पूर्णिया स्थान पर रह रहे बहुत से परिवारों को 1972 में रहिकपुर योजना के अन्तर्गत रेतीली बंजर भूमि स्वीकार करनी पड़ी क्योंकि उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त कृषि भूमि नहीं ली जा सकी तथा उन्हें थोड़ी निर्वाह सहायता भी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार को किये गये अनेक अनुरोधों के बावजूद परिवारों को 15 महीने बाद सहायता बन्द कर दी गई; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन शरणार्थियों के मामले पर विचार करेगी जो इस समय भोजन की विकट समस्या का सामना कर रहे हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1978 के 'इण्डियन' एक्सप्रेस में छापे "सम्पादक के नाम पत्र" की सरकार को जानकारी है। जुलाई, 1971 में स्वीकृत की गई योजना में प्रति परिवार 3 एकड़ खेती योग्य भूमि के आबंटन के अलावा भूमि उद्धार, नलकूपों के खोदने, बैलों की खरीद, बीज, औजार, बलुई दुमट भूमि के कारण भारी मात्रा में उर्वरक/खाद और चूने की व्यवस्था, आवासीय भूमि के विकास, मकानों के निर्माण सहायक व्यवसाय, (बैलगाड़ी, दुधारु गाय इत्यादि) और 12 महीने की अवधि के लिए भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता दृष्टि में रखी गई थी। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बाद में $5\frac{1}{2}$ महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए, अर्थात् कुल मिलाकर $17\frac{1}{2}$ महीने के लिए भरण-पोषण सहायता प्रदान करना प्राधिकृत कर दिया गया।

(ग) नवम्बर, 1977 में योजना के स्थान पर किए गए अध्ययन के आधार पर, हाल ही में उर्वरक और बीजों के लिए और संभव सहायता प्राधिकृत कर दी गई है और राज्य सरकार को उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने का सुझाव भी दिया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय

824. **श्री के० प्रधानी** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य आयेंगे?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है, इस लिए आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के लिए कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है। आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के विकास और इसके लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है। पांचवीं

योजता में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए उप-योजनाएं तैयार करने की नीति अपनायी गयी है। जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है उन क्षेत्रों का निर्धारण उप-योजनाएँ तैयार करने के लिए कर लिया गया है और ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमन एवं दीव में हैं। वार्षिक योजना पर विचार विमर्श के दौरान आदिवासी क्षेत्रों की उपयोजना के लिए राज्य योजना से दी जाने वाली राशि और विशेष केन्द्रीय सहायता से आबंटित की जाने वाली राशि का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजना के अन्तर्गत सिंचाई के विकास के लिए 1978-79 के लिए राज्यों द्वारा 95 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जबकि इससे पिछले वर्ष 61 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय हाकी टीम का निलम्बन

825. **श्री के० रामनूति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय हाकी संघ को उसकी सदस्यता से निलम्बित करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भारतीय हाकी संघ को निलबित किए जाने के सम्बन्ध में भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा दिए कारण निम्नलिखित हैं :

(i) भारतीय हाकी संघ द्वारा निरन्तर हाकी संबंधी कार्यो का कथित कुप्रबन्ध, खासकर भारतीय ओलंपिक संघ की देय बकाया राशि के संदर्भ में,

(ii) हाकी संघ में सम्बद्ध यूनिटों के प्रतिनिधित्व का कथित रूप से न्याय संगत न होना, और

(iii) भारतीय हाकी संघ द्वारा पटियाला के प्रशिक्षण शिविर से कुछ हाकी खिलाड़ियों का तथा कथित शामिल किया जाना और कुछ को निकाला जाना तथा जानबूझ कर भारतीय ओलंपिक संघ का उपेक्षा करना।

(ख) यदि भारतीय ओलंपिक संघ चाहे तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

Sale of Sugarcane below support price to Muzaffarnagar-Meerut Khandsari Units in U.P.

826. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether he is aware of the fact that farmers are selling their sugarcane to Muzaffarnagar-Meerut Khandsari Units of Uttar Pradesh at a rate of Rs. 6 to Rs. 8 per quintal;

(b) whether Government propose to compensate these farmers to save them fr om suffering loss and to enable them to grow new crop; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) (b) & (c) A report has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

New Flats for Union Ministers

827. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the time by which the new flats proposed to be constructed for Ministers are likely to be ready; and

(b) the monthly expenditure being incurred on the bungalows of each of the Ministers of the present Cabinet ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The proposal for the construction of new flats for the Ministers has not yet been sanctioned; hence the date by which the flats are likely to be ready cannot be indicated at this stage.

(b) The expenditure incurred on repair and maintenance of bungalows varies from month to month. A statement showing the expenses incurred on maintenance, repairs, renovations and furniture for the period April to October, 1977 is attached

(Placed in Library *See.* No. L.T.-1624/78]

चीनी कारखानों में पड़ी चीनी का स्टाक

828. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी कारखानों के पास बड़ी मात्रा में चीनी का स्टाक पड़ा है जिसके कारण भण्डार की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा इसके परिणामस्वरूप उनकी बड़ी धनराशि भी फंस गई ; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके पास 15-2-1978 को चीनी का कुल स्टाक लगभग 28.22 लाख मीटरी टन था। भारी स्टाक के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) आन्तरिक खपत की निमुक्तियों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। अत: दिसम्बर, 1977 से लेवी चीनी का मासिक कोटा पहले निर्मुक्त किए गये 2.05 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 2.71 लाख मीटरी टन कर दिया गया है। इसी प्रकार, 1977-78 मौसम की पहली छ: माही अर्थात् अक्तूबर, 1977 और मार्च, 1978 के दौरान निर्मुक्त की गई खुली बिक्री की चीनी का कोटा लगभग 7.30 लाख मीटरी टन है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 6.20 लाख मीटरी टन की निर्युक्ति हुई थी।

(ii) फैक्ट्रियों की भण्डारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने अनुदेश जारी कर फैक्ट्रियों को यह अनुमति दी है कि वे जहां वास्तविक कठिनाई हो वहां बिना शुल्क दिए गोदामों में बाहर चीनी स्टोर करें। इसके अलावा, 1977-78 मौसम शुरु होने के पहले सभी फैक्ट्रियों को यह सलाह दी गई थी कि वे उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुरूप भण्डारण स्थान की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपाय करें।

(iii) इस वर्ष 52 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन के प्रत्याशित ऊंचे स्तर को देखते हुए फैक्ट्रियों को अधिक ऋण के प्रावधान पर भी विचार किया गया है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए राहत सामग्री प्राप्त होना

829. **डा० बापू कालदाते : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को (बंगलादेश के संकट के पश्चात्) बंगलादेश के शरणार्थियों के उपयोग के लिये भारतीय रेडक्रास से राहत सामग्री और माल प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुई राहत सामग्री का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन राहत संगठनों से, जो वितरक एजेन्सियां थीं, उन्हें भेजे गये माल के प्राप्त न होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी वास्तुविदों और इंजीनियरों की सहायता से नगर नियोजन

830. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण तथा आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता और पटना से बड़ी संख्या में फर्मों और इंजीनियरों, वास्तुविदों और नगर आयोजकों के समूह ने केन्द्रीय सरकार की गृह निर्माण तथा नगर नियोजन परियोजनाओं में उन्हें सहयोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त कार्यों में उन्नत प्रौद्योगिक वाले बाहरी व्यक्तियों को शामिल करने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप ऐसे इंजीनियर, वास्तुविदों और नगर आयोजकों को नियंत्रित करने वाली अपनी एजेंसियों और गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा लाने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पटना तथा कलकत्ता के वास्तुकों से इन कालोनियों के लिए केन्द्रीय सरकार के अपने आवास तथा टाउनशिप कार्यक्रम के बारे में सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) डिजाइन धारणा प्रतियोगितायें कभी-कभी विशेष किस्म की सरकारी मुख्य भवनों के लिए आयोजित की जाती हैं। सार्वजनिक लोगों के लिए, आवास के क्षेत्रों में इस मंत्रालय के राष्ट्रीय भवन

(निर्माण) संगठन तथा आवास और नगर विकास निगम ने कम लागत के डिजाइनों, नई तकनीकों, ले-आउट प्लानों आदि के लिए कुछ ही प्रतियोगताएं आयोजित की हैं और इन धारणाओं पर आधारित मकान वास्तव में बना दिए गए हैं।

गया, बिहार के सूखाग्रस्त होने वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मोहने जलाशय योजना

831. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बिहार के गया जिले के सूखा-ग्रस्त होने वाले तथा पर्वतीय क्षेत्रों की सिंचाई के लिए मोहने जलाशय योजना का कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार राज्य सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस योजना के कार्यान्वियन के लिये दो करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मोहने जलाशय योजना के कार्यान्वियन के लिये बिहार सरकार को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है और इसके शीघ्र कार्यान्वियन के लिये विलम्बकारी प्रक्रियाओं को कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाल) : (क) बिहार सरकार ने प्रति वर्ष 39,000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 27.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली मोहाने जलाशय-एवं-बराज परियोजना का प्रस्ताव भेजा था।

(ख) और (ग) राज्य ने पांचवी योजना के तैयार किये जाने के समय पांचवी योजना में इस स्कीम के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। लेकिन वृहद, मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यकारी दल ने इस स्कीम को पांचवी योजना में शामिल करने की सिफारिश नहीं की, लेकिन यह मान लिया था कि अांतरिक्त धनराशि के उपलब्ध हो जाने पर बाद में इसे शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार ने बाद की वार्षिक योजनाओं में इस स्कीम के लिए कोई परिव्यय प्रस्तावित नहीं किया। 1978-79 की वार्षिक योजना में भी इस स्कीम के लिए राज्य द्वारा किसी परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया गया।

(घ) इस स्कीम के बारे में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां बिहार राज्य सरकार को 3-8-1976, 10-6-1977 और 8-11-1977 को भेजी गयी थीं। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है, इस स्कीम के बारे में आगे कार्रवाई की जायेगी।

सकरी जलाशय योजना के कार्यान्वियन के बारे में बिहार सरकार का प्रस्ताव

832. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य सरकार ने नवादा और मुंगेर के सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधायें देने के लिये सकरी जलाशय योजना संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने सुझाव दिया है कि उसे पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्दर इस योजना के कार्यान्वियन के लिये अनुमति दे दी जाये;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के शीघ्र कार्यान्वियन के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बिहार सरकार ने सकरी जलाशय स्कीम की परियोजना रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी जांच करने के लिए प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) और (ग) राज्य ने 1978 में पांचवी योजना बनाने के समय योजना में इस स्कीम के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था । परन्तु बृहद्, मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यकारी दल ने इस स्कीम को पांचवी योजना में शामिल करने की सिफारिश नहीं की, लेकिन यह मान लिया था कि अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर बाद में इस स्कीम को पांचवीं योजना में शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा । राज्य ने बाद की वार्षिक योजनाओं में इस स्कीम के लिए किसी परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया । राज्य द्वारा इस स्कीम के लिए 1978-79 के दौरान भी किसी परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

(घ) सकरी जलाशय स्कीम की परियोजना रिपोर्ट जब राज्य सरकार से प्राप्त हो जायेगी तब इसकी जांच तेजी से की जाएगी ।

उड़ीसा में स्वायत्तशासी कालेज

833. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसी विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ की गयी स्वायत्त शासी कालेजों की योजना में सम्मिलित करने के लिए किसी संस्थान अथवा संस्थानों की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों और संस्थानों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) ! विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संबद्ध अधिनियम में की गई/की जाने वाली व्यवस्थाओं के अनुसार इससे संबद्ध कालेजों को स्वायत्त दर्जा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ही दिया जाता है । उड़ीसा के किसी भी विश्वविद्यालय ने अभी तक किसी कालेज को ऐसा स्वायत्त दर्जा प्रदान नहीं किया है ।

Study of Gandhian Philosophy

834. Dr Ramji Singh : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether Government consider the study of Gandhian Philosophy desirable;

(b) if so, whether any request or order has been sent by Government so far to give it proper place in school, college and University courses;

(c) the number of Universities out of about 150 Universities of the country where there is arrangement to teach Gandhian philosophy as an independent subject; and

(d) whether Bhagalpur University has requested the University Grants Commission for permission to start the course of Diploma in Gandhism, if so, the facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information furnished by the University Grants Commission, a Standing Committee on Gandhian Studies had already been set up by the Commission. On its recommendations, proposals have been invited from Universities for undertaking studies and research in Gandhian thought and ideology. In the curricula and text books prepared by the NCERT and recommended to the State Governments for adoption or adaptation for use in the Schools, emphasis has been laid on Gandhian teaching and philosophy.

(c) According to information available, 3 universities and one institution deemed to be university, offer Gandhian Studies as an independent subject leading to a degree or diploma. Besides, 37 universities and 2 institutions deemed to be universities have provision for studies in Gandhian Philosophy/Thought in their courses in the departments of Philosophy, Sociology, Political Science and Economics.

(d) Yes, Sir. The proposal made by the University is to start a diploma course in Gandhian Thought. This is under examination of the University Grants Commission.

लेवी चीनी का वितरण

835. **श्री भगत राम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने लेवी चीनी के वितरण में भ्रष्टाचार और कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : राज्य सरकारों को लेवी चीनी का मासिक आवंटन किया जाता है। ये उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उसके उचित और समान वितरण और वितरण में भ्रष्टाचार तथा कदाचार, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें अपने वितरण तन्त्र को सक्रिय करने के लिए कहा गया है और राज्यों के लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि कर दी गई है ताकि शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कम से कम प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी मुहैया की जा सके।

यमुना नदी के जल दूषण पर प्रतिवेदन

836. **डा० सरदीश राय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल दूषण रोक और नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी के जल दूषण पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यमुना नदी में जल प्रदूषण के संबंध में अध्ययन पूरा कर लिया है। एक विस्तृत रिपोर्ट तैयारी के अन्तिम चरणों पर है।

देश में आवास समस्या

837. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीस साल के अन्दर आवास समस्या का समाधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना की विशिष्ट बातें क्या हैं और इस वर्ष इस दिशा में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या निश्चित कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस संदर्भ में कुछ क्षेत्रों को नियत कर दिया गया है या उनका निर्धारण कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित भावी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(i) ऐसे आवास कार्यक्रम चलाना जिनका उद्देश्य पिछले बकाया को समाप्त करना तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अतिरिक्त मांग को पूरा करना और 20 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपयोगी मकानों का बदलना है।

(ii) निम्न आय परिवारों के लिये सरकारी निधियों के प्रयोग को सीमित करना ताकि इस क्षेत्र को निर्धारित संसाधनों से बड़ी संख्या में रिहायशी एककों का निर्माण किया जा सके ।

(iii) निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण का कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना

राज्य आवास बोर्डों द्वारा मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को मकानों की बिक्री

838. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आवास बोर्डों के मकान उनमें रहने वाले पात्र व्यक्तियों को वेचने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका ब्यौरा क्या है, क्या उक्त निर्णयों से राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है तथा कब किया गया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं और अब निर्णय कब लिया जाएगा तथा संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया जाएगा ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) तथा (ख) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन केवल औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बनाये गए मकानों को मौजूदा दखलकारों को बेचने के लिए अनुमति देने के लिए भारत सरकार ने अब निर्णय ले लिया है तथा इस निर्णय के बारे में अभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 9-2-1978 को सूचित कर दिया गया है । भुगतान की जाने वाली कीमत मूल लागत के 80 प्रतिशत के बराबर होगी और किराया खरीद की सुविधा भी उपलब्ध होगी । इस छूट के अधीन कोई टेनामेंट बेचे जाने से पहले दखलकार को किराये का सारा बकाया तथा अन्य देयताओं का भुगतान करना होगा । टेनामेंटों को खरीदने की तारीख से 10 वर्ष के अन्दर उन्हें पुनः बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उल्हास नगर और खोपाड़ी कालोनी के विस्थापित व्यक्तियों के दावों का अन्तिम रूप से निपटान

839. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री बंदोबस्त अधिकारी, दिल्ली के पास लम्बित दावों के समायोजन के मामलों के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन महीनों की अवधि में उल्हास नगर और खोपाड़ी कालोनी, जिला थाना (महाराष्ट्र) में विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में (दावों-मामलों) का अन्तिम रूप से निपटान शीघ्र करने में कहां तक प्रगति की है;

(ख) क्या सरकार इन मामलों की अनुमानित संख्या तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त राशि बता सकती है;

(ग) यदि मामलों का निपटान उपरोक्त अवधि के अन्दर अन्तिम रूप से करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार अब कम से कम छह महीनों के अन्दर उपरोक्त मामलों का, जो अनेक वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं, अन्तिम रूप से निपटान करेगी?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) तथा (ग) उल्हास नगर और खोपाड़ी कालोनी के दावों के समंजन के बारे में मामलों के अलग रजिस्टर नहीं रखे गए हैं। किन्तु 1-12-1977 को सम्पूर्ण बम्बई प्रदेश के 830 मामले लम्बित पड़े थे। ये मामले अवशिष्ट मुआवजे के दावों के निपटान या समंजन से संबंधित हैं। तब से अब तक इन मामलों में 40 की और वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान 236 मामलों का निपटान कर दिया गया है तथा इन दो विशिष्ट कालोनियों सहित इस प्रदेश से संबंधित 634 मामले शेष बचे हैं।

(ख) चूंकि उल्हास नगर तथा खोपाड़ी कालोनी से संबंधित मामलों के लिए अलग रजिस्टर नहीं रखे गए हैं, अतः केवल इन कालोनियों से संबंधित मामलों की राशि उपलब्ध नहीं है।

(घ) इन मामलों के समापन के लिए कोई विशिष्ट अवधि नहीं दी जा सकती है, परन्तु इस संबंध में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इन मामलों का निपटान, दावेदारों तथा सहयोजितों के प्रत्युतर तथा साथ ही उनके द्वारा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर भी निर्भर करता है।

ओलंपिक खेलों में कबड्डी को शामिल किया जाना

840. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी को शामिल करने के बारे में 21 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय ओलंपिक ऐसोसिएशन ने ओलंपिक खेलों में 'कबड्डी' को शामिल करने की मुख्य शर्त को पूरा करने के लिए अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) इंडियन ओलंपिक ऐसासिएशन का 'कबड्डी' को लोकप्रिय बनाने के लिए आगामी एक वर्ष में क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन): (क) यदि 1982 के एशियायी खेल भारत में आयोजित होते हैं, तो भारतीय ओलंपिक संघ कबड्डी को 'प्रदर्शन खेल' के रूप में शामिल कराने के लिए एशियायी खेल संघ की कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास करेगा।

(ख) भारतोय ओलंपिक संघ का अगले एक वर्ष में 'कबड्डी' को लोक प्रिय बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का विचार नहीं है। इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारतीय अव्यवसायी कबड्डी संघ की है, जिसके लिए सरकार स्वीकृत पद्धति के अनुसार वित्तीय तथा अन्य समर्थन देने पर विचार करेगी।

गुजरात में खारे पानी को कृषि योग्य बनाने के लिए योजना

841. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री कुओं का पानी खारा बनने से रोकने में सहायता के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य में ऐसी योजना की प्रतीक्षा कर रही है जिसका उद्देश्य गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में मियानी, पोरबन्दर, माधवपुर शील, मंगरोल से कोडि-नारउना-महुआ के समुद्र तट के निकट 16000 कुओं के खारे पानी को कृषि योग्य पानी में बदलना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से पूरी योजना के बारे में अब तक प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के लिये गुजरात सरकार को सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार से कितनी धन राशि प्राप्त होगी और कितनी धनराशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है और शेष राशि कब तक उपलब्ध होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) तथा (ख) जी हां।

इस समय गुजरात में आर्टिफिशियल रिचार्ज और खारेपन के नियंत्रण हेतु उपाय करने के लिये मार्गदर्शी आधार पर एक संशोधित परियोजना राज्य सरकार और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा संयुक्त तौर पर तैयारी की अन्तिम अवस्था में है ।

(ग) इस परियोजना का कार्यान्वियन केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त तौर पर करने का प्रस्ताव है । परियोजना के दस्तावेजों को अंतिम रूप देने व स्वीकृत होने पर ही परियोजना के वित्तीय संसाधनों के बारे में निर्णय किया जाएगा।

Building for Museum of Archaeological Survey of India in M.P.

842. **Shri Laxmi Narain Nayak :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the present Museum of Archaeological Survey of India is housed in the Museum building of the Madhya Pradesh;

(b) if so, the expenditure incurred as rent on it till now; and

(c) whether Government have decided to take over that museum building ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Archaeological Survey's Museum at Sanchi is housed in its own building while the Museum building at Khajuraho belongs to the Govt. of Madhya Pradesh.

(b) No expenditure has so far been incurred on rent.

(c) Instead of taking the Museum building at Khajuraho on rent, the Archaeological Survey has been negotiating with the Government of Madhya Pradesh to acquire the building.

Private Schools for Blinds

843. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a request has been made to bring all Private Schools running for Blinds under the Department of Social Welfare; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

Examination for Private Candidates for Higher Education

844. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has advised full time institutions higher education to allow private candidates to appear in the examinations; and

(b) if so, when this will be introduced ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a) According to information furnished by the University Grants Commission, the Universities were advised to meet the demand for expansion in enrolment during the Fifth Plan through non-formal channels. It was also suggested that facilities should be provided to private candidates to appear in various University examinations.

(b) As per information available upto 1-9-1977, there are 68 universities and 1 deemed university who already allow certain categories of candidates to appear privately in university examinations for specified courses.

Resettlement of the Residents of Kingsway Camp, Delhi

845. Shri Hargovind Verma : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of resettlement of the residents of Kingsway Camp in Delhi has been stopped;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, when this work will be started ?

The Minister of State for Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : (a), (b) and (c) No, Sir. A scheme for an integrated redevelopment of the area is being drawn up by Delhi Development Authority, based on a survey recently completed of the residents of Hundson Lines and Outram Lines.

पंजाब में ग्रासा बट्टर के लिए ग्राम्य विकास कार्यक्रम

846 **श्री धर्मवीर वशिष्ट : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में पंजाब के ग्रासा बट्टर गांव में उद्घाटन किये गये ग्राम्य विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण संस्थागत होगा और विश्व बैंक द्वारा होगा ;

(ख) कार्यक्रम पर कुल कितनी लागत आएगी और क्या-क्या भौतिक लक्ष्य प्राप्त किये जाएंगे; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अन्य राज्यों को परामर्श देने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री जी द्वारा पंजाब के आसा बट्टर गांव में उद्घाटन किए गए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को बहु-विमितीय पहुंच के साथ तैयार किया गया है । इसका केन्द्र बिन्दु उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा समन्वित प्रयोग पर है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उत्पादी तथा सामाजिक रूप से लाभकारी व्यवसाय पर लगाने में समर्थ हो सके । विभिन्न पूरक सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों, जिनमें उत्पादन, वितरण, रोजगार तथा स्वास्थ्य शामिल है, को समन्वित ढंग से शुरू किया जाना है ताकि वे एक दूसरे को बल प्रदान कर सकें और प्रत्येक कार्यक्रम के अलग-अलग शुरू किए जाने से संभव होने वाले विकास की अपेक्षा कुल मिलाकर अधिक विकास कर सकें ।

सबसे पहले 117 विकास खंडों में से प्रत्येक में 5 गांवों का एक समूह चुना गया है तथा प्रत्येक समूह के एक गांव को केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित किया जाएगा ।

पांच वर्षों की अवधि में कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत 302 करोड़ रुपये है जिनमें से 98.00 करोड़ रुपये सरकारी संसाधनों में से तथा शेष 204 करोड़ रुपये संस्थागत वित्त के रूप में आने हैं ।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(1) पूर्ण तथा लाभप्रद रोजगार सुलभ करना ।

(2) कृषि उत्पादन में कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि की प्राप्ति करना ।

(3) परम्परागत ग्रामीण उद्योगों तथा व्यवसायों को पुनर्जीवित/गहन करना ।

(4) कृषि पर आधारित कुटीर तथा लघु और आनुषांगिक उद्योगों को सरल और समर्थ बनाना ।

(5) स्थानीय संसाधनों का पूर्ण विकास ।

(6) यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने योग्य बनाया जाता है ।

इस कार्यक्रम के विभिन्न घटक ये हैं:—कृषि, मध्यम तथा लघु सिंचाई, पशुपालन, डेरी, जल तथा भू-संरक्षण, वनरोपण, सहकारी ढांचे को सुदृढ़ बनाना तथा ग्रामीण और लघु उद्योग आदि ।

सुनियोजित ढंग से विकास केन्द्रों/केन्द्र बिन्दुओं की स्थापना तथा विकास इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रचालित नीतियों में से एक है ताकि इस प्रकार के केन्द्र बिन्दु से कोई भी, गांव 5 मील से दूर नहीं रह सके । प्रत्येक केन्द्र बिन्दु में बैंकिंग तथा ऋण सुविधाएं, कृषि सेवा केन्द्र, आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा केन्द्र, डीजल पम्प, पशु चिकित्सालय, मार्किट-यार्ड, डाकघर, सिविल अस्पताल आदि जैसी कुछेक ग्रामीण आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं सुलभ की जायेंगी । ये केन्द्र

बिन्दु सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे तथा दूसरे चरण में कृषि पर आधारित उद्योग विकसित किए जाएंगे तथा सामुदायिक केन्द्रों, जल आपूर्ति, स्टेडियम आदि जैसी कुछ सामाजिक सेवाएं सुलभ की जाएंगी ।

(ग) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उड़ीसा को सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता

847 **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है और इसके सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र में से केवल 11.5 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से किसी वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ? और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को दी गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भूमि के उपयोग के 1974–75 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में कृषि क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का अनुपात 11.5 प्रतिशत था जबकि अखिल भारतीय औसत 18 प्रतिशत था । कम प्रतिशतता वाले कुछ अन्य राज्य है : महाराष्ट्र (7.2), मध्य प्रदेश (7.3), कर्नाटक (9.9), राजस्थान (10.6) और गुजरात (10.8) ।

(ख) और (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी खास परियोजना या विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित नहीं होती ।

1975–76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान अड़ीसा में बृहद एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों पर क्रमशः 13.35 करोड़ रुपये, 21.19 करोड़ रुपये और 28.60 करोड़ रुपये (प्रत्याशित) व्यय किये गये । इसके अलावा राज्य को 1975–76 के दौरान 1 करोड़ रुपये की, 1976–77 के दौरान 2 करोड़ रुपये की और 1977–78 के दौरान 4 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता दी गई ताकि कुछ चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जा सके।

1975–76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान राज्य में लघु सिंचाई कार्यों पर क्रमशः 4.58 करोड़ रुपये, 9.11 करोड़ रुपये और 1158 करोड़ रुपये प्रत्याशित व्यय किए गए ।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को दी गई धनराशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	राज्य के 50 प्रतिशत योगदान के समकक्ष सूखा प्रवण क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता	100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली विशेष मध्यम सिंचाई स्कीम
1975–76	66.49	..
1976–77 . . .	115.49	50.00
1977–78	75.00	50.00

उड़ीसा में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर 1974–75 से 1976–77 तक क्रमशः 17.5 लाख रुपए, 20.00 लाख रुपए और 19.00 लाख रुपए का व्यय किये जाने की सूचना मिली है।

दूध तथा दुग्ध उत्पादों का आयात

848. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितना दूध और दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया अथवा सहायता के रूप में प्राप्त हुआ ;

(ख) इसका वर्ष-वार और राज्यवार वितरण क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वितरण पद्धति में कदाचार और भ्रष्टाचार व्याप्त है ; और

(घ) यदि हां, तो कदाचारों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

India Gate—Change of Name

849. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to change the name of "India Gate" as "Bharat Dwar" or would inscribe "Bharat Dwar" also over it; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikandar Bakht) : (a) No, Sir.

(b) On India Gate, only the word 'India' is engraved and not 'India Gate'. No proposal for any change as suggested in the question is under consideration of the Government.

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम धान की वसूली

850. **श्री रोबिन सेन**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री धान की वसूली के बारे में 19 दिसम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4521 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1977 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में धान की अत्यधिक कम वसूली, अर्थात् 1976 में 15.1 हजार टन की तुलना में 0.2 हजार टन, करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन कार्य के अधीन धान की खरीदारी करता है । सरकार द्वारा निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुरूप और उत्पादकों द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई धान की सारी मात्रा सरकार द्वारा निर्धारिती समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है । क्योंकि खुले बाजार में धान के मूल्य समर्थन मूल्यों से ऊंचे चल रहे हैं इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा चालू खरीफ विपणन मौसम में खरीदी गई मात्रा से कम है । 22 फरवरी, 1978 तक अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल 496 मीटरी टन धान खरीदी गई है जबकि पिछले विपणन मौसम की उसी अवधि में लगभग 40 हजार मीटरी टन धान खरीदी गई थी ।

1977 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की वसूली

851. **श्री रोबिन सेन**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में जनता सरकार की स्थापना के पश्चात् 1977 में आंध्र प्रदेश, आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की वसूली करने में नितांत विफल रोने के क्या कारण हैं ; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में 1976 की तुलना में 1977 में धान की अधिक वसूली करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) धान/चावल से संचलन संबंधी सभी प्रतिबन्ध उठा लेने से धान की वसूली मुख्यतः मूल्य समर्थन कार्यचालनों के अन्तर्गत की गई है । क्योंकि (क), धान के खुले बाजार के मूल्य सामान्यतया सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्यों से ऊंचे हैं, और (ख) संचलन संबंधी सभी प्रतिबन्ध उठा लिए गए हैं । 23 फरवरी, 1978 तक प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में धान की निम्नलिखित राज्यों में की गई वसूली पिछले मौसम की तदनरूपी अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है :—

(आंकड़े मीटरी टन में)

राज्य	1977–78	1976–77
	खरीफ विपणन मौसम	
आंध्र प्रदेश	9	1402
असम	7849	71,081
राजस्थान	7	937
तमिलनाडु	..	26365
पश्चिमी बंगाल	45016	53973

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समुद्री तूफान और अत्याधिक वर्षा के कारण धान की फसल क्षतिग्रस्त हुई थी ।

मध्य प्रदेश में वर्तमान विपणन मौसम के दौरान अब तक 105 मीटरी टन धान वसूल की की गई है जबकि पिछले मौसम में तदनुरूपी अवधि में 15 मीटरी टन वसूल की गई थी।

हरियाणा और पंजाब में, अब तक इस मौसम में धान की, की गई वसूली पिछले मौसम में तदनुरूपी अवधि के दौरान की गई वसूली की तुलना में बहुत अधिक है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः—

(आंकड़े मीटरी टन में)

राज्य	1977–78	1976–77
	खरीफ विपणन मौसम	
हरियाणा	111374	68572
पंजाब	846682	390441

इन राज्यों में अधिक वसूली करने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(क) धान के उत्पादन और कुल विक्रेता अधिशेष में वृद्धि होना, और

(ख) सरकार द्वारा पिछले वर्ष के मूल्य से अधिक वसूली मूल्य की घोषणा करना ।

परीक्षाएं लेने के कार्य में संलग्न शिक्षकों को पारिश्रमिक

852. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने विश्वविद्यालयों के परीक्षा कार्यो में लगाए जाने वाले विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को पारिश्रमिक देने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ; और

(ख) क्या इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा कार्यो के लिए शिक्षकों को कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतन-मानों में संशोधन की योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि विश्वविद्यालय/कालेज के अन्दर निरीक्षण कार्य सहित परीक्षा कार्य के लिए किसी भी शिक्षक अथवा प्रिंसिपल को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा । इस व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जा रहा है और आशा है कि इस मामले में सरकार के निर्णय को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास

853. **श्री एम० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास योजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना पर व्यय में केन्द्र और राज्य सरकारों ने कितना कितना योगदान दिया है ;

(ग) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा ठोस उपलब्धियां क्या हैं ; और

(घ) आगामी वर्षों में कितनी धनराशि खर्च करने की योजना है तथा कितने ग्रामों को यह सुविधा दिलाने की आशा है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) "ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु ग्रामीण आधार-ढांचा विकास" योजना के अन्तर्गत 1977-78 के बजट प्राक्कलनों में 20.00 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया था। इसमें से अब तक 17.58 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही आवंटित कर दी गई है। शेष 2.42 करोड़ रुपये शीघ्र ही बंटित कर दिए जाएंगे ।

(ख) मैदानों में निर्मित की जाने वाली प्रति किलोमीटर सड़क के लिए 75,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता सीमित की गई है । कठिन भू-भाग और कठोर भूतल को देखते हुए मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता 1.25 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की दर से और सिक्किम को 1.50 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की दर से दी गई है । शेष लागत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्थानीय लाभभोगियों द्वारा दिए गए योगदान के माध्यम से पूरी की जाती है ।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, 1977-78 के 20.00 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान में से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को 17.58 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही आबंटित कर दी गई है । 2.42 करोड़ रुपये की शेष धनराशि के प्रस्ताव भी हाल ही में आबंटित किए गए हैं । राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों ने आम तौर पर आश्वासन दिया है कि वे वर्ष के दौरान ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के लिए इस केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर लेंगे ।

(घ) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण की योजना भविष्य में राज्य क्षेत्र में होगी । आगामी वर्षों के दौरान परियोजनाबद्ध व्यय तथा इसके अन्तर्गत लाये जाने वाले गांवों की संभावित संख्या देना संभव नहीं है ।

दिल्ली में सहकारी सामुहिक गृह निर्माण समितियां

854. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सहकारी सामुहिक गृह निर्माण समितियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि का मूल्य जमा किया है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में सहकारी सामुहिक गृह निर्माण समितियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समितियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके अभ्यावेदनों पर निर्णय लिए जाने तक भूमि का मूल्य जमा नहीं किया है; और

(ङ) क्या भूमि का मूल्य जमा करने की अवधि इन समितियों के लिए बढ़ाई गई है और यदि हां, तो उनके लिए अवधि कब तक बढ़ाई गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) यह अनुमान है कि यह सन्दर्भ कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के 8-2-78 को हुए सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में है। यदि ऐसा है तो इन सिफारिशों पर विचार किया गया है लेकिन इन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

(घ) तथा (ङ) सोसाइटियों द्वारा यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है कि उनसे ली जाने वाली भूमि की कीमत कम कर दी जाएगी। सदस्यों से देयताएं वसूल करने में कठिनाई होने के कारण बहुत सी सोसाइटियों ने समय बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिए। 25-3-1978 तक समय बढ़ा दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	सोसाइटी का नाम	टिप्पणी
1.	अशोका	भूमि की पूरी कीमत का भुगतान कर दिया है
2.	झील कुरंजा एक्सटेंशन	,,
3.	लेबर	,,
4.	एस० बी० मिल्ज एम्पलाइज	,,
5.	दि बैकवर्ड क्लास एण्ड लो इनकम	,,
6.	बलजीत नगर पुरुषार्थी	,,
7.	लेक वियू इन्कलेव	,,
8.	सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्विसिज	,,
9.	दिल्ली चार्टर्ड एकाउन्टेंटस	,,
10.	न्यू दिल्ली बंगाली	,,
11.	सी०आई०एस० आफिसर्स	,,
12.	मयूर बाग	,,
13.	नव भारत	,,
14.	रबिन्द्र	,,
15.	बन्नू बिरादरी	,,
16.	केबिनेट सेक्रेटेरिएट	,,
17.	एस०पी०एल० एम्पलाइज	,,

क्रम सं०	सोसाइटी नाम	टिप्पणी
18.	गैस्टा	भूमि की पूरी कीमत का भुगतान कर दिया है
19.	सी०सी०आई०ई० एम्पलाइज . . .	,,
20.	डी०एम०ई०एस० एम्पलाइज	,,
21.	झूलेलाल सिंधु नगर . .	,,
22.	न्यू सुभाष . . .	,,
23.	इमीनाबाद . .	,,
24.	आदर्श जीवन	,,
25.	आई०एम० डिपार्टमेंट एम्पलाइज .	,,
26.	दिल्ली यूनिवर्सिटी नान-एकेडेमिक एम्पलाइज .	,,
27.	यूनिवर्सिटी टीचर्स	,,
28.	आई०डी०पी०एल० एम्पलाइज .	,,
29.	गढ़वाल .	,,
30.	सनशाइन .	,,
31.	एक जोत . .	,,
32.	श्रीनिवासपुरी मित्रमंडल	,,
33.	रेलवे एम्पलाइज .	,,
34.	डी०टी०सी० एम्पलाइज	,,
35.	अजय	,,
36.	अपना घर .	,,
37.	गुजरांवाला . . .	,,
38.	स्टेट बैंक आफ इंडिया एम्पलाइज	,,
39.	राजस्थानी भवन निर्माण	,,
40.	शुभ विहार . .	,,
41.	तारा .	,,
42.	यमुना . .	
43.	प्रेस एसोसिएशन	,,
44.	बिजनैस एण्ड प्रोफेसनल वोमैन	
45.	नव केतन	,,
46.	डा० जाकिर हुसैन मेमोरियल	,,
47.	कांगड़ा आदर्श	,,
48.	सेन्ट जेवियरज	,,

49. शिवालिक	भूमि की पूरी कीमत का भुगतान कर दिया है
50. रंगमहल .	,,
51. आई०आई०टी०डी० एम्पलाइज . .	भूमि की कीमत का आंशिक भुगतान कर दिया है
52. उत्तर प्रदेशीय राजकीय .	,,
53. दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग टीचर्स	,,
54. ई०आई०एल० एम्पलाइज .	
55. पुण्डीरक . . .	
56. इस्ट दिल्ली	,,
57. ढुडियाल .	,,
58. दिल्ली रेल कर्मचारी . .	,,
59. डिफेंस मिनिस्ट्री एम्पलाइज .	,,
60. मोडल . .	,,
61. इण्डियन आयल एम्पलाइज .	,,
62. दक्षिण दिल्ली .	,,
63. प्राइम मिनिस्टर'ज सैक्रेटेरिएट	,,
64. होम गार्ड एण्ड सिविल डिफेंस	,,
65. फिरोज पार्क	,,
66. लायोला .	,,
67. बलबीर पार्क	,,
68. मिलन	,,
69. कस्तूरबा	,,
70. ज्योति बाग	,,
71. संगम .	,,
72. जनरल स्टाफ	,,

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रशासन के विरुद्ध कथित आरोप

855. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से संसद सदस्यों ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्राध्यापकों का एक ज्ञापन सरकार को भेजा है जिसमें इस विश्वविद्यालय के प्रशासन और विशेषकर कुलपति के विरुद्ध कुछ बहुत गम्भीर आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारत सरकार को जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, के शिक्षकों से दो अलग-अलग ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रत्येक कई संसद सदस्यों द्वारा प्रेषित किया गया था । इनमें से एक अठारह संसद सदस्यों द्वारा 20 दिसम्बर, 1977 को प्रेषित किया गया था । कई शिक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ दूसरा ज्ञापन 9 जनवरी, 1978 को उन्नीस संसद सदस्यों द्वारा प्रेषित किया गया, उसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा संसद सदस्यों में परिचालित ज्ञापन को जामिया शिक्षक परिषद की महासभा अथवा इसकी कार्यकारिणी परिषद का समर्थन प्राप्त नहीं था और यह कार्य शिक्षकों के उस वर्ग द्वारा किया गया था जो कुलाधिपति द्वारा प्रारम्भ की गई जांच की संभावनाओं से भयभीत हैं।

(ग) जामिया मिलिया के कुलाधिपति ने जामिया के विभिन्न वर्गों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों एवं प्रत्यारोपों की एक उच्च स्तरीय जांच प्रारम्भ की है। जांच प्रगति पर है।

Central Directive on Realization of Fees by Veterinary Hospitals

856. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have issued orders to veterinary hospitals in various States to charge for medicines and injections from the persons who take their sick animals there for treatment, and if so, the reasons for not providing medicines to the farmers free of charge by various hospitals functioning in the country; and

(b) the names of the medicines which are supplied free of charge by the Governments of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Haryana and the measures being adopted by Government in order to extend real benefit to the farmers ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) No directive as such has been issued to the States ordering realisation of charges for medicines and injections. The Government of India however, had accepted the recommendation of the National Commission on Agriculture that "for improving the quality of veterinary service it is necessary to supplement the funds of the Veterinary Departments. A phased programme of levying a charge for treatment of livestock should be introduced immediately". This was circulated to the States for necessary action.

(b) Information regarding the names of the medicines which are supplied free of charge by the Governments of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Haryana is being obtained from respective State Governments. The veterinary hospitals and dispensaries undertake treatment of sick animals, castration of scrub bulls and prevention and control of epidemics. The Central Government also assists the states in prevention and control of serious diseases like Rinderpest and Foot and Mouth.

Admission in Aligarh Muslim University

†857. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to part (c) of Unstarred Question No. 1155 on 21st November, 1977 regarding admission of students of backward classes in Universities and state :

(a) whether the information has since been collected in regard to admission of first division students in the Aligarh Muslim University, and

(b) if so, the details thereof and the reasons for delay in this respect ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information furnished by the Aligarh Muslim University, no first divisioner internal candidate, whether belonging to the backward classes or otherwise, who applied for PUC (Mathematics), was refused admission. From amongst the external candidates, many first class candidates belonging to various categories, including backward classes, could not be selected on account of non-availability of seats.

No complaint was received in October 1977 in this Ministry in this behalf.

अपर ताप्ती चरण द्वितीय परियोजना के लिए सहायता

858. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** ताप्ती नदी पर सिंचाई परियोजनाओं के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपर ताप्ती चरण द्वितीय परियोजना को पूरा करने में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि का योगदान दिया जाएगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह योजना शीघ्र आरम्भ करने के लिए कहने का है क्योंकि इस योजना से दोनों राज्यों में लाभान्वित होने वाला क्षेत्र अधिकांशतः आदिवासी क्षेत्र है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) 88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों को लाभ देने वाली अपर ताप्ती परियोजना--चरण-दो के बारे में जो रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई थी, उसकी जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और मार्च 1976 में राज्य सरकार को उसके बारे में टिप्पणियां भेजी गई थीं। इन टिप्पणियों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए यह परियोजना अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है ।

सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके समूचे विकास कार्यक्रमों के ढांचे के अन्तर्गत किया जाता है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसका संबंध किसी विशिष्ट विकास क्षेत्र अथवा परियोजना से नहीं होता।

योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दिये जाने के पश्चात ही राज्य सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता देने का अनुरोध किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

गृह निर्माण ऋण हेतु अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या

859. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धनराशि की कमी के कारण गृह निर्माण ऋण हेतु बहुत से आवेदन पत्र अनुमोदन के लिए अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों के कितने ऋण आवेदन-पत्र अनुमोदन के लिए अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) इसमें ऋण की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और कितने ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्र अनुमोदित किए गए हैं; और

(घ) ऋण सम्बन्धी अनिर्णीत आवेदन-पत्रों को भुगतान के लिए कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) . (क) तथा (ख) जी हां। निधियों की कमी के कारण अनुमोदन के लिए निलम्बित पड़े गृह निर्माण अग्रिम के आवेदनों की संख्या आज की तारीख में लगभग 1900 हैं।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1977-78 में 31 जनवरी 1978 तक 32.28 करोड़ रुपये के कुल 13,194 आवेदनों में अनुमोदन दिया गया था। निलम्बित पड़े आवेदनों में ऋण की राशि लगभग 6 से 7 करोड़ रुपये तक है। चालू वर्ष के अन्त तक इन आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।

Retreading of Tyres by Ordnance Depot Vehicles

861. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state the names of the firms from which retreading on Tyres of Ordnance Depot vehicles under Ministry of Defence has been got done during the last three years and the number and names of firms out of them which are being run by educated unemployed ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : Requisite information is being collected and will be laid on the table of the House.

Retreading Work of Vehicles of Defence Ministry

862. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of ordnance stores under Ministry of Defence to whom supplies are made through the Department of Supply at present in the country and whether it is a fact that retreading work of all the vehicles of Ministry of Defence and Ordnance stores is done by inviting tenders and if so, the number and names of stores which get this work done;

(b) whether work asked in part (a) is done by inviting tenders; if so, when and from which firms tenders were invited during the last three years and at what rates work has been entrusted to them; and

(c) whether most of the parties had given identical tenders in consultation with each other and if so, the names of firms which had given identical tenders and the number as also names of firms which were not given the work despite their lower rates ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : (a), (b) and (c) Requisite information is being collected and will be laid on the table of the House.

Farmers as members of Agricultural Prices Commission

863. Shri Chaturbhuj : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether on 27th January, 1978, a resolution was passed in the session of Rajasthan Kisan Union held at Jaipur demanding that the majority of the members of the Agricultural Prices Commission should be experienced farmers and its Chairman should also be a farmer; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) No such resolution has been received in this Ministry.

A representative of farmers is already included as a Member of the Agricultural Prices Commission, and he has been functioning as such since April, 1976. Besides, Government have also constituted a Panel of Farmers, consisting of 22 farmers/agricultural labourers, one each from 22 States of the country, so that their valuable suggestions and advice, based on their practical experience, may be available to the Commission in the formulation of its recommendations.

Difference in Actual Payment to Cane Growers

864. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that at present the sugar mills in Uttar Pradesh while purchasing sugarcane issue slips showing its price at Rs. 9 per quintal whereas they actually pay Rs. 7 per quintal; and

(b) the steps being taken by Government to check this injustice being meted out to farmers by the sugar mill owners ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) A report has been called for from the State Government and the required information will be laid on the Table of the Sabha when received.

Tobacco Corporation

865. Shri Amarsingh V. Rathawa : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for setting up a Tobacco Corporation so that small cultivators curing tobacco could be saved from the clutches of traders;

(b) if so, the details thereof and the time by which such a Corporation is likely to be set up; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) No Sir. However, the Government of India have set up a Tobacco Board on 1-1-1976 under Tobacco Board Act, 1975 in the Ministry of Commerce. The Board has adopted the following measures in the interests of the growers to enable them to get proper price for their produce :

(i) In recommending minimum export prices to the Government, the Board also takes into consideration the cost of production. Experience shows that any increase in minimum export prices also generally leads to better returns to the growers. The minimum export prices were increased last year and the same have been increased again this year on the recommendation of the Board.

(ii) After consulting the traders and the growers, the Board has since last year been announcing indicative prices at which marketing of Virginia tobacco is expected to take place. This also helps the growers in realising a better prices for their produce.

(iii) The Board has introduced from this year a system known as the tobacco leaf purchase voucher system which is essentially designed to assure the growers a down payment of 50% of the price on delivery of the goods and the balance 50% with interest in two further instalments within 90 days from the date of delivery. This step has been taken by the Board for accelerating payment of price by the trade to the growers on the recommendation of a Committee

appointed by the Reserve Bank of India to go into the question of delayed payments to the growers. However, the implementation of this scheme is being resisted by certain quarters particularly the trade, and some writ petitions have also been filed in the High Court at Hyderabad.

Apart from Virginia tobacco, the other main type of tobacco produced in the country is bidi tobacco, for which there is not much export demand. The Tobacco Board has been asked to constitute a Committee to look into the marketing problems of bidi tobacco in Gujarat and Karnataka. This Committee is yet to be formed. On receipt of the report of that Committee, remedial action for improving the market of bidi tobacco may also be considered by the Board and the Government.

गैर-सरकारी प्रकाशनों द्वारा स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन

866. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन गैर-सरकारी प्रकाशकों को सौंपने पर विचार कर रही है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके और पुस्तक प्रकाशन उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 1976 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा०शै०अ०प्र०परि०), जो मुख्य रूप से केन्द्रीय विद्यालयों और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार है, ने पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण प्रकाशन और वितरण में रा०शै०अ०प्र०परि० के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय प्रकाशक संघ के प्रस्ताव का लाभ उठाया। इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है। 1976-77 में उसकी कुछ पाठ्य पुस्तकें चार निजी क्षेत्र के प्रकाशकों को मुद्रण/प्रकाशन के लिए सौंपी गई थी। 1977-78 के दौरान 50 पाठ्य पुस्तकें/कार्य-पुस्तकें प्रकाशन और वितरण के लिए 21 निजी प्रकाशकों को सौंपी गई थी। 1978-79 शैक्षिक सत्र के दौरान रा०शै०अ०प्र०परि० ने ऐसी पुस्तकों से सम्बन्धित पुनः मुद्रण कार्य भी निजी प्रकाशकों को देने का निर्णय किया है, जो पिछले शैक्षिक सत्र में उनके द्वारा प्रकाशित की गई थीं।

M.Ps. Flats at Pant Marg, Gurudwara Road, Rakabganj Road and Mahadev Road, New Delhi

867. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the M.P. bungalows situated at Pant Marg, Gurudwara Rakabganj Road and Mahadev Road in Delhi are in dilapidated conditions;

(b) whether these bungalows are worth living; if not, the action being taken by the Government in this regard and the amount spent on the maintenance and repairs of these bungalows annually for the period from 1971-72 to 1977-78; and

(c) whether it is a fact that there is unlimited dampness in these bungalows and the reasons therefor and steps taken by the Government to remove the dampness ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) and (b) The houses are not dilapidated; but habitable. However, it is a fact that, being very old, these require frequent and heavy repairs. As expenditure is not booked building-wise but is booked for all the residences of the M.Ps. taken together and served by one Enquiry Office, it is not possible to give expenditure on maintaenance of these buildings for the period desired.

(c) Damp proof course had not been provided in the houses at the time of their construction in 1920-25 and hence there is a lot if dampness in these houses. However, the bungalows have become old and are marked down for demolition and redevelopment; hence the insertion of a damp proof course, at this stage, will not be economical.

Anganbari Project

868. Shri Ram Kanwar Berwa : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the main aims and objectives as also the salient features of the Anganbari Project introduced in Rajasthan by the Central Government;

(b) the places in Rajasthan where the project is being carried out with the help of Central Government;

(c) whether attention of Government has been drawn to the Press reports that the girls working in Garhi Panchayat Samiti in Banswara district were ill-treated and they don't get their full emoluments in time; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The Integrated Child Development Services Scheme, of which anganbari is one component, aims at the delivery of a package of services in nutrition, health and education to the children in the age group 0 to 6 years and pregnant and lactating mothers as well as to women in the age group 15 to 44. The main objectives of the scheme are :

(i) to improve the nutritional and health status of children in the age group 0—6 years;

(ii) to lay the foundations for proper psychological, physical and social development of the child;

(iii) to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school drop-out;

(iv) to achieve effectively coordination of policy and implementation amongst the various departments to promote child development; and

(v) to enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education.

The scheme was started in 33 blocks throughout the country on an experimental basis in 1975-76.

(b) In Rajasthan, there is one such project being implemented in Garhi block, district Banswara.

(c) Certain complaints have come to the notice of Government of Rajasthan.

(d) The State Government is looking into the complaints and will take appropriate action.

रणजीत नगर प्रगृह, नई दिल्ली का मूल्य निर्धारण

869. **श्री मही लाल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 11 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3133 और 5 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रणजीत नगर, नई दिल्ली के प्रथम चरण में प्रगृहों के निर्माण 1976-77 में हुआ था। मूल्य का हिसाब लगाने तथा उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है;

(ख) रणजीत नगर के शेष स्लम प्रगृहों का जिनका निर्माण वर्ष 1971-72 में हुआ था, मूल्य अब तक निर्धारित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) रणजीत नगर के शेष स्लम प्रगृहों का मूल्य 'न लाभ-न हानि' के आधार पर कब तक निर्धारित किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निर्माण कार्य तथा जलपूर्ति, सीवर लाइनों, सड़कों, मार्गों, पार्कों बिजली लगाने आदि जैसे विकास कार्य तथा भूमि की कीमत पर हुए कुल व्यय को टेनामेन्टों की संख्या में बांटा गया है।

(ख) तथा (ग) मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि लेखा बन्द नहीं किया गया है। लेखों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

Open Village for Handicapped in South

870. **Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Dr. Harold Cornilus Bosch of Netherland has promised to bear the whole expenditure to be incurred on establishing an open village for the handicapped in South India; and

(b) if so, the location of the village and the salient features of the scheme and the time by which it is likely to be completed ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) No such proposal has been received by the Department of Social Welfare.

(b) Does not arise.

चीनी के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के बाद चीनी की उपलब्धता

872. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों के हटाये जाने के परिणामस्वरूप देश में चीनी की उपलब्धता में हुए सुधार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या चीनी से कन्ट्रोल हटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) व्यापार खाते में खुली बिक्री की चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने का इरादा प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्रों से उन भागों में चीनी को आसानी से पहुंचाना है जहां की स्थानीय मांग के लिए चीनी फैक्ट्रियों से सीधे संचलन करने की आवश्यकता न हो।

(ख) सरकार की चीनी सम्बन्धी नीति गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा उद्योग की आवश्यकताओं और समस्त आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। सरकार चीनी पर से नियंत्रण हटाने समेत नीति संबंधी विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखती है।

डेनमार्क के सहयोग से प्रशीतित शुक्राणु बैंक

873. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में डेनमार्क की सरकार के सहयोग से प्रशीतित शुक्राणु बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) भारत-डेनमार्क करार के अन्तर्गत 1974-75 के दौरान हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक-एक हिमित वीर्य बैंक स्थापित किया गया था। इन बैंकों के लिए 43.33 लाख रु० के मूल्य के हिमित वीर्य उपस्कर डेनमार्क सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में हाल ही में एक एक हिमित वीर्य बैंक स्थापित हुआ है। 1978-79 के दौरान तमिलनाडु व महाराष्ट्र में एक-एक तथा जम्मू और कश्मीर में 2 ऐसे बैंकों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इन चारों वीर्य बैंकों के लिए 45 लाख रु० मूल्य के उपस्करों की बहुत शीघ्र प्राप्ति होने की संभावना है।

उसी करार के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम के अधीन 8 और हिमित वीर्य बैंक स्थापित करने के लिए अनुमति दी जा चुकी है।

गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स एसोसिएशन, दिल्ली की मांग

874. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स एसोसियेशन, दिल्ली ने सरकार से आग्रह किया है कि वह ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के स्कूल पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति में स्कूल शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों को शामिल करें; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के सर्वोच्च हित में स्कूल के शिक्षकों की इस वैध मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) और (ख) कक्षा XI और XII के स्कूल पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए गठित समिति में छः प्रिंसिपल/स्नातकोत्तर अध्यापक शामिल हैं, जिनके दो स्कूल प्रिंसिपल और एक अध्यापक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से सम्बन्धित हैं।

सरकारी तथा रिहायशी आवास बदलने के बारे में केन्द्रीय मंत्रियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

875. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल स्तर के उन मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने आबंटित सरकारी रिहायशी आवास को बदला, उन्होंने अपना आवास कितनी बार बदला और आवास बदले जाने के कारण क्या थे;

(ख) प्रत्येक बार उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की और प्रत्येक बार नये आवास में फर्नीचर, पर्दों आदि की व्यवस्था करने पर कितनी धनराशि खर्च की, और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की रोक लगाने का है कि कोई मंत्री एक बार औपचारिक रूप से आवास का आवंटन हो जाने के बाद उसको बदल नहीं सकता ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निम्नलिखित मंत्रियों को आरम्भ में आवंटन अस्थायी तौर पर तब तक के लिए किए गए थे जब तक उनके लिए उपयुक्त वास उपलब्ध नहीं हुआ था :

(1) श्री चरण सिंह

(2) श्री जार्ज फर्नांडिज

(3) श्री सिकन्दर बख्त

(4) श्री पुरूषोत्तम कौशिक

(5) श्री बृजलाल वर्मा

(6) श्री शान्ति भूषण

(7) कुमारी आभा मैती

(ख) सरकार द्वारा इनके निवास स्थान बदलने में किया गया व्यय नगण्य है। प्रत्येक के नये निवास स्थान की साज सज्जा मंत्रियों के निवास स्थान नियमावली 1962 के अधीन निर्धारित सीमा के अन्दर की गई थी। श्री बृजलाल वर्मा तथा श्री शान्ति भूषण द्वारा दखल में लिए गए नए निवासस्थानों के परिवर्तन तथा परिवर्तन पर कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है। श्री चरण सिंह, श्री जार्ज फर्नांडिज, श्री सिन्दर बख्त, श्री पुरूषोतम कौशिक तथा कुमारी आभा मैती के नए निवास स्थानों में परिवर्धन तथा परिवर्तन पर क्रमशः 1085, 2341, 5453, 5083 तथा 2690 रुपये खर्च किए गए थे

(ग) जी, नहीं।

चावल के लाने-ले जाने पर लगी रोक हटाने के बाद उसका मूल्य

876. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर सभी रोक हटाने के बाद विभिन्न राज्यों में इसके मूल्यों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रोक हटाने के बाद विभिन्न राज्यों में चावल के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य खाद्यान्नों पर लगी रोक हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक :—सरकार के पास दैनिक तथा साप्ताहिक आधार पर विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधि केन्द्रों से चावल और अन्य खाद्यान्नों के मूल्य एकत्रित करने के लिए नियमित प्रबंध हैं। पहली अक्तूबर, 1977 से चावल के लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बाद सभी राज्यों में चावल के मूल्यों में गिरावट आई है। केवल बढ़िया किस्म के चावल के मूल्यों में पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में मामूली वृद्धि हुई है।

(घ) इस समय ऐसे कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

877. **श्री दुर्गा चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित शिक्षा संस्थाओं को और अधिक अनुदान देने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामोत्थान के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) और (ख) : शैक्षणिक संस्थाओं को दिए गए केन्द्रीय अनुदान विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए मुख्यत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए दिए जाते हैं। पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास में सहायता करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायता के लिये पात्रता की इसकी सामान्य शर्तों में छूट दी है अर्थात् कालेज में न्यूनतम दाखिला तथा स्टाफ की न्यूनतम संख्या। बराबर के अनुदानों में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता अधिक उदार है। आयोग ने विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध किया है कि प्रत्येक जिले से एक या दो ऐसे कालेजों के नामों की सिफारिश करें जो पात्रता की शर्तें तो पूरी नहीं करते परन्तु सहायता देने के लिये ऐसी शर्तों में छूट हेतु जो आयोग द्वारा विचार के योग्य हैं। आयोग विश्वविद्यालयों तथा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से शुरू में ऐसे 100 कालेजों को निश्चित करने का प्रयास कर रहा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की योजना का प्रयोग किया जा सके।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत छात्र अपने डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्षों के दौरान अपने खाली समय का, समुदाय की सहायता करने हेतु सामाजिक सेवा तथा राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में सदुपयोग कर सकते हैं और इसके साथ स्वयं छात्रों को भी समुदाय की समस्याएं और स्थितियां समझने तथा महसूस करने का अवसर मिलता है और उनमें सामाजिक जागरूकता की भावना और श्रम की शान की चेतना भी पैदा होती है। वर्ष 1976-77 तथा इसके बाद से ऐसे कार्य-कलाप, 'ग्रामीण पुनः निर्माण के लिये युवक' नामक योजना के अन्तर्गत किए जा रहे हैं। इसी तरह 'आयोजना मंच योजना' का लक्ष्य विशेषकर शिक्षित युवकों और उनके माध्यम से ग्राम जनता में योजना के प्रति चेतना का विकास करना है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का नई दिल्ली से स्थानांतरण

878. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को नई दिल्ली से देश के अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने का निर्णय ले लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से कार्यालय कहां-कहां स्थानान्तरित किए जाने हैं;

(ग) यदि इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन कार्यालयों को गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि जैसे आस-पास के नगरों में वहां उपयुक्त वास उपलब्ध होने पर स्थानान्तरित किया जाएगा, उनके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार करने वाली संस्थाओं को सहायता

879. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में और कितनी संस्थाओं को यह सहायता दी जाती है और सहायता देने के सिद्धांत और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भरत राम फाउंडेशन और श्री राम सेंटर आफ आर्ट एंड कल्चर ने समस्त देश में भारतीय शास्त्रीय संगीत संस्थाओं के समक्ष वित्तीय समस्याओं का हल करने के लिए सरकार से इस प्रकार को वित्तीय सहायता देने की अपील की है; और

(घ) उस्ताद अली अकबर खान और श्री रवि शंकर जैसे सुप्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों द्वारा की गई सहायता संबंधी अपील के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय संगीत नाटक अकादमी, भारतीय शास्त्रीय संगीत सहित प्रदर्शन कलाओं के प्रसार कार्य में रत सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है । इसके अतिरिक्त, संस्कृति विभाग सांस्कृतिक संगठनों को, जिनमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसार कार्य में रत संगठन भी शामिल हैं, भवन निर्माण अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संगीत नाटक अकादमी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

इस योजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं, संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के कार्य में रत संस्थाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करना तथा संगीत समारोहों के आयोजन एवं नए नाटक, नृत्य नाटिका आदि के निर्माण को प्रोत्साहित करना । वित्तीय सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपदान

के रूप में, संस्था की प्रतिष्ठा, प्रस्तावित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के स्वरूप, उपलब्ध अध्यापन कर्मचारियों की कोटि को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार कार्य में रत 21 संस्थाओं को 1975-76 के दौरान 1,21,500 रुपये तथा वर्ष 1976-77 के दौरान 26 संस्थाओं को 1,30,000 रु० की वित्तीय सहायता दी है।

संस्कृति विभाग द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन निर्माण के लिए तथा योग्य मामलों में उपयुक्त उपस्करों (सभा भवन के लिए फर्नीचर सहित) के लिए अनुदान देना है। संगठन को अधिकतम अनुमत्य सहायता, खर्च का 50% है, जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है, बशर्ते कि निर्माण के प्रयोजन के लिए अधिकतम सहायता 1,00,000 रुपये और उपस्करों के लिए 50,000 रुपए होगी। वर्ष 1975-76 के दौरन, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार में कार्यरत 6 संस्थाओं को कुल 88,750 रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था और वर्ष 1976-77 के दौरान ऐसी 8 संस्थाओं को 1,01,250 रुपये के अनुदान इस योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए थे।

आल इंडिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन की मांग

880. **डा० वसंत कुमार पंडित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटीज एंड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधिमंडल उनको दिसम्बर, 1977 में मिला था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) सरकार ने (i) अध्यापकों की सेवा की सांविधिक सुरक्षा, (2) कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंध के लोकतन्त्रीकरण, और (3) कालेजों/विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमाधारियों (डा० पी०ई०), पुस्तकाध्यक्षों और डिमांस्ट्रेटरों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार ने समस्त भारत में विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के लिए एक व्यापक नीति घोषित की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) जी, हां।

(ख) संघ द्वारा की गई मुख्य मांगे हैं :—

(i) देश के सभी विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के लिए संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करना,

(ii) पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों को अध्यापकों के वेतनमान संस्वीकृत करना,

(iii) शिक्षकों (ट्यूटरों) और निदेशकों को लेक्चरार के वेतनमान देना;

(iv) लेक्चरर ग्रेड में मूल्यांकन के चरण को समाप्त करना,

(v) परीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक का भुगतान रोकने के निर्णय को रद्द करना,

(vi) देश के सभी कालेजों के लिए घाटे की अनुदान प्रणाली लागू करना,

(vii) सभी अध्यापकों को सरकार द्वारा वेतन का सीधा भुगतान,

(viii) पर्याप्त सेवा निवृत्ति लाभ,

(ix) शिक्षकों को सेवाओं को सांविधिक सुरक्षा,

(x) लोकतांत्रिक अधिकारों का पुनर्स्थापन,

(xi) विश्वविद्यालय तथा कालेज प्रशासन का लोकतांत्रिक पुनर्गठन,

(xii) विभिन्न निकायों में शिक्षक संगठनों का प्रतिनिधित्व,

(xiii) नई शिक्षा पद्धति का लोकतांत्रिक कार्यान्वयन, और

(xiv) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षक संगठनों का भाग लेना।

(ग) (1) **सेवा की सांविधिक सुरक्षा**

राज्य सरकारों से शिक्षकों को सेवा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाने का पहले ही अनुरोध कर दिया गया है।

(2) **कालेज तथा विश्वविद्यालय प्रबन्ध का लोकतंत्रीकरण**

विश्वविद्यालय अभिशासन समिति ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाले निकायों अर्थात् सीनेट, सिण्डीकेट और शैक्षिक परिषद के सदस्यों में बहुमत अध्यापकों का होना चाहिए। विश्वविद्यालय अधिनियमों को संशोधित करते समय राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया था। विश्वविद्यालयों के विभिन्न निकायों के उपयुक्त गठन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के कानूनों में उचित व्यवस्थाएं करना राज्य सरकारों का कार्य है।

(3) **विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान :**

मध्य प्रदेश और केरल को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान लागू करना स्वीकार कर लिया है। ये वेतनमान जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर कालेज अध्यापकों को भी दिये जा चुके हैं। पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों के लिए पहले से स्वीकृत संशोधित वेतनमानों का इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से पुनरीक्षण किया जा रहा है।

निदर्शकों को, जिन्हें पहले ही उपयुक्त संशोधित वेतनमान संस्वीकृत किये जा चुके हैं, लेक्चरार ग्रेड संस्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हिमालय सेवा संघ द्वारा वन विषयक गोष्ठी

881. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिमालय सेवा संघ द्वारा दिसम्बर, 1977 में वन विषयक गोष्ठी में पारित वक्तव्य पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सुझाव क्या हैं और सरकार का वनों एवं वृक्षारोपण संबंधी नीति का पुनर्विलोकन करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1977 में हिमालय सेवा संघ द्वारा आयोजित गोष्ठी में पारित वक्तव्य में 21 सिफारिशें हैं। जिनमें से 14 सिफारिशें कृषि और सिंचाई मन्त्रालय से संबंधित हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में पहले ही संशोधन किया जा रहा है और केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने संशोधित राष्ट्रीय वन नीति को दिसम्बर, 1976 में भोपाल में हुई अपनी पिछली बैठक में स्वीकृति दे दी है। इस प्रारूप में पारित वक्तव्य में दी गई प्रायः सभी सिफारिशों को, जिनसे यह मन्त्रालय संबंधित है, ध्यान में रखा गया है। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति के प्रारूप में वनरोपण, वन संसाधनों के संरक्षण तथा विकास, भूक्षरण और पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने तथा व्यापक सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना का दूध

882. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का प्रमुख संघटक (दुग्ध चूर्ण) विदेशों से मुफ्त मिलता है ;

(ख) एक लिटर दूध बनाने में ऐसा कितना दुग्ध चूर्ण मिलाया जाता है और प्रत्येक तत्व की लागत क्या है ;

(ग) एक लिटर दूध पर कितना प्रशासनिक खर्च आता है ; और

(घ) जिन दूध विक्रेताओं और दुकानदारों से दिल्ली दुग्ध योजना में दूध खरीदा जाता हैं, उन्हें मिलावट करने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) 3.1 प्रतिशत चिकनाई और 8.7 प्रतिशत ठोस-पर-चिकनाई नहीं वाले एक लिटर टोन दूध बनाने के लिए मिश्रित दूध में औसतन 38 ग्राम स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण मिलाया जाता है। 1.6 प्रतिशत चिकनाई और 9.1 प्रतिशत ठोस-पर-चिकनाई नहीं वाले एक लिटर डबल टोन दूध बनाने के लिए मिश्रित दूध में 65 ग्राम स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण मिलाया जाता है। आपूर्ति के स्रोत अर्थात् विश्व खाद्य कार्यक्रम या व्यापारिक आपूर्ति के अनुसार प्रयोग किए गए तत्वों की लागत में अन्तर होता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	टोन दूध		डबल टोन दूध	
	विश्व खाद्य कार्यक्रम की आपूर्ति से स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	व्यापारिक आपूर्ति से स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	विश्व खाद्य कार्य क्रम की आपूर्ति से स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण	व्यापारिक आपूर्ति से स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण
				(प्रति लिटर रुपयों में)
ठोस-पर चिकनाई नहीं लागत	0.6845	0.9058	0.7264	0.9613
चिकनाई की लागत*	0.7630*	0.7630*	0.3886*	0.3886*
कुल :	1.4475	1.6688	1.1150	1.3499

*चिकनाई की लागत आपूर्ति के स्रोत के आधार पर निकाली गई है (विश्व खाद्य कार्यक्रम, बटर आयल, सफेद मक्खन व मिश्रित दूध)

(ग) प्रति लिटर दूध की प्रशासनिक लागत लगभग 6.95 पैसे ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि दिल्ली दुग्ध योजना दूध विक्रेताओं और दुकानदारों से दूध नहीं खरीदती है ।

समुद्री-तूफान पीड़ित तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता अनुदान

883. **श्री आर० कोलनाथाड़वेलु :**

श्री के० मायातेवर :

श्री पी० त्यागराजन :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री-तूफान द्वारा हुए अभूतपूर्व विनाश का प्रभाव दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार को कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) क्या समुद्री-तूफान जो एक राष्ट्रीय विपत्ति है, के कारण हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए केवल योजना की अन्तिम सहायता देने की अपेक्षा अनुदानों के रूप में अधिक सहायता देने का विचार है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समुद्री तूफान से राहत के लिए तमिलनाडु सरकार को अग्रिम योजना सहायता के रूप में 29.31 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है ।

(ख) तमिलनाडु में हाल ही में आये हुए समुद्री तूफान को विशालता को देखते हुए तमिलनाडु को अनुदान के रूप में 10,000 मीटरी टन चावल और 10,000 मीटरी टन गेहूं की स्वीकृति दी गई है, जिसका वितरण तूफान पीड़ित लोगों के बीच निःशुल्क किया जाना है । इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि समुद्री तूफान से राहत के लिए स्वीकृत की गई अग्रिम योजना सहायता का प्रभाव तमिलनाडु की आगामी वर्ष की योजना पर न पड़े ।

दालों, चने तथा खाद्यान्नों का उत्पादन और खपत

884. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में चने सहित विभिन्न दालों तथा प्रत्येक किस्म के मोटे खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ और इनकी प्रति व्यक्ति खपत कितनी हुई; और

(ख) इस अवधि में इन वस्तुओं के उत्पादन और खपत में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1974-75 से 1976-77 तक के तीन वर्षों के दौरान विभिन्न दालों तथा मोटे अनाजों के उत्पादन एवं चना, अन्य दालों, कुल दालों तथा मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि के दो विवरण संलग्न हैं (अनुबन्ध 1 और 2) ।

(ख) दालों तथा मोटे अनाजों के उत्पादन में मुख्य रूप से वर्षानुवर्ष आधार पर भिन्न-भिन्न मौसम की स्थितियों के कारण उतार-चढ़ाव हुआ था । क्योंकि ये फसलें अधिकांश रूप में शुष्क भूमि में पैदा की जाती हैं । इनकी उपलब्धि में विषमतायें उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण हुई थीं ।

विवरण

अनुबंध—1

गत तीन वर्षों के दौरान दालों तथा मोटे अनाजों (फसलवार) के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान

(हजार मीटरी टन)

फसल	1974-75	1975-76	1976-77
दालें			
चना .	4015	5879	5366
तुर .	1834	2099	1646
अन्य दालें	4165	5061	4196
मोटे अनाज			
ज्वार .	10414	9504	10396
बाजरा .	3272	5736	5728
मक्का	5559	7256	6257
रागी . . .	2136	2797	2178
छोटा मिलेट . .	1613	1924	1638
जौ	3135	3192	2296

अनुबंध—2

चना, अन्य दालों, कुल दालों तथा मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि

(किलोग्राम प्रति वर्ष)

वर्ष	चना	अन्य दालें	कुल दालें (चना समेत)	मोटे अनाज (चावल तथा गेहूं को छोड़कर धान्य)
1974-75	5.2	9.4	14.6	34.9
1975-76	7.5	11.2	18.7	39.8
1976-77*	6.7	9.1	15.8	37.4

*अनंतिम

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति उपलब्धि का हिसाब निवल उत्पादन (अर्थात्) बीज, खाद्य व बेकार हो जाने वाले अंश को निकालने के बाद, निवल आयात, सरकारी भंडार में होने वाले परिवर्तनों तथा वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

अनुसंधान संस्थाएं और सांस्कृतिक संगठन

885. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन अनुसंधान संस्थाओं और सांस्कृतिक संगठनों की सूची क्या है ;

(ख) क्या दो वर्ष के आपात काल में उनकी प्रगति रुक गई थी और वर्तमान सरकार का शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने में विफल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) ऐसा कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1. भारतीय प्रबन्ध संस्थान वस्त्रपुर, अहमदाबाद ।
2. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, 33, लांगफोर्ड रोड, बंगलौर ।
3. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, डायमण्ड हारबर रोड, डा० अलीपुर, कलकत्ता ।
4. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अद्यार, मद्रास ।
5. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 7 मयूरभंज रोड, कलकत्ता ।
6. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिमी क्षेत्र, शामला हिल्स, भोपाल।
7. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर-26, चण्डीगढ़ ।
8. औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान, विहार लेक, बम्बई।
9. राष्ट्रीय ढलाई व गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, डा० हटिया, रांची ।
10. आयोजना व वास्तुकला स्कूल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. भारत का प्रशासकीय स्टाफ कालेज, बेला विस्टा, हैदराबाद ।
12. केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद।
13. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ।
14. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ।
15. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ।
16. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।
17. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला ।
18. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जनपथ, नई दिल्ली ।
19. भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली ।
20. राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, जयपुर हाउस, नई दिल्ली ।
21. भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली ।

22. सांस्कृतिक सम्पत्ति के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोग शाला, भावलपुर हाउस, नई दिल्ली।

23. राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली।

24. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेलवेदरे, कलकत्ता।

25. राष्ट्रीय पुस्तकालय बेलवेदरे, कलकत्ता।

26. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता।

27. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भावलपुर हाउस, नई दिल्ली।

28. दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी, एस० पी० मुकर्जी मार्ग, दिल्ली।

29. ललित कला अकादमी, रवीन्द्र भवन, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

30. संगीत नाटक अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली।

31. साहित्य अकादमी रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली।

32. नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली।

33. भारतीय संग्रहालय, 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, कलकत्ता।

34. विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता।

35. सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद।

36. गांधी दर्शन समिति, राजघाट, दिल्ली।

37. खुदा बक्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना।

38. रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर, (उत्तर प्रदेश)।

39. राष्ट्रीय नाटक स्कूल, भावलपुर हाउस, नई दिल्ली।

40. बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह (लद्दाख)।

41. उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

42. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आई०आई०पी०ए० होस्टल बिल्डिंग, नई दिल्ली।

43. शैक्षिक आयोजकों व प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय स्टाफ कालेज, 17-बी, श्री अरविन्द मार्ग, एन० आई० एस० परिसर, नई दिल्ली।

44. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, एन०आई० एस० परिसर, नई दिल्ली।

कलकत्ता महानगर विकास एजेंसी को केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि

886. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता महानगर विकास एजेन्सी (सी०एम०डी०ए०) को गत तीन वर्षों के दौरान प्रयोजन वार कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई तथा अदा की गई ;

(ख) आबंटित सहायता का किस प्रकार उपयोग किया गया तथा उसके वास्तविक रूप में क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में और अधिक सहायता की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम किंकर) (क) पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण कार्यक्रम के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्नलिखित रूप से दी गई थी :—

	ऋण	अनुदान
1974-75	750 लाख रुपये	—
1975-76	600 लाख रुपये	150 लाख रुपये
1976-77	750 लाख रुपये	98.5 लाख रुपये

(ख) केन्द्रीय सहायता पश्चिम बंगाल में कलकत्ता महानगर डिस्ट्रिक्ट तथा रिफ्यूजी कालोनियों के विकास के लिए त्वरित विकास तथा समुत्थान कार्यक्रम के अधीन चालू योजनाओं में उपयोग की गई है। क्षेत्रवार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस वर्ष ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की योजनाओं की 30-8-77 तक की क्षेत्रवार प्रगति

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	योजनाओं की सं०	पूर्ण हुई योजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	जलपूर्ति	29	8
2.	सीवर व नालिया	56	8
3.	कूड़ा कचरा निपटान	4	1
4.	पर्यावरणीय स्वास्थ्य . .	7	2
5.	यातायात तथा परिवहन	27	9
6.	यातायात (अन्य योजनाएं) .	2	2
7.	विशेष परियोजनायें :		
	(क) गैस वितरण	1	1
	(ख) प्राइमरी स्कूल :		

1	2	3	4
	(1) नवीकरण के लिए	585	429
	(2) नये निर्माण के लिए	133	96
	(ग) पार्क तथा खेल के मैदान	187	77
8.	आवास तथा क्षेत्र विकास	3	2692 मकान
9.	बस्ती सुधार . .	311	277
10.	म्युनिसिपल तथा अंचल विकास	129 अंचलों में 365 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण किया गया।	

अनाजों की वसूली संबंधी लक्ष्य और वास्तविक वसूली

887. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू खरीफ मौसम के दौरान देश में आज तक राज्यवार अनाजों की वसूली के लक्ष्य क्या थे और वसूली के वास्तविक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बाजारा में नई फसलों की आमद के बावजूद नवम्बर, 1977 से जनवरी, 1978 के बीच खाद्यान्नों के खुदरा मूल्य कम नहीं हुए हैं, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1977-78 विपणन मौसम के लिए सरकार ने खरीफ के अनाजों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। 23 फरवरी, 1978 तक चावल और खरीफ के मोटे अनाजों की कुल लगभग 35.66 लाख मीटरी टन मात्रा की वसूली की गई है। संलग्न विवरण में राज्यवार स्थिति बताई गई है।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 के मध्य तक की अवधि के दौरान खरीफ के अनाजों के खुदरा मूल्यों में गिरावट का रुख रहा है जबकि गेहूं और दालों के मूल्यों में कुछ तेजी आई है। गेहूं के मूल्यों में तेजी मुख्यत: मौसमी है जबकि दालों के मूल्यों में यह तेजी ज्यादातर 1975-76 की तुलना में 1976-77 में उनके उत्पादन में लगभग 20 लाख मीटरी टन की कमी होने के कारण आई है।

विवरण

1977-78 विपणन मौसम के दौरान खरीफ अनाजों की वसूली

(आंकड़े मीटरी टन में)

राज्य	प्रगामी वसूली 1977-78		
	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	खरीफ के मोटे अनाज	कुल खरीफ अनाज
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश . .	21,41,28	..	21,41,28
2. असम	1,87,68		1,87,68
3. बिहार . .	..	..	

1	2	3	4
4. गुजरात		..	..
5. हरियाणा .	60,76,32	77*	60,77,09
6. जम्मू और कश्मीर	4,83,81		4,83,81
7. कर्नाटक	2,15,42		2,15,42
8. केरल	75,55	..	75,55
9. मध्य प्रदेश	11,19,36	25,01*	11,44,37
10. महाराष्ट्र	97	24,61	25,58
11. उड़ीसा	3,50,92	..	3,50,92
12. पंजाब	1,94,22,04	29,81*	1,94,51,85
13. राजस्थान	5		5
14. तमिल नाडु	4,79,38		4,79,38
15. उत्तर प्रदेश	39,04,82		39,04,82
16. पश्चिमी बंगाल	11,03,21		11,03,21
17. अन्य	15,70	..	15,70
जोड़	3,55,76,51	80,20	3,56,56,71

*वाणिज्यिक खरीदारी।

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में क्षेत्रीय समन्वय समितियां

888. **श्री के० ए० राजन :**

डा० बापू कालदाते :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विति की दिशा में प्रगति की समीक्षा करने के लिए चार क्षेत्रीय समन्वय समितियां गठित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिनियम की क्रियान्विति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 2-1-78 के आदेश संख्या 1/32/76-यू०सी०य० की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें नगर भूमि अधिकतम सीमा के लिए क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1625/78]

राज्यों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित हैं:——

(1) फालतू रिक्त भूमि के विवरण जो भूमि मालिकों द्वारा दायर किए गए हैं उनकी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है तथा फालतू रिक्त भूमि का जायजा लेने तथा उसे अर्जित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(2) राज्य सरकारों के पास फालतू रिक्त भूमि निम्न प्रकार से हैं :—

(i) गुजरात	2,31,402	वर्गमीटर
(ii) कर्नाटक	1,23,471.8159	वर्गमीटर
(iii) महाराष्ट्र	47,66,00	वर्गमीटर
(iv) उत्तर प्रदेश	6,98,057	वर्गमीटर

(3) धारा 19(1) के अधीन धमार्थ न्यासों, शैक्षणिक संस्थानों को शीघ्रता से छूट दी जा रही है।

(4) राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 20 के अधीन इस संबंध में जारी किए गए मार्ग-निर्देशनों के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा कृषि उपयोग के लिए तथा पर्यावरणीय और सौन्दर्य संबंधी कारणों से फालतू रिक्त भूमि की छूट दी जा रही है।

(5) अधिकतम सीमा के अन्दर धारित रिक्त भूमि के अन्तरण के बारे में नोटिस अधिनियम की धारा 26 के अधीन दिए गए तथा दिए जा रहे हैं और हकशुफा का अधिकार बहुत कम मामलों में प्रयोग किया गया है।

(6) अधिनियम की धारा 27 के अधीन नगरीय सम्पत्ति के अन्तरण के लिए पूर्व अनुमति के आवेदनों पर कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है और अनुमति दी गई है। हकशुफा के अधिकार का बहुत कम मामलों में प्रयोग किया गया है।

(7) रिक्त भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(8) फालतू भूमि के लिए दी जाने वाली धनराशि की दर निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए नगर समूहों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए कई राज्यों में कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

(9) फालतू भूमि को समाज के कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने हेतु उपयोग करने के लिए अधिकतम सीमा से फालतू भूमि धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति देने की शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं जैसे कि अधिनियम की धारा 21 के अधीन व्यवस्था है तथा ऐसे घोषणापत्र जारी करने की अवधि 31 दिसम्बर, 1978 तक अथवा राज्य में अधिनियम के लागू होने की तारीख से 1049 दिन तक बढ़ा दी गई है।

इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस द्वारा संकल्प

889. **श्री के० ए० राजन :**

डा० रामजी सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भुवनेश्वर (उड़ीसा) में आयोजित इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस के वार्षिक र में सर्वसम्मति से पारित किये गये एक संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से यह आश्वासन देने के लिये कहा गया है कि वह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखने के लिये साम्प्रदायिक अथवा कट्टरपंथी शक्तियों के साथ सहयोग नहीं करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसको नोट कर लिया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने संकल्प को नोट कर लिया है तथा यह भी नोट किया है कि हिस्ट्री कांग्रेस ने मेरे द्वारा संसद् (राज्य सभा) में 14-12-77 को इस विषय पर दिये गये वक्तव्य की उपेक्षा की और कुछ पूर्व कल्पित धारणाओं के आधार पर कार्यवाही की।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा काम बन्द किया जाना

890. **श्री के० ए० राजन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण के लगभग 1000 स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों ने डिजाइन बनाने का काम बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (प्लानिंग सर्कल) के कार्यालयों में काम कर रहे लगभग 200 स्नातक जूनियर इंजीनियरों ने डिजाइन कार्य बन्द कर दिया है।

(ख) स्नातक जूनियर इंजीनियरों ने अपनी पदोन्नति के लिए पृथक पदोन्नति-क्रम मांगा था लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। अतः विरोध प्रकट किया जा रहा है।

(ग) उनकी शिकायत की जांच की गई है। स्नातक तथा गैर स्नातक दोनों ही जूनियर इंजीनियरों के रूप में भर्ती किए गए थे। दोनों ही सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं। अतः केवल स्नातकों के लिए ही पदोन्नति का पृथक क्रम रखना वांछनीय नहीं समझा गया था तथापि सरकार ने विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिये 50 प्रतिशत पदोन्नति की प्रणाली आरम्भ की है ताकि बेहतर योग्यता प्राप्त जूनियर इंजीनियर अपनी वरीयता के अनुसार पदोन्नति की बारी की प्रतीक्षा किए बगैर पदोन्नति ले सकें। अतः वरिष्ठ तथा अपेक्षाकृत जूनियर लेकिन योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

आल इंडिया सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के कर्मचारियों से ज्ञापन

891. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड एम्प्लाईज एसोसिएशन, फरीदाबाद से दिनांक 24 जनवरी, 1978 का कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष द्वारा 15-11-77 को भेजे गए ज्ञापन का हवाला देते हुए एक स्मरणपत्र 24 जनवरी, 1978 को प्राप्त हुआ था। उपाध्यक्ष के 15-11-77 के ज्ञापन में दी गई विभिन्न मांगों से संबंधित स्थिति 19 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4434 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गयी थी।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में विवाद

892. **श्री श्रार० के० महालगी :**

डा० सुशीला नैयर :

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है जिससे एक भूत-पूर्व संसद् सदस्य श्रौर श्रन्य व्यक्तियों को भूख हड़ताल करनी पड़ी है;

(ख) क्या उक्त विवाद के बारे में न्याय निर्णय करने के लिए प्रधान मंत्री से श्रनुरोध किया गया है; श्रौर

(ग) यदि हां, तो उक्त विवाद का ब्यौरा क्या है श्रौर क्या इसका समाधान कर दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) श्रौर (ग) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा स्थापित तथा संचालित एक संस्था है। श्रार्य प्रतिनिधि सभा के विभिन्न दलों में इसके कार्यों तथा इसके तत्वावधान में कार्य कर रही संस्थाश्रों जिनमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी शामिल है, पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए श्रनेक विवाद रहे हैं। बताया गया है कि इन विवादों से संबंधित दीवानी मामले विभिन्न न्यायालयों में निर्णयार्थ पड़े हैं। श्रगस्त, 1977 में, इन दलों में से एक द्वारा कथित रूप से विश्वविद्यालय के भवन पर जबरदस्ती श्रधिकार कर लिया गया था। इसके बाद, हरिद्वार के स्थानीय न्यायालय में फोजदारी मुकदमे रजिस्टर किए गए थे। क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्था के ज्ञापनपत्र में हस्तक्षेप की कोई व्यवस्था नहीं है, श्रत: सरकार गुरुकुल के प्रबन्ध में सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकी। जनवरी, 1978 में एक भूतपूर्व संसद् सदस्य ने इस मामले को निपटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की।

क्योंकि तत्काल निपटारे की कोई संभावना नहीं थी श्रत: प्रधान मंत्री श्रपनी सद्भावना का उपयोग करने के लिए सहमत हुए। दोनों मुख्य दलों की एक संयुक्त बैठक में यह तय किया गया था कि वे प्रधान मंत्री के निर्णय का पालन करेंगे। विवाद का श्रन्तिम निपटान होने तक यह भी स्वीकार किया गया था कि एक तटस्थ व्यक्ति को, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासक की नियुक्ति से संबंधित ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

Expenditure on Students Welfare Schemes

893. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the details of the students welfares chemes of the Ministry for the year 1976-77, the total expenditure incurred on their execution and how the same was utilized; and

(b) how Government propose to make available benefits of such welfare schemes at district levels ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) A statement showing details of schemes is attached.

(b) Assistance is provided through the University Grants Commission to Universities and Colleges irrespective of the fact whether they are located in metropolitan cities, district headquarters or muffusal areas.

Statement

The Schemes on Students Welfare and the Expenditure incurred under each during 1976-77 :

Name of the Scheme	Amount paid during 1976-77	
	Universities	Colleges
(a) Students Aid Fund	4,74,008.48	26,54,304.00
(b) Non Resident Student Centres . . .	55,349.00	62,000.00
(c) Water Coolers	2,150.00	5,762.00
(d) Welfare Programmes in Colleges .	..	77,300.66
(e) Health Centres	7,50,723.50	73,632.48
(f) Book Bank		75,91,572.83
(g) Employment information, Career Advising & Vocational Guidance	25,290.49	..
(h) Students Study Home .	1,09,000.00	..
(i) Study Centres . . .	5,79,846.37	..
(j) Visiting Studentship	5,999.50	..
(k) Establishment/improvement of Canteen facilities	1,50,000.00	..
(l) Construction of Gymnasia	3,33,732.00	90,053.00
(m) Improvement of play fields . .	23,788.00	81,988.00
(n) General Students Amenities :		
(i) Aligarh Muslim University . . .	95,000.00	..
(ii) Banaras Hindu University . . .	70,588.00	..
(iii) Jamia Milia Islamia.	50,000.00	..
(iv) Regional Engineering Colleges . . .	..	4,47,000.00

Central Assistance to the Cyclone Hit Persons of Tamilnadu and Andhra Pradesh

894. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Central Government to the Governments of Tamil Nadu and Andhra Pradesh for rehabilitation of the recent cyclone affected persons in these areas; and

(b) how the rehabilitation programme is being implemented to solve this problem ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Government have allocated advance Plan assistance of Rs. 29.31 crores to the Government of Tamil Nadu for relief and rehabilitation of the cyclone affected persons in the areas. Government have also approved grant, free of cost, 10,000 tonnes of rice and 10,000 tonnes of wheat for gratuitous relief.

Government have also allocated Rs. 56.52 crores as advance Plan assistance to the Government of Andhra Pradesh for relief and rehabilitation purposes. In addition Government have approved grant, free of cost, of 45,000 tonnes of rice and 45,000 tonnes of wheat for gratuitous relief.

(b) According to the information available with the Government of India, an amount of Rs. 7.40 crores has been spent by the Government of Andhra Pradesh upto 21-1-1978 against the advance plan assistance. The report about the progress made by the Government of Tamil Nadu is awaited.

Rehabilitation of Physically Handicapped Persons

895. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement appearing in the English daily 'Hindustan Times' dated the 18th April, 1977 of the Lok Nayak Shri Jayaprakash Narayan that 5 crores of physically disabled persons in the country should be rehabilitated and provided with medical facilities etc. immediately;

(b) the reaction of Government thereto; and

(c) the names of the places in the country where medical centres for the physically disabled persons will be opened and the number thereof proposed to be opened in Uttar Pradesh ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) A number of programmes are under way but the size and cmplexity of the problem are so great that it does not admit of an immediate solution.

(c) Four medical centres are proposed to be set up in Uttar Pradesh. A statement showing the names of medical centres liklly to be opened in the country is attached.

Statement

		In Medical Colleges at :
1.	Andhra Pradesh . .	(i) Hyderabad (ii) Kurnool (iii) Visakhapatnam (iv) Kakinada
2.	Bihar .	(i) Patna (ii) Darbhanga (iii) Ranchi
3.	Chandigarh	(i) Saket
4.	Goa .	. .
5.	Gujarat .	(i) Ahmedabad (ii) Baroda
6.	Jammu & Kashmir .	(i) Srinagar
7.	Karnataka . .	(i) Mysore
8.	Kerala . . .	(i) Ernakulam (ii) Conoor
9.	Madhya Pradesh	(i) Bhopal (ii) Indore (iii) Jabalpur
10.	Maharashtra . .	(i) Nagpur (ii) Sholapur (iii) Aurangabad
11.	Orissa . .	(i) Cuttack
12.	Pondicherry .	. .
13.	Punjab . .	(i) Patiala
14.	Tamil Nadu .	(i) Madras (ii) Madurai (iii) Coimbatore
15.	Uttar Pradesh . .	(i) Allahabad (ii) Agra (iii) Gorakhpur (iv) Kanpur
16.	West Bengal . .	(i) Bon Hoolgly, Calcutta

तुर्कमान गेट पुनर्वास आवास योजना

896. श्री पी० के० कोडियन :

श्री पी० जी० मावलंकर :

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमान गेट क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुनर्वास आवास योजना का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है और यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है;

(ग) मकान गिराने के काम में इस क्षेत्र से कितने परिवार उजाड़े गए थे और उनमें से कितने परिवारों को शरण मिलने की आशा है; और

(घ) पुनर्वास के लिए ऐसे लोगों के चयन का क्या मानदण्ड है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। यह टेंडर की स्थिति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं ही उठता।

(ग) हटाये गए परिवारों की संख्या जानने के लिए प्राप्त दावों की जांच की जा रही है। तुर्कमान गेट में 494 परिवारों को पुनः बसाने की आशा है।

(घ) पात्रता तथा दावों की जांच करने के बाद मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे।

दिल्ली दुग्ध योजना में अस्वास्थ्यकर स्थिति

897. श्री पी० के० कोडियन :

चौधरी ब्रह्म प्रकाश :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और स्वास्थ्य प्राधिकरण के तीन सदस्यीय निरीक्षण दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि दिल्ली दुग्ध योजना में अस्वाथ्यकार स्थिति विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के एक दल ने 13-1-1978 को दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी का दौरा किया था। परन्तु दिल्ली दुग्ध योजना में अस्वास्थ्यकर स्थिति की मौजूदगी के संबंध में दल से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साहित्य अकादमी के भाषा सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन

898. **श्रीमति विभाघोष गोस्वामी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी के भाषा सलाहकार बोर्डों का पुनर्गठन करनें पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन है, और इसके भाषा सलाहकार बोर्डों का गठन अथवा पुनर्गठन अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड, भाषा सलाहकार बोर्डों के पुनर्गठन के संबंध में, अपनी अगली बैठक में विचार करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्च शिक्षा के बारे में नीति के सम्बन्ध में शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श

899. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रधान मंत्री के साथ विचार विमर्श करने पश्चात् तैयार की गई नीति के प्रारूप पर देश के विभिन्न भागों के शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस नीति की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उसे अनुमोदित कर दिया है ;

(घ) क्या सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि अधिकांश नौकरियों को डिग्रियों से असम्बद्ध किया जाये ; और

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दस्तावेज से उच्च शिक्षा के लिये नए संस्थाओं की स्थापना पर रोक लगेगी तथा पत्राचार पाठ्यक्रम जैसे उच्च शिक्षा के अनौपचारिक माध्यमों का विचार होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) अगले दस से पन्द्रह वर्षों में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाए गए नीति प्रारूप में निम्नलिखित की कल्पना की गई है :—

(1) माध्यमिक स्तर पर प्रभावी व्यावसायीकरण, नौकरियों का डिग्रियों से संबंध तोड़ने, उन भर्ती नीतियों में परिवर्तन, जिनमें डिग्री एक अच्छी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता हैं, जैसे उपाय अपनाना, जिनसे विश्वविद्यालीय प्रणाली पर दबाव कम हो जाएगा;

(2) नई संस्थाओं की स्थापना पर प्रतिबंध। ये तब तक स्थापित नहीं होनी चाहिए (पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर) जब तक शैक्षिक कारणों के आधार पर इनकी आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती;

(3) नई संस्थाओं के स्थानों की सावधानी पूर्वक योजना बनाना और विद्यमान संस्थाओं का वैज्ञानिक पुनर्गठन करना;

(4) कमज़ोर वर्गों के लिए कम से कम आधी सीटों के आरक्षण सहित योग्यता के आधार पर प्रथम डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पूर्णकालिक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में चयनात्मक दाखिला;

(5) प्रतिभावान परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा की पूरी लागत वहन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था;

(6) अनौपचारिक माध्यमों से उच्चतर शिक्षा का विस्तार, और

(7) प्राइवेट छात्रों के लिए माध्यमिक/इण्टरमिडियेट बोर्ड तथा विश्वविद्यालय परीक्षायें खोलना।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ की राजकोट में जनवरी, 1978 में हुई साधारण बैठक में इस प्रलेख पर भी चर्चा हुई थी। प्रलेख में शामिल प्रस्तावों पर अभी सरकार को विचार करना है।

गुजरात में मूंगफली के उत्पादन के लिये उपदान

900. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार की चालू वर्ष के दौरान मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने मूंगफली की खेती करने वालों को उर्वरकों तथा कीटनाशी दवायें उपलब्ध करने हेतु केन्द्र सरकार से उदार रूप से उपदान देने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सौराष्ट्र में जूनागढ़ के स्थान पर एक मूंगफली अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु भी केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से गुजरात कृषि विश्व-विद्यालय के अधीन गुजरात में एकमात्र मूंगफली के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) इस प्रस्ताव पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् विचार कर रहा है।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों पर प्रधान मंत्री के विचार

901. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री रागावलू मोहनरंगम :

श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने एक बार पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा प्रणाली को विकास के लिए अधिक उत्पादक बनाने के लिए इसमें बहुत अधिक परिवर्तन किए जाने चाहिएं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा था कि सभी स्कूल समान होने चाहिएं तथा सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिएं;

(ग) यदि हां, तो क्या 18 दिसम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुई तीन दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इन सभी मुद्दों पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) 18 दिसम्बर, 1977 को अखिल भारतीय नई तालीम समिति के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने शैक्षिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया। अन्य बातों के साथ प्रधान मंत्री ने यह भी उल्लेख किया था कि शैक्षिक सुधार इस प्रकार लाया जाना चाहिए कि सभी स्कूलों का समान महत्व हो तथा सभी छात्रों को समान ध्यान तथा समान शिक्षा दी जाए। प्रधान मंत्री द्वारा अब उठाए गए मद 18, 19 और 20 दिसम्बर, 1977 को नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में विचार विमर्श किए गए मुद्दों में से थे।

(घ) और (ङ) सम्मेलन की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु आयोजकों द्वारा सरकार को सूचित कर दी गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति, स्कूलों में छात्रों के शैक्षिक भार को कम करने, गैर-औपचारिक शिक्षा को लागू करने, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को अपनाने जैसी बहुत सी सिफारिशें तथा अन्य बहुत सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और उनमें से कुछ पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देते समय सरकार सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी।

लेवी चीनी के अधिक मूल्य की मांग

902. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लेवी चीनी के अधिक मूल्य की मांग की है क्योंकि चीनी उद्योग वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और इसके फलस्वरूप पहले ही खरीद लिये गये गन्ने की बकाया राशि गन्ना-उत्पादकों और किसानों को अदा नहीं की जा सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार कर लिया है तथा इसने उनकी समस्या को कहां तक सुलझाया है;

(ग) क्या सरकार ने चीनी का निर्यात बंद कर दिया है और क्या इसके परिणामस्वरूप चीनी के मूल्य गिर गये हैं; और

(घ) वर्ष 1978 के दौरान सरकार को चीनी के मूल्यों में कितनी कमी होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने लेवी चीनी का अधिक मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार से आग्रह किया है।

(ख) इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) सरकार ने निर्णय किया है कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान चीनी का निर्यात केवल वचनबद्ध मात्रा तक किया जाए और उस तरह किया जाए जिससे कम से कम वित्तीय नुकसान उठाना पड़े। देश के बाजारों में चीनी के मूल्यों में गिरावट मुख्यता इस वर्ष पिछले वर्ष की बची हुई चीनी का अधिक स्टाक होने और उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि तथा सरकार की लेवी तथा गैर-लेवी चीनी की अधिक निर्मुक्ति कर सतत आधार पर खपत में वृद्धि करने की इच्छा के कारण आयी है ।

(घ) चीनी के मूल्यों की प्रवृत्ति कई तत्वों पर निर्भर करती है और उनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है । तथापि, देश में गन्ने की अधिक पैदावार होने और सभी स्वीटनिंग एजेन्टों के कारण चालू चीनी वर्ष 1977-78 के दौरान चीनी के मूल्य नीचे रहने की सम्भावना है ।

राजस्थान नहर परियोजना पर कार्य

903. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री चतुर्भुज :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना के कार्य में अत्यन्त विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) शुरू के दौरों में, राजस्थान नहर परियोजना की प्रगति धीमी थी और अन्य बातों के साथ साथ इसके कारण थे, साधनों की कमी तथा ब्यास पर संचयन बांध के न होने के कारण पीने और निर्माण के प्रयोजनों के लिए गैर-मानसून अवधि में जल की पर्याप्त मात्रा का उपलब्ध न होना । अब स्थिति ऐसी नहीं है । चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले की पांच वर्ष की अवधि में लगभग 4.6 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक व्यय और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 9.5 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक की तुलना में पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में लगभग 63.43 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है और चालू वर्ष का परिव्यय 28 करोड़ रुपये है। परिव्यय में काफी वृद्धि हो जाने से, राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी निर्माण-कार्यों के 1983-84 तक पूरे हो जाने की संभावना है ।

शिक्षा शास्त्रियों के सम्मेलन में नये फार्मूले को लागू करने के बारें में सुझाव

904. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए शिक्षा शास्त्रियों के सम्मेलन में नई शिक्षा पद्धति लागू करने की सम्भाव्यता का सुझाव दिया था; और

(ख) यह फार्मूला 10+2+3 के वर्तमान शिक्षा ढांचे के किस प्रकार अनुरूप है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अखिल भारतीय नई तालीम समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 18 से 20 दिसम्बर, 1977 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन ने सुझाव दिया कि शिक्षा की नई संरचना 8+4+3 होगी --निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आठ वर्ष, माध्यमिक शिक्षा के चार वर्ष और

विश्वविद्यालय शिक्षा के तीन वर्ष । जिन राज्यों में अब तक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए केवल सात वर्षों की व्यवस्था है वहां शिक्षा की संरचना 7+5+3 हो सकती है, तथापि स्कूल शिक्षा के दस वर्ष पूरा कर लेने के बाद, उन छात्रों के लिए मैट्रिक परीक्षा संचालित की जा सकती है जो माध्यमिक शिक्षा की सम्पूर्ण अवधि पूरी करने में असमर्थ है ।

(ख) विद्यमान स्कूल पद्धति में 10 वर्षों तक सामान्य शिक्षा तथा उसके बाद दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की गई है । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों की सिफारिश की गई है, । दूसरी तरफ अखिल भारतीय नई तालीम समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने प्राथमिक स्तर के बाद चार/पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी जिसके दौरान स्थानीय और क्षेत्रीय रोजगार अवसरों के अनुसार विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसने यह भी सिफारिश की कि विषयों के चयन में पूरी सुनम्यता होनी चाहिए । तथा कथित शैक्षिक और व्यावसायिक उपधाराओं में बिना किसी भेद के केवल एक ही संघटित धारा होनी चाहिये । तथापि, उन्होंने सिफारिश की कि कक्षा दस के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा ली जानी चाहिये । इस प्रकार दोनों दृष्टिकोणों में पर्याप्त समानता है । भारत सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा पद्धति के पुनरीक्षण हेतु एक समिति नियुक्त की है । इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

देश में आवास समस्या

905. श्री जी० एम० बनतवाला :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री उग्रसेन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवासों की मांग तथा उपलब्धता के बीच इस समय कितना अन्तर है तथा ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के मध्य इस संबंध में तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) प्रतिवर्ष कितने मकान बनाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार 1976 के नगरीय भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम को संशोधित करने का विचार भी कर रही है क्योंकि वह आवास निर्माण संबंधी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 को आवास की कमी 156 लाख मकानों की थी जिसमें 118 लाख मकानों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में थी तथा 38 लाख मकानों की कमी शहरी क्षेत्रों में ।

(ख) यह अनुमान है कि लगभग 20 लाख मकान हर वर्ष बनाये जा रहे हैं ।

(ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में उपर्युक्त संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

विकलांगों के लिए अधिकार का विधेयक

906. **श्री के० मालन्ना :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संविधान में विकलांगों के लिए अधिकार का विधेयक लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का क्या ब्यौरा है

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी नहीं। परन्तु सरकार शीघ्र ही एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति करेगी जो यह अध्ययन करेगा कि विकलांगों के प्रभावकारी पुनर्वास के लिए क्या विधान आवश्यक है।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

907. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एस० एस० सोमानी :

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

श्री यशवन्त बोरोले :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में विकास के बारे में हाल में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें जिन मुख्य बातों पर चर्चा की गयी उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके संबंध में क्या निर्णय लिये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। 10 और 11 जनवरी, 1978 को हुआ था।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिनांक 10 जनवरी, 1978 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों और कृषि तथा ग्राम विकास मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित सिफारिशें/सुझाव दिये :—

तिलहन :

1. तिलहन की फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों, जिनमें तेल की अधिक मात्रा भी हो, के विकास की तीव्र आवश्यकता है।

2. तिलहनों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए गुजरात में एक अखिल भारतीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे सारे देश में बीज उपलब्ध करने के लिए गुजरात में इनका वर्धन किया जा सके।

3. तिलहनों की फसलों के लिए उर्वरक पर 33 प्रतिशत आर्थिक सहायता और मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम पर 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

4. वनस्पति रक्षण रासायनिकों और उपकरणों की लागत तथा मूंगफली पर हवाई छिड़काव के कार्यों की लागत पर भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

5. भारत सरकार द्वारा तिलहनों के लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए, जिनका कुछ सम्बन्ध खेती की लागत से हो ।

दालें :

1. दालों को अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने और अरहर में मुरझाने जैसे रोगरोधी किस्मों के लिए अनुसंधानात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।

2. यह जोरदार तौर पर बताया गया व महसूस किया गया कि उत्पादकों के लिए अरहर और मूंग के लिए प्रोत्साहक मूल्य निर्धारित किए जाएं और अभिप्राप्ति के लिए सुनिश्चित प्रबन्ध किए जाएं । यह भी इच्छा व्यक्त की गई कि बुवाई मौसम के शुरू होने से काफी पहले ही इस विषय में घोषणा कर दी जाए।

3. आदानों—फास्फेट पूरक उर्वरकों, बीजों की आपूर्ति पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। इस बात पर विचार किया गया कि किसानों को इन अदानों की आपूर्ति रियायती दरों पर की जाए ।

4. यह बताया-गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा गुजरात के राज्यों में ग्रीष्म मुंग की खेती का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

कपास :

1. बुवाई मौसम के पूर्व ही कपास के प्रोत्साहन मूल्यों की घोषणा की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए समर्थन मूल्य लाभदायक नहीं हैं, क्योंकि वे बाजार मूल्यों से सम्बद्ध नहीं हैं।

2. पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक के राज्यों ने पौध संरक्षण उपायों के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाने के लिए हैलिकोप्टर रखने की आवश्यकता पर बल दिया। पर्याप्त संख्या में हैलिकोप्टरों के आयात की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

3. इस बात पर बल दिया गया कि कार्बरयल और एण्डो सल्फेन मंहगे आदान हैं। यह विचार किया गया कि कपास कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए अन्य आवश्यक कीटनाशी दवाओं के साथ-साथ इनके लिए भी सहाय्य प्रदान की जाए।

कृषि विस्तार प्रशासन

1. जिन राज्य सरकारों ने अभी विस्तार की 'प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली' नहीं अपनायी है वे तदनुसार कृषि विस्तार प्रशासन के पुनर्गठन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करें।
2. परियोजना के अंतर्गत उप-प्रभागीय कृषि अधिकारियों तथा ऊंचे स्तरों पर अतिरिक्त कर्मचारियों को, जैसे कि राज्य स्तर के कृषि उप निदेशक और कृषि संयुक्त/अपर निदेशक के लिए 'राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन के दृढ़िकरण और पुनर्गठन' की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। ग्राम सेवकों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चहिए।
3. ग्राम सेवकों को उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान किये जाने चाहिए।

डेरी विकास :

1. आपरेशन फ्लड 2 परियोजना द्वारा एक लाख की आबादी वाले शहरों को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ले लेना चाहिए, परन्तु गोवा के एक लाख से कम आबादी वाले शहरों को भी इसे अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ले लेना चाहिए क्योंकि इस राज्य क्षेत्र में कोई भी शहर एक लाख की आबादी वाला नहीं है।

2. ऋण तथा अनुदान का अनुपात 30 : 70 का होना चाहिए जैसा कि उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ने सुझाव दिया है। हरियाणा ने सुझाव दिया कि यदि ऐसा संभव नहीं है तो यह 50 : 50 के आधार पर होना चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का कहना था कि विश्व बैंक सहायता के लिए उनके अलग-अलग प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

4. हरियाणा ने सुझाव दिया कि दूरी तथा आने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए आनन्द में केन्द्रीकृत सुविधाओं के स्थान पर भाग लेने वाले राज्यों में आप्रेशन फ्लड 2 के अंतर्गत उचित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध की जाएं।

5. आन्ध्र प्रदेश का सुझाव था कि भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

6. आंध्र प्रदेश का सुझाव था कि आपरेशन फलड-2 के अंतर्गत संसाधन आबंटन तथा राज्यों के क्षेत्रों को बांटा नहीं जाना चाहिए तथा उसने आशा व्यक्त की कि इसे समानता के आधार पर किया जाएगा।

7. आन्ध्र प्रदेश का सुझाव था कि विश्व बैंक सहायता सीधे भारत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए तथा उपहार जिन्सों से सृजित निधि भारत सरकार द्वारा भारतीय डेरी निगम के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।

8. बटर आयल/स्किम्मड दुग्ध चूर्ण का मूल्य विद्यमान स्थानीय बाजार मूल्य से नीचे नहीं होना चाहिए।

माटिगारा, पश्चिम बंगाल में बहु-प्रयोजनीय डेरी बनाने हेतु न्यूजीलैण्ड से अनुदान

908. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैण्ड सरकार ने माटिगारा, पश्चिम बंगाल में बहु-प्रयोजनीय डेरी बनाने के लिए नकद अनुदान की मंजूरी दी है ;

(ख) क्या सरकार को अनुदान प्राप्त हो गया है ;

(ग) क्या परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु उस अनुदान को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपा गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस अनुदान को पश्चिम बंगाल सरकार को कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। न्यूजीलैण्ड सरकार ने 14.49 लाख रुपए का नकद अनुदान दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) अभी नहीं।

(घ) अनुदान के हस्तान्तरण के लिए लेखा प्रणाली को पहले अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। यह कार्य अब किया जा चुका है और पश्चिम बंगाल सरकार को 14.49 लाख रु० के नकद अनुदान के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

Loss in Haryana due to floods

909. **Shrimati Chandravati :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the extent of loss suffered in Haryana due to the floods of last year and the Central Assistance provided therefor as also the nature of the assistance provided ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : According to the reports received from the State Government of Haryana, the estimated damage to crops, houses and public utilities on account of floods of 1977 is Rs. 86.5 crores. The Centre has allocated an Advance Plan Assistance of Rs. 11.00 crores during 1977-78 to the State Government of Haryana for meeting the increase in expenditure in the State Plan due to floods and for taking up flood control schemes and improvement of roads. In addition a short term loan of Rs. 6 crores has been sanctioned for purchase and distribution of agricultural inputs like seeds, pesticides fertilizer etc. Necessary assistance was also rendered by Defence and Health authorities for rescue and relief operations. An amount of Rs. 20,000 has also been made available to the State Government from the People's Famine Relief Fund for flood relief.

Technical assistance is also being provided by the Centre for operation of the inter-State Goverdhan and Sahibi systems, review of their adequacy in the light of recent floods and preparation of new schemes/master plans for flood control including water resources development.

सन्त कवि सूरदास के जन्म स्थान पर स्मारक

910. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सन्त कवि सूरदास की 500वीं वर्षगांठ के वर्ष के दौरान उनके जन्म स्थान पर एक उपयुक्त स्मारक स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) हरियाणा सरकार ने किस प्रकार की सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) क्या यह सच है कि सीही की सूरदास स्मारक समिति ने केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि फरीदाबाद के सैक्टर-8 में प्रस्तावित 500 बिस्तर वाले अस्पताल को "सूरदास अस्पताल" का नाम दिया जाय और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) सूरदास की 500वीं वर्षगांठ के समारोह के कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, संस्कृति विभाग ने हरियाणा सरकार से सिफारिश की है कि सूरदास के जन्म स्थान, सीही को समुचित रूप से विकसित किया जाए ताकि लोग उनके जन्म स्थान के दर्शन कर सकें तथा संत कवि की स्मृति से प्रेरणा ले सकें।

(ख) हरियाणा सरकार से अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है।

(ग) संस्कृति विभाग में एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य प्रस्तावों में से एक ऐसा प्रस्ताव भी था। क्योंकि स्वास्थ्य एक राज्य विषय है, अतः हरियाणा सरकार से, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा है, आवश्यक सूचना मांगी गई है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गयी योजना

911. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 वर्षों के अन्दर वयस्कों में निरक्षरता समाप्त करने के लिए गत वर्ष एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाया गया था;

(ख) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा किस प्रकार की समयबद्ध योजनाएं बनाई गयीं और अब तक यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह कितनी है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देने तथा विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों विशेषकर स्वैच्छिक संगठनों और युवकों के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया है।

(ख) 2 नवम्बर, 1977 को हुई अपनी पहली बैठक में बोर्ड ने 15--35 आयु वर्ग की लगभग 10 करोड़ की सम्पूर्ण जनसंख्या को 2 अक्तूबर, 1978 से इसके आरम्भ होने के लगभग 5 वर्षों की अवधि के अन्दर लाभ पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने का संकल्प किया। विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है और 2 अक्तूबर, 1978 से कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

ह्यू न सांग स्मारक

912. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में नालन्दा में ह्यू न सांग स्मारक का निर्माण कार्य इस बीच आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो कब और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : नालन्दा में ह्यून सांग स्मारक हाल लगभग पूरा हो गया है परन्तु कुछ कार्य अर्थात सागवान की दिलहा-बंडी, प्लास्टर आफ पेरिस की छत, छत पर फीरोजी शीशे के खपरैल लगाना आदि, जिनकी शुरू में परिकल्पना की गई थी, अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए नहीं किये गए। इनसे सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। कार्य शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है।

Construction of Houses by the Centre in Bihar

913. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether houses are being constructed in Bihar by the Works and Housing Department if so, since when and the names of places where housing construction is going on; and

(b) when it is likely to be completed ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) & (b) This Ministry has not taken up any programme for construction of houses in Bihar. All the social housing schemes formulated by this Ministry are implemented and funded by the State Government.

सैन्ट्रल ब्रीडिंग फार्म में एक संकर पक्षी का विकास

914. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सैन्ट्रल ब्रीडिंग फार्म ने वार्षिक लगभग 250 अण्डे देने की क्षमता वाले संकर पक्षी का विकास किया है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार से और अधिक सहायता मांगी है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में इस संकर पक्षी के विकास में सहायता के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां । यह पक्षी लगभग 260 अण्डे प्रति वर्ष पैदा कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए फार्म ने केन्द्रीय सरकार से और सहायता नहीं मांगी है ।

(ख) केन्द्रीय कुक्कुट पालन फार्म, हैस्सरघाटा (बंगलौर) ने एक संकर प्रजनित पक्षी का विकास किया है, जिसे 'एच एच 260' नाम दिया गया है, और जो 12 महीनों में लगभग 260 अण्डे दे सकती है। इस पक्षी की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं: (1) शीघ्र वयस्क हो जाना, (2) कम चारे का उपभोग करना, (3) अधिक समय तक जीवित रहना, तथा (4) प्रभावी खाद्य परिवर्तन।

"एच एच 260" किस्म के विकास के लिए कोई विशेष आर्थिक सहायता नहीं मांगी गयी। तथापि, इस फार्म में पांचवीं योजना के अंतर्गत प्रजनन के अवसर को बढ़ाने के लिए अवस्थापनात्मक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि निजी कुक्कुट पालकों और राज्य के सरकारी फार्मों की चूजों की मांग की पूर्ति हो सके।

(ग) इस विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के पशुपालन निदेशकों को एक परिपत्र भेजा है। इस परिपत्र में राज्यों के विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की हैचरियां और कुक्कुट पालकों को इस संकर पक्षी की उपलब्धि के बारे में अवगत कराया गया था । उन्हें संकर चूजों की उत्पत्ति के लिए राज्य सरकार के फार्मों से उसके मूल प्रजनक पक्षी प्राप्त करने और राज्यों के कुक्कुट पालकों को उनकी आपूर्ति के संबंध में विचार करने के लिए भी कहा गया था।

डेरी विकास के बारे में मंत्रियों का सम्मेलन

915. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डेरी विकास के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं,

(ख) तमिलनाडु में इस समय कितने डेरी फार्म हैं तथा ऐसे कितने फार्मों का और विकास करने की योजना है, और

(ग) तमिलनाडु में डेरी विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का विचार है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मंत्रियों के सम्मेलन में कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की गई है। तथापि, सम्मेलन में डेरी विकास के संबंध में दिए गये कुछ सुझाव विवरण 1 में दिये गए हैं ।

(ख) तमिलनाडु में सात राज्य पशु प्रजनन फार्म और एक केन्द्र द्वारा प्रशासित फार्म है। इसके अतिरिक्त, आइचेनकोट्टाई में एक केन्द्रीय प्रायोजित विदेशी पशु प्रजनन फार्म की स्थापना भी की गई है। होसुर स्थित राज्य पशु प्रजनन फार्म में रेड सिंधी नस्ल के क्रमवार सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित संतति परीक्षण योजना की स्वीकृति दे दी गई है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित एक भारत-ब्रिटिश डेरी विकास परियोजना पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(ग) आपरेशन फ्लड I परियोजना (1977-78) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को विभिन्न कार्यकारी मदों के अधीन, जिनका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन तथा उसके विपणन को बढ़ाना है, डेरी विकास के लिए 10.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

आपरेशन फ्लड II परियोजना (1978—86) के अंतर्गत, जिसके सारे तकनीकी और वित्तीय ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, मदुराई और कोयम्बतूर के दो अलग-अलग जिलों में डेरी विकास प्रारम्भ करने का विचार है।

विवरण

प्रस्तावित आपरेशन फ्लड II के संबंध में मंत्रियों के सम्मेलन में दिए गए सुझाव

1. यू०पी० में 1 लाख की आबादी वाले सभी नगर इसके अन्तर्गत आने चाहिए।
2. गोवा आपरेशन फ्लड II के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए और 1 लाख से कम की आबादी वाले नगर इसमें शामिल किए जाने चाहिए, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र में 1 लाख की आबादी वाला कोई शहर नहीं है।
3. उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान द्वारा ऋण तथा अनुदान का अनुपात 30 : 70 सुझाया गया था। हरियाणा ने कहा कि यदि यह सम्भव नहीं है, तो यह अनुपात 50 : 50 के आधार पर होना होना चाहिए।
4. उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता संबंधी उनके पृथक प्रस्तावों को स्वीकृति दी जानी चाहिए।
5. हरियाणा ने दूरी तथा व्यय की दृष्टि से आनन्द में केन्द्रीयकृत सुविधाओं के बजाय आपरेशन फ्लड II के अंतर्गत भागीदारी राज्यों में प्रशिक्षण की सुविधाएं तैयार करने का सुझाव दिया था।
6. आंध्र प्रदेश ने कहा कि राज्यों को भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
7. आंध्र प्रदेश ने कहा कि आपरेशन फ्लड II के अंतर्गत संसाधनों के आबंटन और राज्यों में कार्यक्रम के अंतर्गत के क्षेत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और आशा है कि इसे समान रूप से किया जाएगा।
8. आन्ध्र प्रदेश ने कहा कि राज्यों को विश्व बैंक की सहायता प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार द्वारा दी जानी चाहिए और उपहार संबंधी जिन्सों से तैयार हुई निधियां भारत सरकार द्वारा भारतीय डेरी निगम के जरिए दी जानी चाहिए।
9. बटर आयल/स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की बिक्री चालू स्थानीय बाजार मूल्य से कम पर नहीं की जानी चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम के पास समुद्री-तूफान से प्रभावित खाद्यान्न

916. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास समुद्री तूफान से प्रभावित कितना तथा कितने मूल्य का खाद्यान्न का स्टाक है और पांडिचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के तत्संबंधी अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ख) खराब स्टाक का किस प्रकार निपटारा किया जाता है; और

(ग) प्राकृतिक विलम्ब की स्थिति में प्रभावहीन तथा त्रुटिपूर्ण भंडारण के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्रभावित तथा मानव उपभोग के अयोग्य बताई गई खाद्यान्नों की अनुमानित मात्रा तथा उसके मूल्य इस प्रकार हैं :--

राज्य का नाम	प्रभावित अनुमानित मात्रा (मी० टन)	मानव उपभोग के अयोग्य बताई गई अनुमानित मात्रा (मी० टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
तमिलनाडु . . .	28000	4898	71.12
आन्ध्र प्रदेश . . .	48332	3315	52.12
कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) एक तकनीकी समिति ने क्षतिग्रस्त तथा मानव उपभोग के अयोग्य खाद्यान्नों की जांच की है और निम्नलिखित के योग्य बताई है :--

(1) पशुचारा (2) मुर्गीचारा (3) खाद प्रयोजन (4) औद्योगिक प्रयोग और (5) कूड़े में डालने लायक

ये स्टाक सबसे पहले राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों को दिए जाते हैं। जिन स्टाकों को राज्य सरकारें स्वीकार नहीं करती हैं उन्हें टेण्डर अथवा नीलामी द्वारा केवल उन स्वीकृत पंजीकृत पार्टियों को बेचा जाता है जो ऐसे स्टाक रखते हैं।

(ग) तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश दोनों में गोदाम प्रभावहीन नहीं थे। जो क्षति हुई थी वह अधिकतर पक्का गोदामों में हुई थी जिनमें बहुत तेज तूफान आने के कारण या तो दीवारें गिर गई थीं अथवा छतें उड़ गई थी। तूफान आने के तुरन्त बाद यह सफाई कार्य को उच्चतम अग्रता प्रदान करने का ही परिणाम है कि खाद्यान्नों की केवल थोड़ी सी मात्रा मानव उपभोग के अयोग्य बताई गई है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

917. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1978 से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आरम्भ करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ख) इस कार्यक्रम से कितने लोगों को लाभ होगा और यह कार्यक्रम किन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए एक पृथक शिक्षक सेवा बनाई जायेगी; और

(घ) अब तक उस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : सरकार ने 2 अक्तूबर, 1978 से एक व्यापक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है, जिसके आरम्भ होने के लगभग 5 वर्षों के अन्दर सारे देश की 15—35 आयु वर्ग की लगभग 10 करोड़ निरक्षर जन-संख्या को लाभ पहुंचेगा।

(ग) और (घ) : इस प्रयोजन के लिए किसी पृथक संवर्ग का विचार नहीं है। शिक्षण कार्य, आवश्यक प्रशिक्षण देने के बाद, उपयुक्त और इच्छुक व्यक्तियों को सौंपा जाएगा, जो स्कूल अध्यापक, छात्र, शिक्षित ग्रामीण युवक, भूतपूर्व सैनिक और अन्य सेवा-निवृत्त कार्मिक, क्षेत्रीय स्तर के सरकारी तथा अन्य कार्यकर्ता अथवा स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्त्ता हो सकते हैं।

Allotment of plots to the residents of Udasin Maharaj, Shiv Mandir, Aram Bagh Paharganj, New Delhi

981. **Shri Daya Ram Shakya : Will the** Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the persons residing within the premises of Udasin Maharaj, Shiv Mandir, Aram Bagh, Paharganj, New Delhi to whom plots had been allotted by Government during the Emergency;

(b) whether it is a fact that such persons have not vacated the premises of Mandir even after getting plots and the Mahant of the Mandir has also submitted a complaint to the Government in this regard; and

(c) if answer to part (b) be in affirmative, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

(a), (b) & (c) A number of persons were removed by the Delhi Development Authority from Aram Bagh near Shiv Mandir which is also in unauthorised occupation of land. The evictees were given demolition slips for allotment of Jhuggi Jhonpri plots.

As no separate list of persons residing in Shiv Mandir premises was drawn, it is not verifiable whether persons removed from there have re-occupied the land. The Mahant has, however, complained that the squatters, who were removed from the Mandir premises, are coming back to their old places. He has requested for acceptance of the claim of Shri Guru Ramrai Udasin Ashram Shiv Mandir Prabandh Samiti for ownership of land and removal of unauthorised encroachers. No action has so far been taken on the request of the Mahant.

Provision of seeds and expertise for double cropping of sugarcane

919. **Shri Daya Ram Shakya : Will** the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide seeds and technical experts to the States where sugarcane is produced in abundance in order to produce two crops in sugarcane there; and

(b) if so, the time by which it will be done ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) No Sir. However, the Government of India is already implementing a Centrally sponsored scheme on sugarcane development in sixteen States and two Union Territories from 1975-76 for supplementing their programme of development of sugarcane. The scheme envisages to cover 2000-hectare compact block around each sugar factory in sub-tropical belt (excepting Nagarland where it is 1000 hectare area) and 1000-hectare block in each sugar factory in tropical belt for intensive development. The main components of the programme are production of heat-treated nutrient-rich seed-cane and its multiplication and distribution, conducting of demonstration on improved package of practices, training of development workers, adoption of plant protection measures and construction of link roads. Technical experts for seed production and extension work have been provided at seed production centres and sugar factory level under the scheme.

गांधी स्मृति का गाइड

920. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी स्मृति के गाईड श्री डी० नायर को सेवा से निकाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) असंतोषजनक कार्य के लिए।

दालों का उत्पादन

921. **श्री शंकरसिंघजी वाघेला :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए ;

(ख) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्यों को कितनी राशि मंजूर की है; और

(ग) वर्ष 1978-79 में दालों के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति से बाजार में दालों के मूल्य कम करने की दिशा में कहां तक सहायता मिलेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दालों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रयास किए गए हैं :

(1) चौथी योजना में दालों के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई थी जो अब भी जारी है।

(2) उत्पादन को बढ़ाने के लिए अल्प-कालिक तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 1977 में एक अन्तर-मंत्रालय विशेष दल का गठन किया था।

(i) अल्पकालिक उपायों के रूप में इन प्रणालियों को अपनाना शामिल था। रिजोबियम की खेती, फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उपयोग, वनस्पति रक्षण उपाय तथा बहुफसलीं खेती के कार्यक्रम में अल्पावधि फसलों की खेती द्वारा दालों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना ।

(ii) दीर्घकालिक उपाय, उन्नत किस्म के अच्छे बीजों के उत्पादन, फसल की कटाई के बाद भण्डारण में होने वाली हानि में कमी लाने तथा विपणन की व्यवस्था के साथ उचित मूल्य नीति के निर्धारण करने के सम्बन्ध में थे।

(3) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कृषि/विकास विभागों के कर्मचारियों को एकत्र करके अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया है। इस अभियान में कर्मचारियों/कृषकों का प्रशिक्षण, उन्नत बीजों, फास्फेट-युक्त उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना और समय पर आदान उपलब्ध कराना शामिल था।

(4) कृषकों को उन्नत टैक्नोलाजी अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए बुवाई के मौसम से काफी पूर्व ही चने का साहाय्य मूल्य प्रति क्विंटल 125 रु० घोषित कर दिया गया था।

(ख) 260 लाख रु० की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

(ग) वर्ष 1978-79 के लिये दालों के उत्पादन का लक्ष्य 126 लाख मीटरी टन रखने का प्रस्ताव है।

आशा है उत्पादन में वृद्धि होने के साथ दालों के मूल्य भी घट जाएंगे।

मात्स्यिकी के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

922. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विभिन्न राज्यों के मात्स्यिकी विकास के वित्त पोषण के लिए सहमत हो गया है बशर्ते कि कुल आवश्यकताओं के बारे में ठोस प्रस्ताव दिए जायें,

(ख) यदि हां, तो ठोस प्रस्ताव दिए जाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता की आशा है,

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

(क) विश्व बैंक अब तक गुजरात मात्स्यकी की केवल एक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

(ख) दो परियोजनाओं, एक आन्ध्र प्रदेश की और दूसरी केरल की परियोजना के लिये विश्व बैंक की सहायता लेने का प्रस्ताव है। ये बैंक के विचाराधीन हैं।

(ग) गुजरात मात्स्यकी परियोजना के लिय बैंक 140 लाख डालर का ऋण देगा। इसके अतिरिक्त, 40 लाख डालर के ऋण की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा की जाएगी।

"काम के एवज में अन्न" कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे गए खाद्यान्न का भण्डार

923. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1977 और वर्ष 1977 के अन्त तक सरकार के पास कितने खाद्यान्न का भण्डार था ;

(ख) "काम के एवज में अन्न" परियोजनाओं में कितनी मात्रा में फालतू खाद्यान्न भण्डार का उपयोग किया गया और उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां उक्त योजना को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों द्वारा भी इस योजना को अपनाए जाने की संभावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सार्वजनिक एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों का कुल अनुमानित स्टाक (भारी तथा प्रचालन स्टाक) 1 मार्च, 1977 को 18.7 मिलियन मीटरी टन तथा 31 दिसम्बर, 1977 को 17.4 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) कार्य के लिए भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्न सहायता अब तक असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल द्वारा प्राप्त की गई है। भारत सरकार ने अब तक 1,58,840 मीटरी टन गेहूं और 1850 मीटरी टन मिलो आबंटित किया है। चूंकि योजना हाल ही में शुरू हुई है, अतः खाद्यान्नों के उपयोग के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी हां।

आठ वर्षीय एकीकृत डेरी विकास कार्यक्रम

924. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठ वर्षीय एकीकृत डेरी विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक द्वारा किस प्रकार की और कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन के बारे में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यह परियोजना "आपरेशन फ्लड-1" के आधार पर बनी है जो चार महानगरों एक लाख जनसंख्या (1971 की जन गणना के आधार पर) वाले 144 शहरों और 155 जिलों में फैले हुए 25 दुग्ध क्षेत्रों में चलेगी। यह परियोजना एक आठ वर्षीय संयुक्त डेरी विकास कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य दुग्ध उत्पादन और विपणन में वृद्धि करना है।

(ख) इस परियोजना पर 483.49 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आशा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय 186000 मीट्रक टन एस एम पी और 114000 मीटरी टन बटर आयल भेंट स्वरूप देगा तथा विश्व बैंक 173.00 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने की आशा है।

(ग) भारत सरकार ने परियोजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है तथा मुख्य परियोजना के शीघ्र कार्यान्वियन के रूप में कार्यक्रम पूर्व कार्यवाही पर व्यय करने के लिए भारतीय डेरी निगम को अधिकार दे दिया है। भाग लेने वाले राज्यों और शामिल होने वाले अन्य संगठनों से परामर्श भी शुरू कर दिया है।

खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डार और काम में आने वाले भण्डार रखने की सीमा

925. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान सरकारी खाद्यान्न भण्डारों से वस्तुतः कितना खाद्यान्न उठाया गया और वर्ष 1978 में कितने खाद्यान्न के उठाए जाने की संभावना है;

(ख) सुरक्षित भण्डार और काम में आने वाले भण्डारों के लिए यदि कोई अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई हो तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक वर्ष के लिए गेहूं और चावल में से प्रत्येक खाद्यान्न की एक-एक टन मात्रा रखने में औसत लागत का व्यय ब्यौरा क्या है और इस व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1977 के दौरान खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण लगभग 117 लाख मीटरी टन हुआ था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की निकासी, उत्पादन तथा खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निर्मुक्त किए जा रहे खाद्यान्नों के मूल्यों के बीच के अन्तर, सहायक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, लोगों की क्रय-शक्ति और जनसंख्या में वृद्धि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है। अत्यधिक विभिन्नताओं को देखते हुए वर्ष 1978 के दौरान सार्वजनिक वितरण के बारे में इस समय ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि खाद्यान्नों का बफर स्टाक 120 लाख मीटरी टन का होना चाहिए। उसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए पहली अप्रैल को कम से कम 35 लाख से 38 लाख मीटरी टन और पहली जुलाई को अधिक से अधिक 82 लाख से 88 लाख मीटरी टन के बीच परिचालन स्टाक की आवश्यकता होगी।

(ग) मौजुदा अनुमान (1977-78 सं० अ०) के अनुसार गेहूं और चावल का बफर स्टाक रखने के लिए औसत लागत 286.2 रुपये प्रति मीटरी टन पड़ेगी। उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:--

	(रुपये प्रति मीटरी टन)
भाड़ा	27.3
ब्याज	184.3
मार्ग तथा भण्डारण में हुई हानि	15.0
भण्डारण प्रभार	28.2
गोदाम में हैंडलिंग खर्च	10.8
प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्च	20.6
जोड़ .	286.2

भारतीय खाद्य निगम उपर्युक्त विभिन्न लागत-पदों की बराबर समीक्षा करता है ताकि यथा संभव इन खर्चों में मितव्ययिता बरती जा सके। इसके अलावा, सरकार ने इस मामले की जांच करने और उन क्षेत्रों, जहां पर ऐसे खर्चों के भार को कम किया जा सकता है, का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

समुद्री तूफान से हुई क्षति की मात्रा और मूल्य

926. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नवम्बर, 1977 के समुद्री तूफानों से विभिन्न फसलों की क्षति की मात्रा और मूल्य का अंकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितनी भूमि तत्काल कृषि फर्मों के लिए अनुपयुक्त हो गई है; और

(ग) तूफान पीड़ितों को सहायदा करने के लिए और भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये योजना

927. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिए गए नए बल के अनुसार कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये, इस वर्ष तैयार की गई योजनाओं का व्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और इनकी क्रियान्विति के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सभी राज्यों से योजनाएं प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच कर ली गई है तथा उनका अनुमोदन कर दिया गाया है; और

(घ) क्रियान्वयन कब आरम्भ हो गया और आरम्भ होने से पांच वर्ष की अवधि में प्रत्येक योजना से कितना अधिक लाभ मिलने को सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क), (ख), (ग) और (घ) कृषि और ग्राम विकास के क्षेत्र में सरकार की सामरिक नीतियों, नीतियों और कार्यक्रमों को उन योजनाओं में शामिल किया जाएगा, जो अगामी पंचवर्षीय योजनावधि (1978-83) के दौरान 1978-79 से कार्यान्वयन हेतु बनाई जा रही है । इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिये कार्यकारी ग्रुपों का गठन किया गया है । वर्ष 1978-79 की योजना में शामिल की जाने वाली स्कीमों को योजना आयोग द्वारा राज्यों तथा कृषि और सिंचाई मंत्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा चुका है । इन स्कीमों के लिये अनु-मोदित प्लान परिव्यय संसद के समक्ष रखे जाने वाले 1978-79 के बजट प्रस्तावों का एक भाग होगा।

काल-पात्र खोदने का औचित्य

928. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काल-पात्रों को खोदकर वाहर निकालने के पीछे क्या परिस्थितियां और कारण थे;

(ख) क्या उनकी विषय सामग्री में कोई अनियमितता पाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जो सरकार के अनुसार उसमें नहीं होना चाहिए था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य पर समय और धन की बरबादी करने और जनता में उत्तेजना पैदा करने का औचित्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) काल-पात्र के संबंध में संसद में काफी विवाद रहा है, विशेष रूप से उसमें रखे गए 15-8-1947 से 15-8-1972 तक के भारत के इतिहास के 10,000 शब्दों के वृतान्त के बारे में, कि यह वृतान्त तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं था, इसमें मिथ्या वर्णन और भयंकर भूलें थीं और जो भारी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उसकी सच्ची कहानी भी इसकी विषयवस्तु में नहीं थी । तदनुसार, तथ्यों को सामने लाने के लिए ही मंत्रिमण्डल ने काल-पात्र को खोद निकालने का निर्णय किया।

काल-पात्र की विषय-वस्तु सम्बन्धी विवरण संलग्न है । संसदीय समिति की काल-पात्र संबंधी रिपोर्ट तथा भारत के इतिहास के 10,000 शब्दों के वृतान्त की एक प्रति और संबंधित घटनाओं का कालक्रम यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा । यह माननीय सदस्यों को देखना होगा कि क्या इसमें कोई अनियमित चीज शामिल है ।

सम्बन्धी विवरण

1. 15-8-1947 से 15-8-1972 तक के भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं का पार्चमैन्ट पर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में सुलिखित 10,000 शब्दों का वृतान्त ।
2. लेखों तथा नक्काशी सहित आठ ताम्र प्लेटों में यथा प्राप्त घटनाओं का कालक्रम ।
3. (अभिलेखन की) तीन ताम्र मोहरें ।
4. सिक्के 10 रुपये तथा 50 पैसे तथा 25वीं स्वतंत्रता जयन्ती पर 15-8-1972 एवं 26-1-1973 को जारी की गई 12 टिकटें । "शहीदों को श्रद्धांजली" की 13-4-1973 को जारी की गई 4 टिकटें ।
5. सभी राष्ट्रीय भाषाओं में, आमुख सहित, भारत के संविधान की माइक्रोफिल्म ।
6. भाखड़ा नंगल बांध परियोजना की माइक्रोफिल्म ।
7. अर्धटोन ताम्र प्लेटों में अंकित 13 चित्र । (ठीक संसद के केन्द्रीय हाल जैसे)
8. के लघु नमूने
   (i) विजयन्त टैंक
   (ii) ईशापुर राईफल
   (iii) भारत अर्थ मूवर

पश्चिम बंगाल को चीनी का कोटा

929. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1977 से 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिशत की दर से लेवी चीनी का राज्यवार कोटा फिर से निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार का चीनी का मासिक कोटा बढ़ाया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य की कुल आवश्यकता कितनी है और उन्हें अब तक कितनी चीनी दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला)) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) राज्य में 1-4-1978 को प्रायोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रति मास 425 ग्राम लेवी चीनी की उपलब्धता के आधार पर जिसे दिसम्बर, 1977 से लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे निर्धारित करने का सिद्धान्त बनाया गया है, पश्चिम बंगाल का मासिक कोटा बढ़ाकर 21,994 मीटरी टन कर दिया है जबकि पहले 18,707 मीटरी टन चीनी का आवंटन किया जाता था ।

Abolition of lease system for D.D.A. plots

930. **Shri Raj Keshar Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a Committee was constituted for going into the question of abolition of lease system for the plots of the Delhi Development Authority;

(b) if so, whether the said Committee has submitted its report;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, when the report is likely to be submitted?

The Minister of Works & Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The Committee has been constituted to consider the question of conversion of lease hold system into free hold in Delhi.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) By the end of April, 1978.

कलकत्ता बूचड़खाना परियोजना के लिए आस्ट्रेलियाई उपकरण

931. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार कलकत्ता बूचड़खाना परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल पशु विकास परिष्करण (प्रोसेसिंग) निगम को उपकरण देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) उक्त प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का क्रियान्वयन करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आस्ट्रेलिया सरकार ने कलकत्ता बूचड़खाना परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल पशु विकास परिसंस्करण निगम को आदान मुहैय्या करने का प्रस्ताव है।

(ख) आस्ट्रेलिया के प्रस्तावानुसार इसका डिजाइन तैयार करने, पर्यवेक्षण चालू करने, चालू करने के बाद प्रशिक्षण तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आस्ट्रेलिया-दौर तथा आनुषंगिक व्यय के लिए आस्ट्रेलिया का योगदान लगभग 10,76,700 आस्ट्रेलियन डालर होगा। भारतीय सहयोगियों का योगदान जो कि 85 लाख आस्ट्रेलियन डालर होगा भारतीय प्राधिकारियों द्वारा रुपयों में व्यय किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव पर योजना आयोग, व्यय विभाग तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

डी०आई०जेड० एरिया का पुनर्विकास

932. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली की पुनर्विकास योजना सरकार को कब भेजी गयी;

(ख) सरकार ने इस योजना पर कब विचार किया है; और

(ग) क्या इस बीच इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उस पर अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली की पुनर्विकास योजना केन्द्रीय सरकार को 17 फरवरी, 1978 को प्रस्तुत कर दी है तथा इस पर दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जैन हैप्पी स्कूल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के लिए नया स्थान

933. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैन हैप्पी स्कूल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली को स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए बहुत पहले भूमि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब तथा प्लाट की लम्बाई चौड़ाई क्या है और यह किस स्थान पर है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्लाट का कब्जा स्कूल प्रबन्धकों को नहीं दिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस स्कूल के लिए डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली को पुनर्विकास योजना में कोई नया स्थान देने का विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित नया स्थान कब तक आवंटित कर दिया जाएगा और स्कूल के प्रबन्धकों को उसका कब्जा दे दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जून, 1967 में लगभग 1.363 एकड़ का एक प्लाट एडवर्ड स्कवेयर, डी० आई० जैड० क्षेत्र में आवंटित किया गया था।

(ग) जी, हां, कब्जा इस कारण से नहीं दिया गया था क्योंकि पेशवा रोड के पुनर्संरेखण से यह स्थल प्रभावित था।

(घ) लारेंस स्कवेयर तथा हैवलाक स्कवेयर के बीच लगभग 2.15 एकड़ का एक प्राइमरी स्कूल स्थल ।

(ङ) इस स्थल पर कई निर्मित संरचनाएं मौजूद हैं । खाली करवाना लम्बा समय लेने वाली प्रक्रिय है। अतः यह बताना मुश्किल है कि नया स्थल कब तक आबंटित कर दिया जाएगा तथा उसका कब तक कब्जा दे दिया जाएगा ।

पूर्वी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित चावल मिलें

934. **डा० सरदीश राय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी चावल मिलों की स्थापना की गई हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक मिल पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मिल के आय-व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगर कोई घाटा हुआ हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने पूर्वी क्षेत्र में 12 आधुनिक चावल मिलें स्थापित की हैं ।

(ख) ये मिलें जिन स्थानों पर स्थापित की गई हैं और प्रत्येक मिल पर लगी पूंजीगत खर्च की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुबन्ध-1) में दिया जाता है ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के बारे में पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

उन स्थानों, जहां पर भारतीय खाद्य निगम ने चावल मिल स्थापित किये हैं तथा उन पर किये गए पूंजीगत खर्च का ब्यौरा बताने वाला विवरण	31-3-77 को पूंजीगत लागत
	रु०/लाख
असम	
उत्तरी लहीमपुर .	21.35
होजई .	21.80
पश्चिमी बंगाल	
सौरी	18.39
बंकुरा	21.61
दुर्गापुर . .	20.28
बुनियादपुर	19.81
बिहार	
चनपतिया	17.97
पूर्णिया	20.45
उड़ीसा	
हीराकुंड	19.38
डूंगरीपल्ली	15.49
जयपोर	13.55
मणिपुर	
इम्फाल	6.30

वन-परिव्यय

936. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने हेतु वन परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए परिव्यय की प्रस्तावित मात्रा कितनी है और दिशा में कार्यक्रम का विवरण क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) 1976-77 के दौरान 40.91 करोड़ रुपयों के व्यय की तुलना में केन्द्र, केन्द्र द्वारा प्रायोजित और राज्य योजनाओं में वानिकी में 1977-78 के लिए कुल परिव्यय 60.85 करोड़ रुपये है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में परिव्यय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र में 1977-78 के विस्तृत योजनावार परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है । राज्य क्षेत्र में वानिकी योजनाओं के साथ-साथ इनमें से अधिकतर योजनाएं अत्यधिक श्रमोन्मुखी हैं और वनों में तथा उनके समीप रहने वाले आदिवासियों और अन्य दुर्बल वर्गों को रोजगार प्रदान करती है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार सर्जन करने वाली कुछ योजनाओं में से दो योजनाओं को अर्थात् परती पंचायत भूमियों आदि में मिश्रित बागान लगाना और अपश्रेणीकृत वनों में फिर से वृक्ष लगाना तथा रोक-पट्टियां लगाना, 1977-78 में 7.70 करोड़ रुपयों की केन्द्रीय अनुदान व्यवस्था सहित लगभग सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है । ग्रामीण व अर्ध-शहरी जनता की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस योजना के अन्तर्गत ईंधन, चारा तथा फल देने वाली प्रजातियों के वृक्ष लगाये जा रहे हैं। ये योजनाएं न केवल इन बागानों की स्थापना के समय रोजगार प्रदान करेंगी बल्कि तदनन्तर जब ये वृक्ष परिपक्व होंगे तब इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, चारा व फल प्रदान करेंगे ।

हिमालय क्षेत्र में समेकित मृदा और जल संरक्षण की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को 1977-78 से शुरू करने के लिए स्वीकृति दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत उप श्रवण आधार पर समेकित संरक्षण उपाए अपनाए जाएगें। 1977-78 के दौरान सर्वेक्षण, पुनर्वनरोपण, चरागाह विकास, कृषि भूमियों के समतल बनाने इत्यादि के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत 50 लाख रु० की राशि उपयोग में लाये जाने की संभावना है ।

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ वन विकास निगमों में जिनकी स्थापना 14 राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों में की गयी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा साम्यता के आधार पर 2.40 करोड़ रु० की व्यवस्था है । ये नियम अपने विभिन्न परिचालनों, विशेषकर अपने कटाई, काष्ठ निष्कासन और वन रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त रोजगार मुहैया करते हैं।

राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत 1977-78 के दौरान 45.33 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है, जबकि 1976-77 के दौरान 36.20 करोड़ रु० के (संभावित) व्यय की व्यवस्था की गई थी। अन्य योजनाओं में आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व की किस्मों के पौध-रोपण और शीघ्र उगने वाली किस्मों के पौध-रोपण, अपश्रेणीकृत वनों में फिर से वृक्ष लगाना, फार्म वानिकी और संचार का विकास अत्यधिक श्रमोन्मुखी हैं।

विवरण

वानिकी

केन्द्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

(लाख रुपये)

योजना का नाम	1977-78 परिव्यय
क. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें	
1. परती भूमि, पंचायती भूमि तथा वन क्षेत्रों में मिश्रित वृक्षारोपण	330.00
2. अपश्रेणीकृत वनों में फिर से वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी का विकास करना	440.00
3. हिमालय क्षेत्र में समेकित मृदा तथा जल संरक्षण	200.00
योग "क"	970.00
ख. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें	
1. वन अनुसंधान एवं शिक्षा	110.00
2. राष्ट्रीय वन संसाधन सर्वेक्षण	55.90
3. (क) केन्द्र में वन संगठन को सुदृढ़ बनाना	2.00
(ख) वन सांख्यिकी के लिए प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाना	—
4. चुने हुए राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रम-स्थलों का विकास	50.00
5. बांध परियोजना	100.00
6. दिल्ली चिड़ियाघर	13.00
7. राज्य वानिकी निगमों में केन्द्र का योगदान	240.00
8. काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण परियोजना	11.00
9. वन प्रबन्ध के लिए भारतीय संस्थान	—
योग "ख"	581.90
कुल योग	1551.90

विदेशों के सहयोग से हिमालय जल ग्रिड बनाने का प्रस्ताव

937. **श्री चित्त बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमालय क्षेत्र में जल संसाधनों को जुटाने के लिये विदेशों के सहयोग से हिमालय जल ग्रिड बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) इस समय सरकार का विदेशों के सहयोग से हिमालय जल ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खेती वाले प्रत्येक प्लाट के लिये पानी की व्यवस्था

938. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उद्देश्य आगामी 15 वर्षों में खेती वाले प्रत्येक प्लाट की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में यदि कोई विशिष्ट प्रस्ताव हैं तो वे क्या हैं ;

(ग) क्या लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई राष्ट्रीय परियोजना तैयार की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत स्वरूप क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) इस समय यह अनुमान लगाया गया है कि बृहत/मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के जरिये अन्ततः 107 मि० हैक्टेयर (सकल) क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें दी जा सकती है । लेकिन फालतू पानी के अन्तर्बेसिन ट्रांस्फर की संभावना, जल के प्रयोग में किफायत तथा विकसित प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप इसमें वृद्धि होने की संभावना है । प्रत्येक राज्य सरकार सिंचाई के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार कर रही है । सूख से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा समूचे देश में सिंचाई सुविधाओं में अधिकतम वृद्धि करने की स्कीमों का अध्ययन किया जा रहा है ।

1977-78 के अन्त तक लगभग 54 मि० हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता के सृजित किए जाने की संभावना है । अप्रैल, 1978 से आरम्भ होने वाली मध्यावधिक पंचवर्षीय योजना के लिए 17 मि० हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता--8 मि० हैक्टेयर बृहत और मध्यम परियोजनाओं से और 9 मि० हैक्टयर लघु सिंचाई कार्यों के जरिए—सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अगली 15 वर्षों की अवधि में शेष शक्यता को सृजित करने के सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

राष्ट्रीय प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति

939. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या डा० आर० सी० मजूमदार को बिना किसी और विलम्ब के यह सम्मानित पद दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) :(क) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर कार्यवाई की जा रही है ।

(ख) और (ग) अन्यों के नामों के साथ-साथ डा० आर० सी० मजूमदार के नाम पर भी विचार किया जा रहा है ।

मिदनापुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना

940. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हुई प्रगति सम्बन्धी तथ्य क्या हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, मिदनापुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को, सैद्धान्तिक रूप में 18-11-1977 को अपनी स्वीकृति भेज दी है। अब यह पश्चिम बंगाल सरकार पर है कि वे नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए समुचित कानून बनाने तथा अनुवर्ती कार्य करने की कार्यवाई प्रारम्भ करे।

दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों की समस्यायें

941. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालयों की समस्याओं के बारे में सभा में दिये वासन के अनुसार सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अब तक सभी समस्याओं को हल कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) दिल्ली विश्व विद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामने समय-समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, और उन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अपने सम्बद्ध अधिनियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ध्यान दिया जा रहा है ।

जहां तक आपात काल के दौरान हुई कथित ज्यादतियों और अनियमितताओं के बारे में इन दो विश्वविद्यालयों की शिक्षक परिषदों और छात्र संघों से प्राप्त शिकायतों का सम्बन्ध है, मामले की जांच की जा रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का गिराया जाना

942. **श्री एम० जी० मुरुगयन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी और फरवरी, 1978 में मकानों और दुकानों को गिराया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1-1-78 से 21-2-78 तक के दौरान अपने क्षेत्र की भूमि से हटाये अतिक्रमण निम्नलिखित हैं:—

(1)	झुग्गियां	350
(2)	खोखे तथा अन्य वाणिज्यिक आबादकार . . .	1000
(3)	दक्षिणपुरी, जहांगीरपुरी तथा त्रिलोकपुरी पुनर्वास कालोनियों में अनधिकृत निर्माण	209
	कुल .	1559

Refugees from Sindh during Indo-Pak War of 1965

943. **Shri Vijay Kumar Malhotra :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who migrated from the Sindh area of Pakistan during Indo-Pak War in 1965;

(b) the arrangements so far made to rehabilitate them and whether they have been granted Indian citizenship; and

(c) the reasons for not making full arrangements for their rehabilitation and granting them Indian citizenship ?

The Minister of State for Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Ram Kinkar) : (a) 5,785.

(b) and (c) Adequate rehabilitation facilities have been provided to these persons, at the prescribed scale. 988 persons have been given Indian citizenship so far.

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों पर प्रति छात्र व्यय

944. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय में से प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों और अध्यापकों (प्रोफेसरों और रीडरों सहित) की संख्या कितनी है और कला, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में उनके पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कुल पूंजी व्यय और कुल वार्षिक आवर्ती व्यय कितना है और प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रति छात्र पूंजी/आवर्ती व्यय कितना है ; और

(ग) इस बारे में दो शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों में प्रति छात्र भारी व्यय होने के क्या कारण हैं और इन विश्वविद्यालयों में प्रति छात्र व्यय में भारी असंगति होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दो विवरण संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 1626/78]

(ग) एक विश्वविद्यालय पर व्यय इसके विकास के चरण, इसके द्वारा दी गई सुविधाओं, जो एक विश्वविद्यालय में दूसरे विश्वविद्यालय से भिन्न होती है और विश्वविद्यालय के स्वरूप पर भी निर्भर होती हैं, पर निर्भर करता है। जबकि कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय चिकित्सा, इंजीनियरी और कृषि शिक्षा

के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, अन्य नहीं करते। इसी प्रकार इनमें से कुछ विश्वविद्यालय काफी हद तक एकात्मक और आवासीय हैं जबकि अन्य स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन और अनुसंधान सुविधाओं में हिस्सेदारी के प्रबन्ध सहित सम्बद्ध विश्वविद्यालय हैं। विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच प्रति व्यक्ति व्यय की कोई भी तुलना वास्तविक नहीं होगी।

Central aid to M.P. for Reafforestation Schemes

945. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Financial assistance given by the Central Government to Madhya Pradesh Government for reafforestation scheme; and

(b) Amount of assistance to be given for this scheme next year ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) A centrally sponsored social forestry scheme "Reforestation of Degraded Forests and Raising of Shelter-belts" is under implementation in M.P. since 1976-77. Under this scheme, plantations of fuelwood species, fodder and fruit trees are being raised to meet the acute shortage of fuelwood and to meet other social needs of the village people such as small timber for agricultural implements, house thatching etc. The pattern of central grant during 1976-77 was 50% upto Rs. 500 per ha. An amount of Rs. 1.75 lakhs was sanctioned (as 50% grant) during 1976-77. As reported by the State Forest Department, they incurred an expenditure of Rs. 2.72 lakhs including the State share. For 1977-78, central grant of Rs. 16.48 lakhs has been approved administratively. Since the pattern of central assistance has been revised to Rs. 1,000 per ha. this would be made available as central grant during the year.

(b) After finalisation of the allocation for the above scheme by the Planning Commission for 1978-79, the State Forest Department has been requested to send their proposals for that year. The same has not been received from them so far. Decision will be taken to allocate the Central grant to them after examination of the proposal.

Construction of Bichhua-Latiya Nala Dam

946. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the proposal for the construction of Bichhua-Latiya Nala dam with a view to provide irrigation facilities to the farmers of resettlement camps (Refugee camps) at Shahpur in the Betul district of Madhya Pradesh;

(b) whether a survey has been conducted for the construction of this dam; and

(c) if so, the time by which the construction work of this dam will be taken up by Government ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The Government of Madhya Pradesh have prepared Bichhua-Latiya Scheme envisaging construction of a canal 28 kms. long taking off from the right side of the existing Sarni Dam across river Tawa and a tank on the Latia Nala, a tributary of the Tawa. The scheme will provide irrigation to 4,856 hectares of paddy in Shahpur rehabilitation zone in Betul district of Madhya Pradesh.

(b) & (c) The State Government have indicated that the necessary surveys have been carried out. The project is proposed to be financed by the Union Ministry of Supply and Rehabilitation and is under their consideration.

1 LSS/78—10

हरित क्रांति और ग्रामीण निर्धन

947. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3-2-1978 को 'हरित क्रान्ति और ग्रामीण निर्धन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुये हिन्दी के एक लेख की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि भारत में हरित क्रान्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में हरित क्रान्ति ने भूमिहीनता की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है और बेरोजगार तथा अर्धरोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि में सहायता की है जब हरित क्रान्ति का लाभ उठाकर ग्रामीण धनिक और धनवान हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिवेदन में मुख्य बातें क्या हैं और विवरण सहित इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार सुधार करने हेतु कदम उठायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी हां। "हिन्दू" के दिनांक 6 फरवरी, 1978 को प्रकाशित "हरित क्रांति और ग्रामीण श्रम" नामक लेख में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किये गये अध्ययनों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 1977 में जारी किया गया "ग्रामीण एशिया में गरीबी और भूमिहीनता" नामक एक प्रकाशन हाल ही में भारत सरकार की जानकारी में आया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत के संबंध में चार विस्तृत अध्ययन शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा नियुक्त किये गये लेखकों ने तैयार किया था। इसमें यह भी बताया गया है कि लेखकों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझता। भारत से संबंधित चार विस्तृत अध्ययनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु राज्यों में साधारणतया ग्रामीण गरीबी और रोजगार का विवरण है। इन चार विस्तृत अध्ययनों में जो मुख्य बातें बतायी गयी हैं वे इस प्रकार हैं (1) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई है ; (2) कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है ; (3) भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि हुई है; और (4) 1960 में अपनायी गयी विकास नीति से बड़े-बड़े किसानों को लाभ हुआ है।

(ग) और (घ) कुछ एक राज्यों में किये गये कुछ विस्तृत अध्ययनों में जो मुख्य बातें बतायी गयी हैं तथा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उल्लिखित प्रकाशन में शामिल है। वे सामान्य रूप से सम्पूर्ण देश पर लागू नहीं हो सकती। तथापि प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों और सम्बद्ध पद्धतियों की नयी प्रौद्योगिकी का अच्छे संसाधनों वाले कृषकों पर छोटे और सीमान्त कृषकों की तुलना में अच्छा प्रभाव पड़ा है। स्थिति के समाधान तथा नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिये छोटे और सीमान्त कृषकों को सहायता प्रदान करने के निमित्त छोटे कृषकों के विकास संगठनों और सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिक विकास संगठनों का कार्यक्रम चतुर्थ योजना के दौरान शुरू किया गया था तथा पांचवीं योजना की अवधि के दौरान उसका विस्तार किया गया था। इन संगठनों का मुख्य कार्य निश्चित प्रतिमानों के आधार पर भागीदारों का पता लगाना, उन्नत कृषि और सहायक व्यवसाय के लिये उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना, संस्थागत स्रोतों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करना तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करवाना है। कृषि ऋण के क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों जैसे छोटे और सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, काश्तकार, बटाईदार, जन-जाति और ग्रामीण शिल्पियों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चय करने पर जोर दिया गया है। फसल उत्पादन, समेकित बारानी भूमि कृषि विकास और कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिये कुछ केन्द्रीय और केन्द्र चालित योजनाओं के अंतर्गत छोटे और सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

नयी प्रौद्योगिकी से सस्य गहनता की वृद्धि में सहायता मिली है तथा अतिरिक्त रोजगार के सुअवसर सृजित हुए हैं । चालू वर्ष से केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों के उपयोग के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये एक योजना चालू की गयी है ।

भूमि सुधार के क्षेत्र में राज्य सरकारों से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है कि वे भूमिहीनों में फालतू भूमि वितरित करने के कार्य में तीव्रता लायें । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि अलाटी उत्पादक कृषि को शुरू करें । जहां तक पट्टे सम्बन्धी सुधार का संबंध है सरकार की नीति है कि पट्टेदारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाए या उनके हितों की रक्षा की जाए । तथा विभिन्न राज्यों में इस नीति के कार्यान्वियन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

सरकार इस वर्ष की अवधि के अंतर्गत पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिये बचनवद्ध है । कृषि विकास का अर्थ ग्रामीण विकास है, जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में इष्टतम संभावित रोजगार के अवसर पैदा करना तथा विभिन्न क्षेत्रों और ग्रामीण जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचना है । इन लक्ष्यों को तैयार हो रही अगली पंचवर्षीय योजना (1978—83) के दौरान प्राप्त किया जायेगा ।

छात्रों में असन्तोष

948. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में छात्रों में बढ़ते हुए विद्रोह और असन्तोष की गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में विभिन्न राज्यों के अध्यापकों और कर्मचारियों ने हड़तालों और अन्य प्रकार के आन्दोलनों का भी सहारा लिया था ;

(ग) यदि हां, तो हमारी शिक्षा में इस संकट के बढ़ने के पीछे क्या कारण है ; और

(घ) इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अब तक सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) अनेक शैक्षिक संस्थाओं में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें छात्र, अध्यापक और गैर अध्यापक कर्मचारी शामिल हुए। इन सभी घटनाओं के कारण हमेशा ही शैक्षिक नहीं रहे । इन घटनाओं में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विचार भी शामिल है । शैक्षिक संस्थाओं के सामने जो समस्याएं हैं, वे हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की अधिकांश बड़ी समस्याओं का भाग है । अतः इन सभी समस्याओं के समाधान शैक्षिक पद्धति में से ही प्राप्त नहीं किए जा सकते । सरकार स्थिति पर ध्यान रख रही है ।

Resettlement of persons uprooted in Delhi during emergency

949. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether work to resettle the persons uprooted in Delhi during the emergency at their original places has commenced;

(b) if so, the places where work under this scheme has been started; and

(c) the additional places where work under this scheme is proposed to be started during the current year ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) & (b) The project at Turkman Gate has been approved and is at the tender stage. The preparation of projects for Arjun Nagar and Moti Nagar is in hand.

(c) A list of places where work is also proposed to be started is annexed.

Statement

Sl. No.	Name of Place
1.	Mohd. Pur
2.	Mandawali Fazal Pur
3.	Krishna Nagar
4.	Village Humayunpur
5.	Yusuf Sarai
6.	Khichri Pur
7.	Jamrudpur
8.	Shastri Nagar
9.	Lal Kuan
10.	Peepal Thalla
11.	Sarai Khalil (Slums)
12.	Mehindra Park
13.	Raja Garden
14.	Sultanpuri
15.	Patpar Ganj
16.	Jahangirpuri
17.	Badarpur
18.	Pillanji Village
19.	Raj Pur Village
20.	Pandav Nagar

साक्षरता ग्रौर वयस्क शिक्षा प्रसार के लिये राजनैतिक दल ग्रौर ग्रुप

950. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में साक्षरता ग्रौर वयस्क शिक्षा प्रसार कार्य के लिए देश के विभिन्न राजनैतिक दल तथा ग्रुपों के स्वयं सेवकों/कार्यकर्ताग्रों को लगाने के प्रस्ताव से सहमत है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कार्य में राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताग्रों को लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) एक वर्ष में ऐसी सेवायें प्राप्त करने के लिए ग्रनुमानित व्यय तथा लागत क्या होगी ; ग्रौर

(घ) उक्त कार्यकर्ताग्रों द्वारा कौन से ग्रतिरिक्त क्षेत्रों में काम किया जाएगा तथा उनके द्वारा कितने व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) सरकार का विश्वास है कि प्रौढ़ शिक्षा जैसा एक व्यापक कार्यक्रम केवल तभी सफल हो सकता है यदि राजनैतिक दृढ़ इरादा भी हो और इसीलिए संसद में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से अपना समर्थन देने के लिए प्रण करने का अनुरोध किया गया था जिसे उन्होंने कर लिया है । राजनीतिक दलों द्वारा इस समर्थन को किस प्रकार संगठित किया जाएगा इस मामले पर उन्हीं को निर्णय करना होगा । स्वैच्छिक संगठनों को उपलब्ध सहायता की योजना, इसी प्रयोजन हेतु उनके द्वारा गठित तथा पात्र ऐसे ही अन्य संगठनों पर भी लागू होगी । इस समय लागत अथवा उन क्षेत्रों का जहां वे कार्य करेंगे अनुमान लगाना असामयिक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक किश्त देने के फसले का स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा का अधिलंघन हुआ है.......

अध्यक्ष महोदय : सभा का अधिलंघन नहीं हुआ । समाचार पत्र वाले तो अलग तरीके से मामले को रखते हैं । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1977 और बिहार राज्य वन-विकास निगम लिमिटेड का 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०सां० नि० 736 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1603/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (2) के अन्तर्गत बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पटना के 10 फरवरी, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 1604/78]

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT OF I.I.T.

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैंने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के बारे में आपको एक नोट भेजा है । संसद के अधिनियम द्वारा इस संस्थान की स्थापना हुई थी । अब 1976-77 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन में बहुत अनियमितताएं हैं । लोक लेखा समिति ने उसका अध्ययन किया है लेकिन

उसकी रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा गया है । उसे अवश्य सभा पटल पर रखा जाये विशेषकर इसलिए भी कि इन अनियमितताओं का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कल रात गुंडों द्वारा पीटा गया है और वे सफदरजंग अस्पताल में हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने भी कार्य सूची की मद संख्या 3(2), उप मद (एक) और (दो) के बारे में सूचना दी है । इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में देरी क्यों हुई और उन्हें हमें नहीं दिया गया है । सुप्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन अब लाया जा रहा है । वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए प्रतिवेदनों का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इसे सम्बन्धित समिति को भेज दिया जायेगा । अब तो मंत्री जी केवल सभा पटल पर पत्र रख रहे हैं ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी) : मैं श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)* की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 1605/78]

(2) (एक) विश्व-भारती विश्वविद्यालय शान्ति निकेतन के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल०टी० 1606/78]

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम और आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली, के वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

(1) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 2477, जो दिनांक 6 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सां० आ० 4226 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 1607/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 1608/78]

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 23 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखा गया ।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधीन अधिसूचनाएं
NOTIFICATIONS UNDER FOOD CORPORATION ACT, 1964

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधीन अधिसूचनायें

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) सा० सां० नि० 768(ङ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 16 अक्तबर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1528 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(2) सा० सां० नि० 769 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 14 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1415 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(3) सा० सां० नि० 770(ङ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1597 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।
[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 1609/78]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने 16 अक्तूबर, 1965 के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1528 के शुद्धिपत्र और दिनांक 29 अगस्त, 1968 को प्रकाशित अधिसूचना के शुद्धिपत्र के बारे में सूचना दी है । ऐसी बातें क्यों होती हैं । अधिकारियों की ताड़ना की जानी चाहिये । हम ऐसी पिछली बातों की मंजूरी नहीं दे सकते ।

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय सदस्य को मंत्रालय की सतर्कता की सराहना करनी चाहिये । फिर भी मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम 1956 के अधीन अधिसूचनायें
NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL SALES TAX ACT, 1956

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(8) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा प्रतियां) (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 762(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा प्रतियां) (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 778 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** सं० एल० टी० 1610/78]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

होर्न आफ अफ्रीका में विस्फोटक स्थिति के कारण हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना की मौजूदगी का समाचार

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-विषय की ओर दिलाता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"होर्न आफ अफ्रीका में विस्फोटक स्थिति के कारण हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना की मौजूदगी और हिन्द महासागर में शस्त्रास्त्रों को सीमित रखने के बारे में अमरीका-सोवियत वार्ता के स्थगन के समाचार"

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सदन सरकार के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह परिचित है कि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति से इस क्षेत्र में तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है । हिन्द महासागर में शांति-क्षेत्र की धारणा के अंतर्गत यह बात निहित है कि उस क्षेत्र से विदेशी सैनिक उपस्थिति का सफाया होना चाहिए । भारत भी, जो कि संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति का एक सदस्य है, हिन्द महासागर में शांति-क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को कार्यान्वित करने के संबंध में सक्रिय रूप से योगदान कर रहा है । हिन्द महासागर के तटवर्ती तथा भीतरी प्रदेश राज्यों की न्यूयार्क में शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए एक बैठक बुलाने की तैयारी हो रही है । भारत ने अपना विश्वास व्यक्त किया है कि ठोस परिण.म प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्तियों तथा हिन्द महासागर की समुद्री सीमा के प्रमुख उपयोगकर्त्ताओं का सहयोग उक्त प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अनिवार्य है ।

2. इसी संदर्भ में भारत ने हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की शस्त्र-परिसीमन पर आपसी बातचीत को हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र स्थापित करने की ओर उठाये गये एक कदम के रूप में स्वागत किया है यद्यपि हमारा लक्ष्य यह है कि हिन्द महासागर से सभी विदेशी सैनिक उपस्थिति का सफाया हो । भारत को इस बात की आशा है कि बड़ी शक्तियों द्वारा किसी प्रकार के द्विपक्षीय समझौते करार से इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को व्यापक सहयोग देने में वे रुचि लेंगे ।

3. अफ्रीका के श्रृंग भाग में विद्यमान विस्फोटक स्थिति हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय है । इथोपिया और सोमालिया हिन्द-महासागर के माध्यम से हमसे जुड़े पड़ौसी हैं और जिनके साथ हमारे मैत्री संबंध हैं, दोनों विकासशील देश हैं और गुटनिर्पेक्ष राष्ट्र समूह में हमारे सहभागी भी हैं । संघर्ष की इस स्थिति के निरंतर बने रहने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिति में जो सामान्यतः सुधार होने की प्रवृत्ति है वह उसके कारण दूषित होती जा रही है और तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया को भी इसके कारण धक्का पहुंच रहा है । इस कारण, यह हम लोगों के लिए और अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम इस समस्या के शांतिपूर्ण तथा विचार-विमर्श द्वारा शीघ्र निराकरण की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं उसमें अपना योगदान दें । सदन को याद होगा कि कुछ दिन पहले विगत अगस्त में मैंने इथोपिया और सोमालिया के नेताओं को उनके दिल्ली स्थित कार्यवाहक राजदूतों के माध्यम से यह अपील की थी कि वे संयम तथा स्टेटसमैनशिप बरतें । मैंने यह आशा प्रकट की थी कि इस विषय का शांतिपूर्ण

निराकरण हो जाएगा तथा अफ्रीकी एकता संगठन की सद्भाव समिति इस विषय में सफल होगी । मैंने यह आशंका भी प्रकट की थी कि अफ्रीका के श्रृंग भाग में होने वाला संघर्ष दक्षिणी अफ्रीका की ज्वलंत समस्याओं से हटकर लोगों का ध्यान दूसरी ओर ले जाएगा और इस विवाद के जारी रहने से गुटनिरपेक्षता का आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा तथा उस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की स्पर्धा बढ़ जाएगी । हम लोगों को इस बात से बड़ी निराशा हुई है कि अफ्रीकी एकता संगठन के प्रयास सफल नहीं हुए और जो शंकाएं हमारे मन में थीं वे सत्य सिद्ध हो रही हैं ।

4. इथोपिया और सोमालिया के बीच इथोपिया के ओगाडन प्रान्त को लेकर जो मतभेद थे उनके परिणामस्वरूप विगत जून में एक पूरा सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ हो गया । इथोपिया ने यह आरोप लगाया कि सोमालिया की सेना ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया है और सोमालिया ने यह दावा किया कि पश्चिमी सोमालिया मुक्ति दल द्वारा ओगाडन को आज़ाद कराने के लिए यह कार्रवाई की गई थी। विगत अगस्त में लाइबरवील में हुए अफ्रीकी एकता शिखर सम्मेलन में यह बात विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत की गई किन्तु इस दिशा में मध्यस्थता के प्रयत्न सफल नहीं हो सके । स्थिति बराबर बिगड़ती गई । अब ऐसी खबरें मिल रही हैं कि उस क्षेत्र में जो संघर्ष है उसमें बाहरी शक्तियों का भी बहुत बड़ा हाथ है । आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि इथोपिया, जिसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली है, वह सीमा के पार भी युद्ध के लिए उद्यत हो सकता है । सदन को मालूम है कि इथोपिया ने इन आरोपों को अस्वीकार किया है और लिखित में यह कहा है कि उसका उद्देश्य है, आक्रमणकारियों द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को खाली कराना । इथोपिया ने इन आरोपों को अस्वीकार किया है और यह रिकार्ड में है कि उस देश ने कहा है कि उसका उद्देश्य है आक्रमणकारियों द्वारा कब्ज़े में किए गए क्षेत्रों को खाली कराना।

5. हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर और सोवियत समाजवादी गणतंत्र के राष्ट्रपति ब्रिज़नेव से इस संबंध में पत्राचार किया है और उसमें अफ्रीका के श्रृंग भाग में जो स्थिति बन रही है उसका उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है कि अफ्रीका के श्रृंग भाग में जो संघर्ष चल रहा है उसमें बाहरी शक्तियों को संयम बरतना चाहिए अन्यथा बाहरी शक्तियों की बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण परिस्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि संयम के ऐसे तरीके और उपाय खोजे जाने चाहिए कि जिससे कोई ऐसा समाधान निकले जिनसे सुस्थापित सीमाओं की उल्लंघनीयता के सिद्धांतों का सम्मान हो जैसाकि अफ्रीकी एकता संगठन के चार्टर में कहा गया है और अफ्रीकी एकता संगठन, संयुक्त राष्ट्र अथवा परस्पर सहमत किसी भी अन्य मंच के अंतर्गत स्वीकार्य राजनीतिक समाधान खोजा जाना चाहिए ।

6. विदेश मंत्री श्री वान्स ने 10 फरवरी, 1978 को अपने प्रेस सम्मेलन में यह कहा था कि सोवियत और क्यूबा के शामिल होने से एक और संयुक्त राज्य अमरीका और दूसरी ओर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ तथा क्यूबा के संबंधों पर असर पड़ना अवश्यम्भावी है । उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसे वे हिन्द महासागर पर बातचीत करने के समय स्पष्टतः ही अपने दिमाग़ में रखेंगे क्योंकि वहां जो कुछ होता नज़र आता है वह उनकी नज़र में शक्तियों के परिसीमन के अनुरूप नहीं है, जहां तक हिन्द महासागर की बातचीत से उनका संबंध है । फिर भी उन्होंने कहा है कि वह इस बातचीत को जारी रखेंगे लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि इससे स्पष्टतः उस राजनीतिक वातावरण पर बुरा असर पड़ा है जिसमें यह बातचीत आगे चल रही है ।

7. अफ्रीका के श्रृंग भाग की स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाने की वांछनीयता पर हाल ही में कुछ विचार-विमर्श हुआ है । संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटिड किंगडम दोनों ही यह महसूस करते हैं कि सुरक्षा परिषद् में बहस का उद्देश्य बातचीत करना और वार्ता करवाना होगा जिससे कि संयुक्त राष्ट्र को शामिल करके अफ्रीकी एकता संगठन के

मध्यस्थता के प्रयत्नों से राजनीतिक स्थिति बनाने में योगदान मिलेगा। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि परिषद् की बैठक का उद्देश्य समझौते का प्रयत्न करना है न कि प्रचार करना। वे यह भी महसूस करते हैं कि कोई शांतिपूर्ण हल ढूंढने के लिए उस क्षेत्र के सभी राज्यों की प्रादेशिक अखंड़ता के प्रति आदर-भावना एक मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। वस्तुतः, जैसाकि डा० ब्रजजन्सिकी ने बताया है, संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति यह है कि सोमालिया को अपनी प्रादेशिक सीमाओं को लौट जाना चाहिए और ईथोपिया को युद्ध समाप्त कर देना चाहिए और विशेष रूप से अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा शांति बनाये रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस संदर्भ में सोवियत संघ और क्यूबा का कथित विदेशी हस्तक्षेप भी उनकी सेनाओं को हटाकर समाप्त होना चाहिए।

8. सोवियत संघ का कहना यह है कि सबसे पहले सोमालिया को ओगेडेन से हटना चाहिए। वे अफसोस के साथ यह कहते हैं कि ईथोपिया में सोमाली ने जब आक्रमण किया तब तो पश्चिमी देशों ने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं कि और अब जबकि ईथोपिया ने इस आक्रमण को विफल करना शुरू कर दिया है तो वे लोग अफ्रीका के श्रृंग भाग की स्थिति के विषय में अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि इस आक्रमण को विफल करने के लिए ईथोपिया को उनकी सहायता को किसी भी तरह यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इस संघर्ष को बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी है। वे बहुत साफ शब्दों में यह कहते हैं कि सोमालिया के पीछे हटे बिना युद्ध विराम असंभव है। वह यह सोचते हैं कि एक बार अगर सोमाली सेनाएं वापस हट जाएं तो इस समस्या को अफ्रीकी एकता संगठन सुलझा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका को बताया है कि वे सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाने के खिलाफ हैं क्योंकि इससे स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब होगी।

9. हम यह भी समझते हैं कि अफ्रीकी दल सुरक्षा परिषद् में विचार-विमर्श के हक में नहीं है। साथ ही नाइजीरिया, जो कि अफ्रीकी एकता संगठन की मध्यस्थता समिति का अध्यक्ष है, सोमालिया और ईथोपिया के बीच मध्यस्थता की बहुत कोशिश कर रहा है जिससे कि यह संघर्ष समाप्त हो सके। ऐसा लगता है कि अन्ततः नाइजीरिया को इस दिशा में अपने प्रयत्नों में सफलता मिल रही है क्योंकि उन्होंने ईथोपिया और सोमालिया के विशेष दूतों के बीच एक बैठक तय करवा ली है जो कल लागोस में होगी।

10. हमने हमेशा यह महसूस किया है कि इस समस्या का समाधान—और निस्सन्देह अफ्रीका के भीतर की अन्य सभी समस्याओं का समाधान भी—अफ्रीकी एकता संगठन के चार्टर के भाव और भाषा के अनुरूप ढूंढा जाना चाहिए। इसलिए हम यह मानते हैं कि विवादग्रस्त सम्बद्ध पक्षों को इस चार्टर के भाव और भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसे मानना चाहिए। हम किसी भी ऐसे ठोस और सहमत कदम के हक में हैं जिससे इस प्रकार का समाधान संभव हो सकता हो। इसलिए हम ईथोपिया और सोमालिया के विशेष दूतों के बीच लागोस में शीघ्र ही जो बैठक होने वाली है, उसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि यह बैठक सफल होगी। हम ऐसे सभी उपायों का समर्थन करेंगे जिनसे अफ्रीकी एकता संगठन के उन प्रयासों को बल मिलता हो जिनसे लड़ाई शान्त हो जाए और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकल आए और साथ ही यह उम्मीद भी करते हैं कि इन प्रयासों की सफलता के लिए सम्बद्ध सभी पक्षों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा।

11. अब मैं उस बात का उल्लेख करूंगा जिसे कतिपय माननीय सदस्य, ऐसा लगता है, एक संबंधित बात मानते हैं यानि कि हिन्द महासागर में अमरीकी नौ सेना की कथित उपस्थिति। इस क्षेत्र में अन्य बड़े राष्ट्रों की सैनिक उपस्थिति की भी खबर है। हमारे लिए इस बात का ठीक-ठीक आकलन करना तो संभव नहीं है कि इस घटना से अफ्रीका के श्रृंग भाग की स्थिति का क्या संबंध है लेकिन हमारा विचार यह है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की विदेशी नौ सैनिक उपस्थिति से इस क्षेत्र में तनाव कम होने में रुकावट ही आयेगी और इससे हिन्द महासागर में शान्ति क्षेत्र की स्थापना की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयत्नों में भी बाधा आएगी।

12. इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि अफ्रीका के श्रृंग भाग की घटनाओं से हिन्द महासागर में शस्त्र परिसीमन के उपायों के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच बातचीत स्थगित कर दी गई है। वास्तव में इस बातचीत का पिछला दौर बर्न, स्विटजरलैण्ड में पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार 7 फरवरी से 17 फरवरी 1978 तक हुआ था। इस प्रकार न तो यह बातचीत अचानक ही बन्द हुई है और न ही उसे अफ्रीका के श्रृंग भाग की स्थिति के कारण अथवा किसी अन्य कारण से बीच में ही समाप्त किया गया है। बहरहाल हमें यह बताया गया है कि अमरीकी सरकार ने इस बातचीत में सोवियत प्रतिनिधि मंडल से यह कहा है कि अफ्रीका के श्रृंग भाग में वर्तमान सोवियत गतिविधियों पर उसे खेद है और सोवियत नौसेना की वृद्धि इस वार्ता की भावना और सार के अनुरूप है। सोवियत पक्ष इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए असम्बद्ध स्थितियों से फायदा उठाने के अमरीकी तरीके का एक और उदाहरण बताता है। जहां तक 10 दिन पूर्व समाप्त हुई इस वार्ता के सार का प्रश्न है हम समझते हैं कि इसमें निश्चित प्रगति हुई है। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र दोनों ने इस बातचीत को 'निःसंकोच और लाभदायक' बताया है जिससे कि एक दूसरे की स्थिति को समझने में योगदान मिला है। इसके अतिरिक्त इस बातचीत को आगे बढ़ाने के विषय में सहमति है। हालांकि अब तक की प्रथा के विरुद्ध इस बातचीत के अगले दौर की संभावित तारीख और जगह पर सहमति के सवाल को बाद में परस्पर सहमति से तय करने के लिए छोड़ दिया गया है।

13. महोदय, हमारा हमेशा यही कहना रहा है कि तनाव शैथिल्य का लाभ समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलना चाहिए। हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय रूप से, अथवा अगर अफ्रीका के अंदर की समस्याओं का मामला हो तो अफ्रीकी एकता संगठन जैसे क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से, और अगर जरूरत हो तो परस्पर सहमत किसी भी मंच के माध्यम से सुलझाई जानी चाहिए। हिन्द महासागर शांति का एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें नौवहन की शांतिपूर्ण गतिविधियों की गारंटी हो और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुचारु रूप से चल सके। हिन्द महासागर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लाभ और कल्याण के लिए इसके तटवर्ती और पश्च राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग के अर्थपूर्ण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिएं। इस दिशा में होने वाली गतिविधियों के विकास के मार्ग में अगर कोई रुकावट आती है तो वह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय होगी। इससे भी बढ़कर बात यह है कि भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास अगर कोई तनावकारी तत्व उपस्थित होते हैं तो यह उसके लिए बहुत क्षतिकारी होंगे। माननीय सदस्यों ने जिस स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसे हम इसी नजर से देखते हैं। सदन यह स्वीकार करेगा कि अफ्रीका के श्रृंग भाग को समस्या का न्यायोचित, शांतिपूर्ण और बातचीत के माध्यम से उपलब्ध समाधान का हिन्द महासागर को शोघ्र एक शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करने पर निश्चय ही स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा और यह इस क्षेत्र के देशों में परस्पर लाभदायक आर्थिक सहयोग के विकास के लिए भी शुभ होगा। इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जायेंगे हम उनका पूरा-पूरा समर्थन करेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्षपीठ द्वारा यह ठीक ही निर्णय लिया गया है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर 20-25 मिनट से अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिये। लेकिन मंत्री जी इतना समय ले रहे हैं।

Dr. Baldev Prakash (Amritsar) : Sir, from the Statement it is quite clear that the Government is trying its utmost for disarmament in the Indian Ocean and secondly, the talks being held between U.S.A. and Soviet Union on the subject have been suspended. May I know if our Government has taken any action in regard to the presence of American War Ships in the Indian Ocean. Secondly, U.S.A. is planning to strengthen its strategic forces in Asia and upgrade it in the pacific area. The Government should make their position clear.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The big powers are strengthening their positions in the Indian Ocean. That is why the question of disarmament has arisen. The hon. Member has himself quoted the U.S. spokesman in this connection. We have already expressed our concern over these developments and we want that problem of Horn of Africa should be solved. These things help in creating world opinion. The strategic arms limitations talks between U.S. and Soviet Union have not been suspended as stated by him. These are still going on.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह नहीं बताया गया है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की भूमिका क्या होगी । यह पहला अवसर नहीं है कि हिन्द महासागर में अमरीका की उपस्थिति देखी गई हो । हिन्द महासागर में, हार्न ऑफ अफरीका में दियगो गार्सिया में आणविक अड्डा स्थापित किया गया है जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने उस समय प्रतिरोध किया था । अब वे अपना समुद्री बेड़ा पश्चिमी प्रशान्त महासागर से हटाकर हिन्द महासागर में भेज रहे हैं । बड़ी ताकतों को यहां से पीछे हट जाना चाहिये । यह सदभावना यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य है । इससे हमारी नीति का पता नहीं चलता । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार हिन्द महासागर में अमरीका की सैन्य शक्ति के रहने की निन्दा करेगी ? संयुक्त राष्ट्र संघ पर निर्भर न करके क्या भारत सरकार हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना की उपस्थिति के विरुद्ध तटीय देशों का एक सम्मेलन बुलाने की पहल करेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्द महासागर के बारे में जनता सरकार भी वही नीति अपना रही है जो पहली सरकार की थी । हमने कई बार कहा है कि हम दियगो गार्सिया द्वीप सहित हिन्द महासागर में सभी सैनिक अड्डों के विरुद्ध हैं । सभी अड्डों को हटाना होगा । जिन लोगों ने ये अड्डे बनाये हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं । इस बातचीत में कुछ प्रगति भी हुई है । परन्तु हिन्द महासागर के तटीय राज्यों का सम्मेलन बुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की तदर्थ समिति सम्मेलन बुला चुकी है और हम उसके सक्रिय सदस्य हैं। अत: एक समानान्तर सम्मेलन बुलाने का कोई लाभ नहीं होगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हिन्द महासागर को उन्मुक्त और शान्ति क्षेत्र बनाने और उसे तनावों से मुक्त रखने के बारे में है । यह कहना सत्य है कि हिन्द महासागर में शान्ति और सुरक्षा, नौगम्यता की स्वतंत्रता, समुद्रों की स्वतंत्रता, व्यापार और पारगमन की स्वतंत्रता की आवश्यकता है । अधिकांश तटीय देश निर्गुट हैं और विकासशील देश हैं । सुपर शक्तियों की सैनिक गतिविधियों से उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा नहीं पड़नी चाहिये । इसी कारण हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का प्रश्न उठा है । 1971 में श्रीलंका ने इस बारे में पहल की थी और बाद में भारत ने सक्रिय रूप से कार्यवाही की । भारत ने पहले यह कहा था कि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के समुद्री बेड़ों को सीमित किया जाये और समूचे क्षेत्र का पूर्णतया विसैन्यीकरण होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में भारत की स्थिति का क्या हुआ ? क्या सच है कि प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने रूस और अमरीका दोनों को इस बारे में बताया है । मेरे विचार में भारत अपने पहले के रुख से पलट रहा है । मेरा प्रश्न यह है कि भारत अमरीका के निकट होता जा रहा है ? प्रेसीडेन्ट कार्टर ने अपने चुनाव से पहले कहा था कि हिन्द महासागर में पूर्णतया विसैन्यीकरण हो । परन्तु अब वह कहते हैं कि रूस और अमरीका दोनो की समुद्री सेना वहां होनी चाहिये। क्या अमरीकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान उनसे हिन्द महासागर के प्रश्न पर चर्चा की गई थी या नहीं ? क्या इसपर सामान्य तौर पर या गहराई से चर्चा की गई ? क्या दियगो गार्सिया के बारे में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, यदि नहीं तो क्यों नहीं ? क्या यह सच है कि अमरीका दियगो गार्सिया द्वीप को सुदृढ़ बनाने के लिये सक्रिय कदम उठा रहा है ? मई, 1977 में यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट आर्मड सर्विसेज कमेटी ने दियगो गार्सिया में अतिरिक्त निर्माण हेतु 7.3 मिलियन अमरीकी डालर स्वीकृत किये । क्या हमारे प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति से इस तथ्य पर बात की थी ? क्या भारत अमरीकी और सोवियत समुद्री बेड़े की मौजूदगी के वर्तमान स्तर में फ्रीज के बारे में सन्तुष्ट है ? इस मामले में भारत

का क्या रुख है ? क्या हिन्द महासागर सम्बन्धी भारतीय रूख में कुछ परिवर्तन हुआ है ? सभी सम्बन्धित तटीय देशों और पांचों बड़ी शक्तियों का सम्मेलन बुलाने के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ? क्या भारतीय तट पर अमरीकी सक्रिय सैनिक निगरानी चलती रहेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये जाने के प्रश्न पर भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सदन को इस बात का पता होगा कि राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री कार्टर ने यह कहा था कि हिन्द महासागर का विसैन्यीकरण कर दिया जायेगा । अब दोनों महाशक्तियों के बीच जो बातचीत चल रही है, वह विसैन्यीकरण के लिए प्रत्युत शस्त्रों को परिसीमन के बारे में है । पग वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

सदन को यह भी पता है कि अमरीकी सिनेट ने कुछ अतिरिक्त राशि की स्वीकृति भी दी है ताकि दियागो गर्शिया के अड्डे को मजबूत किया जाये । जब इस विषय पर हमारे प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि रूस और अमरीका की वार्ता के फलस्वरूप हिन्द महासागर में 'शांति' के अतिरिक्त और कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए । स्पष्ट है कि इस का मतलब यह था कि वहां कोई अड्डा नहीं रहना चाहिए न नया बनना चाहिये और न ही वर्तमान किसी अड्डे को मजबूत किया जाना चाहिए ।

Shri L. L. Kapoor (Purnea) : The hon. Minister has stated that President Carter had proposed to treat Indian Ocean as neutralised zone, but their naval fleet is still present there. May I know the details of the discussions held in the recent Commonwealth Conference at Sydney regarding making the Indian Ocean a piece zone and what was outcome thereof ? Secondly, I want to know what assurance you got from the U.S. President and U.K. Prime Minister during their visits to India ? Thirdly, I want to point out that Soviet Union supports our proposal to make Indian Ocean a zone of piece, then why 20 Soviet Naval Ships are there in the Indian Ocean ? I want to know whether you have sent any protest to Soviet Union against the presence of these ships in the Indian Ocean ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are asking both the powers to complete their talks early. We have got the support of all littoral countries in this regard. We discussed the matter with President Carter and Mr. James Callaghan during their visits to India and they admit that the naval presence of both the powers should be reduced. But in fact it is increasing and the reason is Horn of Africa. If the problem of Horn of Africa is solved, it can be reduced. The entire question should be settled through negotiations. So far as world opinion is concerned, India on her own is trying for this and U.N. *ad hoc* Committee is active in this regard.

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora) : The reason for U.S. Naval presence in the Indian Ocean is explosive situation developing in the Horn of Africa. Tensions between Ethiopia and Somalia is taking the shape of an international war. Cuban forces and Russian pilots are present there. Previously, Somalia was in Russian camp. Then the Port of Barbaran was under Russian Control. Horn of Africa will be controlled by the power having control on the port of Barbaran, Adan, Suez Canal and the Indian Ocean. So, the problem of Horn of Africa is the major problem. China is also helping Somalia. Ethiopia is being helped by Israel and Kenya. India should keep quiet in these circumstances. What action Government of India propose to take in this regard ? Efforts should be made to avert the deteriorating international situation.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I agree if the problem of Horn of Africa is not solved, it can take a serious turn. Situation is further deteriorating because of foreign interference. We hope that the talks going on in Lagos will prove successful, but there are many difficulties in its way. Dispute is going on about the ceasefire first or withdrawal of forces first. We have asked both Somalia and Ethiopia to solve the dispute, if any, through bilateral talks. In no way power should be utilised because it will invite foreign intervention, which can create a serious situation. It is not correct to say that India is silent in this matter.

At present the major problem is not about Diego Garcia. The issue of Diego Garcia must be settled. But if the situation in Horn of Africa deteriorates, it will become explosive.

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में व्यवस्था के प्रश्न संबंधी विनिर्णय

RULING ON POINT OF ORDER *RE.* THE PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : 24 फरवरी, 1978 को जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की गई तो श्री स्टीफनें व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया था कि सभा पटल पर रखी गई अभिभाषण की प्रति अधूरी है क्योंकि इसमें हिन्दी में व्यक्त प्रारम्भिक विचार नहीं थे। मैंने उस समय अपना निर्णय रोक लिया था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में संविधान के अनुच्छेद 87 में यह व्यवस्था है :—

"(1) लोक सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद् को उसके आह्वान का कारण बतायेगा।

(2) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा हेतु समय रखने के लिये उपलब्ध किया जायेगा।"

चूंकि एक साथ समवेत दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया जाता है, यह आवश्यक है कि उसकी एक प्रमाणीकृत प्रति लोक सभा पटल पर रखी जाये जब उसमें उल्लिखित मामलों पर चर्चा हेतु उसकी बैठक अपने चेम्बर में होती है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभा पटल पर प्रमाणीकृत संस्करण रखा जाये, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में अभिभाषण की प्रतियां 1958 से राष्ट्रपति द्वारा स्वयं प्रमाणीकृत की जाती रही हैं।

इस बात की जांच कर ली गई है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो 20 फरवरी, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, भी वही है जो राष्ट्रपति द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण की सभापटल पर रखी गई प्रति पूर्व प्रथा के अनुरूप है। राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण से हटकर व्यक्त किये गये विचारों को पहले उस प्रति में शामिल नहीं किया जाता था जो सभा पटल पर रखी जाती है। सभा पटल पर रखी गई राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुरूप है। यह किसी नियम या अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश के विरुद्ध नहीं है। अतः श्री सी० एम० स्टीफन द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न तर्कसंगत नहीं है और रद्द किया जाता है।

विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* EXTERNAL AFFAIRS MINISTER'S VISIT TO PAKISTAN

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, विगत वर्ष जनता पार्टी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से भारत सरकार की विदेश नीति में प्रमुख रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि भारत और उसके पड़ौसियों के बीच घनिष्टतम संभव मित्रता के संबंध विकसित किये जायें। अपनी इसी नीति के अनुरूप मैंने इससे पूर्व अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बर्मा की यात्रा भी की थी। इस नीति से प्रेरित होकर मैंने 6 से 8 फरवरी, 1978 तक पाकिस्तान की सद्भावना यात्रा की।

मैं बातचीत के लिये कोई निश्चित मुद्दे लेकर नहीं गया था। एक सद्भावना दूत के रूप में मेरा इरादा सिर्फ इस बात को साफ करना भर था कि भारत प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान तथा आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ के आधार पर पाकिस्तान के साथ शांति और मित्रता के संबंध रखना चाहता है।

दोनों देशों के बीच विगत संबंधों का जो इतिहास है उसके कारण मनोवैज्ञानिक समस्यायें पैदा हो गई हैं जिन्हें दोनों पक्षों को समझना होगा, उनका सामना करना होगा और उनके समाधान ढूंढने होंगे। पाकिस्तान सरकार के वैदेशिक मामलों के सलाहकार श्री आगा शाही से मैंने कहा कि यद्यपि यह सच है कि भारत एक बड़ा देश है लेकिन हम समानता, समझबूझ और सद्भावना के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारना चाहते हैं। इसमें स्पष्टतः न सिर्फ दोनों देशों की प्रभुसत्ता के सम्मान की बात निहित है बल्कि अपना राजनीतिक और सामाजिक तंत्र स्वयं चुनने का अधिकार भी निहित है। पिछले वर्ष हमारे आम चुनावों की एक अच्छी बात यह थी कि उसमें पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को लेकर कोई विवाद नहीं था। 1977 में पाकिस्तान में भी दूरगामी राजनीतिक परिवर्तन हुए। दोनों देशों में इतनी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंधों के माहौल को कोई धक्का नहीं लगा, यह तथ्य हमारे दोनों देशवासियों की परिपक्वता का परिचायक है। इसी से प्रेरित होकर मैंने यह सद्भावना यात्रा की।

अपनी यात्रा के दौरान मैंने सेनाध्यक्ष एवं मुख्य मार्शल ला प्रशासक जनरल जिआ-उल-हक और वैदेशिक मामलों के सलाहकार श्री आगा शाही से बातचीत की। हमारी बातचीत अत्यन्त सोहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। इस बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों तथा उत्तर-दक्षिण वार्ता, निशस्त्रीकरण के विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी विचार-विनिमय किया जिन पर कि हमारे दृष्टिकोणों में व्यापक समानता थी।

हमारी बातचीत में पाकिस्तानी पक्ष ने शिमला समझौते का जिक्र किया। हमने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जनता सरकार इस समझौते से प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में पाकिस्तानी पक्ष ने कश्मीर का उल्लेख किया। हम दोनों ने अपनी-अपनी स्थिति बताई और साथ ही यह स्मरण भी कराया कि शिमला समझौते के अनुसार दोनों देश शक्ति का प्रयोग न करने के लिये वचनबद्ध हैं।

जनरल जिआ के साथ मेरी बातचीत में हमने इस पर गौर किया कि हमारे व्यापारिक संबंधों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है और हम दोनों ने यह स्वीकार किया कि हमारे ये सम्बन्ध परस्पर लाभ के लिये एक संतुलित ढंग से बढ़ सकते हैं और बढ़ने ही चाहिये। दोनों देशों के व्यापार दल 1975 के व्यापार-करार की समीक्षा करने के लिये और इस बात का अध्ययन करने के लिये शीघ्र ही मिलने वाले हैं कि दो-तरफा व्यापार किस प्रकार बढ़ सकता है।

दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच जनता और सूचना के अधिक उन्मुक्त आवागमन की सुविधा की आवश्यकता पर भी विचार-विनिमय किया। इस संदर्भ में भारत सरकार को इस बात की खुशी है कि कलाकारों, विद्वानों और खिलाड़ियों का कुछ आना-जाना हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार के कृषि सलाहकार 20 फरवरी, 1978 को भारत आये और उनका स्वागत करके हमें प्रसन्नता हुई। अपने इस भारत प्रवास के दौरान वे हमारी कई प्रायोजनाओं को देखेंगे।

हम आशा करते हैं कि इस यात्रा से विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान शुरू हो जायेगा जिससे कि दोनों देशों के विशेषज्ञ एक दूसरे के अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकें।

मेरी बातचीत के दौरान इस बात पर भी सहमति हुई की एक दूसरे देश में एक दूसरे के जो लोग नजरबन्द हैं उनकी अदला-बदली का काम यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाये। यह एक मानवीय समस्या है और यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सुलझ जाये।

हमारे बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि सलाल-बांध प्रायोजना के संबंध में हमारी बातचीत अक्तूबर, 1976 में जहां छोड़ दी गई थी वहां से उसे आगे बढ़ाया जाये। इस उद्देश्य के लिये पाकिस्तान से एक प्रतिनिधिमंडल के शीघ्र ही यहां आने की सम्भावना है। इसकी तारीखें हमारी पारस्परिक सुविधा के अनुसार तय की जायेंगी।

अपने प्रधान मंत्री की ओर से मैंने एक पत्र मुख्य मार्शल ला प्रशासक को दिया जिसमें उन्हें भारत-यात्रा के लिये औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है । उन्होंने, सिद्धांत रूप में, निमंत्रण को स्वीकार किया ।

महोदय, मेरी इस यात्रा के विषय में यात्रा से पूर्व प्रेस में बड़ी अटकलें लगाई गई थीं । मेरा अपना विश्वास यह है कि दोनों देशों ने हमारे सम्बन्धों के सामान्यीकरण का और टूटे हुए सम्पर्कों की पुनर्स्थापना का स्वागत किया है । मेरा यह भी विश्वास है कि दोनों देशों के लोग यह भी मानते हैं कि हमारे सम्बन्धों के विकास की गति तेज की जा सकती है और की जानी चाहिये । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस दिशा में आगे बढ़ने को तयार हैं । लेकिन हम यह जानते हैं कि यह तीव्र गति और अधिक सहयोग तभी संभव है जब इसके लिये दोनों देश राजी हों।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस उपमहाद्वीप के हम दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध हमारे अपने-अपने और सामूहिक हित में हैं तथा इस समूचे क्षेत्र के हित में भी हैं । पाकिस्तान की मेरी यात्रा इसी धारणा पर आधारित थी । मेरा यह कहना गलत न होगा कि पाकिस्तानी नेताओं के साथ मेरी बातचीत के परिणामस्वरूप हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझ सके हैं और इससे हमें गलत फहमियों को दूर करके दोनों देशों के बीच सद्भाव और समझ-बूझ बढ़ाने के काम में सहायता मिली है । दोनों देशों के लोगों और स्थापित सरकारों के बीच बेहतर सम्पर्क से परस्पर विश्वास और भरोसे का एक ऐसा वातावरण तैयार हो सकता है जिसमें समस्यायें सुलझाई जा सकती हैं और धीरे-धीरे अच्छी, प्रतिवेशता पनप सकती है । पाकिस्तान जहां तक चाहें भारत इस प्रकर के सम्बन्धों को विकसित करने में उसे अपना सहयोग देने के लिये सदैव तत्पर है।

चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT *RE.* SUGAR POLICY

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) सदन को याद होगा कि चीनी मौसम 1977-78 के शुरू में सरकार ने निर्णय किया था कि चीनी की दोहरी मूल्य नीति जारी रहनी चाहिये और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा जाये कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने का कम से कम वही मूल्य मिले जोकि उन्हें पिछले वर्ष मिला था । इस मौसम के दौरान गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है जोकि 1976-77 के उत्पादन की तुलना में लगभग 100 लाख मीटरी टन अधिक है । स्वीटनिंग एजेंटों की अधिक उपलब्धता के फलस्वरूप और अन्य कारणों से भी गुड़, खंडसारी और खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों में गिरावट आयी है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे चीनी उद्योग ने यह महसूस किया है कि मौजूदा मूल्य ढांचे के अन्दर गन्ना उत्पादकों को गन्ने का वही मूल्य देते रहना जोकि उन्होंने आरम्भ में देना स्वीकार किया था, उनके लिये लाभकारी नहीं होगा । इसके अलावा, इस वर्ष बहुत अधिक उत्पादन होने की प्रत्याशा और पिछले वर्ष का अधिक बचा हुआ स्टाक होने के कारण चीनी उद्योग इस बात से भी अत्यधिक चिन्तित था कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी का बहुत अधिक स्टाक बच जायेगा । यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि इस वर्ष गन्ने की अतिरिक्त पैदावार को यथा सम्भव अधिक से अधिक खपाया जाता है ताकि गन्ना उत्पादक के नुकसान को रोका जा सके । सरकार ने इन बदली हुई परिस्थितियों को महसूस किया है और गन्ना उत्पादक के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर और इसके साथ उद्योग को सक्षम आधार पर चलने के योग्य बनाने के लिये चीनी नीति के नये तत्व तैयार किये हैं जोकि इस प्रकार हैं :—

(1) अखिल भारतीय आधार पर लेवी चीनी का भारित औसत निकासी मूल्य 187.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जायेगा। विभिन्न जोनों में लागू मूल्य अलग अलग निकाले और अधिसूचित किये जायेंगे। ये मूल्य पहली मार्च, 1978 से अस्तित्व में आयेंगे।

(2) लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित करने के फलस्वरूप उपभोक्ता के लिये लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 2.15 रुपये प्रति किलो के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2.35 रुपये प्रति किलो करना पड़ेगा। तथापि, यह मूल्य 2.30 रुपये प्रति किलो रखा जायेगा।

(3) इस वर्ष यथा संभव अधिक से अधिक गन्ने के अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिये फैक्ट्रियों को उत्पादन शुल्क में रिबेट दी जायेगी ताकि फैक्ट्रियां इससे प्रोत्साहित होकर 30 अप्रेल, 1978 के बाद पिराई कार्य करती रहें। इस योजना के ब्यूरों की बहुत जल्द ही घोषणा की जायेगी।

(4) 6.5 लाख मीटरी टन के निर्यात (जोकि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन 1977-78 के लिये वस्तुतः कोटा है) की अनुमति दी जायेगी। इससे चीनी फैक्ट्रियों के स्टाक को कम करने में मदद मिलेगी अन्यथा उनके पास यह स्टाक बच जाता।

(5) क्योंकि चीनी का ज्यादा उत्पादन होने से फैक्ट्रियों के पास पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत ज्यादा स्टाक बच जायेगा, इसलिये फैक्ट्रियों की ऋण सीमा में उपयुक्त वृद्धि करने के लिये प्रबन्ध किये जायेंगे ताकि ऋण की अतिरिक्त जरूरतें पूरी की जा सकें।

2. सरकार ने ये निर्णय उद्योग को सक्षम आधार पर कार्य करने में मदद करने और यह सुनिश्चित करने के लिये लिये हैं कि गन्ना उत्पादकों को वही मूल्य मिलता रहे जोकि उन्हें मिलता रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये भी पग उठायेगी कि खुले बाजार में लेवी मुक्त चीनी के मूल्य वांछित स्तर पर बने रहते हैं। इन सभी उपायों और लेवी चीनी के निकासी मूल्यों के निर्धारण से, जैसाकि घोषणा की गई है, सरकार फैक्ट्रियों से यह उम्मीद करती है कि वे गन्ना उत्पादकों को वही मूल्य देकर जोकि उन्होंने आरम्भ में देना स्वीकार किया था और पिराई मौसम को अवधि बढ़ाकर अधिक से अधिक पिराई कर अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने यह जानकारी पहले ही समाचार-पत्रों को दे दी है। जब संसद का सत्र चल रहा है तब ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में अध्यक्ष द्वारा पहले भी यह विचार व्यक्त किया जा चुका है कि ऐसा करना अनुचित है परन्तु इसे आप विशेषाधिकार का मामला नहीं कह सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त की मंजूरी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SANCTION OF AN ADDITIONAL INSTALMENT OF DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

वित्तमंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : यह वक्तव्य समाचारपत्रों को नहीं दिया गया है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते में वृद्धि की जायेगी। अनुसूची के 312 पांइट को पूरा करने के लिये सरकार ने अतिरिक्त भत्ते की किस्त देना स्वीकार कर लिया है।

इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण करा दूं कि दिसम्बर, 1977 के अन्त में 12 मास का औसत अंक 520 पांइट को पार कर गया था। सरकार ने इस मामले पर विचार

1 LSS/78—11

किया तथा कर्मचारियों को छठी किस्त देना स्वीकार कर लिया है । यह किस्त 1 जनवरी, 1978 से दी जायेगी । इस पर सरकार का 50 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च होगा ।

यह भत्ता कैसे अदा किया जाये, इसके बारे में भी संयुक्त परामर्श व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बज कर 15 मिनट तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर 15 मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हो गई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock

---

लोकसभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर 18 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at eighteen minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

काली सूची में दर्ज फर्मों को शोधन के लिये रेप-सीड तेल की कथित सप्लाई

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : Sir, I want to draw the attention of the Government to a serious case of misappropriation and corruption. According to reports two oil mills, namely the Capital Oil Mill and Kamal Oil Mill, which had been blacklisted by the Delhi Administration for their fraudulent transactions, have been given contract by the Government to refine thousands of tons of rapeseed oil. It is also learnt that these firms had no oil refining licence and still due to collusion with certain officials of the Ministry of Supply and the owners of these Companies, oil refining contract involving rupees one crore had been given to them. It is a matter of great concern that despite Delhi Administrations strong opposition, these firms were given a contract for oil refining. I would like to know from the Government the circumstances under which these contracts were given to these companies ? I would also like to know the action which the Government purposes to take against the officials who are founed guilty of such fraudulent transactions ?

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यबाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में 21 फरवरी, 1978 को श्री गौरी शंकर राय द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा डा० सुशीला नायर द्वारा अनुमोदित किये गये निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी —

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1978 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं उस दिन भी यही कह रही थी कि जिस प्रकार हमारी भूतपूर्व सरकार ने संविधान में 42वें संविधान संशोधन को किया था, वह सर्वथा अनुचित था । मेरी यह सशक्त मान्यता है कि 42वें संविधान संशोधन स्थाई रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिये। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण मे 1 आसुका का

निरसन करने तथा देश में कानून और व्यवस्था बनाने के लिय आश्वासन दिया है । सांविधिक पुस्तिका से यह घिनौना कानून सदा के लिये हटा दिया जाना चाहिये । हिंसा करने वालों को देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत सजा दी जानी चाहिये ।

पुलिस अथवा नौकरशाही को 'आंसुका' अथवा किसी भी कानून का उपयोग करने सम्बन्धी अधिकार देना खतरनाक है तथा हाल ही में हम सभी ने इसके परिणाम भुगते हैं । अत हमें 'आंसुका' के पूर्ण निरसन के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये । मैं समझती हूं कि अब सरकार पूर्णतया इस स्थिति में है कि वह कानून तथा व्यवस्था साधारण कानूनों के अन्तर्गत बनाये रख सकती है । ब्रिटिश सरकार ने भी अपने मद्दे इस प्रकार की व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया था । यह एक ऐसा काला कानून है जिसे स्वीकार करना देश तथा जनतन्त्र के लिये हित में नहीं है । अत मेरा गृहमंत्री से यह विनम्र निवेदन है कि वह इसे समाप्त करने के लिये शीघ्र ही कदम उठायें । सरकार हिंसा करने वालों के विरुद्ध साधारण नियमों के अनुसार कड़ी कार्यवाही कर सकती है । इनमें से किसी के प्रति भी उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिये । नियमों को सरल बनाया जाना चाहिये और न्याय शीघ्र दिलाया जाना चाहिये और साथ ही यह कम खर्चीला भी होना चाहिये । इसके लिये विधि मंत्री हमें आश्वासन दे रहे हैं ।

हमें खुशी है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गांवों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देने और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का उल्लेख किया है । गृह मंत्री ने कुछ समय पूर्व ऐसा दस्तावेज पेश किया था, जिसमें हमारे देश की आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला गया था । उस नीति का अब हमें फल मिलने लगा है। में यह नहीं कहती कि हमने सभी कठिनाइयों पर नियंत्रण कर लिया है किन्तु इन कठिनाइयों पर नियंत्रण करने के लिये यथा संभव प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि भूतपूर्व सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को क्षीण कर दिया था । हर्ष की बात है कि अब 'अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने लगा है । गत वर्ष की तुलना में कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा है । पिछले वर्ष यह 1.6 प्रतिशत था और इस वर्ष यह बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया है ।

खाद्यान्नों का भंडार अब 1110 लाख टन की बजाय 1200 लाख टन हो गया है । औद्योगिक उत्पादन में 5 या 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मुद्रा की सप्लाई में इस वर्ष 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि गत वर्ष यह 12.4 प्रतिशत थी और उससे पहले वर्ष 22 प्रतिशत । हमें यह देखना चाहिये कि इसे किस तरह खर्च किया जाये जिससे कि इसमें कमी न आने पाये ।

पिछली सरकार सदैव समाजवाद का राग अलापती थी किन्तु काम पूंजीपतियों के लिये करती थी । यदि पुराने दस्तावेजों को देखा जाये तो पता चलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में इन बड़े-बड़े घरानों की कुल पूंजी में कई गुना वृद्धि हुई है । इससे स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार ने पूंजीपतियों तथा एकाधिकार गृहों का ही कल्याण किया । उत्पादन बढ़ाने के लिये औद्योगिक शांति नितांत आवश्यक है । क्योंकि यदि औद्योगिक शांति नहीं रहेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता । हाल ही में श्रमिकों ने विभिन्न स्थानों पर आन्दोलन किया उनमें असंतोष व्याप्त है और कानपुर में श्रमिकों के जघन्य कार्य बहुत ही निराशाजनक है । क्या यह गत दो वर्षों के दौरान श्रमिकों पर किये गये दमन का परिणाम नहीं है ? हमें श्रमिकों को संतुष्ट करने तथा सामान्य स्थिति पैदा करने के लिये कुछ करना चाहिये। हमें इस दिशा में ध्यान देना चाहिये । राष्ट्रपति महोदय ने मजदूरी उत्पादन आदि पर अध्ययन दल बनाये जाने का उल्लेख किया है । आशा है कि इस दल की सिफारिशों से प्रबन्धकों और श्रमिकों

की समस्या का समाधान होगा। और शांति की स्थापना होगी और इसके फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि होगी और अन्ततोगत्वा जनसाधारण की दशा में सुधार होगा। मजदूरी और उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। हम जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये वचनबद्ध हैं। इसके लिये हमें जनसंख्या में हो रही असीमित वृद्धि को रोकना होगा। इस कमजोरी का कारण यह है कि भूतपूर्व सरकार ने इस संबंध में ज्यादतियां की हैं और हर संभव उपाय काम में लाये। हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये अच्छे उपाय काम में लाने चाहियें। परिवार नियोजन केवल राष्ट्र के हित में ही नहीं है बल्कि यह हर व्यक्ति के हित में है। किन्तु ऐसे कार्य किये गये हैं कि जो नहीं किये जाने चाहिये थे। मां तथा बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये उपाय किये जाने चाहियें (**व्यवधान**)

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Speaker, no minister is sitting here at present. Only two State Ministers are sitting here who are talking with each other. We cannot tolerate it. We will not allow to continue this....(*interruption*).

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : यहां तीन मंत्री बैठे हुए हैं। सरकार को चलाने का यह तरीका नहीं है।

श्री बी०पी० मंडल (माधोपुर) : जब किसी बात पर वाद-विवाद हो रहा हो और सभा में कोई मंत्री उपस्थित न हो तो मंत्रि-मंडल केवल एक सोसाइटी बन कर रह जायेगा। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है --(**व्यवधान**)

श्री ए० बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री यहां नहीं है। डा० सुशीला नायर ने यहां अच्छा भाषण दिया है और हम सबने उसे सुना है। शायद सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों के लिये यह सुनना आवश्यक न हो। वह राष्ट्रीय प्रश्नों पर चर्चा कर रही हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Untill and unless Cabinet Ministers do not come here, we would not allow to carry on the debate. One of the Cabinet Ministers should be present here. It is regrettable that your order is not being abided by.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को यहां आने के लिये कह दिया है।

डा० सुशीला नायर : मैं अर्थव्यवस्था में सुधार करने की बात कर रही थी। अभी उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है तथा अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि जन साधारण श्रमिक वर्ग आदि का जीवन स्तर बढ़ सके।

उत्पादन और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये एक और औद्योगिक उत्पादों को जनसाधारण की पहुंच तक लाने के लिये मूल्यों को कम करना चाहिये। और दूसरी ओर उनकी क्रय क्षमता को बढ़ाना होगा। जब तक उनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी तो उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं का बड़ा भारी भंडार वैसे ही पड़ा रहेगा और बिक नहीं पायेगा। यह आवश्यक है कि सरकार देश में खपत के लिये कुछ छूट दे जैसा कि वे निर्यात के लिये कर रहे हैं। और हमें अर्थ-व्यवस्था में सुधार करना चाहिये। ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि आंतरिक खपत के लिये उत्पादन बढ़ाया जाये। निर्यात किया जाये किन्तु आंतरिक खपत को पहले पूरा किया जाना चाहिये। हमने 65 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है किन्तु यह सुनिश्चित होना चाहिये कि देश के अन्दर चीनी के मूल्य में वृद्धि न हो।

देश में विदेशी मुद्रा बढ़ने की समस्या है । जब तक इस समस्या को हल नहीं किया जाता तब तक इससे देश में मुद्रा स्फीति बढ़ने की आशंका है । कुछ लोग कहते हैं कि हमें आयात के बारे में उदारता बरतनी चाहिये । यदि हम आयात में उदारता बरतेंगे तो इससे.. (व्यवधान) हम गत पांच वर्षों से आत्म-निर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं यदि हम आयात में उदारता दिखायेंगे तो आंतरिक खपत तथा आत्म-निर्भरता पर इसका प्रभाव पड़ेगा । साथ ही युवा उद्यमियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । सरकार इस विदेशी मुद्रा में कुछ देशों के ऋण का भुगतान क्यों नहीं कर देती । यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि जब हमारे पास जरूरत से अधिक विदेशी मुद्रा हो तो फिर हम कुछ दूसरे देशों के ऋण का भुगतान क्यों न करें । हमें व्यर्थ में उन्हें व्याज देना पड़ रहा है ।

सरकार की औद्योगिक नीति की सराहना की जानी चाहिये । छोटे पैमाने के क्षेत्र तथा ग्रामोद्योगों के लिये पांच सौ कुछ वस्तुओं को निर्धारित करने का कार्य सराहनीय है । इससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी । हमें युवा उद्यमियों की सहायता करनी चाहिये । उन्हें बैंक से लिये गये ऋण पर 15 से 18 प्रतिशत तक व्याज देना पड़ता है । यह एक विकट समस्या है । इसे हल किया जाना चाहिये ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि आपात काल के दौरान जिन लोगों का भ्रष्टाचार में हाथ था, अब इस आधार पर शराब बन्दी का विरोध कर रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा । वे शराब बन्दी का विरोध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर कर रहे हैं । मैं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की विरोधी नहीं हूं किन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वहीं तक होती है जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को हानि न पहुंचे । किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी आय शराब पर बर्बाद कर दे और उसके बच्चे भूखों मरें । शराब पीकर गाड़ियां चलाई जाती हैं, जिनसे कई दुर्घटनाएं होती हैं और कई व्यक्तियों की जानें जाती हैं । यह भी कहा जा रहा है कि पहले भी नशाबन्दी असफल रही और भविष्य में भी यह असफल रहेगी । मैं उन्हें यह बता दूं कि नशाबन्दी कभी भी असफल नहीं रही बल्कि उसको लागू करने वाले लोग असफल रहे हैं। सरकार असफल रही है। नशाबन्दी भूतपूर्व मद्रास राज्य और संयुक्त बम्बई राज्य और के अलावा कहीं निष्ठापूर्वक लागू की ही नहीं गई। इसको लागू करने में अनेकों कठिनाइयां हो सकती हैं । किन्तु यह एक सामाजिक बुराई है जिसे सरकार को दूर करना है । यदि कोई ईमानदारी से देखे और सोचे कि इससे श्रमिक वर्ग तथा निर्धन लोगों को कितना लाभ हुआ है तो पता चलेगा कि वे लोग इस शराब के कारण तबाह हो गये । शराबबन्दी से कई लोगों का जीवन सुधरा है। श्रमिक वर्ग की यह प्रतिक्रिया है कि कोई भी सरकार शराब बन्दी नहीं कर सकती.... (व्यवधान)

अवैध शराब बनाने के लिये पैसा ठेकेदार देते हैं, छोटे दुकानदार नहीं । यह भी कहा जा रहा है कि इससे राजस्व की हानि होगी । यह उपेक्षनीय तर्क है । विशेषज्ञों के आंकड़ों के अनुसार उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाले प्रति एक रुपये पर शराब पीने वाला 4 या पांच रुपये व्यय करता है। माना कि सरकार को एक हजार या दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है और लोग शराब पर पैसे व्यय न करके 10,000 करोड़ रुपये बचा लेते हैं तो क्या यह लाभ नहीं है ? यह पैसा लोग खाने पीने पर व्यय कर सकते हैं । बैंक में जमा करके व्याज कमा सकते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार को लाभ ही होगा न कि हानि। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब से होने वाली आय के बदले उससे पैदा होने वाली समस्याओं के हल पर 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं । इस माध्यम से पैसा कमाना कोई उचित बात नहीं है । मैं नशाबन्दी के इस सरकारी निर्णय का स्वागत करती हूं क्योंकि इससे लोगों का बहुत हित होगा । कई लोगों की आय अच्छी होती है किन्तु फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है । इसका

एक ही कारण है कि वे लोग अपना पैसा शराब पर बर्बाद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की स्थिति कैसे सुधर सकती है । पंजाब का ही उदाहरण ले लीजिये । पंजाब हर तरह से समृद्ध है किन्तु वहां के लोग अपने बच्चों पर कम खर्च करते हैं और शराब पर अधिक।

आज अमरीका में शराब पीने से कई लोगों को मानसिक रोग हो गया है ।

यह भी कहा जा रहा है कि यदि देश में नशाबन्दी हो जायेगी तो इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो जायेगी । पर्यटक यहां शराब पीने नहीं आते बल्कि हमारे देश को देखने के लिये आते हैं। शराब पर खर्च किया जाने वाला धन विकास कार्यों पर लगाया जा सकता है ।

श्री ओ०वी० अलगेशन (अर्कोदम): सर्वप्रथम मैं प्रधान मंत्री को बधाई दूंगा कि वह आस्ट्रेलिया में हुए बम विस्फोट से बच गये । यह दूसरा अवसर है जब कि वे बाल-बाल बचे हैं ।

आज तक मैंने कई बार राष्ट्रपति के अभिभाषण सुने हैं किन्तु राष्ट्रपति का यह अभिभाषण बड़ा ही नीरस और निरर्थक तथा अविश्वसनीय है । लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन होने के कारण इस अभिभाषण से वर्तमान सरकार का वास्तविक रूप झलकता है । तथा सरकार के दिवालियेपन तथा सही स्वरूप को प्रदर्शित करता है । इसमें कहा गया है कि विधान मंडलों, वादकार्यपालिका, न्यायपालिका तथा नागरिकों के बीच पुनः संतुलन स्थापित किया जा रहा है । यह कैसा संतुलन है जिसका आविष्कार जनता सरकार ने किया है ? मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रि-मंडल के मंत्रियों के बीच समुचित संतुलन है । इस सरकार के भिन्न-भिन्न विचार हैं । कभी-कभी संदेह होता है कि इस सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रधान मंत्री या गृह-मंत्री । प्रधान मंत्री महाराष्ट्र की हड़ताल की निन्दा करते हैं और उद्योग मंत्री इसका समर्थन । वित्तमंत्री का इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है, जब वे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पत्रकार गोष्ठी में कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि इस देश में निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है ? वित्त मंत्री को कारणों का विषलेशण करना चाहिये और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये जिसमें कि निवेश बढ़ सके । जनता पार्टी को ही देखिए । इनमें आपस में संतुलन नहीं है । इनके विचार भिन्न-भिन्न हैं । एक दूसरे पर दोषारोपण लगाते हैं ।

क्या जनता सरकार ने आपसी मतभेद भुलाकर अपने कार्य में गम्भीरता बरती है ? यह सरकार एक ही वर्ष में थक गई है ।

भाषा के प्रश्न पर हमने गहराई से विचार किया है। यह प्रश्न सरकारी भाषा अधिनियम के पारित होने के समय तय हो गया था। परन्तु अभी भी हम इस पर गलत तरीके से विचार कर रहे हैं। हमें हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा पर कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु अपना अभिभाषण हिन्दी में न पढ़ने के कारण माफी मांगने का कोई कारण समझ में नहीं आता । इसके लिये राष्ट्रपति माफी क्यों मांगे ? सदस्यगण इस प्रश्न की गंभीरता को देखें । हम हिन्दी में बोलने वाले सदस्यों का भी विरोध नहीं करते । कई माननीय सदस्य तेलुगु, तामिल या बंगला में बोलते हैं । जब हिन्दी तथा उत्तरी भारत की अन्य भाषाएं बनी थीं और लिखी तथा बोली जाने लगी थीं ..(**व्यवधान**) मैं विकसित होने के दृष्टिकोण के बारे में कह रहा हूं..(**व्यवधान**) मैं किसी भाषा का महत्व कम नहीं कर रहा हूं । जिस को भाषाओं के प्रश्न से कुछ लेना देना नहीं है, वह किसी भाषा से घृणा नहीं कर सकता ।....(**व्यवधान**) ।

तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार थी । वह लोक-प्रिय थी तथा उसका प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा था । किन्तु भाषा के प्रश्न पर, हिन्दी के प्रश्न पर वह सरकार संकट में पड़ गई । यदि भाषा के प्रश्न पर किसी पर दबाव डाला गया तो इससे देश की एकता नष्ट हो जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार ने केरल जैसे राज्य में हिन्दी में संदेश क्यों भेजे ? क्या वहां कोई अधिकारी हिन्दी जानता है ? इसलिये उन्होंने मलयालम में उत्तर भेजा । जब तमिलनाडु में कोई संदेश भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजते हैं । यह सब मेहनत व्यर्थ करनी पड़ती है । जिन राज्यों ने हिन्दी को सरकारी भाषा नहीं माना है उनके साथ पत्र व्यवहार अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में क्यों किया जाता है ? इस तरह आप भारत सरकार की लेखन सामग्री, समय तथा पैसा क्यों बर्बाद करते हैं ? भाषा का यह मामला बड़ा नाजुक है । यह अच्छा नहीं लगता कि हम समय-समय पर भाषा के प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा न करें ।

अब मैं तूफान से पीड़ित राज्यों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को सहायता देने के गंभीर मामले पर आता हूं ।

आप का निर्वाचन-क्षेत्र भी तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ है । यह एक अभूतपूर्व आपदा थी जो पिछले सौ वर्ष में भी नहीं हुई है । आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकार ने इस विपत्ति से निपटने के लिये कितनी सहायता मांगी और उन्हें कितनी सहायता दी गई है ? तमिलनाडु ने 130 करोड़ रुपये की सहायता मांगी और इससे 33 करोड़ रुपये मिले । इसी तरह आन्ध्र प्रदेश ने भी लगभग 250 करोड़ रुपये से कुछ कम सहायता मांगी थी और केन्द्र ने उसे 63 करोड़ रुपये दिये हैं । शेष का क्या हुआ ? यह किस खाते पर दी गई है । कहा गया है कि यह धन छटे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिया जा रहा है ।

हमने वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि इसे अग्रिम योजना सहायता न माना जाये, इसे एक अलग योजना सहायता माना जाये । परन्तु सरकार की इस के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं रही । वित्त मंत्री इस संबंध में यह आश्वासन दें कि इसे अग्रिम योजना सहायता नहीं माना जायेगा।

सरकार की औद्योगिक नीति का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सरकार द्वारा लघु क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं की संरचना संख्या 180 से बढ़ा कर 504 कर दी गई है । परन्तु कई वस्तुओं को बार-बार लिखा गया है । तथापि औद्योगिक नीति पुरानी शराब को नई बोतल में रखने जैसी ही है ।

जनता सरकार के इस कथन में कोई सत्यता नहीं है कि कॉंग्रेस का 30 वर्ष का शासन बेकार गया। यह कहा गया है कि कॉंग्रेस के 30 वर्ष के शासन में अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध ठीक नहीं रहा । इस कथन को सदा के लिये समाप्त कर देना चाहिए।

अभिभाषण में कहा गया है कि प्रगति की दर 5 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष यह 2 प्रतिशत थी। इसमें मुद्रा स्फीति को कम करने का भी दावा किया गया है। यह भी कहा गया है कि इस सरकार के कार्यभार संभालने से पहले की तुलना में अब मूल्य कम है। परन्तु ये कथन जाँच करने पर सही नहीं ठहरते ।

यह कहना गलत है कि अब मूल्य जनता सरकार द्वारा सत्ता में आने से पहले के बनिस्पत कम है। जनवरी 1978 के अन्त में थोक मूल्य में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। खाद्यान्नों के मूल्य 8.6 प्रतिशत बढ़े हैं। इस वर्ष बैंकों में जमा राशि में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 25.9 प्रतिशत थी। सरकार इस रुख में परिवर्तन लाए और कंजूसी की नीति न अपनाए।

अभिभाषण में अनवरत चलने वाली योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमें अभी भी जो पंचवर्षीय योजना बन रही है उसकी बातों को जानना है। समाचार पत्रों में आज अग्रिम जानकारी दी गई है। आशा है सरकार शीघ्र ही अपनी पंचवर्षीय योजना की जानकारी देगी।

अभिभाषण में निर्वाचन सुधारों का भी उल्लेख किया गया। सरकार अभी तक दल बदल निरोधक विधेयक नहीं लाई है। जब भी हम सरकार से इस बारे में पूछते हैं वह इस बात का सहारा लेकर कि विपक्षी दलों से परामर्श किया जा रहा है, बात को टाल देती है। यह एक बहाना मात्र है । क्या अपने पक्ष म सब दल बदल करना चाहते हैं और तब विधेयक लाएंगे? भारत में इस समय जिस मात्रा में दल बदल हो रहा है उससे लोकतंत्र और जनता का साहस कम होता जा रहा है। अतः सरकार इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र लाए और देरी न करे।

यह कहा गया था कि 42वें संविधान संशोधन को समूचे समाप्त किया जाए। परन्तु आपात काल की सबसे अधिक हानि कांग्रेस को हुई। इसलिए आपात स्थिति से काँग्रेस को घबराना चाहिए, जनता पार्टी को नहीं। यह जनता पार्टी के लिए एक छिपा बरदान है। परन्तु लगता है जनता सरकार किसी न किसी रूप में आन्तरिक आपात काल रखना चाहती है। हमारा कहना है कि इन परिस्थितियों में भी हमें आपात काल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपात काल पूर्णतः समाप्त किया जाए।

आँसुका के अन्तर्गत 263 और विदेशी मुद्रा कानून के अन्तर्गत 163 व्यक्ति बन्दी बनाए गए। इनमें से अधिकतर विदेशी हैं। इसलिये यह स्पष्ट है कि भारतीयों के लिए आंसुका की आवश्यकता नहीं है। हमें विदेशियों से निपटने के लिये कोई उपाय करना चाहिये। सरकार को एक ओर आंसुका को रद्द कर दूसरी ओर उसके उपवन्धों को लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह कहना सही है कि नजरबन्दी निवारक कानून की कोई आवश्यता ही नहीं है। अब तक यह एक अस्थायी कानून था तथा इसे अब देश के दाण्डिक कानून का स्थायी अंग न बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय निम्नलिखित संशोधनों को पेश किया गया समझा जाये :

संशोधन संख्या

2 से 15,

19 से 28,

53 से 58,

124,

143 से 157,

160 से 166,

214 से 216,

224 से 227,

230 से 233,

278 से 381,

391,

277 से 295,

303 से 305, और

366 से 371.

Shri B.P. Mandal (Madhepura) : I support the Motion of Thanks on the President's Address.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

The Congress Party Legislators had been blindly supporting Smt. Indira Gandhi's Government but we, the Janata Party legislators' will not like to do so for the Janata Government.

The people were having high hopes from Janata Government when it came to power in March last year after the momentous elections in the country. Unfortunately during its rule of about one year, the Janata Government has not been able to bring any dynamic or radical change in the country and it appears that they perhaps do not intend to bring any. Now, here we find that at the time when such an important discussion is going on in the House, not a single Cabinet Minister is present. Is it fair ?

It is true that freedom of the people and freedom of the Press has been restored. This is an important thing, but merely going on repeating this will not help. Something concrete, something positive for the benefit of the people has got to be done. So far as the freedom of the Press is concerned, it is good that it has been restored, but there has to be some control over this freedom. Newspapers are under the control of the capitalists and they publish only that news which suits them. They do not give full and complete news. For example, the press has failed to condemn strongly and give full details of the incident at Varanasi where Babu Jagjivan Ram was humiliated. The Press is not giving full coverage to the proceedings of the House even. In the Janata Party manifesto, it was said that Radio and T.V. will be made autonomous bodies, but it has not been done so far. It should be done early.

The provision regarding emergency should be removed totally from the Constitution or, in case it is not possible to do so, it should be clearly and specifically defined that under what circumstances emergency can be imposed and for how long the state of emergency can be retained etc. If this is not done, the existing provision relating to emergency can be misused by someone else also for continuance in power as was done by Smt. Indira Gandhi after Allahabad High Court Judgement.

It has been stated in the Presidential Address that Peoples' Representation Act will be amended. It has been noticed that many of the contestants are spending even two-three lakhs each on election as against the permissible limit of Rs. 85,000 and are rendering bogus accounts. Ours is a poor country and, therefore, appropriate amendment to control the contestants' expenditure on elections should be brought early.

Lokpal Bill has also been referred to in the Address. This has been brought many times before Parliament since 1968 but could not be enacted for some reason or the other. Necessary changes and amendments should be made in it before it becomes an Act. It would be of no use to make this body a recommendatory body only. The provisions of the Bill should be made mandatory and the Prime Minister, the judges of High Courts and Supreme Court and other high ups should be brought under its jurisdiction. It will not be proper to make it applicable to the Members of Parliament as they simply express their ideas and are not passing any orders. Lok Pal should be given more and wider powers. The Ombudsman system or Parliamentary Commission as exists in Scandanavian Countries and other countries of Europe should be thoroughly studied and the Lok Pal Bill should be made effective on the same pattern.

The Police Commission may prove useful. But our C.R.P.F., B.S.F., States Armed Police personnel are being imparted same type of training to maintain law and order as was being imparted during British regime. They are seen trigger happy and do not seek cooperation from people. On peaceful demonstrations staged by students etc. only rubber bullets and hose-pipes should be used to check disturbances as is being done in Europe.

Backward Classes Commission has also been referred to in the Address. In this connection, I will like to point out that much has not been done for Harijans which ought to have been done. More effective steps should be taken in this direction.

It has been stated that prohibition will be implemented in four years. I feel that instead of four years it should be fully implemented in four months. The earlier it is done, the better it will be. It is not proper that for a little revenue for the Government, people should be allowed to continue wasting lot of their money over liquor.

श्री सी० एम० स्टोफन (इडुक्की) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हुं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीन पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। एक तो जो वर्ष गुजर गया है उसकी सच्ची तथा निष्ठापूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए तथा जो वर्तमान स्थिति है उसके सही रूप से अवगत कराया जाना चाहिए तथा आगमी वर्ष के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसके बारे में भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इन तीनों दृष्टिकोणों से राष्ट्रपति के अभिभाषण में अवलोकन करने पर मुझे अत्यधिक निराशा हुई है।

यह दावा किया गया है कि विकास दर में समुचित वृद्धि हुई है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में बिल्कुल भिन्न बात कही गई है। चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उत्पाद की सकल दर 5 प्रतिशत होने की अपेक्षा थी लेकिन यह विकास दर वर्ष 1975-76 की 8.5 प्रतिशत से भी कम रही और फिर भी यह दावा किया जा रहा है कि विकास दर समुचित है।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1976-77 में औद्योगिक उत्पादन की दर 10.4 प्रतिशत से बढ़ी। 1976-77 में काँग्रेस सरकार सत्तारूढ़ थी और उस समय औद्योगिक उत्पादन की दर 10.4 प्रतिशत थी और आज यह 5 से 6 प्रतिशत के लगभग है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि 8.7 प्रतिशत के लगभग है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष मुद्रा की सप्लाई अधिक होने से मुद्रास्फीति बढ़ी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति और भी विकट होगी तथा मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी।

जहाँ तक निर्यात स्थिति का संबंध है, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि निर्यात वृद्धि की दर 1976-77 में 27 प्रतिशत से कम होकर लगभग 9 प्रतिशत रह गई है। गत वर्ष जिन चीजों जैसे चीनी, चमड़ा, लोहा, और इस्पात, सूती कपड़े, मछली और मछली के पकवान इत्यादि के निर्यात में वृद्धि हुई थी इस वर्ष कुछ कारणों से उनका उतना निर्यात नहीं हो सका है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि तेल, दाल तथा कपड़े के उत्पादन में कमी औद्योगिक उत्पादन में कमी आदि-आदि सचमुच चिंताजनक बातें हैं। जनता सरकार की एक वर्ष की यह उपलब्धि है।

राष्ट्रपति ने कहा है कि नियंत्रणों की समूची व्यवस्था के विस्तारपूर्वक अध्ययन तथा उन्हें कम करके सुचारू बानने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। जनता पार्टी को अपनी स्वतंत्र विचार धारा रखने का हक है लेकिन हमारे जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जहाँ हर प्रकार के चुंगल हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं। कुछ क्षेत्रों में धन का अभाव है, कुछ नियंत्रण अवश्य होने चाहिएं जनता पार्टी अपने सिद्धान्तों पर चल रही है। वास्तव में स्वतंत्र पार्टी का दर्शन अपना रही है और सब प्रकार के नियंत्रणों को बिल्कुल हटा रहे हैं।

आने वाले समय में मूल्य वृद्धि से एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक 5.9 प्रतिशत तक बढ़ गया है और कर्मचारी वर्ग का मूल्य सूचकाँक 9.8 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज सरकार को अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किस्त की घोषणा करनी पड़ी है। यदि मूल्य सूचकाँक में वृद्धि नहीं हुई है तो सरकार मंहगाई भत्ता की अतिरिक्त किस्त क्यों दे रही है ? यह स्पष्ट है कि मूल्यों में समुचित वृद्धि हुई है।

मूल्य वृद्धि से कर्मचारियों को बहुत कठिनाई हो रही है। उनकी शिकायतों को दूर करना होगा। सरकार ने कहा है कि कोई भी असंतुष्ट वर्ग अपनी उचित शिकायतों का संवैधानिक तरीकों से निराकरण करा सकता है। उनका हमेशा स्वागत है लेकिन कानून और व्यवस्था भंग करके हिंसात्मक तरीका अपनाने वालों के प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी। लेकिन उन पूंजीवादियों को कोई कड़ी चेतावनी नहीं दी जा रही है जो कि सभी प्रकार की सहायता दिये जाने के बावजूद भी अपनी पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो गुंडे हरिजनों और आदिवासियों को मार रहे हैं जो कि भूमिहीनों से उनकी संपत्ति छीन रहे हैं और जो कानून तथा व्यवस्था की स्थिति भंग कर रहे हैं, उनको भी कोई कड़ी चेतावनी नहीं दी जा रही। कड़ी चेतावनी केवल कर्मचारी वर्ग द्वारा दी जा रही है जो कि हड़तालों का आश्रय न लें लें। यह बात भलीभांति समझ लेनी चाहिए यदि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति जारी रही तो कोई भी कर्मचारियों के असंतोष पर काबू नहीं पा सकेगा और न ही सरकार की कोई कड़ी चेतावनी काम कर पाएगी। इस संदर्भ में औद्योगिक असंतोष को दूर करना मात्र एक नेक ख्याल होगा।

कमजोर वर्गों के बारे में परसों के अखबारों में यह खबर थी कि विधान सभा में जारी किए गए वक्तव्य के अनुसार मध्य प्रदेश में 105 हरिजनों की हत्या की गई। बिहार में आये दिन एक न एक घटना होती रहती है। हरिजनों और आदिवासियों का बड़े पैमाने पर दमन किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ? सरकार ने कहा है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व देती है। क्या हरिजनों तथा अन्य कमजोर वर्ग की समस्याओं का समाधान आयोग कर सकते हैं ? आयोग के स्थान पर यदि हम संवैधानिक तन्त्र को सुदृढ़ बनाकर हरिजनों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करें तो वह उचित होगा। ऐसी व्यवस्था राज्य स्तर तक की जानी चाहिये। यह कार्य गृह मंत्री को नहीं सौंपा जाना चाहिये।

इसी प्रकार अल्प संख्यक समुदायों की अपनी समस्याएं हैं। वे सर्वविदित हैं। उसके समाधान के लिये आयोग की क्या आवश्यकता है ? इन उपायों से उन समुदायों की समस्याएं हल नहीं होंगी।

प्रजातंत्र के संरक्षण के बारे में भी बड़ा दावा किया गया है। ऐसा माना यह दर्शाने के लिए किया गया है जैसे पिछले 30 वर्षों से इस देश में प्रजातंत्र नहीं था और इस प्रजातंत्र के बारे में क्या कहें? कर्नाटक में क्या हुआ है। कर्नाटक में ऐसा मंन्त्रिमंडल था। जिसे विधान सभा का पूर्ण बहुमत प्राप्त था। विधान सभा की बैठक एक दिन बाद होने वाली भी स्वीकार्य सिद्धांत है कि बहुमत और अल्पमत के प्रश्न पर फैसला विधान सभा में ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को समाप्त कर दिया और उस सरकार के सदस्य पुनः जनता के पास गये और जनता ने उनमें अपनी पूरी आस्था प्रकट करके उन्हें पुनः सत्तारूढ़ किया है। केन्द्र सरकार ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध कदम उठाया है। लोगों ने उस कार्यवाही के विरुद्ध अपना मत दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सरकार को यह निर्णय करना है कि क्या केवल गृह मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए अथवा समूची सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

हम पर लोकतंत्र के विनाश का आरोप लगाया गया। जनता पार्टी के उत्तर में विधान सभाएं भंग कर दीं। जब चुनाव जारी थे। एक वर्तमान मुख्य मंत्री को अपदस्त कर दिया गया और उसके विरुद्ध आन्दोलन किया गया। देश में इस प्रकार लोकतन्त्र का संरक्षण किया जा रहा है।

कांग्रेस के झंडे के विरुद्ध धमकी दी जा रही है लेकिन यह बात भली प्रकार समझ ली जानी चाहिए कि कांग्रेसी आखिरी दम तक अपने दल के झण्डे की रक्षा के लिए तत्पर हैं तथा रहेंगे।

विदेश मंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि जहां तक विदेशी नीति का संबंध है उसमें जरा भी परिवर्तान नहीं किया गया है और उनकी सरकार भूतपूर्व सरकार की नीति अपना रही है । यदि ऐसा है तो गुट निरपेक्षता की न्यायोचितता पर बार बार क्यों बल दिया जा रहा है । आप का यह कहना है कि हमारी सरकार का झुकाव सोवियत संघ की ओर रहा । हमें यह बात स्पष्ट रूप से तो समझ लेनी चाहिए कि जब भारत ने अपनी प्रभुसत्ता के संबन्ध में स्वतन्त्र नीति अपनाई तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ देशों का भारत की ओर झुकाव हो जाना संभव ही था । वस्तुस्थिति तो यह रही कि भारत तथा सोवियत संघ के बीच आपसी समझबूझ दी गई जिसके फलस्वरूप दोनों एक दूसरे के करीब आ गये तथा हमारी मित्रता बढ़ती चली गई ।

आपातस्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया । जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई समग्र क्रांति के बारे में हमारे अपने कुछ विचार हैं । हम यह समझते हैं कि यह फासिस्ट विरोधी क्रांति थी उस समय व्याप्त स्थिति के कारण हमें ऐसा विश्वास करना पड़ा और आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। हम आपात स्थिति का तब भी समर्थन करते थे और अब भी करते हैं ।

आपातस्थिति लागू होने के लिए हम क्षमा नहीं मांगते । इस दौरान जरूर कुछ ज्यादतियां हुई । इसके लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हैं । हमें इस बात का खेद है कि कुछ अपराध हुए और एक स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित किया गया । न्यायपालिका अपना कार्य नहीं कर पाई और सेंसरशिप लगानी पड़ी । लेकिन अपराधियों के प्रति हमारी बिल्कुल कोई सहानूभूति नहीं है उन्हें दण्ड अवश्य दिया जाना चाहिए ।

आपातस्थिति हटाने के फलस्वरूप आसुका की धारा 16 स्वमेव रद्द हो गई है । केवल दूसरा आसुका रह गया है जो कि नजरबन्दी निवारक अधिनियम का ही एक रूप है । सरकार अब आसुका को रद्द करने के लिए एक विधेयक लाई है लेकिन साथ ही वह दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक संशोधन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग न्यायालयों की शरण में नहीं जा सकेंगे। इस प्रकार जनता पार्टी अपने बचनों को पूरा कर रही है ।

एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई है । यदि जनता पार्टी यह समझती है कि वह इस प्रकार आयोग बिठा कर किसी का राजनैतिक हनन कर लेगी तो मैं यह कहूंगा कि वह बिलकुल भ्रम में है । कितने ही आयोग क्यों न बिठाएं जाएं, जांच कराई जाए रिपोर्ट प्राप्त की जाएं लेकिन देश की जनता जानती है कि उनका उसे क्या करना है ।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता ठ क्योंकि इसके द्वारा बदले की भावना से बदनाम करने की कोशिश की गई पूरे वर्ष भर में कोई कार्यवाहीं नहीं की गई हैं और यह देश की अर्थवयवस्था के लिए बहुत अहितकर है । यह वर्ष पूंजीवादियों तथा धनी व्यक्तियों के लिए बहुत सौभाग्य पूर्ण रहा जो कि कर्मचारी वर्ग के विनाश का द्योतक होगा । अतः मैं अपनी पूर्ण शक्ति से इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री एम० एन० गोविन्द नायर (त्रिवेन्द्रम) : लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनः कायम करने के लिए मुझे इस सरकार की प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं है । सरकार संविधान के संशोधन हेतु एक व्यापक विधेयक लाना चाहती है । मैं इसका भी समर्थन करता हूं । 42वें संशोधन अधिनियम को रद्द करके संविधान के आधारभूत लोकतांत्रिक ढांचे को पुनः सुनिश्चित किया जा रहा है ।

जनता सरकार को केन्द्र राज्य संबंधों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए । पिछले अनुभवों से हमें यह ज्ञात होता है कि पहले बढ़ते राजस्व के सभी साधन केन्द्र सरकार के पास था और बढ़ते खर्च के सब राज्य सरकारों के पास थे उन्हें कई बार प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखने के लिए भी केन्द्र सरकार की सहायता लेनी पड़ती थी । उन्हें अपने सभी विकासशील कार्यों के लिए योजना आयोग को कहना पड़ता था । ऐसी स्थिति जारी नहीं रखी जा सकती राज्यों तथा केन्द्रों के प्रतिनिधि को जल्दी ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए ।

जहां तक दल बदल का संबंध है जनता पार्टी के लिए एक उदाहरण पेश करने का यह एक सुनहरा अवसर है । किन्तु जनता पार्टी के नेता दल बदल को इस ढंग से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके अपने ही आदमियों में प्रतिक्रिया हो रही है । यह बड़े खेद की बात है । दल बदल के संबंध में विधेयक पेश करने का क्या लाभ है जब कि राजनीतिक दल यह निर्णय नहीं ले सकते कि वे दल बदल का विरोध करेंगे या नहीं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान केन्द्रित करने जा रही है । उन्होंने कहा है कि कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों, तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है । केरल में नारियल जटा एक ऐसा उद्योग है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है । हमने कभी भी वहां मशीनों का प्रयोग नहीं करने दिया । अब सरकार ने वहां मशीनीकरण के लिए लाइसेंस दे दिया है । हमारे राज्य में मछली मारने का धन्धा खूब विकसित है । अब वहां बड़े-बड़े धनी लोगों का केन्द्रीकरण हो रहा है । एक समय आयेगा जब वे इस उद्योग को नष्ट कर देंगे और लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जायेंगे । जब सरकार कोई बात कहती है तो उसमें कुछ विश्वासनीयता होनी चाहिए । अब समय आ गया है जब सरकार को शीघ्र ही इस दिशा में उचित कार्यवाही करनी होगी ।

स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 197.80 पैसे थी और आज यह 1.50 रुपये कम हो गई है । हमारा कृषि उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है किन्तु किसानों की दशा बड़ी दयनीय है । हमारी जनसंख्या का 59.5 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे है इसका मतलब यह हुआ कि 36 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे हैं । श्री बीजू पटनायक यहां नहीं हैं, उनके राज्य में तो 85 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं ।

हमारे देश में 575936 गांव हैं । किन्तु केवल 5320 गांवों में ही प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं तथा 37679 गांवों में उपकेन्द्र हैं जहां चिकित्सा नहीं है । हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की यह दशा है ।

शिक्षा की स्थिति भी अच्छी नहीं है । 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे में निरक्षरता 30 प्रतिशत है और देश में कुल निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 70.5 प्रतिशत है । वर्तमान ग्रामीण जीवन की ऐसी वास्तविक स्थिति है ।

सरकार कुटीर उद्योगों तथा हथकरघा क्षेत्र को सहायता देने की बात कर रही है । इस संबंध में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है । केवल पिछली सरकार ने ही इन लोगों की कुछ सहायता की थी ।

हमारे देश में जितनी भी आर्थिक प्रगति हो रही है उसका लाभ बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ही मिल रहा है । यह प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है और आज के युग में यह खतरनाक भी है । पहले ही 125 फर्मों ने दूसरे देशों में अपने कार्यालय या उद्योग स्थापित कर लिए हैं । इन्हीं उद्योगों तथा ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी मुद्रा उपयोग में लाई जा रही है । अतः इस तरह जो पैसा बचाया जाता है वह विदेशों में चला जाता है और देश में गरीबी बढ़ती जा रही है ।

औद्योगिक उत्पादन 10 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह गया है। देश के विभिन्न कारखानों में हड़तालें हो रही हैं। कुछ कारखानों में झगड़े हुए और अशांति भी व्याप्त है। ऐसा क्यों हो रहा है।

अब से पहले उत्पादन का 63 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ वेतनों तथा भत्तों के रूप में श्रमिकों के कल्याण के लिए व्यय किया जाता था। यह कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक अध्ययन किया है जिसके अनुसार यह कम करके 43.3 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः श्रमिकों को जितना कुछ मिलता था उसमें कमी करने तथा मूल्यों के बढ़ने से उनमें असंतोष पैदा हो गया है। इन सब मामलों में यह सरकार असफल रही है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि समुद्री तुफान एक प्राकृतिक आपदा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनके इरादे चाहे कितने भी अच्छे हों सरकार देश की कठिनाईयों को दूर नहीं कर सकती। यदि वे चाहते हैं तो भी उन्हें यह पता नहीं है कि क्या करना है। यही सबसे बड़ी आपदा है।

Shrimati Chandravati (Bhiwani) : Sir, I stand to support this motion of thanks. The leader of Congress (I) has justified the imposition of emergency. That was a dark period in our history which was ushered in only by a bad ruler.

Reference has been made to certain Congress leaders of Haryana. In Haryana cases have been instituted only against those Congress leaders who have amassed wealth during the last 7 or 8 years. There are certain Chief Ministers in our country who have excelled Warran Hastings in looting our country. They could not be punished through normal processes of law. Special Courts should be set up to bring them to book.

Economic condition of Muslims has deteriorated during the last 30 years. The sympathisers of Muslims have actually sucked their blood. How could Janata Party be blamed for the conditions of Muslims which has braught about during the last 30 years ?

The President in his address has referred to the new industrial policy which laid emphasis on the development of Cottage and Small scale industries. Concrete steps should be taken for the development of cottage industries. These steps have not so far been taken. The Government should pay special attention to the invention of small machines.

Certain people are presenting an exaggerated picture of atrocities on Harijans. The fact is that the Janata Governments are paying attention to see that the interests of Harijans are safe and protected. For example, in Haryana, in Mahendragarh District majority of the officers, belonged to Harijan Community.

Lokpal Bill should be passed in this session. There is no harm if Members of Parliament are included within the purview of the Lokpal. Lokpal should be empowered to punish the guilty persons.

Price of gur has gone down. Farmers are in great difficulty. Same is the case with potatoes because the storage capacity is limited. The Government should pay attention to these matters.

The tax on tobacco is very high and unjustified. The Government should look into this and take steps to remedy the situation.

Our labour legislation is defective. That is why there is industrial unrest. The labour legislation should be amended.

Bonus should be paid to workers every month. This will eliminate those leaders who exploit the workers as well as the employers. It has to be ensured that nobody can exploit the workers. Bonus Act should be suitably amended.

Gobar Gas is being used in villages. Government should take steps to encourage its use by more people.

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी पिठासीन हुए]
[SHRI D.N. TIWARI IN THE CHAIR]

It is good that 40 per cent of the allocation in the budget will be spent on the development of agriculture. But adequate steps have not been taken for improving our agriculture. 70 percent of our farmers have small holdings. Farmers do not get proper price for their products. The Government should fix prices of agricultural commodities about two months before they come in the markets with their produce. All out efforts should be made to give a fair deal to the farmers.

Janata Government could achieve in 3 years what the Congress Government could not do in 30 years. What is needed is strong will to do things and to have interests of the common people always before us.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातस्थिति की बुराइयों के लिए उठाये गये कदमों तथा लोगों को अधिनायकवाद एवं जनता के अधिकारों को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का समुचित और सही रूप से उल्लेख किया गया है। किन्तु जहां तक इस देश में श्रमिक वर्ग का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। अभिभाषण से पता चलता है कि पुरानी नीतियों का ही अनुसरण किया जा रहा है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आज देश तथा देशवासियों को किन असंख्य समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है, उनके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है।

जहाँ तक सत्तारुढ़ दल की हाल की कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, जनता पार्टी ने कहा है कि वे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाये रखना चाहते हैं। किन्तु जब ईरान के शंहशाह ने भारत की यात्रा की तो हमने कुछ और ही देखा। इस देश में अध्ययन कर रहे ईरानी छात्रों ने जब अपने देश-वासियों के लोकतांत्रकि अधिकारों का दमन करने के विरोध में वहां के शहंशाह की भारत यात्रा के दौरान विरोध किया तो उनसे ऐसे तरीके से निपटा गया जैसा किसी सभ्य देश में नहीं होता। यहां के जो छात्र ईरानी छात्रों का समर्थन कर रहे थे, उन्हें जेल में भेज दिया गया। सत्तारुढ़ दल की करनी तथा कथनी में कुछ समानता होनी चाहिए।

"हमारे देश में केन्द्र राज्य संबंधों के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने की न्यायोचित मांग है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। सरकार वास्तविकता की उपेक्षा नहीं कर सकती और उल्लेख न करने मात्र से इस न्यायोचित तथा लोकप्रिय मांग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम केन्द्रीय सरकार से टकराव चाहते हैं और न ही हम चाहते हैं कि केन्द्र कमजोर हो। किन्तु इस बारे में विचार विमर्श करने में क्या हानि है ?

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन राज्य विधान सभा में मतैक्य से पारित किया गया है। यह यहां साढ़े चार महीनों से राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लम्बित पड़ा हुआ है। इस दौरान समस्याएं बढ़ती गई और फसल काटने का मौसम आ गया। ।केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों को बताया कि जमींदारों तथा जोतेदारों ने इस दौरान अत्याचार क्यों किए और वहां के लोगों को सामान्य संरक्षण प्रदान क्यों नहीं दिया जा सका। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह के महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख होना चाहिए था।

अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि "लोगों में निर्भीकता पैदा करने तथा लोकतन्त्र को बचाने के लिए दल 'आसुका' का निरसन कर देगा। तथा सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर देगा। और कानूनी व्यवस्था पुनः कायम करेगा।" किन्तु वास्तव में हो क्या रहा है? उन्होंने आंसुका का निरसन कर दिया है, यह ठीक है किन्तु अपराध प्रक्रिया संहिता में उन्होंने उसी तरह के उपबन्ध रख दिए हैं। कुछ मायनों में यह कानून आपांत स्थिति से पूर्व के 'आंसुका' से बुरा है। यह और कुछ नहीं बल्कि दूसरे रूप में उसी व्यवस्था को बनाए रखना है। वे अपने वचनों को नहीं निभा रहे हैं। उन्हें देशवासियों को दिए गए वचनों को निभाना चाहिए। अन्यथा उन्हें इसके परिणामों को नहीं भूलना चाहिए।

जनता पार्टी का दूसरा वचन यह था कि वे 42वें संवैधानिक संशोधन को समाप्त कर देंगे जो कि देश में अधिनायकवाद का प्रतीक था। जनता पार्टी के कई सदस्य इसे समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। अभी भी यह नहीं बताया गया कि इसका निरसन क्यों नहीं किया जा रहा है।

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए
SHRI N.K. SHEJWALKAR IN THE CHAIR]

जहां तक श्रमिक वर्ग का सम्बन्ध है, कहा गया है कि मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध लघु 'आंसुका' का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। बिहार में भी कर्मचारियों पर किसी प्रकार की हड़ताल या प्रदर्शन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रमिकों पर पुलिस ने गोली चलाई है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत तथा कानपुर में श्रमिकों पर हमला करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जनता पार्टी की यह आदत सी हो गई है कि वह श्रमिकों की समस्याओं को कानून और व्यवस्था के रूप में लेती है। वे अब सभी प्रकार की हड़तालों तथा श्रमिक वर्गों के न्यायोचित आन्दोलनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

जहां तक जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बोनस का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ था। कि उन्हें 15 प्रतिशत की दर से बोनस मिलेगा। किन्तु आपात स्थिति के दौरान एक कानून पारित किया गया था जिसके द्वारा सरकार ने उन्हें कुछ प्रतिशत बोनस देने का अधिकार छीन लिया। जब वहां के कर्मचारी उच्चतम न्यायालय में गए तो जनता पार्टी ने आपातस्थिति के दौरान पारित किए गए कानून का समर्थन किया और उच्चतम न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि आपातस्थिति के बाद भी इस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। किन्तु अब उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है। सरकार को इससे पाठ सीखना चाहिए अब उन्हें बोनस देने के लिए कहा गया है। 21 तारीख को यह निर्णय दिया गया परन्तु बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। न्यायपालिका को आप यह सम्मान दे रहे हैं। इस देश के लोगों को भारी आशायें थीं कि देश में भारी परिवर्तन आयेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, गरीब लोगों, श्रमजीवी वर्गों ग्रामीण लोगों और बेरोजगार व्यक्तियों के कष्ट दूर होंगे। परन्तु आपने कुछ भी नहीं किया। लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या के बारे में समुचित रूप से कार्यवाही नहीं की जा रही है। केवल आश्वासनों से ही काम नहीं चलेगा। इस चेतावनी पर आप को ध्यान देना चाहिये।

हरिजनों और पिछड़ी जातियों की आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। प्रत्येक सत्ताधारी दल उनके प्रति केवल जबानी हमदर्दी दिखाता है। कल मेरठ जिले में क्या हुआ। अल्प संख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को जेल ले जाया गया। उसे वहां पीटा गया। उसकी पत्नी के साथ पुलिस ने छेड़छाड़ की। वहां पर असुरक्षा की भावना है। क्या आप भी वही नीति अपनायेंगे जो कांग्रेस अपना रही थी ।

कभी-कभी आयोग जरूरी होते हैं। शाह आयोग भी जरूरी था क्योंकि उन गलत बातों का पर्दाफाश हो और लोग सच्चाई जान सकें। परन्तु इस देश में आयोग नियुक्त करने से ही समाधान नहीं हो जाता। जब तक जमींदारों, जो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं किया जाता तब तक पिछड़ी जातियों पर अत्याचार होते रहेंगे। यह वास्तविक स्थिति है। जब तक आप उनका उत्थान नहीं करते, उनकी आर्थिक दशा सुधार कर उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तब तक आप उन पर होने वाले अत्याचारों को रोक नहीं सकते।

आर्थिक क्षेत्र की बहुत सुन्दर तस्वीर पेश की है। विकास दर को 2 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत और कृषि उत्पादन बढ़कर 118 मिलयन टन दिखाया गया है।

मुद्रास्फीति अथवा मूल्यों का स्तर आज भी मार्च, 1977 के स्तर के समान ही है। न तो लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ी है और न ही बेरोजगारी घटी है। क्या इसके लिये जनता पार्टी प्रशंसा की पात्र है ?

अनाजों का उत्पादन 1970 के स्तर तक नहीं पहुंचा। वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन तो बढ़ा है परन्तु उसका लाभ उत्पादकों को नहीं पहुंच रहा। जब तक एकाधिकार गृहों को दबाया नहीं जाता कुछ सुधार नहीं होंगे। अन्यथा कृत्रिम अभावों और मूल्य वृद्धियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक देश की गरीब जनता आवश्यक वस्तुएं समान और उचित दरों पर खरीद नहीं पाती, लोगों को राहत नहीं मिल सकती। अब नियन्त्रण ढीले किये जा रहे हैं इसका लाभ एकाधिकार गृहों को मिलेगा।

पब्लिक सैक्टर लोहा और इस्पात कम्पनीज (पुनर्संरचना) प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक—जारी

PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : अब श्री बीजू पटनायक द्वारा 23 फरवरी, 1978 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी :

"कि पब्लिक सेक्टर की लोहा और इस्पात कम्पनियों के संकर्मों का बेहतर प्रबन्ध और उनमें अधिक दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनकी पुनर्संरचना करने का तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैंने पूछा था कि मंत्री महोदय विभिन्न कारखानों को स्टील अथारिटी आफ इंडिया में क्यों लेना चाहते हैं।

होल्डिंग कम्पनी स्थापित करने का एक उद्देश्य यह भी था कि निर्णय लेने के तरीके तथा निष्कर्षों पर पहुंचने के तरीके ऐसे हों जैसे कि उद्योग में प्रचलित है और वैसे नहीं जैसे सिविल सेवाओं ने अपना रखे हैं। क्या कारण है कि आप स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को तोड़ना चाहते हैं और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते। वह इसे एक सरकारी विभाग में बदल कर इसे मंत्रालय के अधीन रखना चाहते हैं।

हमारे देश में लोह अयस्क खनिज प्रचुर मात्रा में हैं और भविष्य में इन संसाधनों का अधिकाधिक तथा पूर्ण उपयोग होना चाहिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना ठीक इसी उद्देश्य के लिए की गई थी। हम जानते हैं कि वहुधन परियोजना में क्या प्रगति हुई। अब यह योजना बगैर किसी मुआवजे के गैर-सरकारी क्षेत्र में दी जा रही है। यही कारण है कि हमें आशंका हुई है कि इसे तोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया से इस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक खनिज विकास निगम का सम्बन्ध है, इसने सराहनीय कार्य किया है। लौह अयस्क उद्योग के विस्तार के लिये यह निगम वास्तव में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। और इसलिए इसको इस तरह नाजायज ढंग से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का विभाजन संसद में बिना विचार किए कर दिया गया। जिस तरह होल्डिंग कम्पनी के बारे में चर्चा हुई थी, मन्त्री जी ने उसी तरह से इस पर भी चर्चा क्यों नहीं की। इस बारे में श्रमिकों के साथ बातचीत क्यों नहीं की गई? वे मार्च के पहले सप्ताह में मिल रहे हैं। मन्त्री जी पुराने तरीके क्यों अपनाना चाहते हैं? वह अनुषंगी कम्पनियों की बजाय, जिनका कार्यकरण सफल सिद्ध हुआ है, अधिक केन्द्रीयकरण क्यों चाहते हैं? अब मन्त्री जी उसी तरह निर्णय लेने में विलम्ब कर रहे हैं जिसका लोगों पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं। अभी भी मन्त्री जी को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए और इसे संसद के समक्ष लाने से पूर्व इस पर और अधिक विचार-विमर्श करें।

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani) : Nationalisation and Governmentalisation have been two different issues. We are in favour of Nationalisation. There should be minimum of Government control over the companies.

A steel plant is being run in Jamshedpur by Tatas while at other places steel plants are being operated in public sector. But there is no basic differences between the two.

A sum of 1591.70 crores of rupees has been invested in Hindustan Steel Ltd., upto 31-3-77 and there has been a loss of 85 crores of rupees. A sum of 1194.90 crores of rupees were invested in Bokaro Steel Ltd. which is running at a loss of 42.73 crores of rupees. The reasons for losses in public sector should be investigated.

May I know as to what is the difference between the living standard of big officers in Bokaro, Bhilai or Durgapur steel plants and those of Jamshedpur steel plant ? What is difference between the wages of employees of the two sectors.

In reply to my question the Hon. Minister stated that 1934 class I officers in Durgapur are paid rupees 359 lakh wages annually, whereas 18,088 class III employees are paid 1143 lakh rupees only. It means that one class I officer gets wages equivalent to those of three class II employees or 5 class III employees. The difference between their wages and that of class IV employees is much more.

How strong a country is, it is measured from the quantum of steel it manufactures. Japan manufactures 102 million tonnes of steel. India's position is 16th in this respect. May I know as to what steps the Government is taking to improve the country's position in regard to steel production.

If the Government is interested to expand public sector, it should make the least interference in the working of the public undertakings. The undertakings should be left free and in case they incur losses the same should be made good from the wages of the workers. The workers should be prepared to share the profits and losses.

The Janata party should bring the gap between maximum and minimum wages to 1 and 10 as per its promise.

The losses incurred by Hindustan Steel Ltd. and Bokaro Steel Ltd. etc. should be investigated together with the mal-practices by officers. Efforts should be made for proper development of public sector undertakings.

Bokaro Steel Plant is situated in Bihar. The poor people of the area including those where land has been acquired are not being given employment there. This is great injustice towards them.

The Government should look into the grievances of local people. The Headquarters of these factories in Bihar, at Ranchi etc. should not be shifted out of Bihar.

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : इस विधेयक की पुरःस्थापना के समय भी विरोध किया गया था। उस समय सभापति महोदय ने कहा था कि इस समय लम्बी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण विधेयक लाया जाता है तब ऐसा कहा जाता है (**व्यवधान**) महत्वपूर्ण विधेयकों की व्यवस्थाओं की मंत्री महोदय व्याख्या करते हैं। अब अध्यक्ष महोदय नियमों को कठोर बना रहे हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कठोर नहीं बना रहे अपितु उनमें सुधार कर रहे हैं।

श्री ओ० वी० अलगेशन : जी हां, मेरा अभिप्राय सुधार से है।

सभा में यह सामान्य बात रही है जब मंत्री महोदय विचार के लिए विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो वह इस के प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। इस विधेयक के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री बीजू पटनायक: क्या यहां आप विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं अथवा मंत्री पर।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मैं विधेयक के खंडों और उसके शीघ्रता से प्रस्तुत किये जाने के ढंग पर चर्चा कर रहा हूं।

श्री बीजू पटनायक : मैंने आप को पहले ही बता दिया था कि किस तरह यह जल्दबाजी से किया जा रहा है।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं जनता पार्टी के सदस्यों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वे व्यवधान पैदा न करें। (**व्यवधान**) सभी उद्देश्यों के लिए हम दो कांग्रेसी दल हो सकते हैं परन्तु जनता पार्टी का विरोध करने के लिए हम एक कांग्रेस पार्टी हैं। मंत्री महोदय जब जेल से छूटे थे तब उन्होंने संजय गांधी तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में वक्तव्य दिया था।

विधेयक को प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था वह स्वर्गीय श्री कुमारमंगलम का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि मंत्री महोदय निजी क्षेत्र के पक्षपाती हैं। वे कलिंग स्टील कम्पनी के स्वामी हैं। अब वह सचिवालय में अपने कार्यालय से अपना इस्पात कारखाना चलाना चाहते हैं। वह कहते तो यह हैं कि श्री कुमारमंगलम का कार्य पूरा कर रहे हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि वह ठीक उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। पंडित जी के समय में भी वह सुरक्षा परामर्शदाता माने जाते थे। उन्होंने अपनी अमरीका यात्रा के दौरान इस प्रकार के वक्तव्य दिये जैसे कि वह रक्षा मंत्री हों। जब आप परिवर्तन करते हैं तो बताया जाना चाहिए कि पूर्व व्यवस्था विफल रही है। क्या जनता सरकार पूर्व सरकार की सभी बातें बदलना चाहती है। वह श्री कुमारमंगलम की होल्डिंग कम्पनी की संकल्पना को बदल रहे हैं। इसके लिए हमें स्टील अथारिटी आफ इन्डिया के रिकार्ड को देखना चाहिए। उससे पता चलता है

कि 1976-77 में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने 1 करोड़ टन कच्चा इस्पात तथा 71 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का निर्माण किया। 1976-77 का उत्पादन 1975-76 के उत्पादन से 19.3 प्रतिशत अधिक है। मंत्री जी ने यह रिकार्ड दिखाया है और सारा दोष स्टील अथारिटी आफ इण्डिया पर डाला है। लेकिन मैं कहता हूं कि मंत्री जी द्वारा अथारिटी के मामलों में हस्तक्षेप के कारण ऐसा हुआ है।

1977-78 के लिए बजट दस्तावेज में कहा गया है कि समस्त विक्रय योग्य इस्पात का मूल्य 576 करोड़ रुपये का होगा। मंत्री जी ने कहा है कि यह बजट सम्बन्धी समर्थन के बिना हुआ है। किन्तु 576 करोड़ रुपये में 40 लाख टन का विस्तार भी शामिल है। अतः कैसे विश्वास किया जा सकता है कि मंत्री जी इस्पात संयंत्रों को अपने मंत्रालय के अधीन रख कर उनमें सुधार कर सकेंगे? ऐसा लगता है कि अब मंत्री जी इस्पात कम्पनियों में हस्तक्षेप करते रहेंगे और इसी उद्देश्य से उन्होंने यह विधेयक पेश किया है। इसी लिए वह चाहते हैं कि सभा इस विधेयक पर विचार किये बिना इसे पारित करदे। इस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं हुई है। मंत्री जी न तो इसे प्रवर समिति को भेजने के लिए राजी हैं और न ही इस पर जनमत लेना चाहते हैं। न ही वे सभा के अन्य सदस्यों की बात सुनना चाहते हैं। अतः मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं।

Shri D.N. Tiwary (Gopalganj) : The frequent changes in the structure of Hindustan Steel should be stopped. The Estimates Committee in its 33rd report in 1958-59 had recommended that head office of Hindustan Steel should not be located in Delhi. Still the Minister wanted its Head office in Delhi. I will, therefore, request the Hon. Minister not to adopt an obstinate attitude and shift the head office of Hindustan Steel to Ranchi which is nearer to various steel plants (*Interruptions*).

Although Government had accepted the recommendation of the Committee and stated in its reply that the head office has been shifted to Ranchi yet when Shri Wadood Khan an employee of Tatas was made Chairman, this office was again brought to Delhi for one man's convenience. So I request you to shift this office to Ranchi.

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न लौह और इस्पात कारखानों के ढांचे का पुनर्संरचना करना है ताकि प्रबन्ध व्यवस्था अधिक कुशल बनाई जा सके। इससे इस्पात के विकास में और खान एककों में वृद्धि होगी। राउरकेला तथा भिलाई कारखानों के विकास से इन कारखानों में उत्पादित वस्तुओं को बहुत ही सस्ती दरों पर बेचा जा सकता है। पर इसके लिए पारादीप पत्तन का विकास किया जाना जरूरी है। राउरकेला तथा तलचर, सम्बलपुर तथा तलचर के बीच रेल-सम्पर्क होना चाहिये, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए समुचित यातायात की सुविधाएं होनी चाहियें, जिनके बिना उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय को उड़ीसा में एक और इस्पात संयन्त्र स्थापित कराना चाहिये और राउरकेला का विस्तार करना चाहिये।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Purnia) : This is quite a controversial Bill. It may be taken up later on. We can postpone the discussion.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : ऐसा लगता है कि इस विधेयक द्वारा विभिन्न एककों की बजाय स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड को अधिक नियंत्रण देना है। मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि विभिन्न एककों के अधिकाधिक केन्द्रीयकरण से बेहतर परिणाम निकलेंगे। जो दल विकेन्द्रीकरण की बात करता है, उसे इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिये। हमें डर है कि विभिन्न कम्पनियों, जो परामर्श, डिजायन और इंजीनियरी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, अब इस्पात विभाग के अधीन हो जायेंगी। शायद मंत्री जी नौकरशाही के शिकंजे में फंस गये हैं इसलिए सभी कम्पनियों को मंत्रालय के अधीन रखना चाहते हैं।

विभिन्न एककों के अधिकारी अब 'सेल' के कर्मचारी बन सकते हैं। पहले ये सरकारी कर्मचारी थे और उन्हें अनुच्छेद 301 के अन्तर्गत जो सुविधाएं प्राप्त थीं वे समाप्त हो जायेंगी। वे अब होल्डिंग कम्पनी के अन्तर्गत आ जायेंगे। मंत्री जी यह आश्वासन दें कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और उन्हें मिल रही सुविधाओं को किसी प्रकार कम नहीं किया जायेगा।

श्री बीजू पटनायक: माननीय सदस्य चाहते हैं कि विधेयक को अगले दिन लिया जाये।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 फरवरी, 1978/9 फाल्गुन, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 28th February, 1978/Phalguna 9, 1899 (Saka).

MGIPRRND—1 LSS/78—N/S II—Dated 3-5-78,--210

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी /अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—29LSS./78